लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 27 नवम्बर, 1991/6 अग्रहायण, 1913 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
45	18	"श्री के० वी०तंकाबालू" के स्थान पर "श्री के०वी०तंगकाबालू" पढ़िये।
90	9	पंक्ति संख्या 9 के अंत में "और" शब्द जोड़िये।
125	8	"गोरतपुर" के स्थान पर "गोरखपुर" पढ़िये।
241	19	पंक्ति 19 में "और" शब्द का लोप करिये।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 6, दूसरा सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 5, बुधवार, 27 नवम्बर, 1991/6 अग्रहायण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 81 से 83 और 86	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	23—246
तारांकित प्रश्न संख्या : 84, 85 और 87 से 100	23—35
अतारांकित प्रश्न संख्या : 893 से 1007, 1009, 1011 से 1022, 1024 से 1074, 1076 से 1078 और 1080 से 1114	35—246
दिल्ली में चुनाव कराए जाने के बारे में	246—249
सभा पटल पर रखे गए पत्र	256—260
राज्य सभा से सन्देश	260
कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक	260—264
राज्य सभा द्वारा यथापारित—सभा पटल पर रखा गया	
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली में जातिवाद तथा देश में हरिजनों पर अत्याचार के बारे में	264—273
मंत्री द्वारा वक्तव्य	274 और 293—298
(एक) रोहिणी में भूखंडों के आवंटन के बारे में दिनांक 20-11-91 के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर में शुद्धि किया जाना	274
श्री एम० अरुणाचलम	274
(दो) विदेशी मुद्रा प्रेषण और भारतीय विकास बंधपत्र	293
श्री रामेश्वर ठाकुर	293

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	274—278

(एक) राज्य के पूर्वी जिलों में सूखा राहत कार्यों का संचालन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को और अधिक केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री मोहन लाल झिकराम — 274

(दो) छोटे अंडमान में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अन्य द्वीप समूहों में बड़े पैमाने पर ताड़ के बागान लगाने के लिए उपयुक्त योजना को अंतिम रूप देने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त — 275

(तीन) केरल में मछली के संक्रामक रोग की रोकथाम करने की आवश्यकता

प्रो० के० वी० थामस — 275

(चार) राज्य के अनेक शहरों में जल आपूर्ति तथा जल निकासी में सुधार के लिए आई० डी० ए० से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव — 275

(पांच) बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुपरी स्थान पर चीनी मिल स्थापित करने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय — 276

(छः) पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान ही उस क्षेत्र के डाक कर्मचारियों को भी विशेष कार्य भत्ता देने की आवश्यकता

श्री उद्धव बर्मन — 276

(सात) भारत के ऊर्जा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा पश्चिम बंगाल की फरक्का परियोजना को नियमित राशि दिए जाने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल — 277

(आठ) गुजरात में अनुसूचित जनजातियों को वन-भूमि के स्वामित्व अधिकार देने की आवश्यकता

श्री चंदूभाई देशमुख — 278

विषय	पृष्ठ
जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण (उपकर) संशोधन विधेयक	278—293 और 298—321
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री गोपीनाथ गजपति	278
श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या	279
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये	280
श्री ए० अशोक राज	282
प्रो० प्रेम धूमल	283
डा० वसंत पवार	285
श्री राम निहोर राय	287
श्री राम नाईक	289
डा० विश्वानाथम कैनिथी	291
श्रीमती गीता मुखर्जी	292
श्री ए० चार्ल्स	298
श्री मोहन सिंह	300
श्री गिरधारी लाल भार्गव	302
कुमारी फ्रिडा तोपनो	304
श्रीमती बासवा राजेश्वरी	304
श्री मुमताज अंसारी	306
श्री पी० सी० थामस	307
श्री पी० सी० चाक्को	308
श्री तेज नारायण सिंह	310
श्री चन्द्रजीत यादव	311
श्री बी० अकबर पाशा	314
प्रो० रासा सिंह रावत	315
श्री माणिकराव होडल्या गावीत	318
श्री तेजसिंह राव भोंसले	319
श्री अयूब खां	320
कार्य मंत्रणा समिति	314
आठवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	

लोक सभा

बुधवार, 27 नवम्बर, 1991/6 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री शरद यादव (मधेपुरा)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सिविल सेवा में पदों का आरक्षण

*81. श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिविल सेवाओं में पदों के आरक्षण के बारे में हाल ही में जारी की गई अधिसूचना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह अधिसूचना सांविधानिक उपबंधों तथा विगत में इस विषय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए विभिन्न विनिर्णयों के अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सेवानिवृत्त होने वाले सहकारी कर्मचारियों के बच्चो को भी आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

इस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 25-9-91 के कार्यालय ज्ञापन सं० 36012/31/90 स्थापना (अनु० जा०) की एक प्रति संलग्न है । यह कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13 अगस्त, 1990 के समसंख्यक पूर्व कार्यालय ज्ञापन का ही संशोधित रूप है । 13 अगस्त, 1990 और 25 सितंबर, 1991 के कार्यालय ज्ञापनों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और इसीलिए ये न्यायाधीन हैं ।

2. सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को आरक्षण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुबंध—एक

संख्या 36012/31/90-स्था० (अनु० जा०)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितंबर, 1991

कार्यालय ज्ञापन

विषय : दूसरे पिछड़ी जाति आयोग (मंडल रिपोर्ट) की सिफारिशें—भारत सरकार के अधीन सेवाओं में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण ।

मुझे, उपर्युक्त विषय पर 13 अगस्त, 1990 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन की ओर ध्यान आकर्षित करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के गरीबों को आरक्षण का प्राथमिकता के आधार पर लाभ पहुंचाने तथा आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से पिछड़े उन अन्य वर्गों तक, जो किसी भी विद्यमान आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, पहुंचाने के लिए उक्त ज्ञापन को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया है :—

2. (i) भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत रिक्तियों में उन वर्गों के गरीब उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी । यदि ऐसे उम्मीदवार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होंगे तो उन रिक्तियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अन्य उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा ।

(ii) भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में 10 प्रतिशत रिक्तियां आर्थिक रूप से पिछड़े उन अन्य वर्गों के लिए आरक्षित होंगी जिन्हें किसी भी विद्यमान आरक्षण योजना के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है ।

(iii) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में आर्थिक रूप से पिछड़े तथा आर्थिक रूप से पिछड़े उन अन्य वर्गों की, जिन्हें किसी भी विद्यमान आरक्षण योजना के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं है, पहचान के लिए मानदंड पृथक रूप से जारी किए जा रहे हैं ।

3. दिनांक 13 अगस्त, 1990 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन को ऊपर निर्दिष्ट किए गए अनुसार संशोधित माना जाएगा ।

ह०/—

अ० कु० हारीत

उपसचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

अनुबंध—दो

सं॰ 36012/31/90-स्था॰ (अनु॰ जा॰)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त, 1990

कार्यालय ज्ञापन

विषय : द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग (मण्डल रिपोर्ट) की सिफारिशें—भारत सरकार के अधीन सेवाओं में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।

अनेकानेक विषमताओं से ग्रस्त हमारे जैसे समाज में संविधान में यथानिर्दिष्ट सामाजिक न्याय के लक्ष्य की शीघ्र प्राप्ति अत्यावश्यक है। द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग, जिसे मंडल आयोग कहा जाता है और जिसकी स्थापना तत्कालीन सरकार द्वारा इसी आशय को ध्यान में रखते हुए की गई थी, ने अपनी रिपोर्ट 31-12-1980 को भारत सरकार को प्रस्तुत की है।

2. सरकार ने रिपोर्ट तथा आयोग के मतानुसार सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को दी जाने वाली प्रसुविधाओं से संबंधित वर्तमान संदर्भ आयोग की सिफारिशो पर सावधानीपूर्वक विचार कर लिया है और सरकार का यह स्पष्ट मत है कि प्रारंभिक उपाय के रूप में ऐसे वर्गों की केन्द्रीय सेवाओं तथा इसके सार्वजनिक उपक्रमों में कुछ तरजीह देनी होगी। तदनुसार निम्न आदेश जारी किए जाते हैं :—

(i) भारत सरकार के अंतर्गत सिविल पदों तथा सेवाओं में 27 प्रतिशत रिक्तियां सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।

(ii) उपर्युक्त आरक्षण सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के संबंध में लागू होगा। आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत विवरण अलग से जारी किया जायेगा।

(iii) सामान्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित समान मानदंडो के आधार पर खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर भर्ती किए गए सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को 27 प्रतिशत आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जाएगा।

(iv) सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में पहले चरण में वे जातियां तथा समुदाय शामिल होंगे जो मण्डल आयोग की सूची तथा राज्य सरकार की सूचियों दोनों में शामिल हैं। ऐसी जातियों/समुदायों की सूची अलग से जारी की जा रही है।

(v) उपर्युक्त आरक्षण 7-8-1990 से प्रवृत्त होगा। तथापि, यह ऐसी रिक्तियों के संबंध में लागू नहीं होगा जहां भर्ती की प्रक्रिया इन आदेशों को जारी करने सें पहले शुरू हो चुकी है।

3. इसी प्रकार के अनुदेश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा

वित्तीय संस्थानों के संबंध में क्रमशः लोक उद्यम विभाग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

ह०/—
(श्रीमती कृष्णा सिंह)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग।

प्रति निम्न को प्रेषित :—

1. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली।
2. वित्त मंत्रालय (बैंक तथा बीमा प्रभाग) नई दिल्ली।

} अनुरोध है कि इसी प्रकार के अनुदेश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा बीमा निगमों के संबंध में जारी किए जाएं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आरक्षण देने की व्यवस्था है और इसी के तहत मंडल कमीशन ने भी 27 परसेंट आरक्षण देने की संस्तुति दी थी। श्री वी० पी० सिंह सरकार ने भी 13 अगस्त, 1990 को इसी के तहत अधिसूचना जारी की। लेकिन इस सरकार ने 25 सितंबर, 1991 को जो संशोधित अधिसूचना जारी की उसमें सामाजिक और शैक्षणिक नहीं बल्कि आर्थिक रूप से आरक्षण की व्यवस्था है, इसमें और दस परसेंट उन लोगों को भी आरक्षण देने की बात आपने कही है जिन लोगों को आज आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं है। इससे सुप्रीम कोर्ट के सामने अनेक संवैधानिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। अनेक मुकदमे लंबित पड़े हैं क्योंकि वहां कोई आर्थिक आधार का मानदंड नहीं है। आपने जो यह अधिसूचना जारी की है, इससे आरक्षण साठ परसेंट होगा जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पचास परसेंट से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मैं यह जानना चाहता हूं कि आर्थिक आधार पर जो बात आपने की है तो क्या संविधान में कोई संशोधन करेंगे ? संविधान में संशोधन करके क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसे निर्देश देंगे ?

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मान्यवर, माननीय सदस्य महोदय को मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश की अपेक्षाओं हेतु पिछले वर्गों की पहचान करने संबंधी प्रक्रिया को छोड़कर इस आदेश से संबंधित सभी मामलों पर रोक लगा दी है। अतः माननीय सदस्य महोदय मुझसे जो कहलवाना चाहते हैं, मैं वास्तव में उस स्थिति में नहीं हूं कि वह सब कह सकूं। अतएव, मैं नहीं कह सकती कि हम संविधान संशोधन करेंगे या और कुछ करेंगे। सम्पूर्ण मामला अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है। आदेश की वैधता अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है। इसे चुनौती दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने आधार के रूप में आर्थिक मापदंड बनाने की बात कही है।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मान्यवर, आर्थिक मापदंड 27 प्रतिशत के भीतर है। मूलतः पिछड़े

वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण ही था। हम लोगों ने कहा है कि 27 प्रतिशत में प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हों। यदि इन्हें उन लोगों द्वारा नहीं भरा गया, तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से कमजोर लोगों में से अन्य आएंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपके अनुसार संशोधन आवश्यक नहीं है।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मान्यवर, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक मापदंड के आधार पर अभिज्ञात का मतलब ही है कि आर्थिक मापदंड होना चाहिए। प्रधान मंत्री जी ने पहले ही सभी मुख्य मंत्रियों को आर्थिक मापदंड पर सर्वसम्मति बनाने के लिए लिखा है। उन्होंने उनकी राय जाननी चाही है और उनके मापदंड भी ताकि मुख्य मंत्रियों की बैठक हो सके तथा स्वीकार्य आर्थिक मापदंड पर सर्वसम्मति बनायी जा सके।

अध्यक्ष महोदय : क्षमा कीजिए, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या संविधान में मापदंड का प्रावधान किया जाएगा तथा आप उसके लिए संविधान संशोधन करेंगे। यदि आप समझते हैं कि यह आवश्यक नहीं है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : अभी तक हम लोगों ने इसे आवश्यक नहीं समझा है

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आपने आर्थिक आधार कह दिया और संविधान में संशोधन नहीं कर रहे हैं। इसके मायने आरक्षण एक बहाना है। आप वस्तुत: आरक्षण नहीं देना चाहते।

अध्यक्ष महोदय : सारे आरक्षण के लिए संविधान में होना जरूरी नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्थिक आधार कोई क्राइटेरिया नहीं है इसलिए हम सरकार की इस अधिसूचना के बारे में कुछ नहीं कहते।

अध्यक्ष महोदय : जजमेंट के बारे में हमें कुछ नहीं कहना चाहिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मेरा दूसरा प्रश्न है, आपने आरक्षण में पदोन्नति के लिए रोस्टर प्रणाली बनाई है और रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत जो लोग आते हैं आप उनको पदोन्नति देते हैं एक बार, किन्तु उसका नाम सूची में एकदम नीचे यानी अन्तिम रखा जाता है। इससे सिविल सर्विस का कर्मचारी आइन्दा कोई पदोन्नति नहीं पा सकता। जो पीछे से आये हुए कर्मचारी हैं वे दूसरी पदोन्नति पाकर एक पदोन्नति पाये हुए कर्मचारी से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए और कोई पदोन्नति का अवसर ही नहीं है। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए और आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए कोई पृथक् तरीका तैयार किया गया है, यदि है तो वह मानदंड क्या है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका प्रश्न नहीं समझा।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपने कहा है कि पिछड़े वर्गों को जो हम 27 प्रतिशत आरक्षण दे रहे हैं। यह आरक्षण आर्थिक आधार पर उनको देंगे, साथ ही साथ यह भी कहा गया है

कि 10 प्रतिशत वालों के लिए जो आरक्षण दे रहे हैं जो कभी आरक्षण के लाभ को प्राप्त नहीं कर पाये, उनको भी हम आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे, इसके लिए एक मानदंड तैयार किया गया है, यह आपने अपने उत्तर में कहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 10 प्रतिशत लोगों के लिए जो मानदंड तैयार किया है वह क्या है ?

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूं, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया था, इस तरह का मापदंड नहीं बनाया गया है। हम लोग इस पर राष्ट्रीय सहमति बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। वास्तव में 25 सितंबर के संशोधित आदेश के तीसरे पैरे में यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से गरीब वर्ग अथवा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो विद्यमान किसी भी आरक्षण योजना में नहीं आते, का पता लगाने का मापदंड क्या हो, इसे पृथक् रूप से जारी किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि ज्यों ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा, इसे पृथक् रूप से जारी कर दिया जाएगा। अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा रहा है।

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, मान्यवर, मैंने इससे यह समझा है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के संबंध में मापदंड क्या हो, इसका फैसला मुख्यमंत्रियों की सर्वसम्मति के बाद किया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इस पर कोई विचार कर रही है और यदि हां, वह विचारधारा क्या है।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मान्यवर, इस तरह हमारे पास चिनप्पा रेड्डी आयोग के व्यापक आधार वाला मापदंड है और इस पर अध्ययन चल रहा है। किन्तु जैसा कि उल्लेख किया है, हमने हर राज्य को अपनी संस्तुतियां भेजने का कहा है और सभी मुख्यमंत्रियों को अपने राज्यों में फिलहाल क्या हो रहा है, बताने को लिखा है, ताकि सबके परामर्श से हम किसी सहमति पर पहुंच सकें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का आधा उत्तर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा अभी-अभी पढ़े गए 25 सितंबर के कार्यालय ज्ञापन के तीसरे पैरे में कि कौन कम गरीब है और कौन ज्यादा इसे निर्धारित करने के मापदंड तथा इसके अर्थ के बीच के विरोधाभास को बताने की चेष्टा कर रहा था। बताया गया है कि मापदंडों को अलग-अलग जारी किया जा रहा है। यहां यह नहीं बताया गया है कि ये लोग सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के साथ इस संबंध में व्यापक आधार पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करने जा रहे हैं। प्रारम्भ में इन्होंने कहा था कि सरकार केवल प्रक्रिया का अनुसरण करेगी। मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह कहना गलत है कि इन्हें पृथक रूप से जारी किया जा रहा है। ये बिलकुल ही तैयार नहीं हैं।

अन्त में, इस प्रश्न का एक पहलू जो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी का अधिक या कम गरीब होना उसके वेतन या आय अथवा भूमि या सम्पत्ति धारण के संदर्भ में तो नहीं है। क्या सरकार ने इसके भीतर छिपे हुए बृहत भ्रष्टाचार और जोखिम की संभावनाओं पर विचार किया है, लोग कम या अधिक गरीब होने के प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए विभिन्न लोगों के पास जाएंगे और इससे एक ऐसी अनियन्त्रित स्थिति पैदा होगी जिन्हें संवैधानिक प्रावधान बिलकुल भी परिलक्षित नहीं किया जा सका था।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : ऐसी संभावना है कि कुछ लोगों द्वारा अपने लाभ हेतु किसी उपाय का दुरुपयोग किया जा सकता है। मैं आंख मूंद कर यह नहीं कहती कि हर व्यक्ति यही करने जा रहा है। यहां तक कि जब यह दूसरे तरह के प्रमाणपत्र तक आती है, ऐसी बातें कुछ सीमा तक होती हैं। अतः, सिर्फ इसलिए कि लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, मेरे विचार से सम्पूर्ण उपाय को गलत नहीं कहा जा सकता।

श्री राम नाईक : माननीया मंत्री जी ने जो तीसरा पैरा पढ़ा है और उसका संदर्भ दिया है और बताया है कि आरक्षण का मापदंड अलग-अलग जारी किया जा रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है पर बातों में अन्तर हैं। और कार्यालय ज्ञापन के एक भाग के रूप में इसे अलग-अलग जारी किया जा रहा है। अंग्रेजी में यह स्पष्ट कहा गया है कि यह तैयार हो चुका है और जारी किया जा रहा हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने समय के बाद भी ऐसी सूचना क्यों नहीं दी जा रही हैं। यह 25 सितंबर का है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, नाईक जी, इन्होंने इसे पूरा स्पष्ट कर दिया है। ये अन्य मंत्रियों के साथ इस पर विचार-विमर्श करना चाहती हैं।

श्री राम नाईक : मैं अपने प्रश्न को फिर से तैयार करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इस शब्द पर कैसा तकरार ? हमें इसके सार को समझना चाहिए।

श्री राम नाईक : वह आधार क्या है ? सर्वसम्मति किसी आधार पर ही बनाई जा सकती है। वह आधार क्या है ?

महोदय अध्यक्ष : माननीय मन्त्री ने कहा है कि वे इसे विकसित करने की प्रक्रिया में हैं।

श्री राम नाईक : कुछ प्रस्तावों को परिचालित किया जाना चाहिए और तब सर्वसम्मति बनाई जा सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस तरह के किसी प्रस्ताव के बारे में सोचा है और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : सभी मापदंडों के जिनके यहां अध्ययन किए गए हैं—जैसा मैंने पहले भी व्यक्त किया है, चिनप्पा रेड्डी आयोग के मापदंड यथेष्ट पाए गए हैं। यदि आप मुझे इसे पढ़ने को कहें मैं तैयार हूं। यह दो पन्नों की रिपोर्ट है।

अध्यक्ष महोदय : यदि हो सके, आप इसे माननीय सदस्य के पास भेज दें।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं इसे माननीय सदस्य के पास भेज दूंगी।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यदि संभव हो, इसे सदन के पटल पर रख दिया जाए।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं मापदंड के लिए चिनप्पा रेड्डी आयोग की संस्तुति को सदन के सभा पटल पर रख सकती हूं और इसकी एक प्रति माननीय सदस्य को भेज सकती हूं। इसके अतिरिक्त हमने राज्यों को भी कहा है कि यदि वे किसी मापदंड का अनुसरण कर रहे हैं या उनके पास भेजने को कुछ विचार हों, हमें भेजें। हम उन्हें समेकित करेंगे और तत्पश्चात् मुख्यमंत्रियों की एक बैठक उन पर विचार कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छी बात है।

श्री पी० सी० चाको : सरकार ने इस विषय पर अत्यन्त ही बुद्धिमत्तापूर्ण एवं वैज्ञानिक

निर्णय लिया है जिस पर समाज का हर वर्ग आन्दोलित हो रहा था और एततद्वारा इस बुनियादी मुद्दे को सुलझाया गया जिसका संबंध सब से है। यदि मेरी सूचना सही है ऐसे कुछ राज्य हैं जहां 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण कार्यान्वित किया गया है। इतना अच्छा निर्णय लेने के पश्चात् क्या सरकार राज्य सरकारों को, जिन्होंने इसे कार्यान्वित नहीं किया है, उसी भावना से लागू करने को लिखेगी जिस भावना से यह निर्णय लिया गया है।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : इन आदेशों में हम केन्द्र सरकार, सरकारी उपक्रमों और बैंकों में नियोजन की बात कर रहे हैं। हम अभी यह नहीं सोच रहे हैं कि राज्य सरकारों को कोई निदेश दिए जाएं। कुछ ऐसे राज्य हैं जो 50 प्रतिशत की सीमा से बहुत आगे बढ़ गए हैं। कुछ के आंकड़े भिन्न हैं यथा, तमिलनाडु में 68 प्रतिशत, कर्नाटक में 72 प्रतिशत। राज्य सरकारें विभिन्न स्तरों से अपनी आरक्षण नीति को कार्यान्वित कर रही हैं। इस समय यह हमारे नियंत्रण में नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं एक और सवाल की क्वरी करना चाहता हूं कि संविधान में रिजर्वेशन का जो सिद्धांत है, यह सामाजिक प्रतिष्ठा का सिद्धांत है। यह इकॉनॉमिक अपलिफ्टमेंट का प्रोग्राम नहीं है। यदि यह इकानामिक अपलिफ्टमेंट को प्रोग्राम है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो 40 प्रतिशत बाकी बचे हुए हैं, 50 प्रतिशत तो उन्होंने कर दिया। अदालत कब फैसला करेगी, वह जाने, लेकिन जो बाकी 40 प्रतिशत फीसदी पद हैं, क्योंकि गरीबों के प्रति इनकी अपार प्रेम मोहब्बत पैदा हुई है, उसके बाद ये क्या करेंगे ?

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह सवाल सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है यानि आर्थिक विकास से इसका कोई रिश्ता नहीं है। इज्जत से इसका रिश्ता है, इतिहास से इसका रिश्ता है, सम्मान से इसका रिश्ता है। इसको आर्थिक आधार 27 प्रतिशत में न लगाकर संविधान में इस लड़ाई का इतिहास बहुत लंबा इतिहास है, उसको स्क्रैप कर दिया। एक शंका यह भी व्यक्त की जा रही है कि जो शेड्यूल ट्राइब्ज का रिजर्वेशन है, उसमें भी क्या यह इकानामिक क्राइटीरिया लगाने का काम करेंगे। तो मेरा यह निवेदन है कि यह तर्क जो है, उसे भी लागू करने का काम होगा। यानि संविधान में जो मेहनत करके, लोगों ने संघर्ष करके अपना हक लिया था, उस को भी स्क्रैप कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री शरद यादव : तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस पर पुनर्विचार करेंगे कि संविधान की जो इच्छा है, उसमें बड़ी मेहनत से बना हुआ पूना पैक्ट से लेकर इतनी लड़ाई का इतिहास है। क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी कि 27 प्रतिशत में इकानामिक क्राइटीरिया लगा है। बड़ी मुश्किल से जो लोगों ने संघर्ष किया है, क्या सरकार उस पर विचार करेगी ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : हां, अब महिला सदस्य।

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदया, तमिलनाडु सरकार की भांति महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण वाली बात कार्यान्वित करेंगे ?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय, यह मुद्दा कई स्तरों पर उठाया गया है। इस पर गौर किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि क्या महिलाओं का उपयुक्त वर्गीकरण हो सकता है और इसी प्रश्न का अध्ययन किया जा रहा है। इसलिए, इस समय मैं हां नहीं कह सकती हूं यद्यपि मैं चाहूंगी कि इस संबंध में हां ही कहूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, आज मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने मंडल कमीशन की सिफारिशें, जिसके खिलाफ बहुत आंदोलन छेड़ा गया था, उसके समर्थन में आज ···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : हमने इसे घोषणा पत्र में रखा है।···**(व्यवधान)**···हमने यह किया नहीं है। यह गलत वक्तव्य है और वे यह आरोप सदन के बाहर लगा रहे हैं, हम उत्तर दे रहे हैं। लेकिन सभा में इस तरह का झूठा आरोप लगाया जा रहा है।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का कभी भी विरोध नहीं किया है। **(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक : नौवीं लोक सभा ने एक मात्र भारतीय जनता पार्टी ने ही इसे घोषणा पत्र में रखा है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह साफ हो गया था कि बी० जे० पी० समर्थन नहीं क ती मंडल कमीशन का। (व्यवधान) पासवान जी ने जो कहा है कि आप समर्थन करते हैं, आप लोग समर्थन नहीं करते। इसीलिए तो हल्ला कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

यदि आप भ्रांति पैदा करेंगे तो आरक्षण को नुकसान होगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मुझे इस बात की खुशी है कि सभी लोगों ने आरक्षण की बात का सिद्धांत रूप में स्वीकार किया है और यह भी मैं जानता हूं कि चूंकि हमारी सरकार के आदेश को लागू करना आप की प्रतिष्ठा के खिलाफ था, इसलिए थोड़ी बहुत उसमें अदल-बदल करके ···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : यह संवैधानिक प्रश्न है। मैं छोटा-सा सवाल कहना चाहता हूं

मंत्री जी से कि संविधान की तीन धाराएं हैं। मैंने इसे लागू किया था इसलिए मुझे पूरी जानकारी है। हमने जब मंडल कमीशन को लागू किया था उस समय कहा था कि आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोगों के हम खिलाफ नहीं हैं, पांच से दस प्रतिशत उनको भी आरक्षण देना चाहिए और उसके लिए हम प्रपोजल रखने वाले थे।...(व्यवधान) संविधान की तीन धाराएं—आर्टिकल 340, 15 (4) और 16 (4) हैं जिसके तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसमें मुख्य रूप से शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ों की व्यवस्था की गई है। आपने आर्थिक पिछड़ेपन का जो दस प्रतिशत जोड़ा है उसके हम खिलाफ नहीं हैं लेकिन वह संविधान की किस धारा के तहत है?

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : हम संविधान के उन उपबन्धों का पालन कर रहे हैं जिसमें यह प्रावधान है कि समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए विशेष उपबंध किये जा सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान : किस अनुच्छेद के तहत ?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : नीति निर्देशक सिद्धांतों के अन्तर्गत...

श्री ए० चार्ल्स : यदि मैं ठीक समझा हूं कि इस संबंध में आरक्षण को कार्यान्वित करने के लिए मुख्य रूप से समस्या यह है कि जो समुदाय 27 प्रतिशत आरक्षण के अन्तर्गत आते हैं उनकी सूची अब तक तैयार नहीं हुई है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरक्षण पर ठीक इसी तरह का वक्तव्य दिया था तो वह इस तरह के समुदायों की सूची देने में असफल रहे थे। अब हम इस सूची को बना रहे हैं लेकिन इसमें एक खतरा है। यह कहा गया है कि वे समुदाय जो मंडल आयोग की रिपोर्ट और राज्य की सूची दोनों में हैं उनकी सूची पहले बनाई जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, प्रश्न पर आयें।

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, एक मिनट। केरल में 'पुलैया' अनुसूचित जाति है। लेकिन मंडल आयोग की रिपोर्ट में 'पुलैया' को पिछड़े समुदाय के रूप में वर्गीकृत किया हुआ है, केरल में लोगों में इसके प्रति रोष है। अतः क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि जब सूची बनाई गयी तो क्या अनुसूचित जाति के समुदायों को अनुसूचित जातियों को मिलने वाले लाभ मिलते रहेंगे या नहीं ? मंडल आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित करते वक्त मंत्री जी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसूचित जातियों को मिलने वाले फायदों पर प्रभाव न पड़े और उन्हें वही लाभ मिलते रहें जो उन्हें अब मिल रहे हैं।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : इस संबंध में जो प्रथम मापदंड स्वीकार किया गया है वह यह है कि वे समुदाय जो मंडल आयोग की सूची और राज्य सूची दोनों में शामिल हैं, को स्वीकार किया जायेगा। इसी आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो अन्य समुदाय और वर्ग शामिल करने हैं उनकी साथ-साथ पहचान की जायेगी।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : मंत्री महोदया ने शरद जी के जवाब में स्पष्ट रूप से कहा है कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण के सिलसिले में संविधान की धारा के बारे में उनके मन में शंका नहीं है। उनकी

राय संविधान की मंशा के तहत है। मैं इसको मानकर चलता हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि संघीय सरकार की तरफ से 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्गों को देना है और वह भी शिक्षा और सामाजिक स्थिति को लेकर, आर्थिक स्थिति में नहीं। आर्थिक मसलों को जब जोड़ देंगे तो फिर उसकी सारी मंशा खत्म हो जाएगी। राज्य सरकार पर सारी चीज को न डाल कर यह केन्द्र सरकार की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है। मैं जानना चाहता हूं कि 27 प्रतिशत पिछड़े वर्गों को थाईडेंटीफाई करने के लिए केन्द्र सरकार को इतनी देर क्यों होती है और यह काम कब होगा ?

[अनुवाद]

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : हम इस मसले पर गौर करेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : इस बात का मेरी ओर से मन्त्री जी ने बहुत अच्छी तरह उत्तर दिया है।

दो मुद्दे उठाये जा रहे हैं। एक तो 27 प्रतिशत के अन्तर्गत और अन्य समुदायों के दस प्रतिशत गरीबों में आने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान की बात है और दूसरी स्वय 27 प्रतिशत के लिए पिछड़े वर्गों की पहचान करना। जहां तक 27 प्रतिशत पिछड़े वर्ग की बात है मैंने कहा था कि हम उसी मूल कायदे का अनुसरण करेंगे जिसे स्वयं आपने सरकार में रहते किया था कि जो सूचियां मंडल आयोग और राज्यों दोनों मे शामिल हैं उन्हें स्वीकार किया जायेगा। परन्तु इस संबंध में मैं कहना चाहूंगी कि जहां तक राज्य सूचियों की बात है कई राज्य और संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां कोई भी सूचियां नहीं हैं। अतः उन्हें स्वयं अपनी सूचियां बनानी पड़ेंगी क्योंकि उनके पास इस समय ये सूचियां नहीं हैं। जहां तक आर्थिक मानदंड की बात है मैंने जिक्र किया था कि हम सभी मुख्य मंत्रियों से सलाह करके और इस संबंध मे अपने विचार प्रस्तुत करके एक सर्वसम्मत निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य मन्त्रियों की बैठक बुलाई जा रही है। उच्चतम न्यायालय को बताया गया है कि 25 जनवरी, 1992 से पहले हम उसके समक्ष सही मापदंड अपनाने के संबंध में प्रस्तुत होंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, आइडेंटिफिकेशन का काम तो हम एक साल पहले ही कर चुके थे। (व्यवधान)

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह था—इसमें जबर्दस्त खतरा है, कोई राज्य सरकार खुद-गर्ज होकर यह कहे कि हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं देंगे, तो फिर केन्द्र सरकार की जो जिम्मेवारी है कि केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, वह कैसे मिलेगा ? और जब यह आइडेंटिफिकेशन का काम राज्य सरकार नहीं करेगी, तो मैं जानना चाहता हूं कि आइडेंटिफिकेशन की जो जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है, वह इस काम को कब करेगी ? मेरा यही सवाल था जिसका जवाब मंत्री महोदया ने नहीं दिया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैंने इस बात को तीन बार दोहराया है कि एक सेट में उन

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के नामों की सूची है जिनके बारे में मंडल आयोग और राज्य दोनों के पास ब्यौरे मौजूद हैं परन्तु जिन राज्यों के पास सबद्ध विवरण नहीं है, वहां जाति की पहचान करने का प्रश्न खड़ा हो गया है। हमने पहचान करने का काम आरम्भ कर दिया है क्योंकि हमें यह कार्य शुरू से ही करना है क्योंकि कुछ राज्यो के पास ऐसी कोई सूची नही है। यह कार्य चल रहा है। संभव है कि कुछ राज्यों ने कोई सूची तैयार की हो और किसी और राज्यने भी कोई सूची बनाई हो परन्तु इस समय एक समेकित सूची तैयार करना तथा इसे अंतिम रूप देना हमारी जिम्मेवारी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस प्रश्न के लिए लगभग आधा घंटा निश्चित किया था। अब हम अगले प्रश्न पर विचार करेंगे। श्री राम बदन।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

आदर्श औद्योगिक शहर की स्थापना

*82. **श्री राम बदन** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारत-जापान अध्ययन समिति की नवम्बर, 1990 में हुई बैठक के परिणामस्वरूप देश मे एक आदर्श औद्योगिक शहर स्थापित करने के बारे मे कोई अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित आदर्श औद्योगिक शहर की स्थापना के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, उसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) एक आदर्श औद्योगिक नगर स्थापित करने के बारे में निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा व्यावहारिकता पहलुओं पर विचार करने हेतु योजना आयोग में भारत-जापान अध्ययन समिति द्वारा चेयरमेन, एक्जिम बैंक की अध्यक्षता में एक उप-समिति गठित की है। उप-समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट देनी है।

अध्यक्ष महोदय : जरा समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने एक प्रश्न के लिए आधा घंटा दिया है, दूसरे प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं और अन्य सदस्य भी शिकायत करेंगे।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : महोदय, हम भी पिछड़े वर्ग के हैं। हमें भी प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह जोर से मत बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए। कृपया बैठ जाइए। जरा समझने की कोशिश कीजिए। इस समय प्रश्न काल चल रहा है।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : हम भी पिछड़े वर्ग से हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह जोर से मत बोलिए। मुझे आपको सदन से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा और आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस तरह काम नहीं होगा। आप ऐसे धमकी नहीं दे सकते। इस प्रश्न के लिए आधा घंटा दिया गया है। आप इस तरह जोर से नहीं बोल सकते।

यदि आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो इस पर चर्चा करने का तरीका पता कीजिए। आप इस तरह धमकी नहीं दे सकते। यहां पर दूसरे सदस्य भी हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं। यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो आइए इसके तरीके के बारे में जानकारी हासिल करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको सभा में उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए। आप सभा में मनमानी नहीं कर सकते।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : हम ऐसा नहीं कर रहे हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब बैठ जाइये। यदि आप इतने जोर से बोलेंगे, तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। यदि आप इसी तरह ऊंचा बोलते रहेंगे तो मैं सभा की कार्यवाही नहीं चला सकता। यदि मैंने चर्चा हेतु पर्याप्त समय नहीं दिया होता तो मैं इसे उचित मानता। परन्तु यदि हर सदस्य अपनी सीट पर शोर मचाता रहेगा रहेगा तो मैं किसी की भी बात नहीं समझ सकूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष जी, आपने कहा कि इस पर आपने आधा घंटा दिया लेकिन मंत्री जी ने इसका जवाब ठीक से नहीं दिया है। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, रवि राय जी ने जो प्रश्न पूछा था और जिसके कारण ये चीज हुई, प्रश्न मंत्री जी नहीं समझ पायी हैं। रवि राय जी ने कहा था कि हम लोग जब पावर में थे तो कास्ट का आइडेंटिफिकेशन हो चुका था, क्या वह आइडेंटिफिकेशन हुआ है या नहीं ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : इस पर मुझे सख्त आपत्ति है। इस समय हम अगले प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रवि राय जी ने जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर आप मांग रहे हैं······
(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। इस पर रवि राय जी ही आपत्ति कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने आधा घंटा दिया है। यदि मंत्री ने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है तो ठीक है और नहीं दिया है तब आप उत्तर पाने का तरीका पता कर सकते हैं। इसीलिए आधे घंटे की चर्चा का प्रावधान है, यदि आप नियमों में दिये गये प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं और इसी तरह चीखते-चिल्लाते रहे तो यहां पर जो दूसरे सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं उन्हें समय नहीं मिलेगा।

श्री राम विलास पासवान : यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रक्रिया का पालन कीजिए, नियमों का पालन कीजिए।

यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तब आपकी तुष्टि के लिए नियम है और फिर आधे घंटे की चर्चा के लिए भी अनुमति ले सकते हैं। आप इसके लिए मांग कर सकते हैं। परन्तु यदि आप उस प्रावधान को भूल गये हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामचन्द्र सोमनाथ शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण मामला है कि इसके आधार पर एक सरकार चली गई।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : शरद जी, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके इस संबंध में कुछ ठोस विचार हैं तो मैं आपकी प्रतिक्रिया समझ सकता हूं। यदि आप अपने वे विचार जोरदार तरीके से पेश करना चाहते हैं और इसके लिए आप निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हैं तब आप और बेहतर ढंग से अपने विचार रख सकेंगे। यदि आप सभी एक साथ खड़े होकर यों ही प्रश्न पूछते रहे, तो आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकेंगे। अतः कृपया नियमों का पालन कीजिए। यदि आप कुछ सहायता चाहते हैं, तब मैं आपकी सहायता करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक छोटी-सी बात है कि···

(व्यवधान)

श्री शरद यादव : यह छोटी बात नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही दिन क्यों ऐसा कर रहे हैं ?

श्री शरद यादव : मैं जानना चाहता हूं कि अगर लिस्ट नहीं बनाने को डिनाई कर दें तो ऐसे में सरकार क्या करेगी ? यह एक बहुत ही स्पैसिफिक क्वश्चन है, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया है । (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आइडेंटिफिकेशन आफ कास्ट के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, उसका क्या हुआ ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हरि किशोर सिंह : आप तो समय देना चाहते हैं न । यदि वे उत्तर देना चाहती हैं, तभी आप समय दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि आप बड़ी बुद्धिमत्ता से प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे, आप इसे भलीभांति कर लेंगे ।

[हिन्दी]

श्री राम बदन : अध्यक्ष जी, यह कहा गया था कि देश में आदर्श औद्योगिक नगरों की स्थापना की जाय लेकिन आज तक एक साल बाद भी, 27 नवम्बर, 1990 को यह बैठक हुई थी, दोनों देशों के संयुक्त उद्योग बनाने के लिए लेकिन आज तक आदर्श नगर बनाने की कोई संयुक्त रिपोर्ट नहीं आई है, कोई संतोषजनक रिपोर्ट आज तक हमको उपलब्ध नहीं हुई तो क्या मंत्री महोदय, कोई संतोषजनक उत्तर देंगे कि आखिरकार आदर्श औद्योगिक नगर बनाने के लिए कौन-सी जगह उन्होंने चुनी है या कब तक चुनेंगे, ऐसी कोई तिथि निश्चित करेंगे ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : श्रीमन्, इन्डो जापान स्टडी कमेटी के तहत 27-28 नवम्बर, 1990 को यह विचार व्यक्त किया गया था कि ऐसे आदर्श औद्योगिक नगरों की स्थापना की जाय । उसके बाद दोनों साइड से मेम्बर नियुक्त किए गए । भारत की तरफ से डा० कल्याण बनर्जी, चेयरमैन, एक्सईम बैंक के और जापान साइड से 4 मेंबरों की नियुक्ति की गई । उसके बाद यह तय किया गया कि फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाय और वह जापान साइड ने तैयार करनी थी । उन्होंने अपनी फिजीबिलिटी रिपोर्ट दी है, जिसमें यह कहा गया है कि तीन स्थानों पर, दिल्ली, बम्बई और गोवा मे यह आदर्श औद्योगिक नगर स्थापित किये जायें । इसके बाद कल और आज जापान में इसी कमेटी की मीटिंग हो रही है, वहां से अपने प्रतिनिधि वापस आयेंगे, उसके बाद हाउस को आगे इन्फोर्मेशन दे पायेंगे ।

श्री राम बदन : सर, दिल्ली, बम्बई और गोवा का जहां तक जिक्र किया गया है, जहां तक आदर्श औद्योगिक नगर बसाने की बात की गई है तो जो क्षेत्र पिछड़े हैं, जो उपेक्षित हैं, क्या सरकार ने कोई ऐसा फैसला किया है कि ऐसी जगहों पर कोई आदर्श नगर बसाया जाय, जहां पर स्थान उपलब्ध हो, वहां यह नगर बसाने की बात सोची जाय ? मेरे विचार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद — बलिया, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, आजमगढ़ में से किसी एक को औद्योगिक नगर बनाकर प्रगति का अवसर दिया जाए ।

[अनुवाद]

श्री वी० धनन्जय कुमार : क्या सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि ऐसे आदर्श

औद्योगिक नगर की स्थापना करने के लिए समुद्र तट की जलवायु आदर्श और अनुकूल होगी और यदि हां तब इसके लिए क्या मंगलौर ठीक है और क्या यह उप-समिति इस पर विचार कर रही है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि जापानी सरकार ने समुद्रतट के वातावरण संबंधी परामर्श पर विचार किया है या नहीं। परन्तु उन्होंने इन तीन नगरों का सुझाव दिया है। देश भर में जहां कहीं भी उचित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां इसके लिए मांग की जा रही है तथा वे भी वहां पर इस प्रकार के नगर की स्थापना करवाना चाहते हैं। माननीय सदस्य ने मंगलौर का सुझाव दिया है। कुछ और सुझाव भी दिये गये हैं। इन सभी सुझावों को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि तीन जगह का उन्होंने सलैक्शन किया है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसका क्या मापदंड है ? क्योंकि दिल्ली में इतना प्रदूषण फैला हुआ है, इण्डस्ट्री के कारण कि आदमी का सांस लेना भी दूभर है और बंबई व बाकी जगहों की भी यही हालत है तो किन-किन चीजों की आवश्यकता देखते हुए आपने मापदंड तय किये, जिन कारणों से इन शहरों को तय किया और अन्य को नहीं किया, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैंने जैसा पहले अर्ज किया कि जापान साइड से फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई है और उन्होंने किन मापदण्डों के आधार पर यह किया है, मुझे ज्ञात नहीं है भारत में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जैसे टेलीकम्युनिकेशंस, रोड्स वगैरह को देखकर जो टाउन डवलप करते हैं लेकिन इसमें ऐसा मालूम नहीं होता कि उन्होंने इस किस्म का कोई आधार लिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत जैसे देश में जब भी कोई औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र या कोई टाउनशिप बनाया जाय उसमें बैकवर्डनैस तथा दूसरी स्थिति का भी ध्यान रखें, क्योंकि यहां हाई टैक्नोलाजी के कुछ केन्द्र बनाने की योजना है। इसमें मुझे पूरी जानकारी नहीं है, जब भी मेरे पास होगी, मैं दूंगा।

श्री राम निहोर राय : अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार ने भारत-जापान अध्ययन समिति की बैठक में देश में आदर्श औद्योगिक शहर स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो शहर के इस कार्य के लिए चुने जाने वाले शहर का मापदंड क्या है ? क्या उसमें उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर सोनभद्र जंगली पहाड़ी आदिवासियों के बाहुल्य का अति पिछड़ा क्षेत्र निर्णय के इस मापदंड में आता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो यह प्रक्रिया कब से शुरू की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने दे दिया है, आप मिर्जापुर का उत्तर दे दीजिए।

श्री एच० आर० भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को अच्छी तरह से समझाना चाहता हूं कि यह कोई भारत के औद्योगीकरण करने की प्रक्रिया नहीं है। जापानीज अपनी हाई-टैक्नोलाजी के इन्वैस्टमेंट सैन्टर के लिए स्थान यहां ढूंढ रहे हैं, जिससे हमें जल्दी टैक्नोलाजी मिल सके। इससे पूरे भारत के औद्योगीकरण का सवाल नहीं है, हमारी गल्फ क्राइसंस की बात है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मिर्जापुर के बारे में आपने क्या सोचा है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : यह प्रश्न इस प्रश्न में नहीं आता है ।

[अनुवाद]

उड़ीसा में औद्योगिक विकास केन्द्र

*83. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में स्थापित किए गए औद्योगिक विकास केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उड़ीसा राज्य के पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में ब्लाक स्तर पर औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (घ) विकास केन्द्र योजना के तहत उड़ीसा को चार विकास केन्द्र आबंटित किए गए हैं जिनमें से तीन केन्द्रों का चयन करके घोषणा कर दी गयी है । इनमें कटक, गंजम और संबलपुर जिलों में एक-एक केन्द्र है । इन जिलों में से गंजम और सम्बलपुर आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं । चौथे विकास केन्द्र के चयन के लिए राज्य सरकार को अभी अपना अंतिम प्रस्ताव करना है ।

चुने गए विकास केन्द्रों में से प्रत्येक केन्द्र को 25-30 करोड़ रु० की लागत पर बिजली, पानी, दूरसंचार, सड़कें, बैंक आदि जैसी आधारभूत सुविधाएं दी जायेंगी । इस योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है ।

श्री मृत्युंजय नायक : महोदय, यह उल्लेख किया गया है कि उड़ीसा राज्य के कटक, गंजम और सम्बलपुर जिलों को औद्योगिक विकास केन्द्रों की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चुना गया है । मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार पिछड़े हुए ज़िलों और उन जिलों को जिन्हें उद्योग रहित जिला घोषित किया जा चुका है, प्राथमिकता देगी ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, सामान्यतः पिछड़े ज़िलों में ही विकास केन्द्र स्थापित किये जाते हैं । लेकिन इन जिलों में कुछ आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए क्योंकि विकास केन्द्रों में हम संचार सुविधाएं, बिजली की सुविधाएं और बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं । अतः इन विकास केन्द्रों को दूरदराज को उन क्षेत्रों में ले जाना संभव नहीं जहां यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । लेकिन फिर भी इन विकास केन्द्रों का चुनाव करते समय हम राज्य सरकार की सिफारिशों के अनुसार निर्णय लेते हैं । हम राज्य सरकारों से नाम सुझाने के लिए कह रहे हैं और राज्य सरकारों को कम-से-कम ऐसे दो स्थानों के नाम देने चाहिए जहां विकास केन्द्रों की आवश्यकता है । एक बार जब वह नाम दे देते हैं तब उनके साथ बातचीत करके उनकी सहमति से उनमें से चुनाव कर लिया जाता है । इन चुने गये स्थानों में से अधिकांश पिछड़े क्षेत्र हैं । लेकिन आधारभूत सुविधाओं का होना अनिवार्य शर्त है जिसके बारे में कोई समझौता नहीं कर सकते ।

श्री मृत्युंजय नायक : गंजम, फुलबनी और बोलंगीर पिछड़े जिले हैं और उन्हें पहले ही उद्योग शून्य जिला घोषित किया जा चुका है, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि जिन आधारभूत सुविधाओं को माननीय मंत्री ने आवश्यक बताया है मैं समझता हूं, कि उन सुविधाओं सम्बन्धी शर्तें को मेरे जिले फुलबनी और बोलंगीर पूरा करते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार द्वारा इनकी सिफारिश किया जाना अनिवार्य है और या कि हम राज्य सरकार से इन दो जिलों में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : इसका प्रावधान है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि उड़ीसा राज्य को पहले ही चार विकास केन्द्र आवंटित किये जा चुके हैं और इनमें से तीन स्थानों का पता लगाकर उन्हें तय भी कर लिया गया है। राज्य सरकार ने कटक की चौथे केन्द्र के रूप में सिफारिश की है जिस पर हम इस आधार पर सहमत नहीं हैं क्योंकि कटक के लिए पहले ही एक विकास केन्द्र की स्वीकृति दी जा चुकी है। हम चौथे विकास केन्द्र के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। सदस्य यदि चाहें तो उड़ीसा सरकार को उन क्षेत्रों की सिफारिश करने के लिए कह सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री मृत्युंजय नायक : उड़ीसा में जनता दल सत्ता में है। हमारी इच्छाओं के साथ वह असहमत भी हो सकते हैं और वह यह भी कह सकते हैं कि राजनैतिक रूप से इस पर विचार किया जा रहा है। इसके क्या मापदण्ड हैं ? मैं यह जानना चाहूंगा कि यदि आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं तो क्या माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे। **(व्यवधान)**

प्रो० पी० जे० कुरियन : जहां तक भारत सरकार का प्रश्न है वह विकास केन्द्रों के चुनाव में राजनैतिक दृष्टिकोण से विचार नहीं करती है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं, इस तरह आप चर्चा को जारी नहीं रख सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दल राजनैतिक हो सकते हैं सरकार नहीं।

श्री श्रीकान्त जेना : फुलबनी के माननीय सदस्य की फुलबनी और बोलंगीर के बारे में मांग जायज है। कटक मेरा जिला और चुनाव क्षेत्र है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार विकास केन्द्रों के लिए नियत धनराशि को उन पर खर्च करने में समर्थ है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आज तक क्या किसी राज्य को एक भी विकास केन्द्र के लिए धनराशि का नियतन किया गया है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : जी हां, भारत सरकार ने पहले ही इन विकास केन्द्रों के लिए 75 करोड़ रुपये वितरित कर दिये हैं। जब राज्य सरकारें प्रस्ताव भेजती हैं तो हमारी शीर्षस्थ समिति—'परियोजना जांच समिति'— प्रस्तावों की जांच करती है। प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर हम शीघ्र ही 1 करोड़ रुपये की पहली किस्त के लिए मंजूरी दे देते हैं। इस प्रकार हम पांच केन्द्रों के लिए पांच करोड़ रुपये स्वीकृत कर चुके हैं। यही नहीं, 31-3-91 से पहले जितने भी प्रस्ताव आये हैं उन पर हम 50 लाख रुपये के लिए मंजूरी दे चुके हैं। इस प्रकार इस मद में अभी तक 15 करोड़ रुपये वितरित किये जा चुके हैं।

श्री के० पी० सिंहदेव : मंत्री महोदय के लिखित उत्तर को पढ़ने और मौखिक उत्तर

को सुनने के बाद में कुछ भ्रमित-सा हो गया हूं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि विकास केन्द्रों के रूप में इन क्षेत्रों के चयन का क्या मापदण्ड है, मुझे इसके बारे में जानकारी दी जाये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न उड़ीसा से सम्बन्धित है। मैडम आप उड़ीसा से नहीं हैं।

श्रीमती बासव राजेश्वरी : मैं एक सामान्य प्रश्न करना चाहूंगी। **(व्यवधान)**

प्रो० पी० जे० कुरियन : इसका एक मापदण्ड पिछड़ापन भी है। फिर जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, आधारभूत सुविधाएं यहां मौजूद होनी चाहिए। उन सब जगहों में से जहां-जहां यह सुविधाएं उपलब्ध हैं हम पिछड़े क्षेत्र को तरजीह देते हैं।

श्री अर्जुन चरण सेठी : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि कुछ धनराशि पहले हां खर्च की जा चुकी है। लेकिन मुख्य उत्तर में उन्होंने बताया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या धनराशि खर्च की गयी है अथवा आबंटित की गयी है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : विकास केन्द्र योजना 1989 में शुरू की गयी थी। जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, वर्ष 1989 में ही चार विकास केन्द्रों का आबंटन वहां किया गया है और हम देश के अन्य राज्यों में 70 विकास केन्द्रों को शुरू कर रहे हैं जिनमें से 63 का चयन कर लिया गया है। जहां भी उन्होंने प्रस्ताव भेजा है, हमने इसे स्वीकार कर लिया है और हमने राज्य सरकार को धनराशि दे दी है।

डा० कृपासिन्धु भोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री प्रो० कुरियन जी से जिले का चयन करने के मापदंड के बारे में जानना चाहता हूं। अभी जिस मानदंड की घोषणा उन्होंने की है उसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। 'पिछड़ेपन' से उनका क्या अभिप्राय है?

अध्यक्ष महोदय : वे कह रहे हैं कि इस बात को राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब आप अपना प्रश्न कर सकते हैं।

डा० कृपासिन्धु भोई : उन्होंने पहले ही गंजम और सम्बलपुर जिलों का चयन कर लिया है। प्रत्येक केन्द्र हेतु स्वीकृत 25-30 करोड़ रुपये में से कितनी धनराशि आबंटित की जा चुकी है? विकास केन्द्र के प्रत्येक चरण में व्यय का प्रतिशत कितना है और राज्य सरकार द्वारा कौन से दो अन्य जिलों की सिफारिश की गयी है? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री जी, यदि आपको इसकी जानकारी है तो आप कह सकते हैं, अन्यथा आप इसे लिखित रूप में भी दे सकते हैं।

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं यह जानना चाहूंगा कि उड़ीसा के सभी 13 जिलों में से कितने पिछड़े जिलों को **अवसंरचना सम्बन्धी** सभी आधारभूत सुविधायें प्राप्त हो गयी है? और मैं यह भी जानना चाहूंगा·· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप भी बहुत अधिक समय ले चुके है। आप अब अपना प्रश्न कर सकते हैं।

डा० कृपासिन्धु भोई : उड़ीसा के किन दो जिलों का चयन किया गया है ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह बहुत हीं लम्बा प्रश्न था। पहले प्रश्न के लिए कि क्या गंजम और सम्बलपुर जिलों को कोई धनराशि आबटित कर दी गयी है, इसका उत्तर यह है कि उड़ीसा राज्य को कुछ भी धन आबंटित नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि उड़ीसा सरकार ने चयनित विकास केन्द्रों के लिए प्रस्ताव नहीं भेजे हैं। यदि वे प्रस्ताव नहीं भेजते हैं, तब हम इस पर विचार करेंगे। और यदि एक बार हम इसे मंजूरी दे देते हैं तो हम धनराशि स्वीकृत कर देंगे।

पिछड़े जिले के मानदंड के सम्बन्ध में मैं पहले ही कह चुका हूं कि कुछ सामान्य किस्म के मानदंड हैं। जिलों का चयन करना और उनकी सिफारिश करना राज्य सरकारों के ऊपर है। अब उड़ीसा सरकार द्वारा कुछ प्रस्ताव भेजे गये थे और चयनित तीन केन्द्र राज्य सरकार की सहमति के अनुसार हैं। मैं जोर देकर यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकारों की सहमति के अनुसार हमने इन तीन केन्द्रों को शुरू किया है।

उड़ीसा में औद्योगिक रुग्णता

[हिन्दी]

*86. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बड़े पैमाने पर औद्योगिक रुग्णता व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस औद्योगिक रुग्णता के कारण क्या हैं ?

[अनुवाद]

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) देश में बैंकों से सहायता पाने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों से सम्बन्धित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक एकत्र करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सितम्बर, 1989 के अन्त में उड़ीसा राज्य में लघु क्षेत्र में 4,486 एकक तथा गैर लघु क्षेत्र में 21 एकक रुग्ण थे।

(ग) आन्तरिक तथा बाहरी दोनों प्रकार के कई कारणों से रुग्णता होती है। बैंकों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार प्रमुख कारण विपणन, वित्त, श्रम, प्रबन्ध और उत्पादन की समस्याओं तथा बिजली की कमी, मांग में कमी तथा प्राकृतिक विपदाओं जैसे बाहरी कारकों से सम्बन्धित होते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : यह प्रश्न उड़ीसा में व्याप्त औद्योगिक रुग्णता से सम्बन्धित था। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सितम्बर, 1989 तक लघु क्षेत्र के करीब 4,486 एकक और गैर लघु क्षेत्र के 21 एकक रुग्ण थे। क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है या किसी समिति द्वारा कोई सिफारिश की गयी है। चूंकि उड़ीसा में 80 प्रतिशत से भी रुग्ण एकक हैं,

अत: मैं यह जानना चाहूंगा कि इसके मूल कारण क्या हैं। पूरे देश में रुग्णता के वास्तविक कारण क्या बताये गए थे। उड़ीसा में विगत दस वर्षों से औद्योगिक रुग्णता व्याप्त है। राज्य सरकार का कहना है कि हजारों उद्योग स्थापित किये गये हैं परन्तु वास्तव में रुग्ण एकक 80 प्रतिशत से अधिक है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में कोई विशेष अध्ययन किया गया है अथवा इन्हें फिर से शुरू करने के लिए भारत सरकार को कोई सिफारिश की गई है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह कहना उचित नहीं है कि रुग्ण इकाइयां 80 प्रतिशत हैं अथवा दूसरे राज्यों की अपेक्षा उड़ीसा में अधिक रुग्णता है। रुग्णता के कारणों के बारे में एक अध्ययन किया गया है और इस अध्ययन से यह पता चलता है कि रुग्णता का कोई एक कारण नहीं, अपितु अनेकों कारण होते हैं। यहां तक कि एक ही उद्योग में भी रुग्णता का कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि दो-तीन कारण जुड़े होते हैं। अध्ययन के परिणामस्वरूप जिन कारणों का पता लगाया गया है, मैं उनमें से कुछ-एक को उद्धृत करना चाहूंगा। पहला प्रबन्धकीय अकुशलता है; दूसरे विपणन सम्बन्धी समस्या है; इसके बाद आप परियोजना सम्बन्धी त्रुटियों को ले सकते हैं; तत्पश्चात् आपको आधारभूत संरचना सम्बन्धी समस्यायें मिलेंगी; इसके अतिरिक्त किन्हीं मामलों में श्रम सम्बन्धी समस्यायें आड़े आती हैं और फिर अप्रचलित मशीनरी भी रुग्णता का एक कारण है। लघु पैमाने के उद्योगों के मामले में प्राप्तियों की वसूली में देरी, विशेषतया बड़ी इकाइयों से, का भी मामला होता है। कच्चे माल सम्बन्धी भी अड़चनें आती हैं और अन्तत: पूंजी सम्बन्धी अवरोध भी हो सकते हैं। ये सभी रुग्णता के कारण हैं। किसी विशेष इकाई में रुग्णता इन सभी कारणों से नहीं आती। बल्कि किसी विशेष इकाई में रुग्णता के लिये, इनमें से एक अथवा अधिक कारण उत्तरदायी होते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : यदि आप इन कारणों को स्वीकार करते हैं तो आप द्वारा प्रस्तावित उपाय कौन-कौन से हैं? दूसरे, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने उत्कल विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के ग्रुप द्वारा किए गए अपने विशेष अध्ययन में कहा गया है कि परियोजना रिपोर्ट ही ठीक नहीं थी। लेकिन राजनीतिक कारण इसके बीच आ गये। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वह रिपोर्ट भारत सरकार को प्राप्त हो चुकी है अथवा नहीं। यदि हां, तो आप कौन-कौन से सुधारक उपाय अपना रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि परियोजना रिपोर्ट में त्रुटियां होना भी एक कारण है। लेकिन यह प्रमुख कारण नहीं है। इस समय, यह बहुत छोटा-सा कारण है। दूसरे बहुत से ऐसे कारण हैं जो कि रुग्णता के लिये अधिक जिम्मेवार हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बारे में जो कुछ मैंने कहा है, वह इन एजेंसियों द्वारा किये गये अध्ययन पर आधारित है।

श्री श्रीकान्त जेना : इन इकाइयों को पुन: चालू करने के लिये आपने कौन-कौन से सुधारात्मक उपाय अपनाये हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : रुग्ण इकाइयों को पुन: चालू करने के लिए बहुत से उपाय अपनाये गये हैं। हमने पहले से ही राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को दिशानिर्देश दिये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में पहले से ही एक ऐसी एकक है जो कि बैंकों

द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के माध्यम से पूरे देश में रुग्णता पर निगाह रखेगी। बैंकों को भी निर्देश दिये गये हैं कि जिन उद्योगों को वे धन मुहैय्या कराते हैं, उनकी रुग्णता के सम्बन्ध में अपने ही अध्ययन एकक स्थापित करें। इन बैंकों को यह भी सलाह दी गयी है कि रुग्णता को उसके प्रारम्भिक चरण पर ही निपटा जाये क्योंकि इलाज से परहेज अच्छा होता है। इसलिये हमने उनको इसकी रोकथाम के उपाय अपनाने को कहा है। इससे अतिरिक्त, बड़े पैमाने की रुग्ण इकाइयां बी० आई० एफ० आर० को सौंपी गयी हैं। उड़ीसा में 21 बड़े पैमाने के रुग्ण उद्योग बी० आई० एफ० आर० के सुपुर्द किये गये हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : बी० आई० एफ० आर० केवल एक बूचड़खाना है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं इसे दोहरा रहा हूं कि बी० आई० एफ० आर० रुग्णता का हल खोजने में सहायता प्रदान करता है। सदस्यगण यह जानकर हर्ष का अनुभव करेंगे कि बी० आई० एफ० आर० को सौंपे गये उड़ीसा के 21 मामलों में से उन्होंने पांच उद्योगों को पुनः चालू करके आदेश दिये हैं जो कि पार्टियों द्वारा भी स्वीकार कर लिये गये हैं। उन्होंने तीन को बन्द किये जाने के आदेश दिये हैं। पांच को इन्होंने समाप्त कर दिया है। इस प्रकार बी० आई० एफ० आर० इस समस्या से निपट रहा है।

श्री श्रीकान्त जेना : इस समय कितने मामले विचाराधीन हैं?

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं। मन्त्री जी केवल सदस्य के मूल प्रश्न का ही उत्तर दे सकते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हमने बी० आई० एफ० आर० को रुग्ण इकाइयों के मामले सौंपे हैं। लघु स्तर की इकाइयों के सम्बन्ध में बैंकों को सलाह दी गयी है और इस बारे में एक राज्य-स्तरीय समिति भी है। इस समिति में राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि होते हैं। वे प्रत्येक मामले का अलग-अलग अध्ययन करते हैं तथा लघु स्तर की रुग्ण इकाइयों को पुनः चालू किये जाने वाले निवेश-खर्च की सिफारिश करते हैं।

डा० देबी प्रसाद पाल : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में, विशेषकर कलकत्ता में काफी लम्बे समय से औद्योगिक विकास होता रहा है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल में उद्योगों की रुग्णता सर्वविदित है। लघु स्तर के उद्योग, माध्यमिक स्तर के उद्योग तथा बड़े पैमाने के उद्योग रुग्ण होते जा रहे हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल में उद्योगों की रुग्णता के बारे में कोई में कोई अध्ययन किया गया है; और क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई पहल की है अथवा क्या पश्चिम बंगाल में औद्योगिक रुग्णता का अध्ययन कराये जाने के लिये पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोई शुरूआत की है? यदि हां, तो मैं भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों के बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से अविकसित जिले

[हिन्दी]

*84. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से अविकसित जिलों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त जिलों में औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने कौन से प्रभावी कदम उठाए हैं तथा इस प्रयोजनार्थ किस प्रकार के उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है;

(ग) औद्योगिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाने की संभावना है;

(घ) क्या इन अविकसित जिलों में उद्योगों की स्थापना संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इनको स्वीकृति कब तक दे दिये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) केन्द्र द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों के नाम ये हैं : अलमोड़ा, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बलिया, बान्दा, बाराबंकी, बस्ती, बुलन्दशहर, चमोली, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फरुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालोन, जौनपुर, झांसी, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, उन्नाव, उत्तरकाशी, कानपुर देहात, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल, शाहजहांपुर, सीतापुर और सुल्तानपुर ।

(ख) पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को एक कारगर रूप से बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक विकास केन्द्र योजना की घोषणा की है । विकास केन्द्रों को बिजली, पानी, दूरसंचार और बैंकों जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी । इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश को आठ विकास केन्द्र आबंटित किए गए हैं, जिनमें से सभी का चयन करके घोषणा कर दी गयी है । इन आठ विकास केन्द्र में से सात केन्द्र पिछड़े जिलों में हैं । विकास केन्द्र योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया जायेगा । इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को चुने हुए रेल शीर्षों से कच्चे माल व तैयार माल को रेल शीर्षों से लाने व वहां तक ले जाने के लिए 75 प्रतिशत की दर से परिवहन सबसिडी भी दी जाती है । सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के लिए किसी प्राथमिकता वाले उद्योग की पहचान नहीं की है । तथापि उद्योगों की स्थापना के लिए आशय पत्र मंजूर करते समय पिछड़े क्षेत्रों पर यथासंभव विचार किया जाता है ।

(ग) प्रत्येक विकास केन्द्र पर 2 -30 करोड़ रु० का निवेश होगा जिनमें से वित्तीय संस्थाएं 5 करोड़ रु० उपलब्ध कराने के लिए मान गयी हैं जिसमें 2 करोड़ रु० इक्विटी के रूप में तथा 3 करोड़ रु० ऋण के रूप में होंगे । इसके अलावा वे इन विकास केन्द्रों में स्थापित होने वाली औद्योगिक परियोजनाओं की मदद भी करेंगी ।

(घ) और (ङ) विकास केन्द्र योजना के तहत राज्य सरकारों से विकास केन्द्रों पर कार्य आरम्भ करने से पूर्व विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत किए जाने की आशा की जाती है । उत्तर

प्रदेश सरकार ने झांसी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, जौनपुर, शिवराजपुर, पदमपुर और पौड़ी गढ़वाल के विकास केन्द्रों की परियोजना रिपोर्टें मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत की हैं। ये मूल्यांकन के लिए भेज दी गयी हैं। राज्य सरकार द्वारा इटावा व बुलन्दशहर के विकास केन्द्रों की परियोजना रिपोर्टें अभी भेजी जानी हैं।

चीनी मिलों को हुआ घाटा

[अनुवाद]

*85. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में चीनी मिलों को 1990-91 में हुए घाटे का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ये घाटे किन कारणों से हुए और क्या केन्द्र सरकार ने चीनी मिलों को कोई मुआवजा दिया था; और

(ग) चीनी मिलों की सहायता करने हेतु कौन से क़दम उठाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगाई) : (क) और (ख) चीनी फैक्ट्रियों के वित्तीय परिणाम प्रत्येक क्षेत्र तथा प्रत्येक फैक्टरी में अलग-अलग होते हैं। यह विभिन्न कारकों जैसे संस्थापित क्षमता, पेराई किए गए गन्ने की मात्रा, प्लांट एवं मशीनरी की स्थिति, तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षमता तथा गन्ने से चीनी की प्राप्ति प्रतिशत तथा पेराई की अवधि आदि पर निर्भर करता है। चीनी फैक्ट्रियों को हुए घाटे, यदि कोई हो, को संकलित नहीं किया जाता है। चीनी मिलों को हुए घाटे, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) सरकार ने चीनी फैक्ट्रियों की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें लेवी तथा खुली बिक्री चीनी के अनुपात को 45 : 55 ही जारी रखना, जल्दी एवं देर तक पेराई अवधियों के दौरान किए गए उत्पादन पर उच्चतर खुली बिक्री कोटा के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करना, गन्ना विकास योजनाओं तथा आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए शर्करा विकास निधि से रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं।

भवन-निर्माताओं के विनियमन के लिए लाइसेंस पद्धति शुरू करना

*87. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मकान बनाने के कार्य में लगे भवन-निर्माताओं के विनियमन हेतु लाइसेंस पद्धति शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना केवल दिल्ली तक ही सीमित रखी जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस योजना को अन्य शहरों में भी लागू करने का विचार है और ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ख) राष्ट्रीय आवास नीति के प्रारूप में प्रामाणिक भवन निर्माताओं और विकासकर्ताओं को आवास क्रिया-कलापों में शामिल करने के लिए विचार किया गया है। भवन निर्माताओं और प्रापर्टी एजेंटों की लाइसेंसिंग और विनियमन से इस

व्यवस्था में नियंत्रण रखा जा सकेगा। तथापि, इस संबंध में कार्यवाही की शुरूआत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जानी है।

(ग) इस संबंध में दिल्ली प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) कार्यवाही संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा शुरू की जानी है।

इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का निर्यात

[हिन्दी]

*88. **कुमारी उमा भारती** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान टेलीविजन सेटों तथा अन्य इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें गत वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1991-92 की पहली तिमाही के दौरान वर्ष 1990-91 की इसी अवधि की तुलना में, टी० वी० सेटों के निर्यात में 331 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि अन्य इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्यात में 47 प्रतिशत की गिरावट आई है। वर्ष 1990-91 की पहली तिमाही के दौरान वर्ष 1989-90 की इसी अवधि की तुलना में टी० वी० सेटों के निर्यात में 40 प्रतिशत की गिरावट आई; कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात में 3 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा अन्य इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्यात में 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

छोटे और मझौले शहरों का विकास

*89. **श्री काशीराम राणा** :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और उत्तर प्रदेश में छोटे और मझौले शहरों के विकास का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष विभिन्न राज्यों में छोटे और मझोले शहरों के विकास पर राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास की योजना एक गति प्राप्त कार्यक्रम है। चालू वर्ष के लिए, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों से अभी कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास

कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों पर बंटन के माध्मम में खर्च की गई धन राशि से सम्बन्धित एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

छोटे तथा मध्यम वर्गों के कस्बों के एकीकृत विकास की योजना (जिसमें कम लागत के स्वच्छता प्रबंध भी शामिल हैं) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता का राज्यवार बंटन

(पिछले तीन वर्षों के दौरान)

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1988-89	1989-90	1990-91	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	61.50	85.09	85.00	231.59
2.	असम	59.50	59.50	65.00	184.00
3.	बिहार	75.95	129.085	47.50	252.535
4.	गोआ	—	—	10.00	10.00
5.	गुजरात	191.60	59.50	80.08	331.18
6.	हरियाणा	76.00	86.50	—	162.50
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
8.	जम्मू तथा कश्मीर	8.00	1.82	42.50	52.32
9.	कर्नाटक	180.441	52.57	68.50	301.511
10.	केरल	61.25	5.00	55.81	122.06
11.	मध्य प्रदेश	130.32	182.23	185.00	497.55
12.	महाराष्ट्र	110.635	125.255	218.31	454.20
13.	मणिपुर	—	—	54.42	54.42
14.	मेघालय	46.00	63 50	24.60	134.10
15.	मिजोरम	—	3.50	—	3.50
16.	नागालैंड	24.00	24.00	26.20	74.20
17.	उड़ीसा	71.00	68.00	178.25	317.25
18.	पंजाब	46.00	89.64	—	135.64
19.	राजस्थान	36.00	89.75	82.50	208.25

1	2	3	4	5	6
20.	सिक्किम	20.00	29.75	--	49.75
21.	तमिलनाडु	54.29	244.42	279.34	588.05
22.	त्रिपुरा	27.00	20.00	20.00	67.00
23.	उत्तर प्रदेश	195.026	44.00	198.50	437.526
24.	पश्चिमी बंगाल	110.06	82.69	135.73	328.48
25.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—
26.	दादरा तथा नागर हवेली	23.235	23.75	—	46.985
27.	लक्षद्वीप	—	—	25.00	25.00
28.	पांडिचेरी	25.00	23.75	28.00	76.75

राज्यों में उर्वरकों की कमी

*90. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इस वर्ष खरीफ और रबी की फसलों के लिए उर्वरकों की कमी रही है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सीमान्त, छोटे और बड़े किसानों को उर्वरकों पर राज सहायता का पर्याप्त लाभ सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) चालू वर्ष में खरीफ और रबी मौसमों (15 नवम्बर तक) के दौरान यूरिया, डी० ए० पी० तथा एम० ओ० पी० की तरह के मुख्य उर्वरकों की उपलब्धि सामान्यतः संतोषजनक रही है। तथापि, कुछ राज्यों में कुछ उर्वरकों की अस्थायी कमियां पायी गयी हैं जो माल के परिवहन में बाधाओं तथा स्थानीय उत्पादन में कमी के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई। पहली अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार खास कुछ अवशेष भंडार का स्तर भी निम्न था। तथापि, आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए आयातों सहित वैकल्पिक स्रोतों से व्यवस्थाएं की गयी हैं। उर्वरकों के उत्पादकों तथा आपूर्तिकर्ताओं के गहन परामर्श से मुख्य उर्वरकों की उपलब्धि पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और स्वदेशी उत्पादन अधिकतम करने तथा समय पर परिवहन सुनिश्चित करने का हर प्रयास किया जा रहा है। किसानों को आपूर्ति किए जाने वाले मुख्य उर्वरकों पर सरकार द्वारा राज सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, लघु और सीमान्तरीय किसानों को 14 अगस्त, 1991 से प्रभावी अधिसूचित मूल्य वृद्धि के प्रभाव से छूट देने को व्यवस्था की गयी है और इस प्रयोजन के लिए राज्यों को 405 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गयी है।

पूर्वी दिल्ली में ई० एस० आई० अस्पताल

*91. श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक श्रमिकों की सुविधा हेतु पूर्वी दिल्ली में एक ई० एस० आई० अस्पताल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) पूर्वी दिल्ली के झिलमिल में 200 बिस्तरों का एक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल पहले से ही चल रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता विवाद निराकरण मंचों/आयोगों का गठन

[अनुवाद]

*92. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक किन-किन जिलों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता विवाद निराकरण मंचों/आयोगों का गठन नही किया गया है;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा ऐसे मंचों/आयोगों के गठन मे की गई देरी के क्या कारण हैं;

(ग) इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 19 सितंबर, 1989 को क्या निदेश दिए गए थे और किन-किन राज्यों ने इनका पालन नहीं किया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को कोई वित्तीय सहायता दी जानी थी और यदि हां, तो कितनी;

(ङ) क्या सरकार का अस्पताल-सेवाओं तथा सरकारी/निजी एजेंसियों द्वारा बनाए गए आवासों को भी इस अधिनियम के अंतर्गत लाने का विचार है; यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों/आयोगों को गठित करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य आयोगों को अधिसूचित कर दिया है, जिनमें से 27 ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। अभी तक मणिपुर, मेघालय, नागालैंड तथा सिक्किम में आयोगो ने कार्य करना आरम्भ नहीं किया है। इसी प्रकार, राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों के अनुसार, नए बनाये गए जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए जिला मंच अधिसूचित कर दिए गए हैं। अधिसूचित किए गए जिला मंचों में से

351 जिला मंचों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। बाकी जिलों के नाम, जिनमें जिला मंचों ने कार्य करना आरम्भ नहीं किया है, राज्य सरकारों से एकत्र किए जा रहे हैं।

(ख) प्रतितोष अधिकरणों के गठन में विलम्ब के मुख्य कारण, जैसे कि राज्य सरकारों द्वारा सूचित किए गए हैं, वित्तीय बाधाएं, उपर्युक्त व्यक्ति उपलब्ध न होना आदि हैं।

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने 9 सितंबर, 1989 के आदेश में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 6 सप्ताह के भीतर राज्य आयोग तथा सभी जिलों में जिला मंच स्थापित करने का निर्देश दिया था। तथापि, कुछ राज्यों द्वारा इसका पूरी तरह पालन नहीं किया गया है। जिन राज्यों में राज्य आयोग/जिला मंचों ने बिल्कुल भी कार्य करना आरम्भ नहीं किया है, वे हैं— मणिपुर, मेघालय, नागालैंड तथा सिक्किम।

(घ) केन्द्रीय सरकार राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य आयोग तथा जिला मंच स्थापित करने के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दे रही है। इस व्यय की पूर्ति उन्हें अपने गैर-योजना बजट से करनी है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को अधिक कारगर बनाने के लिए उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त कार्यकारी दल गठित किया है। हस्पतालों में दी जा रही सेवाओं तथा सरकारी/निजी अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली आवासीय सुविधा को भी अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में लाने के सुझाव कार्यकारी दल को भेज दिए गए हैं।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का राज्यों को अंतरण

***93. श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

श्री रवि राय :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार की तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित उन योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है, जिन्हें राज्य सरकारों को पूर्ण रूप से अंतरित किए जाने का विचार है; और

(ख) ऐसी योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है जो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन रहेंगी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के संबंध में विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (एन डी सी) ने वर्ष 1985 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों के एक दल की सहायता से वर्ष 1986 तथा 1987 में इस मामले की जांच पड़ताल की तथा उन स्कीमों की सूची बनाई जिन्हें उनकी राय में जारी रखा जाना चाहिए तथा वे जिन्हें राज्यों को हस्तांतरित किया जा सकता था या समाप्त किया जा सकता था। समिति ने वर्ष 1987 में अपना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया। राष्ट्रीय विकास परिषद को समिति की रिपोर्ट अभी औपचारिक रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जानी है। राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति द्वारा वर्ष 1986 तथा 1987 में जांच की गई

केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की सूची नई स्कीमों (अर्थात् रोजगार स्कीम) को लागू करने तथा पहले की कुछ स्कीमों को निकाल दिए जाने के कारण कुछ पुरानी हो गई हैं ।

2. वर्तमान सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जब तक राष्ट्रीय विकास परिषद केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के हस्तांतरण (समाप्त) छोड़ने के बारे में कोई निर्णय लेती है तब तक राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति की सिफारिशों को आठवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के एक भाग के रूप में स्वीकृत मानना चाहिए ।

3. राज्यों को हस्तांतरित की जाने वाली राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति द्वारा प्रस्तावित 113 स्कीमों को निर्दिष्ट करने वाली सूची [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 1283/91]

4. इस समय राज्य सरकारों को हस्तांतरित करने के लिए किसी केन्द्रीय स्कीम का प्रस्ताव नहीं है ।

पश्चिम बंगाल को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति

*94. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल को अपेक्षित मात्रा में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की है;

(ख) क्या रेल मंत्रालय से बातचीत करके माल डिब्बों की कमी की समस्या को हल कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) वर्तमान वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल के लिए किए गए आवंटन की तुलना में उन्हें 82.77 प्रतिशत मात्रा में गेहूं और चावल की आपूर्ति की गई, जबकि पिछले वर्ष उन्हें 77.58 प्रतिशत मात्रा की आपूर्ति की गई थी ।

(ख) और (ग) रेलवे द्वारा भारतीय खाद्य निगम को वैगनों की आपूर्ति करना एक परिचालन संबंधी मामला है जिसमें निरन्तर परामर्श करते रहना अन्तर्ग्रस्त होता है । जब कभी वैगनों के बारे में कोई समस्या पैदा होती है, तब हम रेलवे प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके उस समस्या का समाधान करते हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मकानों की अनुमानित आवश्यकता

[हिन्दी]

*95. श्री मोहन सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान देश के शहरी क्षेत्रों में अनुमानतः कितने मकानों की आवश्यकता होगी;

(ख) इस योजना-अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में कितने मकानों का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस पर कितनी धन राशि खर्च होगी और इसके परिणामस्वरूप मकानों की आवश्यकता को किस सीमा तक पूरा किया जा सकेगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों के प्रतिपादन के संदर्भ में गठित आवास संबंधी कार्यदल ने अनुमान लगाया है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के शहरी क्षेत्रों में 9.55 मिलियन रिहायशी एककों की आवश्यकता होगी जिसमें 7.8 मिलियन नया निर्माण तथा 1.75 मिलियन उन्नयन शामिल है।

(ख) और (ग) आवास राज्य का विषय है तथा राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सरकारें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार तथा राज्य आयोजना प्रावधानों और अन्य संसाधनों का समुचित ध्यान रखते हुए विभिन्न लक्ष्य समूहों हेतु आवास योजनाएं तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त, प्राइवेट तथा घरेलू क्षेत्र भी आवासीय स्टाक की वृद्धि में पर्याप्त रूप से सहयोग करते हैं।

योजना आयोग द्वारा गठित आवास समस्या के विस्तार से संबंधित उप-दल का अनुमान है कि उपर्युक्त (क) में उल्लिखित आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 8वीं योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक तथा प्राइवेट क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर 57,180 करोड़ रुपए के परिव्यय की आवश्यकता होगी। तथापि, योजना अवधि के दौरान वास्तविक उपलब्धि, सार्वजनिक क्षेत्र में 8वीं योजना में उपलब्ध संसाधनों तथा प्राइवेट और घरेलू क्षेत्र द्वारा आरम्भ किए गए आवास निर्माण की मात्रा पर निर्भर होगी। 8वीं योजना का अंतिम निर्णय लिए जाने के बाद ही 1992-97 के दौरान मकानों के संभावित निर्माण का अनुमान लगाना संभव है।

सीमा-शुल्क में रियायतों का लाभ उपभोक्ताओं को पहुंचना

[अनुवाद]

***96. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी औषधों पर सीमा-शुल्क में रियायतें दी गयीं और रुपयों में यह धनराशि कितनी है;

(ख) क्या इन रियायतों का उद्देश्य इन दवाओं का मूल्य कम करके उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाना था;

(ग) यदि हां, तो उन दवाओं के नाम क्या हैं जिनके मूल्य, सीमा-शुल्क में रियायत देने के बाद कम हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को रुपयों में कितनी राहत दी गई है;

(घ) क्या उपभोक्ताओं को वास्तव में प्राप्त हुई राहत सीमा-शुल्क में दी गई रियायत के अनुपात में है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) उन औषधों जिन पर पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा-शुल्क में रियायत दी गई है, की संख्या और नाम वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न अधिसूचनाओं में दिए जाते हैं, जिनकी प्रतियां संसद ग्रंथागार में उपलब्ध हैं। रुपयों के रूप में सीमा-शुल्क रियायत की कुल राशि ऐसी आयातित सामग्री के प्रयोग पर आधारित देश में हुए उत्पादन पर निर्भर करती है।

(ख) से (ङ) सीमा-शुल्क में रियायतें और अधिक मूलावस्था से प्रपुंज औषधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है और इससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है। प्रत्येक मामले में यह रियायत प्रपुंज औषधों के मूल्य में कटौती से जुड़ी हुई नहीं है। डीपीसीओ, 1987 के उपबंधों में दी गई प्रक्रियाओं और मानदंडों के अनुसार अनुसूचीबद्ध औषधों की कीमतें समय-समय पर निर्धारित की जाती हैं। जब भी किसी औषध/औषध मध्यवर्ती पर सीमा-शुल्क मे रियायत होती है तो प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों की कीमतें निर्धारित करते समय घटाई गई कीमत को दृष्टिगत रखा जाता है। गैर-अनुसूचीबद्ध औषधों के संबंध में सरकार उनकी कीमतों पर नजर रखती है।

घरेलू उपभोग हेतु चीनी की मात्रा

*97. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या **खाद्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1992 की अवधि में घरेलू उपभोग और बफर स्टाक के प्रयोजनार्थ कितनी चीनी की आवश्यकता होगी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन होने की सम्भावना है;

(ग) क्या इस अवधि में चीनी का निर्यात करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1992 तक की अवधि में घरेलू उपभोग के लिए चीनी की अनुमानित आवश्यकता लगभग 115.24 लाख टन होगी। इस समय चीनी का बफर स्टाक रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान चीनी का उत्पादन 119.16 लाख टन होने की सम्भावना है।

(ग) जी, हां।

(घ) उक्त अवधि के दौरान लगभग 5.295 लाख टन चीनी के निर्यात का प्रस्ताव है।

केरल में आवास योजनाएं

*98. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कुछ आवासीय योजनाएं मंजूरी तथा वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इन सभी योजनाओं को मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक योजना को कितनी वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) केरल सरकार से 1991-92

से 5 वर्ष की अवधि में कार्यान्वित की जाने वाली, राजीव एक मिलियन हाउसिंग स्कीम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार की सहायतार्थ एक प्रारम्भिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। आवास राज्य का विषय है तथा राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई विभिन्न योजनाएं राज्य द्वारा उपलब्ध आयोजना प्रावधान, राज्य अभिकरणों के आंतरिक संसाधनों तथा संस्थागत वित्त के साथ कार्यान्वित की जानी है। केन्द्रीय योजनाओं जैसे इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं के अलावा ऐसी अन्य योजनाओं के लिये केन्द्र के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। केन्द्रीय सहायता हेतु इस प्रस्ताव की जांच के लिए राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के सम्बन्धित अभिकरणों तथा वित्तीय संस्थाओं के साथ विस्तृत मन्त्रणा अपेक्षित है, अतः केन्द्र सरकार द्वारा इस समय कोई वित्तीय वचनबद्धता नहीं की जा सकती।

अन्तरिक्ष कार्यक्रमों के फलस्वरूप नई प्रौद्योगिकियों का विकास

***99. श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न अन्तरिक्ष कार्यक्रमों के फलस्वरूप बहुत-सी नई प्रौद्योगिकियों में प्रक्रियाओं तथा उत्पादों का विकास किया गया है;

(ख) क्या इनमें से कुछ को पेटेन्ट दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में और विदेशों में पेटेन्टों के लिए कितने आवेदन पत्र दाखिल किए गए तथा इस अवधि में कितने आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए उपग्रह और राकेट प्रौद्योगिकी तथा सम्बद्ध भू-आधारित प्रणालियों के क्षेत्र में एक आत्म-निर्भर आधार को संस्थापित करने के लिए अनेक नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। इस सम्बन्ध में विवरण निम्न प्रकार है :

भारत और विदेशों में उत्पादों/प्रक्रियाओं/पेटेन्टों की सूची

क्रम सं०	उत्पाद	पेटेन्ट सं०
1	2	3
1.	मूल नाइट्रोजन वाले पॉलिआलों का उत्पादन (यू० के०)	1572913
2.	पॉलिस्टर आधारित पॉलिआलों का उत्पादन (यू० के०)	1524782
3.	पॉलिस्टर आधारित पॉलिआलों का उत्पादन (यू० एस० ए०)	924923
4.	मूल नाइट्रोजन वाले पॉलिआल (यू० एस० ए०)	4161482
5.	वनस्पति तेलों के तापांशन द्वारा हाइड्रोकार्बनों का उत्पादन (यू० के०)	1524781

1	2	3
	6. वनस्पति तेलों के तापांशन द्वारा हाइड्रोकार्बनों का उत्पादन (यू० एस० ए०)	4102938
	भारत में पेटेन्ट कराए गए	
	1. अग्नि मन्दक दृढ़ पॉलियूरिथेन	149,00
	2. वनस्पति तेलों से हाइड्रोकार्बनों का उत्पादन	143962
	3. नए अनुरूप बिस्फीनॉल का संश्लेषण	140188
	4. मूल नाइट्रोजन वाले पॉलिऑलों का उत्पादन	146818
	5. पॉलिआलो के उत्पादन में उन्नत प्रक्रिया	149126
	6. पॉलिआलों का उत्पादन	143864
	7. शुष्क पॉउडर—अग्नि-शामक संयोजन	147483
	8. नए फीनॉलीय रेजिन बनाने की एक प्रक्रिया	137274
	9. सिलिकॉन पट्टियों में सुधार	141817
	10. अविरल प्रबलित प्लास्टिक मशीन	153872
	11. पॉलियूरिथेन फॉम का उत्पादन	153437
	12. मस्य-विज्ञानी पैरामीटर के मापन के लिए एक वैद्युत-प्रकाशिकी यन्त्र	163017
	13. सीसा (लेड) डाइआक्साइड लेपित ऐनोड	164470
	14. उन्नत प्रक्रिया-निर्वात/विद्युत अपघटन लेपन	165240
	15. धात्विक या परावैद्युत किण्वों (सब स्ट्रेटो) पर निर्वात विद्युत-अपघटन लेपित धातुओं में या इनसे सम्बन्धित संशोधन	166955
	16. घरेलू विद्युत प्रघात रक्षक	167460
	17. अग्र/पश्च सतही मिल्वर परावर्तक में या इनसे सम्बद्ध संशोधन तथा इनको बनाने की प्रक्रिया	167910
	18. कांच के ऊपर अग्र सतही सिल्वर लेपन, धातु और परावैद्युत किण्वों के निर्वात लेपन में या इनसे सम्बद्ध संशोधन	168744

(घ) 1988 से अब तक 22 पेटेन्टों के लिए आवेदन किया गया है और अब तक 5 पेटेन्ट प्राप्त किए गए हैं।

सी० आर० जी० ओ० सिलिकन स्टील का उत्पादन और वितरण

*100. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रिकल उद्योग के लिए अपेक्षित कुल सी० आर० जी० ओ० सिलिकन स्टील का कितने प्रतिशत देश में ही उत्पादन होता है;

(ख) इस किस्म के स्वदेशी स्टील के मूल्य की तुलना में आयातित सी० आर० जी० ओ० सिलिकन स्टील का मूल्य कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार लघु एककों को इस स्वदेशी उत्पाद का वितरण बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योगों के माध्यम से न करके सीधे ही कोटा-प्रणाली से करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (पो० पी० जे० कुरियन) : (क) इस्पात विभाग/स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस० ए० आई० एल०) से मिली सूचना के अनुसार, इलैक्ट्रिकल उद्योग के लिए अपेक्षित सी० आर० जी० ओ० सिलिकन स्टील के लगभग 12.5 प्रतिशत भाग का देश में ही उत्पादन किया जाता है।

(ख) इस्पात विभाग/एस० ए० आई० एल० द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, देश में बनाए जाने वाली कोइल फार्म में सी० आर० जी० ओ० इलैक्ट्रिकल शीटों के विभिन्न ग्रेड होते हैं और विभिन्न ग्रेडों के मूल्य लगभग समान होते हैं।

एम-6 ग्रेड को सी० आर० जी० ओ० इलैक्ट्रिकल शीटों का स्वदेशी मूल्य 67,550 रु० प्रति मी० टन है, जबकि इसका आयातित मूल्य (देश में पहुंचने की लागत) 90,446 रु० प्रति मी० टन है।

(ग) और (घ) इस्पात विभाग/एस० ए० आई० एल० के अनुसार, लगभग 85 प्रतिशत सी० आर० जी० ओ० इलैक्ट्रिकल शीटों का दीर्घकालीन आधार पर वितरण ऐसे प्रयोगकर्ताओं को किया जा रहा है जो 1989 से अपना कार्य कर रहे हैं। उत्पादन का शेष 15 प्रतिशत का पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लघु एककों में वितरण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। स्वदेशी मांग को पूरा करने के लिए सी० आर० जी० ओ० इलैक्ट्रिकल शीटों का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

धार्मिक स्थलों का अनाधिकृत रूप से निर्माण

893. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में अनाधिकृत रूप से निर्मित धार्मिक स्थलों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रुग्ण औद्योगिक एकक

[हिन्दी]

894. **श्री दाऊ दयाल जोशी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार कितने औद्योगिक रुग्ण एककों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया गया है तथा उनकी उत्पादन क्षमता के अनुसार विस्तार किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों सम्बन्धी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में सितम्बर, 1989 के अन्त तक 280 गैर लघु औद्योगिक रुग्ण एककों और 8,201 लघु औद्योगिक रुग्ण एककों को जीव्य-क्षम पाया गया था और इन्हें उपचार कार्यक्रम के अधीन रखा गया था। इन एककों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(सितम्बर, 1989 के अन्त में) उपचार कार्यक्रम के अधीन रखे गए जीव्य-क्षम एकक

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गैर-लघु औद्योगिक रुग्ण एककों की संख्या	लघु औद्योगिक रुग्ण एककों की संख्या
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	34	239
2. असम	2	89
3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—
4. अरुणाचल प्रदेश	—	—
5. बिहार	11	239
6. चंडीगढ़	6	8
7. दमन और द्वीव	—	—
8. दिल्ली	7	126
9. दादरा और नागर हवेली	—	1
10. गुजरात	24	206
11. गोवा	1	128
12. हरियाणा	6	28

1	2	3
13. हिमाचल प्रदेश	3	20
14. जम्मू और कश्मीर	—	5
15. कर्नाटक	14	422
16. केरल	10	1,009
17. लक्षद्वीप	—	—
18. मणिपुर	—	2
19. मध्य प्रदेश	7	157
20. महाराष्ट्र	67	1,318
21. मेघालय	—	12
22. मिजोरम	—	—
23. नागालैंड	—	—
24. उड़ीसा	7	160
25. पांडिचेरी	—	27
26. पंजाब	5	85
27. राजस्थान	6	59
28. सिक्किम	--	1
29. तमिलनाडु	29	1,917
30. त्रिपुरा	—	3
31. उत्तर प्रदेश	10	204
32. पश्चिम बंगाल	31	1,736
कुल	280	8,201

पशु व्यवहार पारिस्थितिकी पर विशिष्ट कार्यशाला

[अनुवाद]

895. **श्री सुबास चन्द्र नायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यक्रम सलाहकार समिति द्वारा पशु व्यवहार पारिस्थितिकी और उत्पत्ति के क्षेत्र में प्रणाली-विज्ञान पर जोर देते हुए विशिष्ट कार्यशालाओं की एक श्रृंखला तैयार करने का निर्णय लिया गया था,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिन स्थानों पर ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं अथवा की जानी हैं उनका ब्यौरा क्या है और इन कार्यशालाओं में भाग लेने वाले वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	कार्यशाला का शीर्षक आयोजकों के नाम तथा पता	भाग लेने वालों की संख्या	स्थान तथा तारीख
1	2	3	4
1.	जैव विज्ञान और पर्वत पारिस्थितिकी पर कार्यशाला	विशेषज्ञ : 7	पर्वतारोहण संस्थान, मनाली
	डा० संतोष सिंह, अध्यक्ष, प्राणिविज्ञान और कीट विज्ञान विभाग, सेन्ट जॉन कालेज, आगरा एस० पी०/एस० ओ०/सी० 40/88	युवा वैज्ञानिक : 33	26-30 सितंबर, 1989
2.	कशेरुकी पारिस्थितिकी में ग्रीष्मकालीन शाखा	विशेषज्ञ : 22	मदुमल्लई वन्य प्राणी संरक्षण स्थल
	डा० जे० सी० डेनियल, भूतपूर्व संग्रहाध्यक्ष, बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, हार्नबिल हाउस, शहीद भगत सिंह रोड, बम्बई एस० पी०/एस० ओ०/सी० 44/88	युवा वैज्ञानिक : 30	6 नवंबर से 5 दिसंबर, 1989
3.	कीट पौधा अन्योन्य क्रिया संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	विशेषज्ञ : 14	प्राणिविज्ञान अनुसंधान सस्थान, मद्रास
	डा० टी० एन० अनन्तकृष्णन, निदेशक, प्राणिविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लोयोला कालेज, मद्रास, एस० पी०/एस० ओ०/सी० 33/89	युवा वैज्ञानिक : 22	22 जनवरी से 7 फरवरी, 1990
4.	जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में शीतकालीन शाला	विशेषज्ञ : 16	एस० वी० विश्वविद्यालय तिरूपति
	डा० आर० राममूर्ति, प्रोफेसर प्राणिविज्ञान, अवैतनिक निदेशक, राम सरमा जल कृषि	युवा वैज्ञानिक : 20	16 जनवरी से 5 फरवरी, 1991

1	2	3	4
	और जलीय जैवविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, एस० वी० विश्वविद्यालय, तिरूपति एस० पी०/एस० ओ०/सी० 46/89		
5.	पारिस्थितिकीविदों के लिए सांख्यिकी विधियों में कार्यशाला	विशेषज्ञ : 10	पूना विश्वविद्यालय, पुणे
	डा० ए० वी० खरशिकर, सांख्यिकी विभाग, पूना विश्वविद्यालय, पुणे एस० पी०/एस० ओ०/सी० 33/90	युवा वैज्ञानिक : 25	दिसम्बर, 1991 (निश्चित तारीख घोषित की जानी है)

बल्क औषधियों का उत्पादन

896. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में बल्क औषधियों का उत्पादन बढ़ाने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में उठाए गए विशिष्ट कदम क्या हैं;

(ग) देश में पर्याप्त रूप से औषधियों, विशेषकर जीवन-रक्षक औषधियां उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) बल्क औषधियों का उत्पादन बढ़ाने और उनका निर्यात करने के लिए उठाए गए अथवा उठाये जाने वाले कदम क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) औषध नीति का एक मुख्य उद्देश्य देश में प्रपुंज औषधों का यथासंभव मूल अवस्था से अधिक उत्पादन प्रोत्साहित करना रहा है। इस दिशा में औषध नीति में प्रपुंज औषध निर्माण को लाइसेंस मुक्त करने, ब्राड बैंडिंग आदि सहित विभिन्न उपायों को निर्दिष्ट किया गया है जिन्हें नियमित रूप से लागू किया जा रहा है। प्रपुंज औषधों सहित भेषज उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, उद्योग को उपलब्ध अन्य आम योजनाओं के अलावा, औषध नीति के उपबंधों के अंतर्गत एक बार में निर्यात की एक योजना भी चल रही है। प्रपुंज औषध के उत्पादन मे पिछले तीन वर्षों में भी वृद्धि का दौर बना रहा है और जहां स्वदेशी उत्पादन, देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है वहां आयात की अनुमति दी जा रही है। निर्यात में भी वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों में प्रपुंज औषधों के स्वदेशी उत्पादन और भेषज मदों के निर्यात का मूल्य निम्न प्रकार रहा है :—

वर्ष	प्रपुंज औषधों का स्वदेशी उत्पादन (रुपए लाख में)	निर्यात (सभी भेषज उत्पाद) (रुपए लाख में)
1987-88	370.00	289.7
1988-89	549.00	467.6
1989-90	610.00	856 8

इन्क्वायरी/प्रेजेंटिंग आफिसर को मानदेय का भुगतान

897. **श्री जीवन शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री इन्क्वायरी/प्रेजेन्टिंग अफसरों को मानदेय का भुगतान के बारे में 4 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5605 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुशासनात्मक और सतर्कता नियमों के अन्तर्गत विभागीय मामलों में नियुक्त इन्क्वायरी आफिसर तथा प्रेजेंटिंग आफिसर को मानदेय का भुगतान किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उन आदेशों का ब्यौरा क्या है जिनके अधीन मानदेय का भुगतान किया गया ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) कार्मिक मंत्रालय के दिनांक 11 जुलाई, 1988 के का० ज्ञा० संख्या 134/5/85-ए० वी० डी० 1 के अनुसार इन्क्वायरी/प्रेजेंटिंग अधिकारियों को मानदेय का भुगतान किया जाता है। उक्त कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

सं० 134/5/85-ए० वी० डी०-1

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 जुलाई, 1988

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—अनुशासनिक कार्यवाहियां — अंशकालिक जांच अधिकारी—मानदेय की मंजूरी।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार अनुशासनिक कार्यवाहियों के मामलों, विशेषकर भारी शास्ति वाली कार्यवाहियों से संबंधित मामलों के निपटान में लगने वाली अनावश्यक देरी के संबंध में काफी चिंतित है। यह देखा गया है कि ऐसी देरी आम तौर पर मौखिक जांच के दौरान लगती है। अनुशासनिक मामलों के तत्काल निपटान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्री के० रामानुजम के दिनांक 2 मई, 1985 के अ० शा० पत्र संख्या 134/2/83-ए० वी० डी०-1 में कई उपाय सुझाए गए थे। फिर भी यह देखा गया है कि उस पत्र में सुझाए गए विभिन्न उपायों के बावजूद अभी भी अनुशासनिक मामलों के निपटान में काफी देरी लगती है। यह सलाह

दी जाती है कि अनुशासनिक मामलों की हर मास एक प्रभारी अधिकारी से जो कि कम से कम भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक का हो, पुनरीक्षा करायी जाए तथा उनके तत्काल निपटान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

2. उस पत्र में सुझाए गए उपायों में से एक उपाय यह था कि जहां कहीं बड़ी संख्या में मौखिक जांच लंबित पड़ी है, वहां विभाग को चाहिए कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाने वाली समय-सीमा के भीतर जांच कार्य को पूरा करने के लिए कुछ अधिकारियों को लगाएं। सक्षम प्राधिकारी ऐसे अधिकारियों के मामले में जहां जांच करना उनकी ड्यूटी के क्षेत्र में नहीं आता है, अपनी वित्तीय शक्तियों के भीतर जांच अधिकारियों/प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों को उपयुक्त मानदेय मंजूर करने पर विचार कर सकता है, किंतु यह मानदेय जांच अधिकारियों के मामले में अधिक से अधिक रु० 500 तथा कम से कम रु० 250 और प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों के संबंध में अधिक से अधिक रु० 300 तथा कम से कम रु० 100 होगा। प्रत्येक अवसर पर इस देय राशि का निर्धारण, कार्य की गुणवत्ता/मात्रा तथा उसके शीघ्र और तत्काल निपटान संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाए।

3. ये आदेश जारी होने की तारीख से लागू होंगे तथा उन मामलों पर भी लागू होंगे जिनकी जांच चल रही है।

ह०

(बी० सेन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

ह० बी० सेन

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सभी मंत्रालय/विभाग (सचिव के नाम से)

प्रतिलिपि, सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि, स्थापना (भत्ता) अनुभाग 1

जवाहर रोजगार योजना की समीक्षा

[हिन्दी]

898. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जवाहर रोजगार योजना की समीक्षा करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना के निर्धारित उद्देश्यों के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने जवाहर रोजगार योजना का समवर्ती मूल्यांकन करने का कार्य

शुरू कर दिया है। समवर्ती मूल्यांकन के निष्कर्षों के आलोक में ही जवाहर रोजगार योजना की समीक्षा करने पर विचार किया जाएगा।

समवर्ती मूल्यांकन, जो कि आरम्भ किया जा चुका है, के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के स्वरूप पर कार्यक्रम का प्रभाव सामान्य तौर पर समाज के लिए और विशेष तौर पर समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए इसकी उपयोगिता तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे परिवारों के कल्याण हेतु जवाहर रोजगार योजना का योगदान इस मूल्यांकन अध्ययन के मुख्य मुद्दे होंगे।

सरकारी क्षेत्र के बन्द पड़े उपक्रमों को पुनः खोलना

89". **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम बन्द हो गए हैं तथा इनमें कितने श्रमिक कार्य कर रहे थे; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के बन्द पड़े उपक्रमों को पुनः खोलने एवं बेरोजगार हुए श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) देश में केन्द्रीय क्षेत्र का कोई उपक्रम बन्द नहीं पड़ा हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन

[अनुवाद]

900. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में भीड़-भाड़ को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई चिरप्रतीक्षित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना घोटाले में पड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राजधानी की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों जैसे नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड, फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास करने और दिल्ली की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए कोई व्यापक नीति तैयार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय श्रम संस्थान और राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालय नोएडा

में तथा पोस्टल स्टाफ कालेज हाल ही में गाजियाबाद में स्थानांतरित हुये हैं। 13 और सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से बाहर के स्थानों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने 25 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया है। तथापि, वास्तव में उनमें से कोई भी अब तक स्थानांतरित नहीं हुआ है। मामले को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ उच्च स्तर पर उठाया गया है।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए एक क्षेत्रीय योजना पहले से ही तैयार की है। यह योजना 23 जनवरी, 1989 से लागू हो गई है।

(ङ) यह योजना सभी क्षेत्रों नामतः जनसांख्यिकी, मानव बस्ती, भू-उपयोग, आर्थिक क्रियाकलाप, परिवहन और दूरसंचार जन सेवाओं, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और आश्रय के विकास को शामिल करते हुए एक परस्पर संबंधित नीति ढांचा है। योजना में ध्यान रखा गया है कि नए प्रतिष्ठानों की अवस्थिति तथा मौजूदा प्रतिष्ठानों का विस्तार दिल्ली से बाहर विशेषकर, प्राथमिकता आधार पर विकास हेतु शिनाख्त किए गए नगरों में हो। दिल्ली की परिवहन प्रणाली में भीड़-भाड़ कम करने के लिए योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों को मजबूत और चौड़ा करने, एक आंतरिक और बाहरी ग्रिड रोड सिस्टम का विकास करने तथा अब दिल्ली के बीच से आने-जाने वाले बाई पासेबल यातायात को रोकने के लिए एक क्षेत्रीय रेल बाई-पास का विचार है।

महासागर की खोज के लिए जहाज

901. **श्री गोविन्द राव निकम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महासागर की खोज के लिए चार जहाजों का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) इन जहाजों का निर्माण कब तक किया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) इस विभाग में चार जहाजों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डिब्बा बन्द और खुले खाद्य तेलों की कीमतों में अन्तर

[हिन्दी]

902. **श्री गोविन्द राव निकम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्बा बन्द खाद्य वस्तुओं तथा खुली खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भारी अन्तर है; और

(ख) यदि हां, तो पैकिंग खर्च को कम करके इन वस्तुओं की समान मूल्य पर उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्योरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन

अहमद) : (क) और (ख) आम खपत की खाद्य वस्तुओं के मामले में पैक की गई तथा खुले रूप में बेची जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में केवल मामूली-सा अन्तर है। टीनों में पैक करने की ऊंची लागत को देखते हुए मूल्यों में सही समानता लाना सम्भव नहीं है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां चुनी खाद्य वस्तुएं महगी पैकेजिंग सामग्री में बेची जाती हैं, वहां मूल्यों को कम करने के लिए वैकल्पिक सस्ती पैकेजिंग सामग्री का इस्तेमाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आयातित पामोलीन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्य तेल की आपूर्ति की व्यवस्था एक-एक कि० ग्रा० के पोलीपैक में की जा रही है।

नारियल के तेल के मूल्य में वृद्धि

[अनुवाद]

903. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1991 के अन्त में नारियल के तेल के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ख) नारियल तेल के मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा नारियल के तेल के मूल्यों को स्थिर रखने तथा उपभोक्ताओं को उचित दरों पर इसे उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जनवरी, 91 की तुलना में जून, 1991 माह के लिए नारियल के तेल का थोक मूल्य सूचकांक 5.6 प्रतिशत अधिक था।

(ख) नारियल के तेल के मूल्यों में वृद्धि मुख्यतः खाद्य तेलों के मूल्यों में आए सामान्य उछाल नारियल के तेल के उत्पादन में वस्तुतः स्थिरता की स्थिति के तथा साथ ही खाद्य तेलों के सीमित आयात के कारण मांग और आपूर्ति (खाद्य तेलों में समग्रतः) में अन्तर के कारण हुई कही जा सकती है।

(ग) देश में नारियल के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने नारियल की खेती/विकास को बढ़ावा देने हेतु नारियल विकास बोर्ड स्थापित किया है। आधुनिक तकनीकों, अर्थात् टिशू कल्चर इत्यादि का प्रयोग करके उत्पादन में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रति वर्ष लाभकर समर्थन मूल्यों की घोषणा की जा रही है। इसके विकास पर जोर देने के उद्देश्य से नारियल को तिलहन के रूप में घोषित किया गया है। देशीय तेलों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए सरकार तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना, तिलहन सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना, अनुसन्धान कार्य में तेजी लाने के कार्य को जारी रख रही है। सरकार ने किन्हीं दो खाद्य तेलों, जिनमें नारियल का तेल शामिल है, के मिश्रण की अनुमति देने का भी निर्णय किया है।

ग्रामीण विकास के लिए कार्य कर रही केन्द्रीय एजेंसियां

904. प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय देश में ग्रामीण विकास के लिए कार्य कर रही केन्द्रीय एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : इस मन्त्रालय के

गरीबी निवारण तथा अन्य कार्यक्रमों को सामान्यतया राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तथापि, इस मन्त्रालय के अधीन दो केन्द्रीय एजेंसियां हैं जो ग्रामीण विकास के विशिष्ट पहलुओं के लिए कार्य कर रही हैं। उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(i) **लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट)**

लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) को सितम्बर, 1986 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया था और यह ग्रामीण विकास मन्त्रालय के तत्वावधान में कार्य कर रही है। परिषद का मुख्य कार्य ग्रामीण सम्पन्नता में वृद्धि करने हेतु परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देना, उन्हें प्रोत्साहित करना और उनमें सहायता करना है। इस उद्देश्य के अनुसरण में परिषद द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है। परिषद गांवों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने/लागू करने और उसका विस्तार करने का कार्य भी कर रही है।

(ii) **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन० आई० आर० डी०)**

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद की स्थापना 1977 में की गई थी। यह संस्थान ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श सेवा प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय शीर्ष संस्थान है। इसका गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय केन्द्र भी है।

परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य

905. **श्री के० वी० तंगकाबालू :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000 के अन्त तक परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य 10,000 मेगावाट निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां तो क्या हाल के आर्थिक संकट को देखते हुए इस लक्ष्य में संशोधन करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए निर्धारित नया लक्ष्य क्या है;

(घ) परमाणु ऊर्जा उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता कितनी है;

(ङ) क्या उत्पादन निर्धारित क्षमता के अनुसार हो रहा है;

(च) यदि नहीं, तो इस क्षमता की तुलना में वर्ष 1990-91 में उत्पादन का प्रतिशत कितना है; और

(छ) इस तरह से उत्पादित बिजली की लागत का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां। यह लक्ष्य 1985-2000 की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार जनवरी, 1984 में निर्धारित किया गया था।

(ख) जी, हां । साधनों की मौजूदा कमी तथा कार्यक्रम की कार्यान्वयन सम्बन्धी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस लक्ष्य में संशोधन किया गया है ।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा योजना आयोग को प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के अनुसार सन् 2002 तक परमाणु बिजली की कुल स्थापित क्षमता 7700 मेगावाट प्राप्त करने के लक्ष्य की परिकल्पना की गयी है । इस बारे में स्पष्ट स्थिति आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही पता चलेगी ।

(घ) इस समय परमाणु बिजली की पुन: निर्धारित स्थापित 1500 मेगावाट है जिसमें नरौरा परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट, जिसने अक्तूबर, 1991 में क्रांतिकता प्राप्त कर ली है, भी शामिल है ।

(ङ) और (च) किसी बिजली घर, जिसमें परमाणु बिजलीघर भी शामिल है, का वास्तविक औसत उत्पादन सामान्यत: उसकी स्थापित क्षमता का प्रतिशत होता है । यह प्रतिशत. जिसे क्षमता गुणक के नाम से जाना जाता है, बिजलीघर को मजबूरन बन्द करने तथा योजनागत रूप से बन्द करने और विभिन्न कारणों की वजह से बिजलीघर को उसके निर्धारित विद्युत स्तरों की तुलना में अपेक्षाकृत कम विद्युत स्तरों पर चलाने के कारण हर वर्ष और हर यूनिट में अलग-अलग होता है । राजस्थान बिजलीघर के पहले यूनिट को छोड़कर वाणिज्यिक स्तर पर काम कर रहे परमाणु बिजलीघरों के अन्य यूनिटों का कुल वार्षिक क्षमता गुणक वित्त-वर्ष 1990-91 में निर्धारित स्थापित क्षमता का लगभग 60 प्रतिशत था जो पूरे वर्ष बना रहा । राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट के प्रचालन विद्युत स्तर को रिएक्टर की दक्षिणी एंट शील्ड में हल्के पानी के रिसाव को यन्त्रों की सहायता से बन्द करने के परिणामस्वरूप उसकी 220 मेगावाट की वास्तविक स्थापित क्षमता की तुलना में लगभग 100 मेगावाट तक सीमित रखा गया है ।

(छ) इस समय काम कर रहे परमाणु बिजलीघरों द्वारा पैदा की गई बिजली की उत्पादन लागत जून, 1991 तक की स्थिति के अनुसार लगभग 55 से 100 पैसे प्रति किलोवाट के बीच रही । इस लागत में सामान्य तार से 62.8 प्रतिशत क्षमता गुणक पर, और लगाई गई पूंजी पर 12 प्रतिशत का लाभ और 3.6 प्रतिशत मूल्यह्रास भी शामिल है ।

कर्नाटक में कैगा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र

906. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :**
श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कैगा के पास परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) संयंत्र के कब तक चालू किए जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या इस संयंत्र को स्थापित करने के लिये कोई विदेशी सहायता ली जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) मुख्य संयंत्र के भवनों का निर्माण-कार्य चल रहा है। संयंत्र के लिए संघटकों तथा उपस्करों को निर्मित करने तथा उनकी सुपुर्दगी किए जाने का काम किया जा रहा है। परम्परागत प्रणालियों को सप्लाई करने और उन्हें लगाने सम्बन्धी अनेक एकमुश्त कार्य सौंपे जा चुके हैं और वे कार्य प्रगति पर हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रिएक्टर-उपस्कर लगाने का काम सन् 1992 में शुरू किया जाना है।

(ख) सितम्बर, 1991 तक इस परियोजना पर हुआ संचयी व्यय लगभग 345 करोड़ रुपए है।

(ग) वर्तमान स्थिति के अनुसार, आशा है कि पहला यूनिट जून, 1996 में तथा दूसरा यूनिट उससे छः माह बाद की अवधि में क्रांतिकता प्राप्त कर लेगा। इन यूनिटों के क्रांतिकता प्राप्त कर लेने और वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करने के बीच लगभग छः माह की अवधि अपेक्षित होगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

लघु तथा अतिलघु बीमार औद्योगिक इकाइयां

907. **श्री ए० चारलेस** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण लघु तथा अतिलघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या रुग्ण लघु-उद्योग इकाइयों को अर्थक्षम बनाने के लिए शुरू किये गये कार्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड कुल रुग्ण इकाइयों के केवल एक प्रतिशत की ही सहायता करता है;

(ग) क्या सरकार ने शेष 99 प्रतिशत रुग्ण इकाइयों की सहायता के लिए कार्यक्रम बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना के अनुसार सितम्बर, 1989 के अन्त तक अर्थात् जिस नवीनतम अवधि के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, 186441 रुग्ण लघु औद्योगिक एकक थे (इसमें अत्यन्त छोटे एकक भी शामिल हैं) जिन पर 2243.31 करोड़ रु० बैंक ऋण बकाया है।

(ख) से (घ) लघु औद्योगिक उपक्रम और सहायक उपक्रम रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की परिसीमा के बाहर हैं। अतः रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की सूचना बी० आई० एफ० आर० को नहीं दी जाती। वित्तीय संस्थान और बैंक उन रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करते हैं जिन्हें जीव्य-क्षम समझा जाता है और इन एककों को फिर से चालू करने के लिए आवश्यक राहतें/रियायतें देते हैं।

रोहिणी में 48 मीटर के भूखण्डों का आवंटन

908. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रोहिणी निम्न आय वर्ग 1981 योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991 के दौरान 48 मीटर के आवासीय भूखण्डों का कोई आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस वरीयता संख्या तक 48 मीटर के भूखण्डों का आवंटन कर दिया गया है; और

(ग) 48 मीटर के भूखण्डों का अगला आवंटन कब किये जाने की सम्भावना है तथा अगले आवंटन में ऐसे कितने भूखण्डों का आवंटन किये जाने की सम्भावना है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न प्लाटों के आकारों के अनुसार प्राथमिकता नम्बरों की कोई अलग सूची नहीं है।

(ग) 48 मीटर के भूखण्डों का अगला आवंटन, और भूखण्डों को काटने के पश्चात् ही किया जा सकता है तथा यह कहना सम्भव नहीं है कि अगले ड्रा में आवंटन के लिए इस प्रकार के कितने भूखण्ड उपलब्ध होंगे।

अंग्रेजी भाषा के अनिवार्य पर्चे को समाप्त करना

[हिन्दी]

909. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा के अनिवार्य पर्चे को समाप्त करने के संबंध में कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस संबंध में कोई निर्णय ले लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) संघ लोक सेवा आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कतिपय परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को समाप्त करने संबंधी प्रश्न की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष, प्रो० सतीश चन्द्र, की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है।

सहकारी समूह आवास समितियों को दिया गया मुआवजा

[अनुवाद]

910. **श्री एम० एल० झिकारिया** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दस वर्षों के दौरान भूमि और विकास कार्यालय द्वारा एन्डूयूजगंज/सादिक

नगर क्षेत्र में दिल्ली की नौ सहकारी समूह आवास समितियों को पूर्णतः विकसित भूमि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों के नाम क्या-क्या हैं तथा इनमें से प्रत्येक को कितनी भूमि आवंटित की गई है;

(ग) क्या यह भूमि बाद में भूमि और विकास कार्यालय द्वारा वापिस ले ली गई थी और इसे "हुडको प्लेस" के निर्माण हेतु हुडको को आवंटित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो "हुडको" द्वारा उस भूमि के विकास पर किए गए व्यय, यदि कोई किया गया है, का ब्यौरा क्या है;

(ङ) किसी समिति अथवा सभी नौ समितियों को उनके द्वारा उस भूमि का विकास करने के लिए दी गई मुआवजे की राशि, यदि कोई दी गई है तो, कितनी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) पिंजरापोल में नौ समूह आवास समितियों को भूमि आवंटित की गई थी और समितियों को अपने स्वयं के खर्चे पर आन्तरिक विकास कार्य करना था।

(ख) जिन समितियों को भूमि आवंटित की गई थी, क्षेत्र के ब्यौरे सहित उनकी एक सूची संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) चूंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा आवंटन आदेश अमान्य घोषित किए गए थे, समितियों से भूमि वापिस ले ली गई थी। साधारण पूल रिहायशी वास के निर्माण हेतु 10 एकड़ भूमि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को आवंटित की गई है। 42.6 एकड़ क्षेत्र विकास के लिए हुडको को निम्नानुसार आवंटित किया गया है :—

साधारण पूल रिहायशी वास के लिए 25 एकड़

सामुदायिक केन्द्र के लिए 17.6 एकड़

इसके अतिरिक्त, 18 एकड़ भूमि का क्षेत्र आंचलिक हरियाली के रूप में देखभाल और रख-रखाव के निमित्त हुडको को सुपुर्द किया गया है।

(घ) भूमि के विकास पर हुडको द्वारा अभी तक कोई खर्चा नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) चूंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा आवंटन अमान्य घोषित किए गए थे, मुआवजे की अदायगी का प्रश्न ही नहीं उठता।

समितियों द्वारा जमा की गई राशि 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर सहित उनको वापिस की गई है।

विवरण

क्र० सं०	समिति का नाम तथा पता	आवंटित क्षेत्र (एकड़)
1.	नव संसद् विहार सहकारी समूह आवास समिति लि०	5.00
2.	जवाहर लाल सहकारी समूह आवास समिति	2.20
3.	फखरूद्दीन स्मारक सहकारी समूह आवास समिति	4.00
4.	हस्र सब सहकारी समूह आवास समिति	2.50
5.	नीलांचल सहकारी समूह आवास समिति	1.50
6.	संसद् विहार सहकारी समूह आवास समिति	2.25
7.	दक्षिण सहकारी समूह आवास समिनि	4.30
8.	प्रियदर्शिनी सहकारी समूह आवास समिति	2.25
9.	श्रीनिकेतन सहकारी समूह आवास समिति	3.00

दवाइयों के मूल्यों को अंकित करना

[हिन्दी]

911. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दवाइयों पर करों सहित मूल्य अंकित करने की शर्त लागू नहीं होती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस बारे में आम आदमी को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) महोदय, यह गैर-अनुसूचित सूत्रयोगों पर लागू होता है। फिर भी, गैर अनुसूचित औषधों के पैकों पर बिक्री मूल्य अंकित करने के संशोधित ढांचे को अपनाने के लिए औषध उद्योग को 31 दिसंबर, 1991 तक छूट दी गई है।

केरल को आवश्यक वस्तुओं का आवंटन

[अनुवाद]

912. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1991 से अक्तूबर, 1991 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केरल को वितरण के लिए कुल कितनी-मात्रा में चावल, गेहूं, चीनी, पामऑयल और मिट्टी के तेल का आवंटन किया गया तथा कितनी-कितनी मात्रा में इन मदों की सप्लाई की गई ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : जुलाई, 1991 से अक्तूबर, 1991 के महीने के वास्ते केरल के लिए चावल, गेहूं, चीनी, पामोलीन और मिट्टी का तेल का आवंटन और उनकी उठाई गई मात्रा संलग्न विवरण पर दी गई है।

विवरण

(मी० टन में)

वस्तुएं	माह							
	जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर	
	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
चावल	142500	145600	162500	191700	150000	135600	150000	उ०न०
गेहूं	30000	29800	30000	30300	30000	29400	30000	उ०न०
चीनी	11953	*	13753	*	14949	*	12551	*
आयातित खाद्य तेल	शून्य	234	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1000	उ०न०
मिट्टी का तेल	21529	उ०न०	21529	उ०न०	21529	उ०न०	21529	उ०न०

आ०=आवंटन

उ० उठाई गई मात्रा

* चीनी की शत-प्रतिशत मात्रा उठा ली जाती है।

उ०न०=उपलब्ध नहीं।

जलधारा योजना के अंतर्गत प्रगति

913. **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सूखाप्रवण क्षेत्रों में सीमान्त किसानों को पम्प सेट उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने "जल धारा" नाम की कोई योजना आरम्भ की थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए सूखा प्रवण जिलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक की उपलब्धियों की तुलना में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी हां। तथापि, इस योजना को, जिसे उड़ीसा सहित 13 राज्यों के 615 सूखा प्रभावित खण्डों में चलाया जा रहा था, वित्त विभाग द्वारा 1-4-90 से बंद कर दिया गया है। 31-3-90 तक की वचनबद्ध देयताओं को वित्तीय वर्ष 1990-91 में पूरा किया जाना था।

(ख) उड़ीसा में इस योजना के अंतर्गत कालाहांडी, बोलांगीर, फूलबनी और सम्बलपुर जिले शामिल किए गए थे।

(ग) उड़ीसा में मार्च, 1991 के अंत तक निर्धारित लक्ष्यों के साथ-साथ प्राप्त उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :—

		पम्प सैटों की संख्या	
क्रमांक	जिले का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	कालाहांडी	1056	1056
2.	बोलांगीर	840	770
3.	फूलबनी	580	578
4.	सम्बलपुर	695	695
	योग	3171	3099

उड़ीसा में चीनी परियोजनाओं का संवर्धन

914. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में चीनी परियोजनाओं के संवर्धन के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार को स्वीकृत किए गए पत्र और परियोजना स्थान का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) दिनांक 2-1-1987 के प्रेस नोट के तहत सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के जारी होने के पश्चात् उड़ीसा सरकार के एक उपक्रम, इंडस्ट्रीयल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लि० (इपीकोल) ने उड़ीसा में विभिन्न स्थानों पर नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन किया था। उनके आवेदन पत्रों पर विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार ने नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए 7 आशय-पत्र प्रदान किए हैं जिनका वितरण निम्न प्रकार है :—

क्रम सं० आशय पत्र की तारीख	स्थान	टिप्पणी
1. 29-8-1988	स्थान हरिपुर गांव, तह० धेनकनाल सदर, जि० धेनकनाल	मै० शक्ति सुगर्स लि० को हस्तांतरित
2. 20-3-1989	स्थान बोलानगिर	—
3. 20-3-1989	स्थान धर्मगढ़, तह० धर्मगढ़, जिला कालाहांडी	—
4. 20-3-1989	स्थान नबरंगपुर, जिला कोरापुट	—
5. 13-2-1990	स्थान आनन्दपुर जिला कउंझार	—
6. 26-10-1990	तह० बौध, जिला फूलबानी	—
7. 26-10-1990	तह० भांजानगर, जिला गंजम	—

परम्परागत उद्योगों का संवर्धन

915. श्री परसराम भारद्वाज : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों के परम्परागत उद्योगों का विकास करने और इसी प्रकार के आधुनिक उद्योगों की तुलना में इन उद्योगों को अर्थक्षम बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) हस्तकला-आधारित कुटीर उद्योगों के लिए और भारत तथा विदेशों में इनके उत्पादों के लिए बाजार का पता लगाने के लिए सरकार का क्या प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सहायता उपलब्ध कराने का विचार है कि इन उद्योगों के लिए अपेक्षित कच्चा माल सही दरों पर तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी खादी तथा ग्रामोद्योग के समग्र कार्यक्रम का अभिन्न अंग है । खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों का प्राथमिक उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों की हालत सुधारना और उनका विकास करना ही है । जिन पारम्परिक उद्योगों में अनु० जा०/अ० ज० जा० के लोगों की संख्या अधिक है वे निम्नलिखित हैं—ऊनी खादी की बुनाई, ग्रामीण चमड़ा, अखाद्य तिलहन एकत्र करना, मधुमक्खी पालन, रेशा आदि । खादी तथा ग्रामोद्योग के समग्र कामों में रोजगार पाने वाले अ० जा०/अ० ज० जा० के लोगों की कुल संख्या लगभग 30 प्रतिशत है । अ० जा०/अ० ज० जा० के पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं :—

1. विशेष रूप से अ० जा०/अ० जनजातियों को लाभ पहुंचाने के लिए देश के चुने हुए जिलों में विशेष कार्यक्रम चलाए गए हैं;

2. बजट आवंटनों का एक हिस्सा विशेष रूप से अ० जा०/अ० जनजातियों के लिए अलग से रखना;

3. जनजातियों और अ० जातियों के लाभार्थ उपयुक्त कार्यक्रम अलग से तैयार करना;

4. अ० जा०/अ० जनजातियों की सहायतार्थ उदार प्रक्रिया का पालन करना जैसे कि—मशीनों/औजारों, उपकरण/उपस्करों की खरीद के लिए 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत ऋण देना तथा भवन निर्माण के लिए 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण देना;

5. बड़े संस्थानों को 2 50 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के ऊपर अतिरिक्त सहायता देना बशर्ते कि वे इस अतिरिक्त राशि का प्रयोग विशेष रूप से अ० जा०/अ० जनजातियों के लाभार्थ करें ।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सामान्यतया उन्हीं ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देता है जिनके लिए कच्चा माल स्थानीय रूप से उपलब्ध हो । कच्चा माल दिलाने के काम में वह राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों की मार्फत संस्थानों और सहकारी समितियों की मदद करता है । खादी तथा

ग्रामोद्योग आयोग का प्रस्ताव है कि कच्चे माल का स्टाक रखा जाए ताकि मांगने वाले संस्थानों को कच्चा माल उचित मूल्यों पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा सके ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का घाटा

916. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों को घाटा हो रहा है तथा मार्च, 1991 के अंत तक इन्हें कुल कितना घाटा हुआ है;

(ख) इनमें प्रत्येक उद्योग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन घाटों को कम करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 98 उद्यमों ने घाटा उठाया है । 31-3-1990 तक की स्थिति के अनुसार इन उद्यमों का संचयी घाटा 10.049-99 करोड़ रुपये का था । वर्ष 1990-91 के आंकड़े सकलित किए जा रहे हैं तथा इन्हें फरवरी, 1992 में बजट सत्र के दौरान संसद में प्रस्तुत किया जाना है । सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम के संचयी घाटे की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन में सुधार निरंतर चलते रहने वाली एक प्रक्रिया है । कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग तथा उद्यम द्वारा उद्यम-विशेष की आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई की जाती है । आधुनिकीकरण तथा पुनर्स्थापन योजना, वित्तीय, प्रबंधकीय एवं संगठनात्मक पुनर्गठन, उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर आदि कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले कतिपय उपाय हैं ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	कंपनी का नाम	संचयी घाटा
1	2	3
1.	एयर इंडिया चार्टर्स लि०	1
2.	आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यु० कारपो० आफ इंडिया	1856
3.	असम अशोक होटल कारपोरेशन लि०	21
4.	बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	5019
5.	बंगाल इम्युनिटी लि०	2804
6.	भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लि०	1427

1	2	3
7.	भारत गोल्ड माइन्स लि०	6882
8	भारत लेदर कारपोरेशन लि०	442
9.	भारत आप्थैल्मिक ग्लास लि०	5608
10.	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि०	3352
11.	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेशर्स लि०	6235
12.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि०	4087
13.	बीको लारी लि०	4365
14.	बर्ड्स, जूट एंड एक्सपोर्ट लि०	505
15.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि०	3914
16.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि०	7747
17.	ब्रुशवेयर लि०	0
18.	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि०	5937
19.	कानपुर टैक्सटाइल्स लि०	1759
20.	भारतीय सीमेंट निगम लि०	15490
21	सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि०	1206
22.	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि०	16643
23.	कोचीन शिपयार्ड लि०	14514
24.	भारतीय साईकल निगम लि०	9809
25.	दिल्ली परिवहन निगम	44803
26.	इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एंड टेक्नालाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया	71
27.	एल्गिन मिल्स कंपनी लि०	13500
28.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि०	34565
29.	भारतीय उर्वरक निगम लि०	121702
30.	भारतीय खाद्य निगम लि०	629
31.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०	19000
32.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि०	94969
33.	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि०	1979
34.	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि०	351
35.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०	25903

1	2	3
36.	हिन्दुस्तान प्रीफेब लि०	824
37.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	131
38.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	27320
39.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०	22948
40.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि०	1501
41.	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लि०	87
42.	भारतीय होटल निगम लि०	3379
43.	इंडियन एयरलाइंस	0
44.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	34582
45.	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि०	60171
46.	भारतीय सड़क निर्माण निगम लि०	13891
47.	इंटैलीजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम (इंडिया) लि०	26
48.	मध्य प्रदेश अशोक होटल निगम लि०	18
49.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	599
50.	महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि०	1574
51.	मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०	5184
52.	मझगांव डॉक लि०	1094
53	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०	5382
54.	माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि०	0
55.	नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि०	17142
56.	भारतीय राष्ट्रीय बाईसाइकल निगम लि०	4979
57.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०	4340
58.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि०	0
59.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०	3861
60.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कारपोरेशन लि०	44546
61.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि०	1868
62.	राष्ट्रीय बीज निगम लि०	1556
63.	नेपा लि०	125
64.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि०	232

1	2	3
65.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि०	202
66.	नार्दन कोल फील्ड्स लि०	2604
67.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि०	14396
68.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि०	9031
69.	नेटेका (गुजरात) लि०	17601
70.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि०	18624
71.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि०	22201
72.	नेटेका (महाराष्ट्र साउथ लि०	17575
73.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि०	19918
74.	नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि०	28836
75.	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स) लि०	121
76.	पारादीप फास्फेट्स लि०	7796
77.	पांडिचेरी अशोक होटल निगम लि०	19
78.	भारतीय परियोजना एवं विकास निगम लि०	4933
79.	पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि०	0
80.	रांची अशोक बिहार होटल निगम लि०	13
81.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०	9685
82.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि०	4634
83.	स्कूटर्स इंडिया लि०	21248
84.	स्कूटर्स इंडिया (इंटरनेशनल) जी० एम० बी० एच०, पश्चिम जर्मनी	3
85.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	1448
86.	साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	11355
87.	सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपोरेशन लि०	684
88.	भारतीय मसाला व्यापार निगम लि०	12
89.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	10197
90.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	1873
91.	भारतीय टायर निगम लि०	5603
92.	यू० पी० ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कंपनी लि०	201
93.	उत्कल अशोक होटल निगम लि०	38
94.	वायुदूत	7978
95.	विगनयन इंडस्ट्रीज लि०	718

1	2	3
96.	विश्वरैया आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि०	6113
97.	वेबर्ड (इंडिया) लि०	688
98.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	14386
		1004999

टाफको की उत्पादन क्षमता

[हिन्दी]

917. **श्री केशरी लाल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर स्थित टैनरी और फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया के पिछले तीन वर्षों की उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या टाफको के उत्पादों का निर्यात भी किया जाता है;

(ग) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) टाफको को अधिक अर्थक्षम और कार्यकुशल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) पिछले तीन वर्षों के उत्पादन ब्यौरे संलग्न विवरण-1 दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) निर्यात के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(घ) सरकार टैफ्को को और अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए, इस इकाई को, विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां देती रही है। पिछले 5 वर्षों (31-3-91 तक) के दौरान योजना के अन्तर्गत 2.05 करोड़ रुपये तथा गैर योजना के अन्तर्गत 19.53 करोड़ रुपये तक की निधियां दी गई थीं।

विवरण-1

पिछले तीन वर्षों के लिए टैफ्को के वास्तविक उत्पाद आंकड़े

(आंकड़े लाखों मे)

उत्पाद	इकाई	वास्तविक उत्पादन		
		1988-89	1989-90	1990-91 (अनन्तिम)
फुटवीयर	जोड़े	4.25	3.58	3.13
बार्क लैदर	कि० ग्राम	5.00	4.37	2.10
क्रोम लैदर	वर्ग० मी०	1.65	1.52	1.34
लैदर बोर्ड	शीट	0.17	0.26	0.16
रबड़ सामग्री	कि० ग्रा०	2.00	2.15	1.01
शू-फिनिशेस	रु०	33.17	27.53	24.61

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों के दौरान टैफ्को के उत्पादों का निर्यात

(लाख रुपयों में)

1. प्रत्यक्ष निर्यात

उत्पाद	1988-89	1989-90	1990-91
फुटवीयर	2.27	—	—
बार्क लैदर	27.18	23.27	0.88
क्रोम लैदर	4.35	1.09	1.90
औद्योगिक लैदर	—	1.40	29.14
क्लोज्ड अपर	—	—	—
सैडलरी	0.29	—	—
कट सोल	0.78	—	—

2. निर्यात प्रतिष्ठानों के माध्यम से निर्यात

(लाख रुपये में)

उत्पाद	1988-89		1989-90		1990-91	
	मात्रा (जोड़े)	मूल्य (रु०)	मात्रा (जोड़े)	मूल्य (रु०)	मात्रा (जोड़े)	मूल्य (रु०)
आर्मी कमबैट बूट डी० एम० एस०	—	—	106155	179.06	58513	106.80

इंडियन ड्रग्स तथा फार्मास्यूटिकल्स लि० मजदूर संघ को मान्यता

[अनुवाद]

918. डा० असीम बाला : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग्स तथा फार्मास्यूटिकल्स लि० के प्रबंधकों तथा भारत सरकार ने फेडरेशन आफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव्स एसोसिएशन आफ इंडिया को इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० के मेडिकल एण्ड सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव के लिए बातचीत करने वाले एकमात्र मजदूर संघ के रूप में मान्यता दी गई है;

(ख) क्या फेडेरेशन आफ मेडिकल एण्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन आफ इंडिया की मान्यता वापिस ले ली गयी है, यदि हां, तो क्यों, मान्यता वापस लेने का प्रावधान किस कानून में है;

(ग) क्या अर्न्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत सरकार को मान्यता वापस ले लेने के लिए लिखा था; यदि हां, तो क्या उत्तर दिया गया था;

(घ) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स ने 19-8-1989 से तालाबंदी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार पूर्व सूचना देकर घोषित की थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कर्मचारियों को तालाबंदी की अवधि 19-8-89 से 20-11-89 तक के लिए वेतन न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात और दिल्ली में नए उद्योगों का पंजीकरण

919. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और गुजरात से नए उद्योगों के पंजीकरण के संबंध में सरकार के पास विचाराधीन पड़े प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ख) 1 जनवरी, 1990 से 31 अक्तूबर, 1991 तक गुजरात तथा दिल्ली में पंजीकृत उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विचाराधीन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिल जाने की आशा है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) तारीख 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना सं० 477 (ई) के तहत नई औद्योगिक नीति के अनुसार उद्योगों के पंजीकरण की योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं।

(ख) भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मन्थली न्यूजलेटर" में ब्यौरे प्रकाशित किए जाते हैं । इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जा रही हैं ।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

राजधानी में अनधिकृत निर्माण की निगरानी हेतु समिति

920 **श्री मदन लाल खुराना** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में अनधिकृत निर्माण और भवन उपनियमों के उल्लंघन की समस्याओं के बारे में एक समिति की स्थापना का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति के विचारार्थ विषय क्या है;

(ग) क्या समिति ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां ।

(ख) अनधिकृत निर्माण और रिहायशी सम्पत्तियों के दुरुपयोग की विस्तार से जांच करने तथा दिल्ली का सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए इस खतरे का सामना करने हेतु उपचारी उपायों का सुझाव देने के लिए सचिव, शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) मौजूदा विनियमनों तथा स्वीकृत भवन निर्माण उप-नियमों के व्यतिक्रम, भवन निर्माण उप-नियमों के उल्लंघन तथा दिल्ली बृहद योजना के विनियम के संबंध में भवन निर्माताओं तथा व्यावसायिकों की गतिविधियों को देखते हुए समिति ने विभिन्न सिफारिशें तैयार की हैं । समिति की सिफारिसों में अन्य बातों के साथ-साथ ये बातें : – रेजीडेंट्स एसोसिएशनों में से विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति, क्षेत्राधिकार के न्यायालयों की संख्या में वृद्धि, अनधिकृत निर्माण पर स्थानीय निकायों के प्रभावशाली नियंत्रण के लिए दिल्ली विकास अधिनियम तथा पंजाब पालिका अधिनियम में संशोधन, मुख्तारनामे के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए पंजीकरण अधिनियम में संशोधन, किसी सार्वजनिक क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी भवन निर्माता/विकास द्वारा प्लाट/भूमि/निर्मित स्थल की बिक्री विज्ञापित/प्रचारित करते समय जोखिम वाले घटकों की सूची बनाना, बेहतर ढंग से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस के तत्वाधान में पुलिस के चार दलों का सृजन, डिमोलिशन स्कवॉड को सुदृढ़ करना, चूक के मामले में वास्तुकों, इंजीनियरों, प्लंबरों, इत्यादि के उत्तरदायित्व निर्धारित करना, विकासकों, भवन-निर्माताओं तथा प्रापर्टी एजेंटों को लायसेंस जारी करना भी शामिल है ।

"कपार्ट" (सी० ए० पी० ए० आर० टी०) में निदेशक मंडल

√21. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय "कपार्ट" (सी० ए० पी० ए० आर० टी०) में कोई निदेशक मण्डल है;

(ख) यदि हां, तो इस मंडल का पिछली बार कब गठन किया गया था;

(ग) क्या इस मंडल का कार्यकाल समाप्त हो गया है;

(घ) "कपार्ट" (सी० ए० पी० ए० आर० टी०) में कानूनी रूप से गठित ऐसा निदेशक मंडल कितने वर्षों से नहीं है जिसमें गैर-सरकारी सदस्य हों; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान "कपार्ट" (सी० ए० पी० ए० आर० टी०) द्वारा केरल के कोट्टायम और एर्णाकुलम जिले में कितनी परियोजनाओं की सहायता की गई ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस बोर्ड का गठन 1-1-1987 को किया गया था ।

(ग) इस मंडल का कार्यकाल 31-12-1989 को समाप्त हो गया था ।

(घ) 1-1-1990 से ।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान केरल के कोट्टायम तथा एर्नाकुलम जिलों में कापार्ट से सहायता प्राप्त स्वीकृत परियोजनाओं का ब्योरा संलग्न विवरण-1, विवरण-2 और विवरण-3 में दिया गया है ।

विवरण-1

1988-89 में मंजूर की गई परियोजनायें

जिला कोट्टायम

परियोजना का नाम	संगठन का नाम	मंजूर की गई धनराशि	रिलीज की गई धनराशि
1	2	3	4
1. कम लागत वाले 500 शौचालयों का निर्माण	चेंगन चेरी सोशल सर्विस सोसाइटी, कोट्टायम	5,75,000 रुपये	5,75,000 रुपये
2. कम लागत वाले 1408 शौचालयों का निर्माण	कोट्टायम सोशल सर्विस सोसायटी, कोट्टायम	16,26,700 रुपये	16,26,700 रुपये
3. लकड़ी का छोटा-मोटा फर्नीचर तैयार करने का प्रशिक्षण एवं उत्पादन	ग्रामीण उद्योग योजना विकास वर्क्स कम्पाउण्ड, इरूमली	59,288 रुपये	39,576 रुपये (परियोजना धारक से स्पष्टीकरण न मिलने की वजह से आगे की रिलीज रोक दी गई है)
4. 50 डेयरी इकाइयों की स्थापना	सोसायटी फॉर इण्टीग्रल डेवलपमेंट एक्शन, कोवापल्ली	1,85,100 रुपये	1,08,400 रुपये (प्रगति का मूल्यांकन किया जा रहा है)
5. रबर बैंड बनाना	फ्रैण्ड्स फॉर सोशल जस्टिस, पाराथोडे	96,916 रुपये	84,416 रुपये (प्रगति का मूल्यांकन किया जा रहा है)

विवरण-2

1989-90 में स्वीकृत की गई परियोजनाएं

जिला कोट्टायम

परियजना का नाम	संगठन का नाम	मंजूर की गई राशि	रिलीज की गई धनराशि
(1) 10 पेयजल जागरूकता शिविरों का आयोजन	जवाहर लाल मेमोरियल सोशल वेलफेयर पब्लिक कोऑपरेशन सेन्टर, थालयालपरम्बू, कोट्टायम	19,000 रुपये	19,000 रुपये
(2) कम लागत वाले 150 शौचालयों का निर्माण	इसेन वनिता सोसाइटी, इसेन भवन, कोट्टायम	1,96,100 रुपये	1,96,100 रुपये
(3) 6.5 किलोमीटर कच्ची सड़क का निर्माण	मालनडू डेवलपमेंट सोसाइटी, ग्राम काजीरापल्ली	16,88,604 रुपये	16,88,604 रुपये
(4) लाभार्थी और गरीबी निवारण संगठम हेतु एक शिविर का आयोजन	केरल धर्मार्थ सोसाइटी, चेरूवेली, पो० आ० मणिमाला	26,500 रुपये	26,500 रुपये
(5) टेलरिंग परियोजना	एसोसिएशन ऑफ वूमन फॉर सोशल राइट्स एण्ड इक्वालिटी पराधनम	83,005 रुपये	83,005 रुपये
जिला एर्नाकुलम			
(1) 28 डेअरी यूनिटों, 17 बत्तख पालन यूनिटों आदि की स्थापना	एर्नाकुलम सोशल सर्विस सोसाइटी लाटायर आर्कबिशप साऊस, कोचीन	1,32,338 रुपये	78,848 रुपये (प्रगति का मूल्यांकन किया जा रहा है)

विवरण-3

1990-91 में स्वीकृत की गई परियोजनाएं

जिला कोट्टायम

परियोजना का नाम	संगठन का नाम	मंजूर की गई धनराशि	रिलीज की गई धनराशि
5 पेयजल जागरूकता शिविरों का आयोजन	कैराली धर्मार्थ सोसाइटी चैरूवैली, पो० आ० मणिमाला	10,000 रुपये	10,000 रुपये
स्वच्छ शौचालयों एवं धुआंरहित चूल्हों सहित कम लागत वाले 50 मकानों का निर्माण	जवाहर लाल मेमोरियल सोशल वेलफेयर पब्लिक कोऑपरेटिव सेन्टर, थालयालपराम्बू	4,70,000 रुपये	2,35,000 रुपये

27 नवम्बर, 1991 को होने वाली सदन की बैठक के लिए

उड़ीसा सैन्ड कम्पलैक्स में बम विस्फोट

922. श्री गुरुदास कामत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के उड़ीसा सैंड कम्पलैक्स में बम विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या बम विस्फोट के कारण का पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(घ) क्या अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्थानीय पुलिस जिसके पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, मामले की जांच कर रही है। वे अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं।

(घ) पुलिस ने अभी तक चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिनमें से एक कम्पनी का नियमित कर्मचारी है, दो नैमित्तिक कर्मचारी हैं और एक नौकरी से बरखास्त कर्मचारी है।

(ङ) इस मामले में की जाने वाली कारंवाई पुलिस द्वारा की जा रही जांच के परिणामों पर निर्भर करेगी।

रुग्ण चीनी कारखाने

923. श्री मोरेश्वर सावे : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निजी, सरकारी उपक्रमों तथा निगमित क्षेत्र में चीनी कारखानों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक राज्य में रुग्ण घोषित किए गए चीनी कारखानों के नाम तथा उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन रुग्ण चीनी एककों को पुनः चालू करने हेतु सरकार के पास कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक पुनः चालू कर दिया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) 30-9-1991 तक की स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-1 पर है।

(ख) से (ङ) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के तहत जो कंपनियां रुग्ण हो जाती हैं उन कंपनियों के मामलों को इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) को भेजा जा सकता है। बी० आई० एफ० आर०

ने सूचित किया है कि 12 मामले प्राप्त हुए हैं जिन पर उपरोक्त अधिनियम के उपबंधों के तहत समुचित कार्रवाई की जा रही है। ऐसी फैक्ट्रियों की सूचना संलग्न विवरण-2 पर है।

सहकारी व सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण चीनी फैक्ट्रियों से संबंधित सूचना नहीं रखी जाती है।

विवरण-1

देश में संस्थापित चीनी फैक्ट्रियों की राज्यवार तथा क्षेत्रवार कुल संख्या

30-9-1991 की स्थिति

क्र० सं०	राज्य	संस्थापित चीनी फैक्ट्रियों की कुल सं०			
		निजी	सार्व०	सहकारी	कुल
1.	उत्तर प्रदेश	45	29	31	105
2.	बिहार	20	10	—	30
3	पंजाब	2	2	13	17
4.	हरियाणा	1	—	9	10
5.	पश्चिमी बंगाल	1	1	—	2
6.	आसाम	—	1	2	3
7.	नागालैण्ड	—	1	—	1
8.	राजस्थान	1	1	1	3
9.	मध्य प्रदेश	4	1	3	8
10.	उड़ीसा	1	—	4	5
11.	महाराष्ट्र	6	—	95	101
12.	गुजरात	—	—	17	17
13.	गोआ	—	—	1	1
14.	तमिलनाडु	16	2	14	32
15.	कर्नाटक	8	3	18	29
16.	पांडिचेरी	1	—	1	2
17.	आंध्र प्रदेश	10	6	18	34
18.	केरल	1	—	2	3
	कुल	117	57	229	403

विवरण-2

चीनी फैक्ट्रियों, जिनके मामले बी० आई० एफ० आर० को प्राप्त हुए, के नाम

क्रम सं० चीनी फैक्ट्री का नाम

आन्ध्र प्रदेश

1. चल्लापल्ली सुगर्स लि०
2. किरलामपुडी सुगर मिल्स लि०

बिहार

3. चम्पारन सुगर वर्क्स लि०

कर्नाटक

4. दावनगेरे सुगर कंपनी लि०
5. सलारजंग सुगर मिल्स लि०
6. गंगावती सुगर्स लि०

राजस्थान

7. मेवाड़ सुगर मिल्स लि०

महाराष्ट्र

8. गोदावरी सुगर मिल्स लि०

पंजाब

9. भगवानपुर सुगर मिल्स लि०

मध्य प्रदेश

10. शिवाजी राव सुगर कं० लि०

पश्चिमी बंगाल

11. रामनुग्गोर केन एंड सुगर कं० लि०

उत्तर प्रदेश

12. लक्ष्मीजी सुगर मिल्स लि०

चण्डीगढ़ में सहकारी समितियों को भूमि का आबंटन

924. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी संगठनों पर दबाव कम करने की दृष्टि से भवन निर्माण कार्य के लिए सहकारी भवन निर्माण समितियों को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं; और

(ग) संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में विभिन्न सहकारी समितियों को भूमि आवंटित करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) यह स्वीकार करके हुए कि आवास तथा भूमि तक पहुंच को सरल बनाने में आवास सहकारिताएं अद्वितीय स्थान रखती है, प्रारूप राष्ट्रीय आवास नीति अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करती है कि सहकारी समितियों के गठन से विभिन्न आय समूहों के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आश्रय संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों को प्रोत्साहन दिया जाएगा ।

विभिन्न आय वर्गों के अन्तर्गत आने वाले अपने सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए सहकारी आवास समितियों को राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थान अर्थात् राष्ट्रीय आवास बैंक, आवास तथा नगर विकास निगम और जीवन बीमा निगम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रवर्तित आवास वित्त संस्थानों द्वारा ऋण सहायता उपलब्ध की जानी है ।

इन समितियों को कुछ राज्य सरकारों तथा विकास एजेंसियों द्वारा उचित मूल्य पर विकसित भूमि भी उपलब्ध की जाती है ।

(ग) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संघ राज्य-क्षेत्र चंडीगढ़ में पंजीकृत 118 सहकारी समितियों के आवेदनों पर विचार किया गया तथा उनकी जांच की गई है । पात्र सदस्यों सहित पात्र समितियों की सूची को अन्तिम रूप दिया गया है तथा भूमि के आबंटन के लिए चंडीगढ़ आवास बोर्ड को भेजी गई है । बोर्ड ने नियमों के अनुसार अन्य सूचना सहित भूमि के प्रीमियम का 25 प्रतिशत जमा कराने हेतु 112 समितियों को प्रस्ताव पत्र भेजे हैं ।

भोपाल गैस पीड़ितों के लिए सरकारी तंत्र प्रणाली

925. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अक्तूबर, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "नो अपारेट्स फार भोपाल विक्टिम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भोपाल के गैस पीड़ितों की मृत्यु होती जा रही है और वहां धन की व्यवस्था करने और प्रत्येक मामले में भुगतान के लिए देय मुआवजे की धनराशि का निर्धारण करने हेतु अभी भी कोई सरकारी तंत्र नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो पीड़ितों के लिए धनराशि आदि की व्यवस्था करने के लिए सरकारी तंत्र प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने हेतु क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) दावों का अधिनिर्णयन और मुआवजे का वितरण भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों का पंजीकरण एवं कार्रवाई) योजना, 1985 के उपबंधों के अंतर्गत किया जाना है । इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ अधिनिर्णय एवं मुआवजे की कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु उपयुक्त सहायता सहित कल्याण आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रावधान है । कल्याण आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है और अधि-

निर्णय की कार्रवाई 3 फरवरी, 1992 जो कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई तारीख है, तक प्रारंभ हो जानी चाहिए।

पाइराइटस, फास्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा अधिग्रहीत की गयी भूमि से विस्थापित हुए व्यक्तियों को रोजगार

[हिन्दी]

926. **श्री छेदी पासवान** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पाइराट्स, फास्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा अधिग्रहीत की गयी भूमि से विस्थापित सभी परिवारों को रोजगार दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है और कितने व्यक्तियों को अभी रोजगार दिया जाना है?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) पी० पी० सी० एल० ने अपनी अमझोर इकाई (बिहार) का उर्वरक प्रभाग स्थापित करने के लिए 77 परिवारों से भूमि का अधिग्रहण किया। इन परिवारों में से पी० पी० सी० एल० ने 7 व्यक्तियों को रोजगार दिया है और 33 व्यक्तियों को नियमित सेवा में पूर्ण रूप से शामिल करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है बशर्ते कि वह आवश्यक दक्षता प्राप्त कर लें। पी० पी० सी० एल० उन सभी व्यक्तियों को रोजगार देने में समर्थ नहीं रही जिनकी भूमि अधिग्रहण की गयी थी क्योंकि उनके खनन प्रभाग में पहले से ही फालतू कर्मचारी थे और उनमें से कुछ कर्मचारियों को उर्वरक प्रभाग में भेजा गया था ताकि संपूर्ण अमझोर इकाई की व्यवहार्यता में सुधार हो सके। इसके अलावा उर्वरक विभाग में अधिकांश तौर पर दक्ष कर्मचारियों की आवश्यकता थी और जिन परिवारों की भूमि अधिग्रहण की गयी थी उनसे संबंधित व्यक्ति अपेक्षित दक्षता नहीं रखते थे।

दिल्ली में सड़कों की मरम्मत

[अनुवाद]

927. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त-सितम्बर, 1991 के दौरान हुई भारी वर्षा के कारण दिल्ली में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में अनुसंधान और विकास

[हिन्दी]

928. श्री राम शरण यादव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने उद्योगों के द्रुत विकास के लिए अथवा देश के सामान्य तकनीकी विकास से सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ऊर्जा विकास के कार्यक्रम के अपने प्राथमिक उद्देश्य के अतिरिक्त उद्योगों के द्रुत विकास के लिए अथवा देश के सामान्य तकनीकी विकास से सहायता प्रदान करने हेतु अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के परिणाम उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा उठाए जा चुके कदमों के क्या परिणाम मिले हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र परमाणु बिजली के उत्पादन के वास्ते अनुसंधान तथा विकास संबंधी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी मुख्य कार्य के अतिरिक्त, परमाणु ऊर्जा के अन्य शान्तिमय अनुप्रयोगों का पता लगाता आ रहा है और देश के सामान्य तकनीकी विकास के लिए देशभर में विभिन्न प्रकार की आधुनिक प्रौद्योगिकियों सम्बन्धी जानकारी का प्रसार भी कर रहा है।

(ख) और (ग) इलैक्ट्रानिकी और न्यूक्लियर यंत्रीकरण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अंतरण संबंधी हमारा काम सरकारी क्षेत्र की कंपनी इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किया जाता रहा है। इस कंपनी का कारबार प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपए से अधिक का है। आइसोटोप प्रौद्योगिकी का उसके अनुप्रयोगों के साथ प्रसार विकिरण तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। अन्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों का अंतरण वाणिज्यिक स्तर पर निजी उद्योगों को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के प्रौद्योगिकी अंतरण वर्ग के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अन्य सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा विभिन्न राज्य सरकारों के लिए भी प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाता है।

आणविक संगलन (न्यूक्लियर फ्यूजन) के क्षेत्र में सफलता

[अनुवाद]

929. श्री अन्ना जोशी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने "आणविक संगलन" (न्यूक्लियर फ्यूजन) के क्षेत्र मे कोई सफलता हासिल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क)

और (ख) जी, नहीं। भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अब तक कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं की है।

(ग) संगलन के क्षेत्र में, इस समय भारत में निम्नलिखित प्रयोगशालाएं अनुसंधान कार्य कर रही हैं :—

1. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्रांबे, बम्बई।

2. प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इंदौर।

3. प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर।

4. साहा न्यूक्लियर भौतिकी संस्थान, कलकत्ता।

इन प्रयोगशालाओं में न्यूक्लियर संगलन ऊर्जा से संबंधित भौतिकी तथा प्रौद्योगिकीय मुद्दों को समझने के लिए सैद्धांतिक और प्रायोगिक अध्ययन किए जा रहे हैं।

दिल्ली में जमीन के मूल्य

930. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन के पास उपलब्ध खाली पड़ी भूमि का वर्तमान बाजार दरों पर मूल्य कितना है;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली की भूमि का अधिकतम उपयोग करने तथा गरीब लोगों के लिए रियायती मकान बनाने हेतु संसाधन जुटाने के लिए कोई परियोजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश की विकास दर

[हिन्दी]

931. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की विकास दर अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश की विकास दर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1989-90 में (त्वरित अनुमानों पर आधारित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार) निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक संवृद्धि 3.25 प्रतिशत थी, जो कि आंध्र प्रदेश, असम, गोआ, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा तथा पश्चिम

बंगाल की वार्षिक संवृद्धि से कम तथा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान तथा तमिलनाडु की वार्षिक संवृद्धि से कम है।

(ख) राज्यों के बीच संवृद्धि दरें विभिन्न कारणों से अलग-अलग हैं, इनमें से कुछ कारण हैं : आधार संरचना, उद्योग तथा उद्यमशीलता का ऐतिहासिक रूप से असमान विकास तथा साल दर साल वर्षापात में अंतर जिसके फलस्वरूप सूखा और बाढ़ आदि।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार संवृद्धि दर को बढ़ाने के लिए विकास योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। आधार संरचना, उद्योग, कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य इत्यादि के विकास के लिए निवेश/परिव्यय तथा गरीबों की आय बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी इन योजनाओं में शामिल है।

खाद्य तेलों का आयात

932. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों की कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(ख) इन तेलों के आयात के लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया;

(ग) क्या सरकार खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयात किए गए खाद्य तेलों की मात्रा उसके लागत बीमा भाड़ा मूल्य सहित निम्नवत है :

वर्ष	आयात की मात्रा (लाख मी० टन)	लागत बीमा भाड़ा मूल्य (करोड़ रु० में)
1988-89	10.89	765.16
1989-90	2.96	203.60
1990-91	5.38	349.95

(ग) और (घ) भारत सरकार खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिए उपाय कर रही है। भारत सरकार का तिलहन उत्पादन कार्यक्रम 18 राज्यों में लागू किया जा रहा है। इसकी लागत पर केन्द्र और राज्यों के बीच 75 : 25 के आधार पर भागीदारी है। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत बीजों, पौध संरक्षक रसायनों और उपस्करों, बेहतर कृषि उपकरणों, स्प्रिंकलर सेटों, राइजोबियम कल्चर पैकेटों, जिप्सम और पाइराइट जैसे निवेशों के लिए राजसहायता दी जा रही है।

आवास बोर्ड का गठन

[अनुवाद]

933. श्री तारा चन्द खंडेलवाल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अलग आवास बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आवास बोर्ड कब तक गठित किया जायेगा और यह कब तक कार्य करना आरंभ कर देगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन का निर्णय लिया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक पृथक आवास बोर्ड का गठन शामिल था। तथापि, निर्णय के अनुसरण में चूंकि प्रस्ताव पर सावधानी-पूर्वक विचार करना तथा कई प्रशासनिक एवं कानूनी कदम उठाये जाने अपेक्षित हैं, अतः नये आवास बोर्ड के गठन का कोई निश्चित समय बताना संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

[हिन्दी]

934. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी बड़े औद्योगिक घराने की ओर से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर रामपुर ज़िले में किसी उद्योग की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० के० कुरियन) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य के पिछड़े जिलों में औद्योगिक एकक स्थापित करने के कुल 477 प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। इसमें रामपुर जिले में औद्योगिक एकक स्थापित करने के 12 प्रस्ताव शामिल हैं। क्योंकि यह नीतिगत मामला है इसलिए विचाराधीन मामलों के ब्यौरे प्रकट नहीं किये जाते।

औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्निर्माण के अध्ययन के लिए पेनल

[अनुवाद]

935. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्निर्माण का अध्ययन करने के लिए एक पेनल का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) योजना आयोग ने 31 अक्तूबर, 1991 को औद्योगिक पुनर्संरचना पर अन्तर-मंत्रालयीन कार्य-दल का गठन किया जिसके विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :

(क) श्रमिक संबंधों से संबंधित मौजूदा कानूनों में उपबंधों की समीक्षा करना।

(ख) औद्योगिक पुनर्संरचना में राज्य तथा स्थानीय सरकारों की भूमिका की समीक्षा करना।

(ग) भूमि के हस्तांतरण को शासित करने वाले मौजूदा विनियमों की समीक्षा करना।

(घ) कम्पनी अधिनियम के तहत परिसमापन के लिए प्रचलित क्रिया-विधियों की समीक्षा करना।

(ङ) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्संरचना (बी० आई० एफ० आर०) द्वारा बीमार उद्योगों की पुनः स्थापना के सम्बन्ध में मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा करना।

(च) ऐसे अन्य पहलुओं पर विचार-विमर्श करना जो पुनः संरचना, समाप्ति तथा कामगारों के पुनर्वास इत्यादि के तरीके से औद्योगिक फार्मों द्वारा समायोजन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के सम्बन्ध में प्रासंगिक हैं।

(छ) रोजगार इत्यादि के वैकल्पिक अवसरों में उनके पुनः प्रशिक्षण एवं पुनः नियुक्ति हेत उपयुक्त टर्मिनल लाभों जैसे उपायों के जरिए कामगारों के पुनर्वास सहित निर्बाधित औद्योगिक पुनर्संरचना करने के तरीकों एवं साधनों का सुझाव देना।

पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन

936. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औद्योगिक नीति से उद्यमियों के लिए पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु सभी प्रोत्साहन समाप्त हो गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उद्यमियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऋण मंजूर करने वाले अधिकारियों का दूर-दूर के स्थानों में नियुक्त होने के कारण इन क्षेत्रों में परियोजनाओं का वित्त पोषण करने में अत्यधिक विलंब हो जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसमें सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के सिन्ध दुर्ग जिले में उद्यमियों को काफी समय से राज सहायता नहीं दी गई है; यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार उन पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में एकक स्थापित करने के लिए परिवहन संबंधी राज सहायता देने का विचार है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए जून, 1988 में विकास केन्द्रों की एक योजना की घोषणा की थी। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 63 विकास केन्द्रों का चयन किया जा चुका है। इनमें से अधिकांश पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछड़े और पर्वतीय राज्यों सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 8 पर्वतीय जिलों, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले तथा अन्दमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्रों के लिए परिवहन राजसहायता उपलब्ध है। यह राजसहायता चुनिंदा रेल शीर्षों से परिवहन लागत की 75% से 90% के बीच होती है।

(ग) और (घ) वित्तीय संस्थाओं ने अपने कार्यों का विकेन्द्रीकरण कर दिया है ताकि उनके क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय औद्योगिक परियोजनाओं पर कार्रवाई कर सकें तथा सहायता कर

सकें। वे पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) को प्राथमिकता भी देते हैं।

(ङ) पहली केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अधीन, सम्बन्धित राज्य सरकारें पात्र एकक को राज सहायता वितरित करती थी और बाद में केन्द्र सरकार से प्रतिपूर्ति का दावा करती थी। केन्द्र द्वारा जिले-वार वितरण की सूचना नहीं रखी जाती।

(च) परिवहन राजसहायता, भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में उल्लिखित क्षेत्रों में पहले से ही दी जा रही है।

बिहार में फल और सब्जी पर आधारित उद्योगों को सहायता

[हिन्दी]

937. **श्री राम लखन सिंह यादव :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार के पटना, रांची, रोहतास और भोजपुर जिलों में फल और सब्जी पर आधारित उद्योगों को सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बिहार के इन जिलों में फल और सब्जी पर आधारित उद्योगों के बारे में कुछ योजनाएं सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) सरकार को बिहार राज्य आदिवासी सहकारिता विकास निगम लिमिटेड से निम्नलिखित दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

1. आदिवासी गावों द्वारा खुम्बी की खेती एवं प्रसंस्करण के लिये बुनियादी सुविधाओं के विकास की परियोजना रिपोर्ट।
2. छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्रों में खाद्य, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की परियोजना रिपोर्ट।

(ग) राज्य सरकार की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। इनके प्राप्त होने पर आवश्यक कारंवाई की जाएगी।

बेरोजगार, अल्प रोजगार अत्यल्प रोजगार वाले व्यक्ति

[अनुवाद]

938. **श्री के० वी० उन्नीकृष्णन :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण अथवा योजना आयोग ने "बेरोजगार" "अल्परोजगार" और "अत्यल्प रोजगार" की श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों की कोई परिभाषा निश्चित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार, पहली जनवरी, 1988, 1989, 1990 और 1991 को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों में कुल कितने व्यक्ति (स्त्री और पुरुष) बेरोजगार थे; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न आयु वर्ग में कितने प्रतिशत श्रमिक लाभकारी रोजगार में थे और उसी अवधि में कितने लोग बेरोजगार, अल्प रोजगार और अत्यल्प रोजगार श्रेणियों में थे ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन० एस० एस० ओ०) ने रोजगार तथा बेरोजगारी मापने के लिए—सामान्य स्थिति, चालू साप्ताहिक स्थिति तथा चालू दैनिक स्थिति के रूप में तीन दृष्टिकोण अपनाए हैं।

सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के तहत, कोई व्यक्ति "रोजगार प्राप्त" के रूप में वर्गीकृत तब किया जाता है यदि वह सर्वेक्षण की तारीख के पूर्व के 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान अपेक्षाकृत लम्बी अवधि तक काम कर रहा/रही है; तथा वह "बेरोजगार" के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है यदि वह काम नहीं कर रहा/रही है वरन वह संदर्भावधि के अपेक्षाकृत लम्बी अवधि के लिए काम ढूंढ़ रहा है या काम के लिए उपलब्ध है।

चालू साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण के तहत किसी व्यक्ति को "रोजगार प्राप्त" तब वर्गीकृत किया जाता है यदि वह सर्वेक्षण की तारीख से पूर्व एक संदर्भावधि के दौरान कम से कम एक घन्टा काम कर चुका/चुकी है, तथा वह "बेरोजगार" के रूप में वर्गीकृत तब किया जाता है यदि वह संदर्भ सप्ताह के किसी दिन एक घन्टे के लिए भी काम नहीं कर रहा/रही है वरन अवधि के दौरान किसी समय काम कर या ढूंढ़ रहा/रही हो। इस दृष्टिकोण से एकत्रित आंकड़े पर आधारित अनुमानों को सर्वेक्षण वर्ष में एक औसत सप्ताह की स्थिति को दर्शाते हैं।

चालू दैनिक स्थिति दृष्टिकोण के तहत प्रत्येक व्यक्ति की कार्य स्थिति को संदर्भ सप्ताह के प्रत्येक आधे दिन के लिए वर्गीकृत किया जाता है। कोई व्यक्ति "पूरे दिन के लिए रोजगार प्राप्त" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह दिन के दौरान 4 घन्टे या और अधिक के लिए काम कर चुके हैं, यदि उसने एक घंटा या और अधिक वरन चार घंटे से कम कर चुका है तो उसे "आधे दिन के लिए रोजगार प्राप्त" के रूप में माना जाता है तथा "दूसरे आधे दिन के लिए बेरोजगार" यदि वह काम के लिए उपलब्ध या ढूंढ़ रहा है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति किसी दिन एक घन्टे के लिए भी किसी कार्य में नही लगा है लेकिन चार घंटे या और अधिक के लिए काम ढूंढ़ रहा या उपलब्ध है तो उसे "पूरे दिन के लिए बेरोजगार" माना जाता है। तथापि यदि वह दिन के दौरान चार घंटे से कम के लिए काम ढूंढ़ रहा या उपलब्ध है तो उसे "आधे दिन के लिए बेरोजगार" माना जाता है। इस प्रकार संदर्भ सप्ताह के दौरान रोजगार के मानव दिवसों की संख्या तथा बेरोजगारी के मानव दिवसों की संख्या का आकलित किया जाता है। इस आधार पर किए गये अनुमानों से सर्वेक्षण वर्ष में एक औसत दिन के रोजगार/बेरोजगारी के औसत परिमाण का मापन प्राप्त होता है।

जबकि सर्वेक्षण से एकत्रित आंकड़े के आधार पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, बेरोज-

गारी का विभिन्न स्थितियों के आधार पर व्यक्तियों के परस्पर वर्गीकरण तथा अतिरिक्त/वैकल्पिक कार्य के लिए उनकी उपलब्धता के अनुसार रोजगारों को वर्गीकरण द्वारा माप करता है, योजना आयोग ने सप्ताह में काम किये गये दिवसों की संख्या के आधार पर रोजगार प्राप्त तथा बेरोजगारों चालू साप्ताहिक स्थिति के वितरण के आधार पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण आंकड़े का प्रयोग करके अल्प रोजगारी तथा अत्यधिक अल्प रोजगारी के अनुमान तैयार किए हैं। रोजगार प्राप्त व्यक्ति को "अल्परोजगार प्राप्त" तब माना जाता है यदि उसने सप्ताह में सात दिन से कम काम किया है; तथा अल्परोजगार प्राप्त व्यक्ति को "अत्यधिक अल्परोजगार" प्राप्त तब माना जाता है यदि वह सप्ताह के आधे या आधे से कम काम कर चुका है।

(ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन० एस० एस० ओ०) के बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगारी के सम्बन्ध में अन्तिम पंचवार्षिकी सर्वेक्षण जुलाई, 1987-जून, 1988 के दौरान किया गया था। 1987-88 सर्वेक्षण के आधार पर चालू साप्ताहिक स्थिति अवधारणा के अनुसार बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार अनुमान संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(घ) 1987-88 के सर्वेक्षण के अनुसार रोजगार प्राप्त, अल्प रोजगार प्राप्त, अत्यधिक अल्प रोजगार प्राप्त तथा बेरोजगारों का विभिन्न आयु समूहों में श्रम शक्ति के वितरण का प्रतिशत संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर श्रम शक्ति में बेरोजगार की संख्या (000 में)

(1987-88)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	ग्रामीण पुरुष	ग्रामीण स्त्री	शहरी पुरुष	शहरी स्त्री	जोड़
1 2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	589	494	322	146	1551
2. असम	189	58	30	14	291
3. बिहार	656	95	222	15	988
4. गुजरात	315	84	186	11	596
5. हरियाणा	262	28	62	13	365
6. हिमाचल प्रदेश	49	6	8	3	66
7. जम्मू और कश्मीर	89	7	25	10	131
8. कर्नाटक	197	110	256	46	609
9. केरल	805	564	226	177	1772
10. मध्य प्रदेश	314	104	211	57	686
11. महाराष्ट्र	342	117	601	127	1187

1	2	3	4	5	6	7
12.	मणिपुर	3	1	4	2	10
13.	मेघालय	नगण्य	नगण्य	1	1	2
14.	नागालैंड	*	*	2	नगण्य	2
15.	उड़ीसा	353	165	91	25	634
16.	पंजाब	150	26	111	27	314
17.	राजस्थान	441	107	169	26	743
18.	सिक्किम	2	नगण्य	1	नगण्य	3
19.	तमिलनाडु	789	450	616	229	2084
20.	त्रिपुरा	14	6	8	5	33
21.	उत्तर प्रदेश	782	116	363	25	1286
22.	पश्चिम बंगाल	503	284	550	188	1525
23.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1	नगण्य	2	1	4
24.	अरुणाचल प्रदेश	1	नगण्य	नगण्य	नगण्य	1
25.	चंडीगढ़	नगण्य	0	18	4	22
26.	दादर एवं नगर हवेली	नगण्य	0	कोई शहरी क्षेत्र नहीं		नगण्य
27.	दिल्ली	2	0	101	32	135
28.	गोआ, दमन द्वीव	16	6	14	5	41
29.	लक्षद्वीव	1	1	1	नगण्य	3
30.	मिजोरम	0	0	नगण्य	नगण्य	नगण्य
31.	पांडिचेरी	15	9	12	7	43
	अखिल भारत	6680	2838	4213	1196	15127

टिप्पणी : 1. जनसंख्या अनुमानों के संबंध में विशेषज्ञ समिति द्वारा जनवरी, 1981 के लिए किये गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 43वें दौर (साप्ताहिक स्थिति) के अपरिष्कृत कच्ची दरों का प्रयोग करके बेरोजगार व्यक्तियों के अनुमान निकाले गये हैं।

2. सर्वेक्षण में जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख तथा कारगिल जिले तथा नागालैंड के ग्रामीण क्षेत्र शामिल नहीं।

विवरण-2

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 1987-88 के सर्वेक्षण अनुसार रोजगार, अल्परोजगार तथा बेरोजगार की प्रत्येक आयु समूह में श्रम शक्ति के विवरण का प्रतिशत

	आयु समूह				
	5-14	15-29	30-59	60*	सभी आयु
I. श्रम शक्ति	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
II. रोजगार	96.2	91.4	97.6	98.2	95.2
अल्परोजगार*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	11.9
अत्यधिक अल्परोजगार**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1.9
III. बेरोजगार	3.8	8.6	2.4	1.8	4.8

टिप्पणी : 1. *अल्परोजगार प्राप्त वे व्यक्ति हैं जो संदर्भ सप्ताह में सात दिन से कम काम किया।

2. **अत्यधिक अल्परोजगार प्राप्त वे व्यक्ति हैं जो संदर्भ सप्ताह के आधे के लिए या आधे से कम काम कर चुके थे।

3. अल्प रोजगार तथा अत्यधिक अल्परोजगार का आयु विवरण उपलब्ध नहीं है।

खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

939. **श्री राजवीर सिंह :**

श्री बलराज पासी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तेलों और वनस्पति तेल के मूल्यों में जून, 1991 से नवम्बर, 1991 का अवधि में कितनी वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह मूल्य वृद्धि वर्ष 1989-90 में हुई मूल्य वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इस मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) खाद्य तेलों और वनस्पति तेलों के थोक मूल्य सूचकांक में 9 नवम्बर, 1991 को समाप्त सप्ताह के लिए जून, 1991 के महीने की तुलना में क्रमशः 7.2 प्रतिशत और 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। खाद्य तैलों के मूल्यों में वृद्धि के लिए मुख्य कारक हैं : मुद्रा-आपूर्ति में आग वृद्धि होना, सामान्य मुद्रा-स्फीति होना तथा साथ ही भुगतान शेष संबंधी अवरोधों के कारण खाद्य तेलों के सीमित मात्रा में आयात से मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर होना।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मूल्यों में कमी लाने के वास्ते सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं: वनस्पति में गैर-पारम्परिक तेलों के उपयोग पर उत्पाद-शुल्क में छूट देना, सभी खाद्य तेलों के डीलरों/संसाधकों और विनिर्माताओं द्वारा रखी जाने वाली खाद्य तिलहनों और तेलों की भंडारण सीमाएं घटाना, पारम्परिक तेलों के साथ गैर-पारम्परिक खाद्य तेलों के मिश्रण की अनुमति देना । राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि खाद्य तिलहनों और तेलों के जमाखोरों और काला-बाजारी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की परिवीक्षा करने और उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वित्त मन्त्री की अध्यक्षता में एक मूल्य संबंधी मन्त्रिमण्डल समिति गठित की है । खाद्य तेलों को, 1991-92 हेतु रेल बजट में रेल भाड़े में वृद्धि के प्रस्ताव से भी छूट दी गई है ।

महासागर की तलहटी से खनन करने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

940. **श्री हरि किशोर सिंह : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महासार की तलहटी से खनन करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) अन्य विकसित देशों के साथ कदम मिलाकर प्रौद्योगिकीय विकास में एवं कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुसार तुरन्त वाणिज्यिक प्रणाली में इसकी परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखते हुए भारत का एक गहन समुद्र संस्तर खनन परीक्षण प्रणाली विकसित करने का कार्यक्रम है ।

(ख) केन्द्रीय यान्त्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर के साथ-साथ देश के उद्योगों का एक बड़ा समूह तथा अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में एक गहन समुद्र संस्तर खनन परीक्षण परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है । यह प्रणाली 5 कि० मी० की गहराई पर पूर्णत: संक्रियात्मक गहन समुद्र संस्तर खनन प्रणाली की भू-आधारित संकरी जल सुविधा से निम्न आयतन तक, विभिन्न चरणों में उत्तोत्तर विकसित की जाएगी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जवाहर रोजगार योजना में शामिल उत्तर प्रदेश के गांव

941. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों के जिलेवार कितने गांव जवाहर रोजगार योजना में शामिल किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त योजना के अन्तर्गत पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों में कितना वार्षिक परिव्यय निर्धारित किया गया और वास्तव में कितना धन खर्च किया गया;

(ग) इस योजना पर कुल मिलाकर कितना खर्च होगा और इससे ग्रामीण लोग कहां तक लाभान्वित होंगे; और

(घ) चालू वित्त वर्ष में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के लिए इस योजना के अन्तर्गत कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) गत दो वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों की सभी पंचायतों को निधियां उपलब्ध कराई गई हैं। चूंकि ग्राम पंचायत जवाहर रोजगार योजना को कार्यान्वित करने वाली सबसे छोटी स्थानीय संस्था है इसलिए सरकार कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए गांवों का ब्यौरा नहीं रखती है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य के अंश सहित कुल आवंटित निधियों तथा किए गए खर्च का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

(लाख रुपये में)

जिला	1989-90		1990-91	
	आवंटित निधियां	किया गया खर्च	आवंटित निधियां	किया गया खर्च
पौढ़ी	463.61	530.60	399.83	376.68
गढ़वाल		341.23		
चमोली	288.07		259.13	248.83

(ग) जवाहर रोजगार योजना मजदूरी रोजगार के अवसर सृजित करके बेरोजगारी/अल्प-रोजगार की स्थिति में आंशिक रूप से सुधार लाने की दिशा में ग्रामीण गरीबों के लिए पूरक मजदूरी रोजगार के अवसर सृजित करने के अपने प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही है। इसके साथ ही इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी आधारभूत ढांचे सृजित करने का अपना गौण उद्देश्य भी प्राप्त किया है।

(घ) योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष अर्थात् 1991-92 में उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों को आवंटित कुल निधियां नीचे दर्शायी गई हैं :

(लाख रुपये में)

जिला	आवंटित धनराशि
1. उत्तर काशी	256.01
2. चमोली	262.03
3. टिहरी गढ़वाल	339.94
4. देहरादून	318.49
5. पौढ़ी गढ़वाल	461.13
6. पिथौरागढ़	356.13
7. अल्मोड़ा	567.92
8. नैनीताल	778.54

इसके अलावा, भूकम्प से प्रभावित जिलों को गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लक्षित समूह के लिए 5000 मकानों का निर्माण करने के लिए 7.25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि भी रिलीज की गई है ।

आयातित उर्वरकों का परिवहन और वितरण

942. **श्री जीवन शर्मा : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आयातित उर्वरकों और अन्य कच्चे माल जैसे यूरिया, डी० ए० पी० और पोटाश का पत्तन पर उतारने, उनका परिवहन करने और विकास के लिए विभिन्न सुपुर्दगी एजेंसियों से टेंडर आमन्त्रित करके उन्हें सुपुर्दगी का काम किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इस समय क्या प्रतिक्रिया अपनाई जा रही है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) भारतीय पत्तनों पर डी० ए० पी०, यूरिया और एन० पी० के० जैसे आयातित गैर पोटैशिक उर्वरकों का संचालन, उनका परिवहन तथा देश के अन्दर ही उनके वितरण का कार्य सीमित निविदायें आमंत्रित करके एक संचालन अभिकरण को सौंपा जाता है । पोटैशिक उर्वरक (म्यूरियेट आफ पोटाश तथा सल्फेट आफ पोटाश) मात्र इंडियन पोटाश लि० (आई० पी० एल०) द्वारा संचालित किए जाते हैं और आई० पी० एल० को प्रति टन देय मुआवजे का निर्धारण प्रश्नाधीन अवधि के लिए वार्षिक लेखों तथा सभी सम्बद्ध आंकड़ों के जांच के पश्चात् स्वीकार्य पाए गए व्यय की मदों के आधार पर किया जाता है ।

(ख) गैर पोटाशिक उर्वरकों के संचालन के लिए सार्वजनिक, सहकारी, निजी और संयुक्त क्षेत्र में सभी मुख्य उर्वरक उत्पादकों से वार्षिक आधार पर निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं । वार्ता समिति द्वारा दरों में कमी करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं । निविदायें आमन्त्रित करने के लिए शर्तें तथा निम्नतम निविदा की स्वीकार्यता के संबंध में अन्तिम निर्णय वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से लिया जाता है ।

चित्रों की खरीद/प्रदर्शनी पर किया गया व्यय

943. **श्री खड़िया मुण्डा : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम द्वारा चित्रों की खरीद तथा चित्र प्रदर्शनी के आयोजन पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों द्वारा शीर्षस्थ अधिकारियों की पत्नियों के कहने पर भारी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले में किसी जांच का आदेश देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) इलेक्ट्रानिकी विभाग के अन्तर्गत आने वाले तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं अर्थात् इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० (ई०टी० एण्ड टी०) सी०एम०सी०

लि० तथा सेमीकण्डक्टर कॉम्प्लेक्स लि० (एस० सी० एल०) ई० टी० एण्ड टी० लि० तथा एस० सी० एल० ने पेंटिंग की खरीद करने तथा पेंटिंग की प्रदर्शनी का आयोजन करने पर कोई राशि खर्च नहीं की है। सी० एम० सी० लि० ने वर्ष 1991-92 के दौरान पेंटिंग की खरीद पर 71,950 रुपये तथा पेंटिंग की प्रदर्शनियों के आयोजन पर 1,58,877 रुपये की राशि खर्च की।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

मोतिया खान झुग्गी वासियों का पुनर्वास

[हिन्दी]

944. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मोतिया खान आवासीय कालोनी के बाहर रहने वाली सैकड़ों झुग्गी वासियों को पुनर्वास देने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में कब तक कार्यवाही करने का है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि मोतिया खान के पात्र झुग्गी वासियों को 1992 के अन्त तक स्थानान्तरित किए जाने की आशा है।

राशन की वस्तुओं की जमाखोरी

945. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान राशन की वस्तुओं की जमाखोरी करने और खुले बाजार में बेचने का कोई मामला प्रकाश में आया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए अब तक कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है और उनका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) राज्य सरकारें और संघ क्षेत्र प्रशासन, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा अन्य संगत कानूनों के उपबंधों के अनुसार आवश्यक वस्तुओं (राशन की वस्तुओं सहित) के संबंध में जमाखोरी और अन्य कदाचारों में अन्तर्ग्रस्त पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से 31-10-91 तक प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए विभिन्न नियन्त्रण आदेशों के उल्लंघन के लिए वर्ष 1991 के दौरान 119478 छापे मारे गए एवं 4156 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 18.79 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुएं जब्त की गईं।

दुर्गा पार्क, दिल्ली में भूमि पर अनधिकृत कब्जा

[अनुवाद]

946. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** दुर्गा पार्क, दिल्ली में भूमि पर

अनधिकृत कब्जे के बारे में 29 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 794 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि इस मामले में तब से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

आई० पी० सी० एल० के शेयरों में और पूंजी न लगाना

947. **श्री चित्त बसु** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आई० पी० सी० एल० के कुछ शेयरों में और पूंजी न लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वियन के लिए प्रस्तावित अपनी परियोजनाओं पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु आई० पी० सी० एल० द्वारा कुछ शेयरों के विनिवेश समेत विभिन्न विकल्प सुझाए गए हैं। इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल

[हिन्दी]

948. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान बिहार के रांची जिले में शुरू की गई योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) इन योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय हुई है तथा इन योजनाओं से कितने गांव लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र के निम्न और पिछले वर्गों के किसानों को "जलधारा" योजना के अंतर्गत कुओं का निर्माण करने हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में कौन से उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) रांची जिला सहित बिहार में ग्रामीण लोगों को केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार के रांची जिले में त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए गांवों की संख्या और किया गया खर्च निम्नलिखित है :

वर्ष	खर्च (लाख रुपये में)	शामिल किए गए गांवों की संख्या
1988-89	174.03	165
1989-90	453.90	298
1990-91	277.85	277

(ग) पेयजल हेतु कुओं के निर्माण के लिए कोई "जल धारा" योजना नहीं है।

(घ) पेयजल स्रोत त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराये जाते हैं।

आठवीं योजना पर मुद्रास्फीति का प्रभाव

[अनुवाद]

949. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को वर्तमान मुद्रास्फीति दर की जानकारी है जिसके फलस्वरूप आठवीं योजना के वित्त पोषण पर प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं योजना के वित्त पोषण हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु योजना आयोग द्वारा क्या कदम उठाये जाने के विचार हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जी, हां। थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मापी गई मुद्रास्फीति की वार्षिक दर वर्ष 1990-91 में 10.3 प्रतिशत थी तथा अप्रैल-अगस्त, 1991 के दौरान 12.2 प्रतिशत थी।

(ग) अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु योजना आयोग द्वारा जो कदम उठाए जाने का विचार है उनमें निम्नलिलित कदम शामिल हैं—सकल घरेलू उत्पाद में संवृद्धि की उच्च दर को बनाए रखने तथा निजी बचतों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उचित मूल्य स्थिरता को बनाए रखना, सरकारी क्षेत्रक में गैर बचत की प्रवृत्ति को बदलना, तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रचालनात्मक कुशलता को सुधारना।

"हुडको" द्वारा तैयार की गई आवास योजनाएं

[हिन्दी]

950. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हुडको ने गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान छोटे शहरों के विकास के लिए राज्यवार कितनी आवास योजनाएं बनायी हैं और इसका कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : हुडको आवास योजनाएं तैयार नहीं करता है। यह ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में राज्य तथा स्थानीय स्तर आवास एजेन्सियों

द्वारा तैयार की गई आवास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करता है। शहरी क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान हुडको द्वारा राज्य-वार संस्वीकृत ऋण नीचे दिए गए विवरण में दिया गया है। छोटे नगरों के लिए अलग-अलग ब्यौरा पृथक रूप से उपलब्ध नहीं है :—

क्र० सं०	राज्य का नाम	संस्वीकृत ऋण (करोड़ रुपयों में)		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	43.42	42.70	80.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.60	1.41	—
3.	असम	3.57	3.65	25.44
4.	बिहार	7.16	17.29	24.50
5.	गोवा	1.05	—	—
6.	गुजरात	54.47	82.55	44.51
7.	हिमाचल प्रदेश	0.27	8.16	1.16
8.	हरियाणा	2.96	9.81	12.42
9.	जम्मू तथा कश्मीर	4.48	2.46	2.76
10.	केरल	35.92	81.31	72.43
11.	कर्नाटक	34.16	51.55	77.40
12.	मध्य प्रदेश	26.02	56.30	50.92
13.	महाराष्ट्र	32.31	55.45	179.03
14.	मणिपुर	—	5.12	7.13
15.	मेघालय	0.90	0.58	6.16
16.	मिजोरम	2.25	5.03	—
17.	नागालैंड	3.00	3.50	5.00
18.	उड़ीसा	15.37	26.14	45.99
19.	पंजाब	11.97	14.53	36.63
20.	राजस्थान	27.34	36.66	53.43
21.	सिक्किम	—	4.23	12.25
22.	तमिलनाडु	84.31	107.28	166.81

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	—	3.07	0.87
24.	उत्तर प्रदेश	118.70	178.34	280.54
25.	पश्चिम बंगाल	17.41	19.67	75.21
26.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	0.44	0.47	0.63
27.	चण्डीगढ़	5.11	1.93	8.70
28.	दिल्ली	11.12	0.21	0.54
29.	दादरा तथा नागर हवेली	—	—	—
30.	पांडिचेरी	0.78	2.97	—
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
	योग	547.09	822.37	1270.71

हुडको ने आरंभ में शहरी क्षेत्रों में 17.69 लाख रिहायशी यूनिटें मंजूर की हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 संबंधी कार्यकारी दल

[अनुवाद]

951. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के कार्यकरण की जांच करने संबंधी कार्य-दल ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) क्या सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों को सुधारने का कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) कुछ समय पहले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों के कोरम के बारे में कुछ प्रक्रिया संबंधी कमियां केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाई गई थीं। इन कमियों को उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1991, जिसका स्थान अब उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1991 ने ले लिया है, प्रख्यापित करके दूर कर दिया गया है।

गाडगिल फार्मूले की समीक्षा हेतु समिति

952. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने संबंधी गाडगिल फार्मूले की समीक्षा हेतु श्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में बनी समिति के नाम तथा इसके निदेश पद क्या है;

(ख) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने संबंधी गाडगिल फार्मूले की समीक्षा करने हेतु योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में बनी समिति की संरचना तथा विचारार्थ विषय विवरण के रूप में संलग्न आदेश में देखे जा सकते हैं। केन्द्रीय वित्त मंत्री तथा योजना आयोग का एक सदस्य इस समिति के सदस्य हैं। समिति को अभी अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना है।

विवरण

सं० 17/3/91-एफ० आर०
भारत सरकार
योजना आयोग
(वित्तीय संसाधन प्रभाग)

योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली 110001
दिनांक : 24 सितंबर, 1991

आदेश

विषय : राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता आवंटन के संबंध में एक समिति का गठन।

यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सहायता के आवंटन हेतु सुझाए गए विभिन्न फार्मूलों की जांच करने तथा आठवीं योजना, 1992-97 के दौरान राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के आवंटन हेतु एक सर्वाधिक उपयुक्त फार्मूले की राष्ट्रीय विकास परिषद को अनुशंसा करने हेतु, एक समिति का गठन किया जाए।

2. समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :

1. श्री प्रणब मुखर्जी उपाध्यक्ष योजना आयोग	अध्यक्ष
2. डा० मनमोहन सिंह वित्त मंत्री	सदस्य

3. डा० सी० रंगराजन सदस्य
सदस्य
योजना आयोग

3. समिति के विचारार्थ विषय हैं :—

(1) उन परिस्थितियों की जांच करना जिनमें गाडगिल (आशोधित) फार्मूला के संबंध में कतिपय परिवर्तन आवश्यक समझे गए थे, तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अक्तूबर, 1990 में हुई अपनी बैठक में एक विकल्प पर विचार किया गया था।

(2) गाडगिल (आशोधित) फार्मूले तथा "सहमत" फार्मूले के संबंध में राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा व्यक्त चिंताओं पर विचार करना, तथा

(3) ऐसे फार्मूले को सुझाना जो आठवीं योजना 1992-97 के दौरान राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता आवंटन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है।

4. समिति अपने गठन से एक माह के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

5. योजना आयोग का वित्तीय संसाधन प्रभाग समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा ।

ह०

(आई० एस० आहलूवालिया)
निदेशक (प्रशासन)

पश्चिम राजस्थान में भारी उद्योगों की स्थापना

953. **श्री गुमान मल लोढा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान पश्चिम राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 की शेष अवधि के दौरान पश्चिम राजस्थान में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में कोई भारी उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारत में कोका-कोला का पुनः प्रवेश

954. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री को दिये गये एक ज्ञापन में साफ्ट ड्रिंक मैन्यूफैक्चरर्स एसोशियेशन ने देश के कोका-कोला के पुनः प्रवेश का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) एसोशियेसन ने अपने ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया है कि

भारतीय साफ्ट ड्रिंक उद्योग अत्यधिक गतिशील और आत्मनिर्भर है तथा कोका कोला का पुनः प्रवेश उद्योग के लिए हानिकारक हो सकता है । इस मामले की जांच की जा रही है ।

महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

[हिन्दी]

955. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के कुछ नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं अथवा किए जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुगन) : (क) से (ग) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में कोई नया उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में पांच दिवसीय सप्ताह

[अनुवाद]

956. श्री जी० माडे गोडा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पांच दिवसीय सप्ताह कब शुरू किया गया था;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पांच दिवसीय सप्ताह होने के कारण जनता और कर्मचारियों को बड़ी असुविधा हो रही है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में छः दिवसीय सप्ताह शुरू करने का कोई विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में पांच दिवसीय सप्ताह प्रणाली संयुक्त परामर्श तन्त्र तथा अनिवार्य विवाचन के अधीन कर्मचारी पक्ष के सदस्यों के परामर्श से 3 जून, 1985 से शुरू की गयी थी । इस संबंध में किसी भी मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । पांच दिवसीय सप्ताह प्रणाली शुरू होने के बाद आम जनता को असुविधा होने के बारे में कोई विशेष शिकायत भी नहीं मिली है ।

(ग) जी, नहीं ।

विद्युत माड्यूलों का उत्पादन

957. डा० सी० सिलवेरा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैदराबाद स्थित "भेल" के अनुसंधान केन्द्र में कुछ फ्यूज-सैल पावरपैक माड्यूलों का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अनुसंधान पर कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या इस तरह के अनुसंधान से घरेलू खपत हेतु बिजली का उत्पादन करने से सहायता मिल सकती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का इस तरह के विद्युत माड्यूलों का बड़े स्तर पर उत्पादन करने को बनवा देने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) हैदराबाद स्थित भेल के अनुसंधान और विकास केन्द्र द्वारा 1 किलोवाट तक के फ्यूल सेल विद्युत मोड्यूलों का विकास किया गया है। फ्यूल सेल के विकास में किया गया अनुमानित खर्च 1.5 करोड़ रुपये है।

(ग) जी, हां।

(घ) लगभग 200 मेगावाट की अधिक क्षमता के फ्यूल सेल पावर मोड्यूलों का विकास किया जा रहा है जिससे प्राकृतिक गैस की ईंधन के रूप में व्यवहार करके प्रदूषण रहित विद्युत का उत्पादन करने की संभावना है।

(ङ) और (च) भारत सरकार का गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग भी बड़े आकार के फ्यूल सेल पावर पैकों के अनुसंधान एवं विकास के लिए निधियां प्रदान कर रहा है।

हिमाचल प्रदेश में रसायन और उर्वरक फैक्टरी

[हिन्दी]

958. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में रसायन और उर्वरक फैक्टरी की स्थापना के लिए पिछले डेढ़ वर्षों में कोई मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और यह कहां पर स्थापित की जाएगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) एक पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जिला बिलासपुर/सोलन में सिंगल सुपर फास्फेट (एस० एस० पी०) के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए 20-4-90 को आवेदन दिया था। उत्तरी क्षेत्र में पहले ही उपलब्ध पर्याप्त एस० एस० पी० क्षमता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रस्ताव को व्यवहार्य नहीं समझा। इस बीच नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उर्वरक उद्योग को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। पार्टी को नयी व्यवस्था के बारे में उपयुक्त रूप से सूचित कर दिया था।

दक्षिण दिल्ली की झुग्गियों में अग्नि-रोधी छतें

959. **श्री रामसागर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों की झुग्गियों में आग से बचाव के रूप में अग्नि-रोधी छतें लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) इस योजना का ब्यौरा, उसकी अनुमानित लागत तथा उसके क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० अरुणाचलम) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट

[अनुवाद]

960. **श्री के० एच० मुनियप्पा** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** 4 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 5641 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में "खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों' की संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण के लिए मझोले और बड़े सैक्टर में 90 यूनिट और लघु सेक्टर में 16068 यूनिट हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा में सरकारी क्षेत्र के उद्योग की स्थापना

[हिन्दी]

961. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में सरकारी क्षेत्र का प्रमुख उद्योग स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) चालू वर्ष की शेष अवधि के दौरान हरियाणा राज्य में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई नया उद्यम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

चीनी और खाद्यान्नों का निर्यात

962. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का चीनी और खाद्यान्नों का निर्यात करने का विचार है और यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सितम्बर से देश के अनेक भागों में वर्षा की कमी को देखते हुए चीनी और खाद्यान्नों का निर्यात बंद करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगाई) : क) जी, हां। चालू वित्त वर्ष के दौरान चीनी और खाद्यान्नों के निर्यात के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की सीमा निम्न प्रकार है :—

	(लाख टन)
(1) चीनी	5.295
(2) गेहूं	8.40
(3) गेहूं उत्पाद	1.00
(4) गैर बासमती चावल	7.25
(5) बासमती चावल	खुले सामान्य लाइसेंस पर कोई सीमा नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अस्पताल हेतु अमेरिका द्वारा धनराशि

[अनुवाद]

963. **श्री हरिन पाठक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन, अमेरिका ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए भारत में अस्तपाल बनाने के लिए धनराशि देने की पेशकश की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जाएगी ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 अक्तूबर, 1991 के निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ितों के लिए भोपाल में एक विशेष सुविधाओं से युक्त अस्तपात की स्थापना का निदेश दिया था और आशा की थी कि इसकी वित्त व्यवस्था यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन करेगी। प्रेस-रिपोर्टों के अनुसार यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन इस अस्पताल के निर्माण और सचालन के लिए 50 करोड़ रु० (लगभग 19 मिलियन अमेरिकी डालर) देने को तैयार है।

गैस आधारित वाहनों का उत्पादन

964. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पेट्रोल के बजाए कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस के प्रयोग से प्रदूषण कम करने वाले अथवा न करने वाले वाहनों का उत्पादन हेतु प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वर्तमान वाहनों को धीरे-धीरे गैस आधारित वाहनों में बदलने पर जोर देगी; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक फैक्टरियां स्थापित करना

[हिन्दी]

965. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में कुछ और उर्वरक फैक्टरियां स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना के दौरान सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र में स्थापित करने के लिए निम्नलिखित बृहत परियोजनाओं की पहचान की गई है :—

(1) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० के विजयपुर संयंत्र का विस्तार।

(2) इफको के आंवला संयंत्र का विस्तार।

(3) एच० बी० जे० पाइपलाइन पर कृभको द्वारा आधारभूत अमोनिया/यूरिया संयंत्र।

(4) कृभको के हजीरा संयंत्र का विस्तार।

(5) आर० सी० एफ० के थाल संयंत्र का विस्तार।

उपरोक्त प्रस्तावों के लिए योजना आयोग की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

केरल में नारियल जटा उद्योग का विकास

966. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) नारियल जटा उद्योग में लगे श्रमिकों के कल्याण के लिए क्या उपाय किये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) कयर बोर्ड केन्द्र सरकार

की मदद से केरल में कयर उद्योग के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाता रहा है। इनमें से कुछ कार्यक्रम ये हैं :—

(1) कयर उद्योग में सहकारीकरण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना।

(2) बाजार विकास के लिए छूट योजना।

(3) विदेश में प्रचार व बाजार संवर्धन कार्यक्रम।

(4) पक्के वर्कशैडों का निर्माण।

(5) उत्पादकता में सुधार और बेहतर उपकरणों का इस्तेमाल आरंभ करने के लिए अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम।

(6) आंकड़े एकत्र करना तथा सर्वेक्षण करना आदि।

(ख) कामगारों के कल्याण पर सरकार उचित ध्यान देती रही है। इस कार्य के लिए चालू वर्ष के बजट में 50 लाख रु० का प्रावधान किया गया है।

खुली बिक्री की चीनी की खरीद

[अनुवाद]

967. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में चीनी मिलों ने साप्ताहिक नीलामी में खुली बिक्री की चीनी की खरीद की निविदाएं अस्वीकार करनी शुरू कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय से राज्य में खुली बिक्री की चीनी की सप्लाई पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) यदि कोई फैक्ट्री, उन्हें प्रत्येक मास रिलीज की गई खुली बिक्री चीनी की बिक्री तथा प्रेषण से सम्बन्धित किसी भी उपबंध का उल्लघंन करती है तो उनके खिलाफ सांविधिक उपबंधों के अनुसार कारंवाई की जाएगी।

विदेशी सहायता से स्थापित परमाणु रिएक्टर

968. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में परमाणु रिएक्टर स्थापित करने के लिए दूसरे देश के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां। भारत में 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले दो यूनिटों वाले एक परमाणु बिजलीघर

के निर्माण में सहयोग देने के लिए नवम्बर, 1988 में सोवियत संघ और भारत के बीच एक अंतः सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

ख) इन यूनिटों को तमिलनाडु में कुडानकुलम नामक स्थान पर स्थापित करने का प्रस्ताव है। अंतः सरकारी करार के अनुसार, सोवियत संघ ने करार में मानी गई शर्तों के अनुसार एक ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी है। ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट को भारत द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए सोवियत संघ की तरफ से एक तकनोकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव प्राप्त किया जाना है। इसके बाद निर्माण सम्बन्धी अनुबंध किया जाएगा। अंतः सरकारी करार के अनुसार, सोवियत संघ 2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 3200 मिलियन रूबल तक की राशि भारत को ऋण के रूप में देगा। फिलहाल ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट की शर्तों तथा परियोजना की अधिकतम मूल लागत के मामले में सहमति हो गई है।

बिना ढके मेनहोल में गिरने से मृत्यु

[हिन्दी]

969. **श्री मुमताज अंसारी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में बिना ढके मेनहोलों में गिरने से इस वर्ष कितने बच्चों/व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ख) इस प्रकार से होने वाली मृत्यु की घटना को रोकने हेतु सरकार ने अभी तक क्या उपाय किये हैं तथा कर्तव्य की उपेक्षा करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 7 (सात)।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने रख-रखाव तथा सफाई कर्मचारियों को और अधिक सतर्कता बरतने के अनुदेश दिए हैं। मैनहोलों के लोहे के ढक्कनों की चोरी को कम करने के लिए स्टील-फाइबर-प्रबलित-कंकरीट ढक्कनों का प्रयोग किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि खुले हुए मैनहोलों को किसी प्राधिकरण अथवा व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट करते ही यथाशीघ्र बन्द करने के काम को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को पहले ही अनुदेश दे दिए हैं। दिल्ली नगर निगम ने यह भी सूचित किया है कि ज्वाला पुनर्वास कालोनी में हुई घटना के बारे में बरती गई लापरवाही के लिए कई कर्मचारियों के विरुद्ध कारंवाई आरम्भ की गई है।

भूमि सुधारों के अंतर्गत पति और पत्नी के नाम पर संयुक्त पट्टे

[अनुवाद]

970. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भूमि और पेड़ों से सम्बन्धी सारे रिकार्डों में पति और पत्नी के नाम संयुक्त पट्टे जारी करने हेतु कुछ निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और देश में तथा विशेष रूप से उड़ीसा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों द्वारों इसे सख्ती से लागू करने के लिए उठाये गए कदमों/उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) केन्द्र सरकार ने सरकारी परती भूमि, सरकारी भूमि, अधिकतम सीमा से फालतू भूमि, गांव की सामूहिक भूमि, विकसित आवास स्थलों का आवंटन करने, इन्दिरा आवास मकानों का आवंटन करने तथा पति और पत्नी के संयुक्त नामों में वृक्ष पट्टे जारी करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निर्देश जारी किये हैं।

(ख) भूमि के संयुक्त पट्टे जारी करने के बारे में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई हैं।

वृक्ष पट्टों से सम्बन्धित योजना आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश राज्यों और संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में चल रही है। योजना को उड़ीसा में हाल ही में आरम्भ किया गया है। राज्यवार सूचना संलग्ण विवरण-2 में दी गई है।

(ग) पति एवं पत्नी के संयुक्त नामों में पट्टा जारी करने से संबंधित विषय पर विभिन्न मंचों पर चर्चा की गई है जिनमें 1986 और 1988 में हुए राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन भी शामिल हैं। इन सम्मेलनों में हुई आम सहमति को आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दिया गया था। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इस कार्यक्रम को लागू करने के बारे में समय-समय पर स्मरण कराया गया है।

विवरण-1

1. आंध्र प्रदेश		ये आदेश विद्यमान है कि अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध सभी भूमि केवल महिलाओं को ही आवंटित की जाये।
2. असम		कार्रवाई पहले ही कर ली गई है।
3. गुजरात	:	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है।
4. हरियाणा		राज्य द्वारा यह महसूस किया गया है कि विद्यमान कानून में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि पति और पत्नी संयुक्त रूप से आवंटन हेतु आवेदन करते हैं तो उन्हें अधिकतम सीमा से फालतू भूमि संयुक्त रूप से आवंटित की जा सकती है। तथापि, विद्यमान कानून के अंतर्गत यदि केवल पति ही अधिकतम सीमा से फालतू भूमि

		के आवंटन के लिए आवेदन करता है तो भूमि का आवंटन पति और पत्नी दोनों के संयुक्त नामों पर नहीं किया जाता है।
5. जम्मू और कश्मीर		मामले की जांच की जा रही है।
6. महाराष्ट्र	:	पति और पत्नी के नाम में संयुक्त पट्टे दिये जाते हैं।
7. उड़ीसा		आवेदक को संयुक्त रूप से आवेदन करना चाहिए।
8. पंजाब		आवेदक को संयुक्त रूप से आवेदन करना चाहिए।
9. त्रिपुरा		आवेदक को संयुक्त रूप से आवेदन करना चाहिए।
10. पश्चिम बंगाल		राज्य सरकार परिवार के मुखिया तथा पति/पत्नी के नाम पर संयुक्त पट्टा जारी करने के विषय की जांच कर रही है।
11. बिहार	:	आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।
12. दिल्ली	:	आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।
13. पांडिचेरी		आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गये हैं।
14. तमिलनाडु	:	आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गये हैं।
15. उत्तर प्रदेश	: :	राज्य सरकार इस सिफारिश को लागू करने के पक्ष में नहीं है।
16. हिमाचल प्रदेश		राज्य सरकार इस सिफारिश को लागू करने के पक्ष में नहीं है।

विवरण-2

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1987-88		1988-89		1989-90		1990-91*	
	लाभार्थियों की संख्या	कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर में)	लाभार्थियों की संख्या	कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर में)	लाभार्थियों की संख्या	कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर मे)	लाभार्थियों की संख्या	कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर में)
आंध्र प्रदेश	1450	2500	1340	1159	376	1364.10	547	889
बिहार	29489	18700	30672	14305	32752	15845.187	—	—
गुजरात	771	6745.70	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक	41	2030	325	—	729	—	—	—
मध्य प्रदेश	8608	2534	3463	788	—	—	791	260.30
महाराष्ट्र	533	669	111	118	151	273.67	151	273.67
राजस्थान	—	62456	—	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	48561	3451.65	9699	12015	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	31821	19276	34249	5434	19073	6397	1465	342.80
पांडिचेरी	—	—	—	—	4109	—	4103	—

*अनन्तिम आंकड़े । राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

विदेशी उद्योगपतियों का पूंजी निवेश

971. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन देशों के उद्योगपतियों को भारत में पूंजी निवेश करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) रुपये के व्यापार जगत में परिवर्तनीय बनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में रखे गये औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में ब्यौरेवार दिये गये विभिन्न उपायों का उद्देश्य सामान्यतः विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी अन्तरण को आकर्षित करना है। अमरीका, जर्मनी, जापान और फ्रांस की कंपनियों ने रुचि दिखाई है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद अक्तूबर,1991 के अन्त तक 250 विदेशी सहयोग प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। इनमें से 60 से अधिक प्रस्तावों में औद्योगिक मशीनरी, बिजली उपकरणों, चिकित्सा उपकरणों, रसायनों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों आदि जैसे विविध औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 170 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की परिकल्पना है।

जहां तक रुपये को व्यापार जगत में परिवर्तनीय बनाने का संबंध है, सरकार तत्काल कदम के रूप में एक प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय दर नीति अपना रही है और नई एक्सिम स्क्रिप सिस्टम के जरिये आयात और निर्यात के बीच सीधे संपर्क स्थापित किए हुए हैं। निर्यातकों को इस प्रयोजन के लिए अपनी निर्यात आय का 30 प्रतिशत और कुछ मामलों में 40 प्रतिशत रखने की अनुमति है। एक्सिम स्क्रिप मुक्त रूप से पवर्तनीय हैं और उनका 20 प्रतिशत से अधिक मार्केट प्रीमियम पर कमाण्ड है।

एच० एम० टी० घड़ियों का निर्माण

[हिन्दी]

972. **श्री बाऊ दयाल जोशी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एच० एम० टी० घड़ियों का बल्क में निर्माण करने की कोई योजना है ताकि उनका निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : आठवीं पंचवर्षीय योजना के अपने प्रस्तावों में निर्यात के लिए एच० एम० टी० की घड़ी के उपकरण तथा "मूवमेंट्स" का विनिर्माण करने की योजनाएं हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वस्तुओं की बिक्री पर लाभ तथा हानि

973. **श्री बाऊ दयाल जोशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं पर कितना लाभ तथा हानि होती है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त वस्तुओं को लाभ पर बेचने की व्यवस्था करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) एक नीति के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को लाभ पर बेचने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है, क्योंकि उद्देश्य इन वस्तुओं को उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को सप्लाई करने का होता है। खाद्यान्नों के मामले में समर्थन मूल्यों पर उनकी खरीद करने से भी किसानों को भी सहायता मिलती है। 1990-91 में गेहूं, चावल और चीनी पर भारतीय खाद्य निगम को 2150 करोड़ रुपए की राजसहायता दी गई थी।

सहायक और आशुलिपिक ग्रेडों के लिए परीक्षाएं

[अनुवाद]

974. श्री रामनाथ सोमकर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग सहायक और आशुलिपिक के ग्रेड हेतु नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता था;

(ख) यदि हां, तो इन परीक्षाओं का आयोजन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सं० लो० से० आ० सभी उम्मीदवारों की परीक्षा परिणाम भेजा करता था;

(घ) यदि हां, तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उम्मीदवारों को परिणाम न भेजे जाने के कारण क्या हैं;

(ङ) क्या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परिणामों की घोषणा करने में असाधारण विलंब हो जाता है और अगली परीक्षाएं, पूर्व परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा किये बिना ही की जा रही है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) परिणामों की घोषणा जल्दी किए जाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं तथा क्लर्क/सहायक/लेखा परीक्षक ग्रेड की परीक्षाओं के परिणाम कब तक घोषित कर दिये जायेंगे?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां।

(ख) ऐसा इसलिए किया गया है ताकि संघ लोक सेवा आयोग उच्च स्तरीय सिविल पदों की भर्ती पर अधिक ध्यान दे सके। कर्मचारी चयन आयोग ने भी इन पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता हासिल कर ली थी क्योंकि यह समतुल्य ग्रेडों के पदों के लिए भर्ती कर रहा था।

(ग) जी, हां।

(घ) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों की बहुत अधिक संख्या को देखते हुए हर उम्मीदवारों के अंकों की सूचना देना कर्मचारी चयन आयोग के लिए संभव नहीं है। तथापि, संघ लोक सेवा आयोग को छोड़ कर अन्य परीक्षा निकाय जैसे कि रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड इस पद्धति का पालन नहीं करते हैं।

(ङ) जी नही। केवल लिपिक ग्रेड परीक्षा, 1990 के मामले में अंतिम परिणाम 1991 की परीक्षा से पहले घोषित नहीं किया जा सका था क्योंकि लिपिक ग्रेड परीक्षा 90 सारे देश में कानून तथा व्यवस्था की समस्या के कारण अक्तूबर, 1990 से मुल्तवी करके फरवरी, 1991 में ली गई थी।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) 3 मार्च, 1991 को हुई मण्डलीय लेखाकार/लेखा परीक्षक/उच्च श्रेणी लिपिक परीक्षा, 1990 के परिणाम नवंबर, 1991 के अंत तक घोषित किए जाने की संभावना है। क्रमश: 3 फरवरी, 1991 तथा 7 अप्रैल, 1991 को हुई लिपिक ग्रेड परीक्षा 1990 और सहायक ग्रेड परीक्षा 1989 के अंतिम परिणाम 31 दिसम्बर, 1991 तक मिलने की संभावना है।

निजी संगठनों को सरकारी आवास का आवंटन

975. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पंजीकृत अथवा गैर-पंजीकृत निजी संगठनों, संस्थाओं और समितियों के नाम और पते क्या हैं जिन्हें 1 जनवरी, 1989 से लेकर 31 मार्च, 1991 तक दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी आवासों का आवंटन किया गया है;

(ख) उन निकायों के नाम और पते क्या हैं जिनके पूर्व आवंटनों को इस अवधि के दौरान रद्द किया गया है;

(ग) उन संगठनों का ब्यौरा क्या है जिनके आवंटन के लिए आवेदन पत्र 1989-91 के दौरान प्राप्त हुए थे और रद्द कर दिए गये थे; और

(घ) उन संगठनों के नाम क्या हैं जिनके मामले अभी भी विचाराधीन हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) संलग्न विवरण-1 में दिये गये अनुसार।

(ख) विवरण-2 में दिये गये अनुसार।

(ग) और (घ) सूचना नहीं दी जा सकती क्योंकि ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

विवरण-1

उन विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों/संस्थानों/समितियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण जिनको जनवरी 1 से मार्च 31, 1991 के मध्य सरकारी वास आवंटित किया गया है।

क्र० सं०	गैर सरकारी संगठनों/संस्थानों/समितियों के नाम और पते	आवंटन की तारीख
1.	महिला दक्षता समिति, 19 फायर ब्रिगेड लेन, नई दिल्ली	3-8-1990
2.	नुक्कड़, 13/15, माल रोड, नई दिल्ली	3-12-1990
3.	सी० पी० डब्ल्यू० डी० आफिसर्स वाइव्ज एसोसियेशन, एस-XII/85, आर० के० पुरम, नई दिल्ली	27-3-1991
4.	शहरी विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सेन्ट्रल गवंनमेंट इम्प्लाईज वेलफेयर हाऊसिंग आर्गेनाईजेशन, छठा तल, "ख" विंग, जनपथ भवन, नई दिल्ली	10/90

विवरण-2

उन विभिन्न गैर सरकारी संगठनों/संस्थानों/समितियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण जिनका सरकारी वास जनवरी, 1989 से मार्च 31, 1991 के मध्य निरस्त किया गया है।

क्र० सं०	गैर सरकारी संगठन/संस्थानों/समिति के नाम और पते	निरस्त करने की तारीख
1.	दिल्ली स्टेट हज कमेटी, 179, राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली	8-3-1991
2.	आल इंडिया स्लम डवलपमेंट सेन्टर 5, भाई वीरा सिंह मार्ग, नई दिल्ली	10-4-1989

झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में सुधार

976. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की उन झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें अब पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत रखा गया है और इसके अन्तर्गत लगभग कितने परिवार आते हैं और इनकी जनसंख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास शेष झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों के पर्यावरण सुधार की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो सभी झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों को कब तक इस योजना का लाभ दिया जायेगा; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत जिन झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में कार्य शुरू किया गया है उन पर लगभग कितनी राशि व्यय होगी और 31 मार्च, 1991 तक कितनी राशि व्यय की गई और वर्ष 1991-92 के लिए बजट अनुमान कितना है और चालू योजनाओं का कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली में 929 झुग्गी-झोंपड़ी समूहों की सूचना है जिनमें लगभग 13 लाख की अनुमानित आबादी वाले करीबन 2.6 लाख झुग्गी परिवार हैं, जिनको स्कीम के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना है। तथापि अनधिवासियों, उन्मूलन और पुनः अवस्थिति हेतु पहचाने जा रहे झुग्गी-झोंपड़ी समूहों को उनकी समस्याओं को हल करने के लिए त्रि-आगामी योजना के प्रारम्भ होने से शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार स्कीम से अलग किया जाना है। स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखने के पश्चात् मूलभूत नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था विभिन्न चरणों में की गई है।

(ग) और (घ) चूंकि यह एक सतत् प्रक्रिया है अतः कोई विनिर्दिष्ट तारीख निर्धारित नहीं की जा सकती है।

31 मार्च, 1991 तक इस योजना के प्रति 34.42 करोड़ रुपये का खर्चा हो चुका है तथा वर्ष 1991-92 के लिए बजट अनुमान 6.00 करोड़ रुपये है। स्कीमें प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

"उपलब्धियां" शीर्षक से विज्ञापन

[हिन्दी]

977. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **शहरी विकास मंत्री** 6 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4498 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "उपलब्धियां" शीर्षक से प्रकाशित विज्ञापन के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना अभी भी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की केन्द्र में प्रतिनियुक्ति की अवधि

[अनुवाद]

978. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर की श्रेणी के अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के एक स्थान पर कार्य करने की अवधि के बारे में कोई नीति बनाई गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे अधिकारियों के राजधानी में एक ही मंत्रालय/विभाग सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में कार्य करने की अवधि निश्चित की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो नवम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि में तीन वर्ष से अधिक समय तक कार्य कर चुके हैं तथा कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए और उन्हें एक ही स्थान पर लगातार कार्य करते रहने के कारण व्यक्तिगत हित साधनों से रोकने हेतु इन अधिकारियों की बारी-बारी से न बदलते रहने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अधीन संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के पद पर नियुक्त किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी के लिए निर्धारित कार्यावधि निम्न प्रकार है :

1. **संयुक्त सचिव**

पांच वर्ष । उस स्थिति में जब कोई अधिकारी, संयुक्त सचिव के रूप में कार्य करने की अपनी कार्यावधि के दौरान अपर सचिव बन जाता है, तो वह अपर सचिव के रूप में अपनी नियुक्ति होने की तारीख से तीन वर्ष तक की कार्यावधि का पात्र होगा, परन्तु शर्त यह है कि संयुक्त सचिव तथा अपर सचिव के रूप में उस अधिकारी की कुल कार्यावधि न्यूनतम पांच वर्ष और अधिकतम सात वर्ष होगी । ऐसे मामलों में जिस वर्ष में भी उस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होगी उसी वर्ष की 31 मई को यह कार्यावधि समाप्त होगी ।

2. **अपर सचिव**

ऐसा कोई अधिकारी जिसे संवर्ग से सीधे ही अपर सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है उसकी कार्यावधि केवल चार वर्ष की होगी परन्तु शर्त यह है कि जिस वर्ष में उसकी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होती है उसी वर्ष की 31 मई तक उसका कार्यकाल सीमित कर दिया जाएगा ।

3. **सचिव**

इसके लिए कोई निश्चित कार्यावधि नहीं है ।

(ग) संयुक्त सचिव अथवा उससे ऊपर के ऐसे अधिकारी जिन्होंने 1 नवम्बर, 1991 तक एक ही मन्त्रालय/विभाग में तीन वर्ष के अधिक की अवधि तक कार्य किया हो उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये जाते हैं। संयुक्त सचिव के स्तर पर निर्धारित सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष का होता है और जब तक कोई अधिकारी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर लेता तब तक सामान्यतः एक मन्त्रालय से दूसरे मन्त्रालय में स्थानान्तरित नहीं किया जाता ।

विवरण

क्रम सं	नाम	पदनाम	कार्यालय
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	ए० सी० राय	चेयरमैन कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट	भूतल परिवहन विभाग
2.	ए० के० सैकिया	सलाहकार	योजना आयोग
3.	ए० भट्टाचार्य	अपर सचिव	पर्यावरण तथा वन विभाग
4.	के० के० सिन्हा	संयुक्त सचिव	गृह मन्त्रालय
5.	जे० के० बागची	विशेष अधिकारी	केन्द्रीय बाह्य नियुक्ति
6.	रंगन दत्ता	संयुक्त सचिव	रक्षा मन्त्रालय
7.	सी० एन० एस० नायर	वरिष्ठ स्टाफ निदेशक	रक्षा विभाग
8.	एस० वी० गिरि	विशेष सचिव	कृषि तथा सहकारिता विभाग
9.	के० जे० रेड्डी	अपर सचिव	बैंकिंग विभाग, आर्थिक कार्य विभाग
10.	बी० एन० युगान्धर	निदेशक	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग
11.	एन० के० सुरोया	महा निदेशक	ग्रामीण विकास विभाग
12.	सुश्री डी०एम० डी० रिबेलो	संयुक्त सचिव	शिक्षा विभाग
13.	जी० पी० राव	संयुक्त सचिव	वाणिज्य मंत्रालय
14.	टी० मुनीवेंकटप्पा	संयुक्त सचिव	कल्याण मंत्रालय
15.	पी०वी०आर०के० प्रसाद	चेयरमैन/विसाक पोर्ट ट्रस्ट	भूतल परिवहन मंत्रालय
16.	टी० के० दीवान	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन	गृह मंत्रालय
17.	डी० सुब्बा राव	संयुक्त सचिव	आर्थिक कार्य विभाग
18.	बी० पी० जौहरी	प्रशिक्षण पर	पर्यावरण तथा वन मंत्रालय
19.	सुरेश कुमार	सचिव	लोक उद्योग विभाग

1	2	3	4
20.	के० एस० सिंह	महा निदेशक, एंथ्रोपोल० सर्वे० इण्डिया	संस्कृति विभाग
21.	ए० के० बसाक	अपर सचिव	गृह मंत्रालय
22.	अनवारूल होडा	अपर सचिव	वाणिज्य मंत्रालय
23.	बी० पी० वर्मा	अपर सचिव	आर्थिक कार्य विभाग
24.	सुश्री कृष्णा सिंह	संयुक्त सचिव	कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग
25.	एन० पी० सिंह	संयुक्त सचिव	लोक उद्यम विभाग
26.	जी० पी० कृष्णन्	चेयरमैन कोचिन पोर्ट ट्रस्ट	भूतल परिवहन मंत्रालय
27.	आर० सी० ए० जैन	संयुक्त सचिव	कृषि तथा सहकारिता विभाग
28.	सुश्री राधा सिंह	संयुक्त सचिव	जल संसाधन मंत्रालय
29.	एम० एस० दयाल (गुजरात)	अपर सचिव	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय
30.	बी० नरसिम्हन	संयुक्त सचिव	कृषि तथा सहकारिता विभाग
31.	दिपान्कर बासु	अपर सचिव	संघ लोक सेवा आयोग
32.	ए० के० मुथाल्ले	संयुक्त सचिव	संस्कृति विभाग
33.	सुश्री ए० मानसिंह	संयुक्त सचिव	कृषि तथा सहकारिता विभाग
34.	एल० मानसिंह	संयुक्त सचिव	औद्योगिक विकास विभाग
35.	सुधीर मार्कंड	संयुक्त सचिव	शिक्षा विभाग
36.	एस० के० चौहान (हि० प्र०)	अनिवार्य प्रतिक्षा टी० आर०/ए० ई० डी०	कल्याण मंत्रालय
37.	सुश्री एस० मुखर्जी	संयुक्त सचिव	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय
38.	अशोक पाहवा	संयुक्त सचिव	गृह मंत्रालय/कल्याण
39.	विष्णु भगवान	मिनिस्टर	कृषि तथा सहकारिता विभाग
40.	एम० डी० अस्थाना	संयुक्त सचिव	ग्रामीण विकास विभाग
41.	दीपक दासगुप्ता	संयुक्त सचिव	मंत्रिमंडल सचिवालय
42.	पी० आर० कौशिक	संयुक्त सचिव	वस्त्र मंत्रालय
43.	सुनील आहूजा	संयुक्त सचिव	कृषि तथा सहकारिता विभाग
44.	एल० एम० मेहता	संयुक्त सचिव	रक्षा विभाग

1	2	3	4
45.	पी० एम० अब्राहम (केरल)	सचिव	भूतल परिवहन विभाग
46.	सुश्री सरला गोपालन	संयुक्त सचिव	ग्रामीण विकास विभाग
47.	एस० वरदाचारी	संयुक्त सचिव	आर्थिक कार्य विभाग
48.	आर० बी० पाठक	चेयरमैन, कोर बोर्ड	औद्योगिक विकास विभाग
49.	जे० वासुदेवन (के० एन०)	संयुक्त सचिव	स्वास्थ्य मंत्रालय
50.	एस० राजगोपाल (महाराष्ट्र)	सचिव	विद्युत विभाग
51.	एन० आर० रंगानाथन	विशेष सचिव	आर्थिक कार्य विभाग
52.	एम० आर० कोल्हाटकर	सलाहकार	योजना आयोग
53.	वी० सुन्दरम	अध्यक्ष एवं प्र० निदेशक	वस्त्र मंत्रालय
54.	बी० एन० बहादुर	संयुक्त सचिव	सिविल आपूर्ति विभाग
55.	के० एस० सिद्धू	अध्यक्ष एवं प्र० निदेशक	वस्त्र मंत्रालय
56.	पी० एस० ए० सुन्दरम	संयुक्त सचिव	शहरी विकास मंत्रालय
57.	जगदीश जोशी	संयुक्त सचिव	श्रम मंत्रालय
58.	आर० एम० प्रेम कुमार	विकास आयुक्त (सांताक्रुज इलैक्ट्रोनिक प्रोसेसिंग जोन)	वाणिज्य मंत्रालय
59.	पी० एम० ए० हकीम	संयुक्त सचिव	प्रधानमंत्री कार्यालय
60.	एस० एस० सोहनी	सचिव	उपराष्ट्रपति सचिवालय
61.	सुरेश चन्द्र	संयुक्त सचिव	रक्षा विभाग
62.	एम० के० रंजीत सिंह (मध्य प्रदेश)	अपर सचिव	पर्यावरण तथा वन मंत्रालय
63.	समर सिंह	अपर सचिव	पर्यावरण तथा वन विभाग
64.	विनय शंकर	संयुक्त सचिव	गृह मंत्रालय
65.	एन० पी० नवानी (मणिपुर-त्रिपुरा)	संयुक्त सचिव	खाद्य विभाग
66.	एम० दामोदरन	संयुक्त सचिव	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय
67.	वी० तुलसी दास	संयुक्त सचिव	रक्षा मंत्रालय

1	2	3	4
68.	के० एम० चड्ढा	संयुक्त सचिव	पर्यावरण विभाग
69.	ए० एम० गोखले	संयुक्त सचिव	ग्रामीण विकास विभाग
70.	एल० डी० मिश्रा (उड़ीसा)	संयुक्त सचिव एवं महा निदेशक	शिक्षा विभाग
71.	पी० सरकार	सलाहकार	बायो-टैक्नोलॉजी विभाग
72.	एम० एस० गिल (पंजाब)	सचिव	रसायन तथा पैट्रोरसायन विभाग
73.	एन० एन० वोहरा	सचिव	रक्षा मंत्रालय
74.	वी० के० खन्ना	संयुक्त सचिव	विद्युत विभाग
75.	एम० एस० चहल	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक	बैंकिंग डिवीजन आर्थिक कार्य विभाग
76.	एम० एस० डावरा	प्रबन्ध निदेशक, नाफेड	कृषि तथा सहकारिता विभाग
77.	के० आर० लखनपाल	विकास आयुक्त	औद्योगिक विकास विभाग
78.	अनिल बोर्डिया (राजस्थान)	सचिव	शिक्षा विभाग सेन्टर—नई दिल्ली
79.	सुश्री कुसुम प्रसाद	महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम	श्रम मंत्रालय सेन्टर—नई दिल्ली
80	के० के० भटनागर	सदस्य सचिव एन० एल० सी०, आर० एल०,पी०एल०जी०, बी०डी०	शहरी विकास मंत्रालय सेन्टर—नई दिल्ली।
81.	ओ० पी० बेहारी	सलाहकार	ग्रामीण विकास विभाग सेन्टर—नई दिल्ली
82.	ए० के० सक्सेना	संयुक्त सचिव	इस्पात विभाग सेन्टर—नई दिल्ली
83.	जी० रंगाराव	संयुक्त सचिव	कृषि तथा सहकारिता विभाग
84.	ए० बलराज	चेयरमैन मद्रास पोर्ट ट्रस्ट	भूतल परिवहन विभाग सेन्टर—नई दिल्ली में नहीं
85.	सुश्री राधी विनय झा	कार्यकारी निदेशक, एन० एल०, आई० एन० एस०टी०, एफ०ए०एम०एच० टैक्नो०	वस्त्र मंत्रालय सेन्टर—नई दिल्ली

1 2	3	4
86. जी० के० गांधी	संयुक्त सचिव	राष्ट्रपति सचिवालय सेन्टर—नई दिल्ली
87. डा० जे० पी० सिंह (उ० प्र०)	अपर सचिव	जल संसाधन मंत्रालय सेन्टर—नई दिल्ली
88. जगदीश खट्टर	संयुक्त सचिव	इस्पात विभाग सेन्टर—नई दिल्ली
89. वी० एन० आनन्द	संयुक्त सचिव	भारी उद्योग विभाग सेन्टर—नई दिल्ली
90. एस० सी० त्रिपाठी	मिनिस्टर	सेन्टर—एफ० पोस्ट
91. बी० के० मित्तल	संयुक्त सचिव टेक० एम० ऑयल सीड	कृषि तथा सहकारिता विभाग सेन्टर—नई दिल्ली
92. सुश्री प्रतिमा दयाल	संयुक्त सचिव	कृषि तथा सहकारिता विभाग सेन्टर—नई दिल्ली
93. नरेश दयाल	संयुक्त सचिव	तेल तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय सेन्टर—नई दिल्ली
94. डी० सी० मिश्र (यू० टी०)	संयुक्त सचिव	कृषि तथा सहकारिता विभाग सेन्टर—नई दिल्ली।
95. पी० एस० भटनागर	सचिव औद्योगिक निवेश केन्द्र	आर्थिक कार्य विभाग सेन्टर—नई दिल्ली
96. जगदीश सागर	संयुक्त सचिव	शिक्षा विभाग, सेन्टर— नई दिल्ली
97. ओ० सी० श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग, सेन्टर—नई दिल्ली
98. सुश्री विनीता राय	संयुक्त सचिव	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, सेन्टर—नई दिल्ली
99. बी० सी० शर्मा	अपर सचिव	कृषि तथा सहकारिता विभाग सेन्टर—नई दिल्ली
100. ए० के० बासु	संयुक्त सचिव	इस्पात विभाग, सेन्टर—नई दिल्ली
101. आर० एन० डे	जूट कमिश्नर, जूट कमिश्नर कार्यालय	वस्त्र मंत्रालय सेन्टर—नई दिल्ली में नहीं।

1	2	3	4
102.	बी० के० मानावलन	संयुक्त सचिव	युवा कार्य तथा खेल विभाग सेन्टर—नई दिल्ली
103.	हिरक घोष	संयुक्त सचिव	श्रम मंत्रालय सेन्टर—नई दिल्ली
104.	पी० राय	संयुक्त सचिव	रक्षा विभाग सेन्टर—नई दिल्ली ।

समेकित ग्रामण ऊर्जा योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्धियां

979. **डा० असीम बाला** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम के क्रियान्वयन से लेकर अब तक क्या लक्ष्य और उपलब्धियां रही हैं;

(ख) एक खण्ड को एक यूनिट के रूप में लेकर समेकित माइक्रो लेवल ऊर्जा के लिए अपेक्षित योजना बनाने के लिए किस प्रकार के डाटालेस को आधार बनाया जाता है ताकि माइक्रो लेवल योजना के लिए संसाधनों का न्यायसंगत वितरण किया जा सके;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का सकेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम को उन्हीं उद्देश्यों के साथ आठवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में भी शामिल करने पर विचार किया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों के 20 ब्लाकों में एक प्रायोगिक योजना के रूप में शुरू किया गया था। इसे 200 ब्लाकों में विस्तार करने का सातवीं योजना का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। 1990-91 के दौरान अन्य 24 ब्लाकों को जोड़ दिया गया।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, ब्लाक स्तरीय परियोजना दस्तावेजों को ब्लाक के सर्वेक्षण के पश्चात् तैयार किया जाता है। 105 ब्लाक स्तरीय परियोजना दस्तावेजों के अन्तर्विष्ट आंकड़ों का रिपोर्ट के रूप में संकलन कर लिया गया है और कम्प्यूटर में संग्रह कर लिया गया है। एक कम्प्यूटर माडल का भी विकास किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां। समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम को आठवीं योजना में शामिल किया जा रहा है।

दिल्ली में रैन बसेरे

980. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे रैन बसेरों (रात्रि विश्रामघरों) की संख्या कितनी है तथा वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे कुछ और "बसेरे" खोलने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की देश के अन्य शहरों में भी ऐसे ही बसेरे खोलने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) संलग्न विवरण में दिये गये ब्यौरे के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग द्वारा 16 रैन बसेरे चलाये जा रहे हैं। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि गैर-सरकारी संग्रठनों के सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(ख) जी, हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 16 और रैन बसेरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष के दौरान पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली में भूमि प्राप्त करने और 4 रैन बसेरों का निर्माण आरम्भ करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय क्षेत्र की "फुटपाथ निवासियों के लिए रैन बसेरा योजना" में रैन बसेरों की व्यवस्था और स्वच्छता सुविधाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट पालिका निकायों या अभिकरणों द्वारा याजनाओं के उचित प्रतिपादन पर विचार किया गया है। इन निकायों/अभिकरणों द्वारा अपनी योजनाएं हुडको को अनुमोदन, वित्त पोषण और प्रबोधन के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है। केन्द्र सरकार 1000 रुपये तक प्रति व्यक्ति अनुदान के रूप में उपलब्ध करती है और शेष 4000 रुपये प्रति व्यक्ति ऋण के रूप में हुडको द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रति व्यक्ति 5000 रुपये से निर्माण लागत अधिक होने की दशा में 5000 रुपये प्रति व्यक्ति से अधिक लागत के केवल 50 प्रतिशत का वित्त पोषण हुडको द्वारा दिया जाता है और शेष सम्बन्धित पालिका निकाय/अभिकरण द्वारा संघटित किया जाता है अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

विवरण

1. दिल्ली गेट
2. अन्धा मुगल
3. पुरानी दिल्ली में कटरा मौला बक्स
4. जी० टी० रोड
5. निजामुद्दीन
6. जामा मस्जिद
7. जहांगीर पुरी
8. तुर्कमान गेट
9. मुकर्जी मार्किट

10. बालवर्द रोड

11. करोल बाग

12. शहजादा बाग

13. पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन

14. नेहरू प्लेस

15. गोल मार्किट

16. लाहौरी गेट

बीड़ी मजदूर कल्याण कोष के लिए एकत्रित राशि

981. **श्री जे॰ चोक्का राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बीड़ी मजदूर कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए विभिन्न राज्यों से कितनी राशि एकत्रित की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए कोष से राज्यवार कितनी राशि निकाली गई; और

(ग) उक्त राशि को उपयोग में लाने के लिए प्रत्येक राज्य ने क्या योजनाएं बनाई हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत निर्मित बीड़ियों पर उपकर के माध्यम से पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान एकत्र की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 पर दिए गए विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) इस कोष का इस्तेमाल बीड़ी कर्मकारों एवं उनके परिवारों के आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन तथा परिवार कल्याण सुविधाओं के लिए किया जाता है। इनके लिए जारी की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। प्रत्येक क्षेत्र, जिनमें एक या एक से अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, में किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 पर दिए गए विवरण में दिया गया है। योजनाओं का ब्यौरा और प्रत्येक क्षेत्र में इन योजनाओं पर वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान खर्च की गई कुल राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-3 पर दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी उद्योग से एकत्र किये गये कल्याण उपकर की राज्यवार और वर्ष-वार राशि

(रुपये हजारों में)

क्र॰ सं॰ राज्य का नाम	1988-89	1989-90	1990-91
1　　2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	21032	21071	21374

1 2	3	4	5
2. बिहार	5930	5713	6143
3. गुजरात	286	202	102
4. कर्नाटक	17127	15461	15104
5. केरल	4555	4627	4539
6. असम	97	107	116
7. मध्य प्रदेश	25289	21612	20114
8. महाराष्ट्र	10200	9470	9285
9. उड़ीसा	1391	1460	1346
10. राजस्थान	1160	1112	1093
11. तमिलनाडु	18728	18581	20825
12. उत्तर प्रदेश	7481	6187	6796
13. पश्चिम बंगाल	11708	12689	13869
कुल	124984	118292	120796

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों से बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से खर्च की गयी राशि को दर्शाने वाला क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

(रु० हजारों में)

क्रम सं० क्षेत्र	शामिल किए गए राज्य/संघ रा० क्षे०	किया गया खर्च 1988-89	1989-90	1990-91	कुल
1. इलाहाबाद	उ० प्र०, हि० प्र०, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़	4006	5605	6435	16046
2. बंगलौर	कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप द्वीप समूह	17857	21016	23071	61944
3. भीलवाड़ा	राजस्थान, गुजरात और हरियाणा	4939	7577	6931	19447
4. भुवनेश्वर	उड़ीसा	4044	3950	4987	12981
5. कलकत्ता	असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा	4638	5849	6154	16641
6. हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	6415	11173	8697	26285
7. जबलपुर	मध्य प्रदेश	6345	8643	10756	25744
8. करमा	बिहार	2592	5162	6166	13920
9. नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली	15071	14591	13377	43039
कुल		65907	83566	86574	236047

विवरण-3

पिछले तीन वर्षों में बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से योजनावार खर्च की गयी कुल राशि

(रु० हजारों में)

क्रम सं० क्षेत्र	शामिल किये गये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रशा०	स्वा०	शिक्षा	मनोरंजन	आवास	कुल
1. इलाहाबाद	उ० प्र०, हि० प्र०, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़	1926	11288	2676	79	77	16046
2. बंगलौर	कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप द्वीपसमूह	2696	44734	7250	59	7205	61944
3. भीलवाड़ा	राजस्थान, गुजरात और हरियाणा	2010	10735	4791	680	1231	19447
4. भुवनेश्वर	उड़ीसा	1274	9766	1381	70	490	12981
5. कलकत्ता	असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा	2010	8963	4268	71	1329	16641
6. हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1553	14660	7209	10	2853	26285
7. जबलपुर	मध्य प्रदेश	2176	13650	7093	24	2801	25744
8. करमा	बिहार	1593	9532	2709	80	6	13920
9. नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली	3265	11462	6484	50	21770	43039
	कुल	18503	134790	43861	1123	37770	236047

नये पर्वतीय क्षेत्र के निरूपण के लिए विशेष दल

982. श्री जे० चोक्का राव : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए नये पर्वतीय क्षेत्र के निरूपण के लिए मई, 1986 में विशेषज्ञ दल गठित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की; और

(ग) इसकी सिफारिशों को क्रियान्वित किये जाने की अन्तिम व्यवस्था क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) 27 फरवरी, 1987।

(ग) निर्णय लेने हेतु सिफारिशों पर कार्यवाही की जा चुकी है।

एन० डी० एम० सी० क्षेत्र में अनधिकृत इमारतें

983. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन० डी० एम० सी० क्षेत्र में अवैध इमारतों को गिराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने अपने क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण का पता लगाने के लिये एक सैल गठित किया है। जैसे ही अनधिकृत निर्माण का पता लगता है, पंजाब पालिका अधिनियम के तहत अनधिकृत निर्माण को सील करने, गिराने आदि की कार्यवाही की जाती है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण

984. श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री के०वी तंगकाबालू :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण देने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में निर्णय लिये जाने में देरी के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) इस मामले की अभी जांच की जा रही है।

वाराणसी में खाद्य प्रसंस्करण एकक के लिए प्रस्ताव

[हिन्दी]

985. **श्री राम बदन** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड का उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को मंजूरी कब तक दी जाएगी और यह इकाई कब तक अपना कार्य प्रारम्भ कर देगी ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड का वाराणसी में ऊर्जादायक खाद्य पदार्थ संयंत्र (तैयार खाद्य/आहार) स्थापित करने का प्रस्ताव है जो 3 से 5 वर्ष तक संपूर्ण उत्पादित माल को उठाने का उत्तर प्रदेश सरकार से वचन न मिलने के कारण 1987 से लंबित पड़ा है।

(ख) इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड को भूमि आवंटित कर दी गई है।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से संपूर्ण उत्पादित माल उठाने का वचन मिलने पर ही आगे कार्रवाई की जा सकती है।

कृषि विकास के लिए उड़ीसा को धनराशि का आवंटन

986. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विकास के लिए 1989-90 और 1990-91 में उड़ीसा को कुल कितनी राशि आवंटित की गयी;

(ख) इस अवधि के दौरान उड़ीसा सरकार ने वास्तविक रूप से कितनी राशि का उपयोग किया;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि विकास के लिए अतिरिक्त राशि की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) उड़ीसा के लिए कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों हेतु 1989-90 तथा 1990-91 में क्रमशः अनुमोदित वार्षिक परिव्यय 90.06 करोड़ रु० तथा 169.74 करोड़ रुपए है।

(ख) उड़ीसा सरकार का कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों पर 1989-90 के दौरान वास्तविक व्यय 88.32 करोड़ रु० है जिसके लिए सूचना उपलब्ध है।

(ग) और (घ) उड़ीसा का कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों के लिए अनुमोदित वार्षिक परिव्यय चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्थात् 1991-92 में 108.05 करोड़ रु० है। चालू वित्त वर्ष के दौरान कृषि के विकास हेतु उडीसा सरकार की अतिरिक्त राशि के लिए कोई मांग नहीं है।

उड़ीसा में भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार

987. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विभिन्न परीक्षा केन्द्रों से पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है तथा इसमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा में कितने उम्मीदवार चुने गए और इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

प्रश्न का भाग (क)

परीक्षा का वर्ष	उड़ीसा केन्द्रों से परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या							
	प्रारंभिक परीक्षा				मुख्य परीक्षा			
	सामान्य	अनु० जा०	अनु० ज० जा०	कुल संख्या	सामान्य	अनु० ज०	अनु० ज० जा०	कुल संख्या
1988	सूचना उपलब्ध नहीं है।				262	32	18	312
1989	2452	358	199	3009	202	38	24	264
1990	3846	581	280	4707	260	23	15	298

प्रश्न का भाग (ख)

उड़ीसा से भा० प्र० से० के० लिए चुने गए उम्मीदवारों के संबंध में सूचना।

परीक्षा वर्ष	सामान्य	अनु० जा०	अनु० ज० जा०	कुल
1988	2	शून्य	1	3
1989		—शून्य—		
1990	2	शून्य	शून्य	2

कागज मिलों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

988. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर वर्तमान प्रतिबन्ध के कारण कुछ कागज मिलों द्वारा औद्योगिक क्षमता बढ़ाने के लिए बनाये गये आधुनिकीकरण और विस्तार के कार्यक्रम अनिश्चित हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ये प्रतिबन्ध लगाये जाने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इस मामले में इन इकाइयों की सहायता करने का विचार कर रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके प्रमुख कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) सरकार के पास पूंजीगत माल आयात संबंधी चालू नीति के कारण कागज मिलों के आधुनिकीकरण और विस्तार का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं पड़ा है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बड़ी परियोजनाओं की लागत वृद्धि की समीक्षा के लिए पैनल

989. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 अक्तूबर, 1991 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार ने निर्धारित समय से देरी से चलने वाली बड़ी और मुख्य परियोजनाओं, जिनकी लागत में तेजी से वृद्धि हो रही है, की समीक्षा के लिए एक समिति की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पैनल को बड़ी और मुख्य परियोजनाओं की नवीन रिपोर्टों की समीक्षा करने के लिए कहा गया है, यदि हां, तो इस संबंध में दिए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस पैनल ने सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) कितनी योजनाओं ने नवीनतम समीक्षा के अनुसार बढ़ी हुई कीमत दर्शाई है; और

(छ) पैनल ने इस संबंध में कौन से उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (छ) प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी, 200 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली प्रत्येक बड़ी परियोजनाओं की समय और लागत वृद्धि के मामलों के संबंध में समीक्षा करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हो चुका है, जिसके सदस्य व्यय विभाग, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव हैं ।

भारत में केलाग कंपनी की परियोजनाएं

990. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने विश्व की अग्रणी खाद्य प्रसंस्करण अमरीका फर्म केलॉग को भारत में इसकी विभिन्न परियोजनाएं शुरू करने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां यह कंपनी भारत में अपनी परियोजनाएं शुरू करेगी;

(ग) क्या उक्त कंपनी के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और उसे अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) अनाजों से बने पदार्थों को तैयार करने के लिए महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की पानवेल तहसील के तलोजा स्थान पर खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वतः अनुमोदन स्कीम के अंतर्गत मैसर्स केलाग इण्डिया लिमिटेड नामक नये उपक्रम के साथ वित्तीय एव तकनीकी सहयोग करने के लिए मैसर्स केलाग कम्पनी, अमरीका के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस नये उपक्रम के पास 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी होगी और शेष इक्विटी भारतीय जनता की होगी।

उड़ीसा में विश्व बैंक की सहायता से नलकूप लगाना

[हिन्दी]

991. **श्री श्रीकांत जेना** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में विश्व बैंक की सहायता से लगाए गए नलकूपों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने नलकूप कार्य कर रहे हैं और कितने खराब पड़े हैं;

(ग) इन खराब पड़े नलकूपों को कब तक चालू कर दिया जाएगा; और

(घ) उड़ीसा में विश्व बैंक की सहायता से 1991-92 के दौरान कितने नलकूप लगाए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) उड़ीसा में पेयजल सप्लाई हेतु विश्व बैंक की सहायता वाली कोई योजना नहीं चल रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक की सहायता से गुजरात में नलकूप लगाना

992. **श्री काशीराम राणा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान विश्व बैंक की सहायता से गुजरात में कुल कितने नलकूप लगाए गए;

(ख) इनमें से कितने नलकूल कार्य कर रहे हैं और कितने कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) इन निष्क्रिय नलकूपों को कब तक कार्य के योग्य बनाया जायेगा; और

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान, विश्व बैंक की सहायता से राज्य में कितने नलकूप लगाए जायेंगे ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (घ) गुजरात राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व बैंक की सहायता से गुजरात में जल आपूर्ति योजना

993. **श्री काशीराम राणा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में बड़ोदरा और सूरत में विश्व बैंक अथवा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की सहायता से कोई जल आपूर्ति योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें कितनी धनराशि व्यय होगी और यह योजना कब तक पूरी होगी;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत चलने वाले कार्यों में कोई देरी हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं की समय पर आपूर्ति न किया जाना

994. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दिल्ली में, विशेषकर यमुना-पार के क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों को आवश्यक वस्तुओं की समय पर आपूर्ति न किए जाने से दिल्ली के निवासियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जनता की सुविधा के लिए उचित दर की दुकानों को राशन की वस्तुओं की सामयिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ङ) वर्ष 1990 के दौरान दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल तथा गेहूं का औसत मासिक वितरण क्रमशः 14,000 मी० टन तथा 47,200 मी० टन रहा है। अक्तूबर, 1991 के महीने के दौरान 22,900 मी० टन चावल तथा 77,000 मी० टन गेहूं सप्लाई किया गया है। यद्यपि इतने बड़े आकार के इस कार्य में कुछ स्थानीय व्यवधान आ सकते हैं तथा उनके बारे में शिकायतें हो सकती हैं, तथापि उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं, ताकि उचित दर की दुकानों तक आपूर्ति पहुंच सके। संचलन संबंधी समस्याओं का समाधान करने तथा उचित दर की दुकानों तक खाद्यान्न और चीनी की सुपुर्दगी प्रणाली की

बारीकी से परिवीक्षा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम तथा दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रतिनिधियों की एक समन्वय समिति बनाई गई है।

संविधान (संशोधन) विधेयकों में परिवर्तन करना

[अनुवाद]

995. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
डा० ए० के० पटेल :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया काउंसिल आफ मेयर्स ने स्थानीय निकायों को शक्तिशाली बनाने के लिए दो संविधान (संशोधन) विधेयकों में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। दि आल इंडिया काउंसिल आफ मेयर्स में शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में संविधान (संशोधन) विधेयक के संदर्भ में कुछ सुझाव दिए थे। सुझाव संक्षेप में संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं। सरकार द्वारा संबंधित विधेयक को अन्तिम रूप देते समय इन सुझावों को ध्यान में रखा गया था। शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में संविधान (73वां संशोधन) विधेयक लोक सभा में 16-9-1991 को प्रस्तुत किया गया था।

विवरण

संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में आल इंडिया काउंसिल आफ मेयर्स द्वारा दिए गए सुझाव।

1. 5 वर्ष के बाद स्वतः भंग हो जाने के प्रावधान को समाप्त करना।
2. अनुच्छेद 243 (ङ) के खंड 3 को समाप्त करना जिसमें यह व्यवस्था है कि पंचायत के लिए मध्यावधि चुनाव होने की स्थिति में चुनाव अवधि के शेष काल के लिए होना चाहिए।
3. किसी भी नगरपालिका को 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग नहीं किया जाना चाहिए।
4. बरखास्तगी का प्रावधान न्यायिक जांच के पश्चात गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर ही होना चाहिए।
5. वित्त आयोग की रिपोर्ट लागू करने और उस पर कार्यवाही करने के लिए 6 माह की अवधि का प्रावधान किया जाए।
6. वार्ड कमेटियों से संबंधित प्रावधान समाप्त किए जाने चाहिए।
7. नगर निगम तथा नगरपालिका के लिए माडल अधिनियम बनाने के अधिकार संसद को दिए जाएं।

ऋण लाइसेंस योजना

[हिन्दी]

996. **श्री मोहन सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऋण लाइसेंस योजना को वर्ष 1991 के अंत तक समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के बन्द होने के कारण, उत्पन्न होने वाली दवाओं की कमी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) मार्च, 1990 में सरकार ने ऋण लाइसेंस पद्धति को समाप्त करने की समय-सीमा 31-12-91 तक बढ़ाने के निर्णय की घोषणा की थी। तथापि, उसके बाद उद्योग से इस सम्बन्ध में अनेक अभ्यावेदन और सुझाव प्राप्त हुए हैं और इनकी व्यापक तौर पर जांच की जा रही है।

आंवला और जगदीशपुर फैक्टरियों में उर्वरकों का उत्पादन

997. **श्री मोहन सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश स्थित आंवला और जगदीशपुर की गैस पर आधारित उर्वरक फैक्टरियों में उर्वरक का उत्पादन शुरू हो गया है;

(ख) क्या ये फैक्टरियां अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उर्वरकों का उत्पादन कर रही हैं; और

(ग) फैक्टरियों की पृथक-पृथक रूप से उत्पादन क्षमता कितनी है तथा चालू वर्ष के दौरान उन्होंने कितनी-कितनी मात्रा में उर्वरक का उत्पादन किया ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां। आंवला और जगदीशपुर में वाणिज्यिक उत्पादन क्रमश: 16-7-1988 और 1-11-1988 को आरम्भ हुआ।

(ख) जी, हां।

(ग) इसमें से प्रत्येक कारखाने में उत्पादन क्षमता 7,26,000 टन प्रति वर्ष यूरिया है और उत्पादित की गयी मात्राएं नीचे दी गयी हैं :—

(मी० टन में)

आंवला	जगदीशपुर
(1-4-1991 से 18-11-1991 तक)	(अप्रैल, 1991 से अक्तूबर, 1991 तक)
5,34,462	4,03,827

सीमेंट का उत्पादन

998. **श्री मोहन सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1991-92 के दौरान सीमेंट की आवश्यकता को तुलना में इसका कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सीमेंट की कमी को ध्यान में रखते हुए सीमेंट की नई फैक्टरियां स्थापित करने के लिए सरकार को कुछ नये आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र में इस वर्ष सीमेंट की कितनी नई फैक्टरियां स्थापित किए जाने की संभावना है और इन्हें किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा तथा इन फैक्टरियों की स्थापना से सीमेंट की कमी को किस हद तक दूर किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) 1991-92 के दौरान 540 लाख मी० टन सीमेंट को अनुमानित घरेलू मांग की तुलना में 550 मी० टन उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अप्रैल-सितम्बर, 1991 के दौरान 258 लाख मी० टन सीमेंट का वास्तविक उत्पादन हुआ था जबकि 1990-91 की इसी अवधि के दौरान 232 लाख मी० टन उत्पादन हुआ था अर्थात् 11 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(ख) देश में सीमेंट की कोई कमी नहीं है। नई लाइसेंसीकरण नीति के अन्तर्गत सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है, अतः कम्पनियों को नए सीमेंट कारखाने लगाने के लिए सरकार को आवेदन प्रस्तुत नहीं करना होता है। किन्तु कुल 28 कम्पनियों ने सूचना ज्ञापन दिए हैं जिसमें उन्होंने सीमेंट का उत्पादन करने की अपनी जाहिर की है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान विस्तार द्वारा लगभग 22 लाख मी० टन क्षमता के सृजन की उम्मीद है।

फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नियंत्रणाधीन चल रही उर्वरक निर्माण यूनिटें

999. **श्री मोहन सिंह :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के नियंत्रणाधीन निर्माण की कितनी यूनिटें चल रही हैं;

(ख) कौन-कौन-सी यूनिटों में उत्पादन कार्य बन्द पड़ा है;

(ग) क्या गोरखपुर की उर्वरक फैक्टरी में भी पिछले डेढ़ वर्ष से उत्पादन कार्य बन्द पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस फैक्टरी को पुनः चलाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० के अन्तर्गत चार उर्वरक उत्पादक एकक हैं जो बिहार में सिन्दरी में, आन्ध्र प्रदेश में रामागुण्डम, औडीसा में तालचर तथा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में स्थित है।

(ख) और (ग) गोरखपुर एकक में 10 जून, 1990 से उर्वरक का उत्पादन बन्द किया गया था।

(घ) संयंत्र के स्वास्थ्य का सर्वेक्षण करने के लिए कम्पनी ने परामर्शदाता नियुक्त किए हैं।

आयोजना प्रविधि और प्रक्रियाओं की पूर्ण समीक्षा करना

[अनुवाद]

1000. श्री गुरुदास कामत : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयोजना प्रविधि और प्रक्रियाओं की पूर्ण समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है, जैसा कि 30 सितम्बर, 1991 के "स्टेट्समैन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में किन-किन संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा; और

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों की भी सलाह ली जाएगी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) समग्र आर्थिक प्रबन्धन में असन्तुलनों को दूर करने तथा अत्याधिक परिवर्तित और तेजी से बदल रहे परिदृश्य में उपयुक्त समायोजन के लिए योजना आयोग, आयोजना दृष्टिकोण में पुन:-स्थिति निर्धारण का विचार कर रहा है।

(ख) इन पुन:स्थिति निर्धारण में व्यापक रूप से योजना व्यय को युक्तियुक्त बनाना, बड़ी संख्या में नई स्कीमों को शुरू करने से पूर्व चालू स्कीमों को पूरा करना, ऐसी स्कीमों तथा परि-योजनाओं की छटनी जो आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है, लागत तथा समय की बचत के लिए स्कीमों का उचित वित्त पोषण, मुद्रा स्फीति निवारक उपायों के जरिए अतिरिक्त संसाधनों का सृजन, राज्य सरकारों के प्रभावी प्राधिकरण को अन्तरण, निर्देशात्मक आयोजना में क्रमिक परि-वर्तन और निजी उपक्रमों तथा गैर-सरकारी संगठनों पर अधिक निर्भरता के अनुरूप होंगी।

(ग) और (घ) आठवीं योजना पर विचार-विमर्श के दौरान इस तरह के तथा ऐसे अन्य मुद्दों पर केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा राज्यों के बीच विचार-विमर्श किया जाएगा तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् की आगामी बैठक में भी इस पर विचार किया जायेगा।

सुपर कम्प्यूटर परम्स

1001. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर कम्प्यूटर परम्स का देश में ही निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ये सुपर कम्प्यूटर अपने कार्यों की दृष्टि से अन्य कम्प्यूटरों से किस प्रकार भिन्न है;

(ग) दूसरे ऐसे कौन से देश हैं जो सुपर कम्प्यूटरों का निर्माण करने में समर्थ है; और

(घ) इन सुपर कम्प्यूटरों का किन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) 'परम' समानान्तर सुपर कम्प्यूटरों की उच्चतम अभिकलन क्षमता 1000 मीगा फ्लाप है। मेनफ्रेम कम्प्यूटरों तथा वर्क स्टेशनों, जिनका इस समय देश में विनिर्माण किया जा रहा है, की तुलना में 'परम' की अभिकलन कार्य-निष्पादन क्षमता 256 नोड मशीन के लिए 100 से भी अधिक है।

(ग) परम्परागत सुपर कम्प्यूटर केवल संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान से ही उपलब्ध होते हैं। किंतु समानान्तर सुपर कम्प्यूटरों को संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी तथा फ्रांस में डिजाइन किया गया उन्हें विकसित किया गया, तथा व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध कराया गया है।

(घ) 'परम' समानान्तर सुपर कम्प्यूटरों का इस्तेमाल निम्नलिखित क्षेत्रों में करने की योजना है :

—सुदूर संवेदन

—प्रतिबिम्ब संसाधन

—सिग्नल संसाधन

—प्रक्षेपण यान डायनामिक्स

—अभिकलनात्मक द्रव्य डायनामिक्स

—फिनिट एलिमेंट मॉडलिंग

—तेल भण्डारण मॉडलिंग

—अभिकलनात्मक भौतिकी विज्ञान

—अभिकलनात्मक रसायन विज्ञान

—खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी

—सामग्री विज्ञान

—अभिकलनात्मक गणित शास्त्र

—ग्राफिक्स तथा प्रत्यक्षीकरण

कृषि मजदूरों के संबंध में विधेयक

1002. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :
श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मजदूरों के कल्याण और उनके नियोजन तथा सेवा को विनियमित करने के लिए संसद में कोई विधेयक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) और (ख) कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए एक विधेयक पर सरकार विचार कर रही है। विधेयक के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

साफ्ट फेराइट बनाने के लिए परियोजना

1003. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार साफ्ट फेराइट बनाने के लिए उड़ीसा में कोई परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो साफ्ट फेराइट यूनिट की स्थापना के लिए कौन-सा स्थान चुना गया है;

(ग) इस परियोजना की लागत तथा संस्थापित क्षमता क्या होगी;

(घ) इस यूनिट की स्थापना कब तक की जायेगी; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) उड़ीसा में साफ्ट फेराइटों के विनिर्माण के लिए किसी परियोजना की स्थापना करने के संबंध में भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न उठते ही नहीं।

कागज की मांग

1004. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कागज की मांग संबंधी कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो योजना-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादन की वर्तमान दर आठवीं और नौवीं योजना में कागज की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इन योजनावधियों के दौरान कागज की मांग को पूरा करने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) सरकार ने 8वीं एवं 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कागज की मांग संबंधी कोई अध्ययन नहीं कराया है। तथापि, कागज, लुगदी तथा संबद्ध उद्योग की विकास परिषद ने सन् 2000 तक मांग संबंधी पूर्वानुमान के बारे में दिनांक 21-9-1983 को अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित अनुमान लगाये थे :—

1990	19.09 लाख मी० टन
1995	24.59 ,, ,,
2000	31.68 ,, ,,

इसमें अखबारी कागज शामिल नहीं है।

कुछ विशेष प्रकार के कागज और अखबारी कागज जिनका आयात किया जा रहा है, को छोड़कर कागज तथा गत्ते की वर्तमान मांग अधिकांशतः स्वदेशी उत्पादन द्वारा पूरी की जाती है। सरकार कम से कम 75 प्रतिशत गैर-परम्परागत कच्चे माल के उपयोग का प्रस्ताव करने वाले कागज एककों को आवश्यक लाइसेंसीकरण से छूट देने जैसे उपाय कर रही है ताकि 8वीं और 9वीं योजना अवधियों के दौरान बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

वर्तमान एककों का आधुनिकीकरण

1005. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में औद्योगीकरण की तीव्र गति में आने वाली बाधाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त बाधाओं के दूर करने और वर्तमान एककों का आधुनिकीकरण करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गये औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में देश में औद्योगीकरण की तीव्र गति में आने वाली बाधाओं का उल्लेख किया गया है। इन बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से, उद्योगों की एक छोटी सूची के अतिरिक्त सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है बशर्ते कि ये स्थापना-स्थल संबंधी नीति के अनुरूप हों। विदेशी निवेश तथा विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतो पर लागू होने वाली नीति तथा कार्यविधियों को पर्याप्त रूप से उदार बना दिया गया है। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत शुरू किये गए औद्योगिक नीति संबंधी सुधारों का कार्य-कुशलता बढ़ाने और भारतीय उद्योगों के आधुनिकीकरण में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है जिससे यह और प्रतिस्पर्धात्मक हो सके तथा औद्योगिक प्रगति के विश्व में सही स्थान बना सके।

सरकारी आवास को आगे किराये पर देना

100[illegible]. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और दिल्ली में सरकारी आवास को आगे किराए पर देने के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों के दौरान आबंटितियों द्वारा सरकारी आवास को

आगे किराए पर देने के सम्बन्ध में सम्पदा निदेशालय तथा स्पेशल पूल अधिकारियों को कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई;

(घ) आगे किराये पर देने के मामलों में वृद्धि के लिए कौन से विभिन्न कारण जिम्मेदार हैं; और

(ङ) इसे हतोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विगत एक वर्ष के दौरान उप किराएदारी की शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) विगत छः महीने के दौरान नई दिल्ली में 463 साधारण पूल आवासों की उप किरायेदारी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) सभी 463 साधारण पूल के आवासों का अकस्मात निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण दलों का गठन किया गया है।

(घ) और (ङ) जांच पड़ताल से यह पता चला है कि आमतौर पर जिन कर्मचारियों के अपने निजी आवास होते हैं, वे अतिरिक्त आय अर्जित करने के इरादे से, उन्हें आवंटित सरकारी आवासों को उप-किरायेदारी पर उठाने की ओर अभिमुख होते हैं। सरकारी आवासों के उप-किरायेदारों को हतोत्साहित करने के लिए, आवासों के आकस्मिक निरीक्षणों में तेजी लाई जा रही है। जिन मामलों में सरकारी आवासों को अनधिकृत रूप से उप-किरायेदारी पर देना सिद्ध हो जाता है, वहां सरकारी आवासों का आबंटन (साधारण पूल, दिल्ली) नियमावली, 1963 में की गई व्यवस्था के अनुसार, आबंटियों पर शास्तियां आरोपित की जाती है। इन शास्तियों में धन संबंधी शास्ति तथा सरकारी आवास से वंचित करने की शास्ति भी शामिल होती है।

चंडीगढ़ के तीसरे चरण के विकास हेतु भूमि का अधिग्रहण

1007. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ के प्रस्तावित तीसरे चरण के विकास हेतु कितनी भूमि का अधिग्रहण किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या यह नया विकास मुख्यत: सहकारी आवास समितियों और गन्दी बस्ती निवासियों के पुनर्वास की आवश्यकता पूरी करने के लिए है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस नगर का और आगे विस्तार मूल मास्टर प्लान के अनुसार किया जाएगा तथा कृषि भूमि के क्षेत्र में अधिक कटौती नहीं की जाएगी और संघ राज्य क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर इससे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(घ) क्या पंजाब तथा हरियाणा के निकटवर्ती क्षेत्रों में उपनगरों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) चंडीगढ़ के तृतीय चरण के लिए लगभग 1710 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।

(ख) नए विकास से सहकारी गृह-निर्माण समितियों, चंडीगढ़ आवास बोर्ड, मलिन बस्ती निवासियों के पुनर्वास के लिए मांग तथा केन्द्र/राज्य सरकार/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की उनके कार्यालय तथा रिहायशी उद्देश्यों के लिए आवश्यकता पूरी होने की आशा है।

(ग) विस्तार की आयोजना मूल मास्टर प्लान तथा नगर और इसके आस-पास क्षेत्रों के एकीकृत तथा नियोजित विकास के लिए प्रतिपादित चंडीगढ़ शहरी परिसर योजना के अनुरूप बनाई जाती है। चूंकि चंडीगढ़ शहरी परिसर योजना में की गई कल्पना के अनुसार पर्याप्त खुले स्थानों और बनों की व्यवस्था की गई है, अतः संघ राज्य-क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) जी, नहीं।

चंडीगढ़ को गेहूं का कोटा

1009. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए गेहूं का कोटा घटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कोटे को पहले के स्तर पर लाने/बढ़ाने की कब तक संभावना है ताकि अब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभन्वित न होने वाले लोगों को भी इस प्रणाली के अंतर्गत लिया जा सके ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में पर्याप्त मात्रा में बेची जा रही गेहूं को दृष्टि में रखते हुए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अधिकांश राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के गेहूं के आवंटनों में मामूली कमी कर दी गई है।

(ग) केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की स्थिति, मौसमी उपलब्धता विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं और मूल्य प्रवृति आदि को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। ये आवंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और ये राज्य/संघ शासित प्रदेश की समस्त मांग को पूरा करने के लिए नहीं होते हैं।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक रुग्णता

[हिन्दी]

1011. **श्री अर्जुन सिंह यादव** :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक रुग्णता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) इस औद्योगिक रुग्णता के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक रुग्णता को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार को जारी दिशा निर्देशों और उपलब्ध कराये गये संसाधनों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) देश में बैंकों से सहायता पाने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों सबंधी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सितम्बर, 1989 के अन्त में 82 गैर-लघु औद्योगिक रुग्ण एकक और 24401 लघु औद्योगिक रुग्ण एकक थे।

(ग) औद्योगिक रुग्णता के लिए बाहरी और आंतरिक दोनों ही कारण जिम्मेदार हैं। बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रमुख कारण ये हैं :—विपणन संबंधी समस्याएं, वित्तीय समस्याएं, श्रमिकों संबंधी समस्याएं, प्रबन्ध में कमियां, बिजली की कमी, मांग में कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, उत्पादन संबंधी समस्याएं, इत्यादि।

(घ) जहां तक गैर लघु औद्योगिक एककों का संबंध है, राज्य सरकार को कोई धनराशि नहीं दी जाती। सीमान्त धनराशि योजना के अधीन, लघु औद्योगिक रुग्ण एककों को फिर चालू करने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को धनराशि देती है। मार्च, 1991 के अन्त तक लघु औद्योगिक रुग्ण एककों को फिर चालू करने के लिए सीमांत धनराशि योजना के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य को कुल 60 लाख रु० की राशि मंजूर की गई।

जौनपुर में फल तथा सब्जी उद्योगों को सहायता

[अनुवाद]

1012. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में फल तथा सब्जी पर आधारित उद्योगों को कोई सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में फल और सब्जी पर आधारित उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ योजनाएं विचाराधीन पड़ी है; और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय राज्य सरकारों के अनुरोध पर विभिन्न राज्यों में फलों और सब्जियों र आधारित उद्योग स्थापित करने के लिये राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता आ रहा है। राज्य सरकार से जौनपुर जिले में उद्योग स्थापित करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 1990-91 के दौरान निम्नलिखित सहायता दी गई है :—

1. खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और सामुदायिक डिब्बाबंदी केन्द्रों के उन्नयन के लिए	—	13.2 लाख रु०
2. प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रम के लिये	—	2 लाख रु०

अनिवासी भारतीयों को भूखंड

1013. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अनिवासी भारतीयों ने सरकार से विदेशी मुद्रा के भुगतान के बदले राजधानी में भूखंडों के आवंटन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अनिवासी भारतीयों को दिल्ली में रिहायशी भूखंडों के आवंटन के लिए सरकार द्वारा 1976 में एक योजना आरम्भ की गई थी। तत्पश्चात् सरकार द्वारा इस योजना को समाप्त करने का निर्णय 1981 में लिया गया था। पूर्व योजना को पुन: चालू करने के लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं। योजना को पुन: चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त, अनिवासी भारतीयों के लिए आवास के विकास हेतु भूमि आबंटन के लिए भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। भूमि आबंटन के लिए सम्बद्ध प्रावधानों तथा आवास में अनिवासी भारतीयों से निवेश आकर्षित करने के लिए प्रस्तावित उपायों को ध्यान में रखते हुए इन अनुरोधों पर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अब तक कोई अंतिम विचार नहीं बनाया गया है।

लघु उद्योगों हेतु निगरानी एजेंसी

1014. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने लघु उद्योगों और ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र को पर्याप्त ऋण सुविधाएं देने को सुनिश्चित करने हेतु एक निगरानी एजेंसी स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस निगरानी एजेंसी के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह निगरानी एजेंसी किस रूप में कार्य करेगी;

(घ) यह निगरानी एजेंसी लघु उद्योगों और ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सहायता दिलाने में किस प्रकार मदद करेगी; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) लघु, अत्यन्त छोटे एवं ग्राम्य उद्यमों को बढ़ावा देने और इन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए 6-8-91 को संसद में रखे गए नीति संबंधी उपायों के पैरा 3.1 में की गई व्यवस्था के अनुसार एक विशेष निगरानी एजेंसी का अभी गठन नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन

1015. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना सम्बन्धी एक बैठक में, वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास की योजना के कार्यान्वयन में विलंब पर चिन्ता प्रकट की गई थी;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन-सी योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है; और

(ग) वित्तीय संसाधनों की कितनी कमी के कारण यह विलम्ब हुआ ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 30-9-91 को हुई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 13 वीं बैठक में सदस्यों ने वित्तीय संसाधनों की कमी और अन्य कारणों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब पर व्यापक रूप से चिन्ता व्यक्त की थी।

(ख) वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण प्राथमिकता नगरों में भूमि अधिग्रहण और विकास योजनाएं तथा क्षेत्रीय और स्थानीय आधारभूत सेवाओं की विकास योजनाएं प्रभावित हुई हैं।

(ग) 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कुल 867 करोड़ रुपए (राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपए) तथा केन्द्रीय क्षेत्र में केन्द्रीय मंत्रालयों के के माध्यम से 467 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। केन्द्रीय मंत्रालयों के माध्यम से राज्य क्षेत्र और केन्द्रीय क्षेत्र में वास्तविक व्यय के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रख दिए जायेंगे।

नई आवास नीति

1016. श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री पंकज चौधरी :
श्री मुकुल वासनिक :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोई नई आवास नीति तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु क्या-क्या मुख्य उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) इसके कब तक घोषित किये जाने तथा अपनाये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) राष्ट्रीय आवास नीति का प्रारूप संसद के दोनों सदनों के समक्ष मई, 1988 में प्रस्तुत किया गया था। सरकार, संसद सदस्यों, राज्य सरकारों और जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आवास नीति के प्रारूप में संशोधन कर रही है। राष्ट्रीय आवास नीति का संशोधित प्रारूप शीघ्र ही संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा

1017. **श्री अब० कुमार पटेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भोपाल गैस संयंत्र में 1984 में यू० सी० सी० गैस रिसाव दुर्घटना के पीड़ितों के मुआवजे की राशि वितरित करने हेतु 470 मिलियन डालर मुआवजे के लिए फरवरी, 1989 के समझौते के अनुमोदनार्थ निर्णय के परिणामस्वरूप इस बीच क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : दावों का अधिनिर्णयन और मुआवजे का वितरण भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों का पंजीकरण एवं कार्रवाई) योजना, 1985 के उपबन्धों के अन्तर्गत किया जाना है। इस योजना में अन्य बातों के साथ अधिनिर्णय एवं मुआवजे की कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु उपयुक्त सहायता सहित कल्याण आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रावधान है। कल्याण आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है और अधिनिर्णय की कार्रवाई 3 फरवरी, 1992, जो कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई तारीख है, तक प्रारम्भ हो जानी चाहिए।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० में घाटा

[हिन्दी]

1018. **श्री छेदी पासवान** :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी राशि के माल का उत्पादन हुआ और तत्सम्बन्धी लाभ और घाटे का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) कारपोरेशन मुख्य रूप से, अपर्याप्त और असंतुलित क्रयादेश, अधिक जनशक्ति, उच्च ऊपरी खर्चों, कठिन वित्तीय समस्या, बिजली की कमी, घटिया कार्य पद्धति, पुरानी मशीनों और ग्राहकों से अधिक बकायों आदि कारणों से घाटा उठा रही है। तथापि, क्रयादेश स्थिति में हाल में सुधार हुआ है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में उत्पादन का कुल मूल्य, लाभ तथा हानि नीचे दर्शाए गए हैं :—

		(करोड़ रुपए में)
वर्ष	उत्पादन का मूल्य	लाभ (+)/हानि (—)
1988-89	352.67	(+) 12.53
1989-90	368.62	(—) 33.62
1990-91	263.80	(—) 99.51

आवंटित किए जाने वाले आवास-एककों में मूलभूत सुविधाएं

1019. **श्री छेदी पासवान** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित दस हजार आवास-यूनिटें, बिजली, पानी, मल-जल निकास व्यवस्था और सड़क जैसी आवश्यक सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण आवंटित नहीं किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार वहां आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराकर इन आवास यूनिटों के आवंटन के लिए क्या प्रयास कर रही है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित केवल 1905 रिहायशी एकक बिजली और पानी की अनुपलब्धता के कारण इस समय आवंटित नहीं किए जा रहे हैं। इन रिहायशी एककों के जोन-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए अनुसार हैं।

(ग) और (घ) आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण सम्बन्धित स्थानीय अभिकरणों के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि, आवंटन शीघ्र किए जा सकें।

विवरण

क्रम सं०	कार्य का नाम	जोन	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	भूमिहीन हरिजनों के लिए पीतमपुरा गांव के समीप 246 आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग रिहायशी एकक	उत्तरी जोन	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से बिजली की अनुपलब्धता के कारण
2.	ब्लाक जी-17 (उत्तरी) पीतमपुरा में 180 निम्न आय वर्ग रिहायशी एकक	—वही—	—वही—
3.	मांतिया खास में 90 निम्न आय वर्ग रिहायशी एकक	—वही—	—वही—

1	2	3	4
4.	सैक्टर-बी, मार्केट 5 और 6 में 285 स्ववित्त पोषित योजना रिहायशी एकक	दक्षिण-पश्चिमी अंचल	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से बिजली और दिल्ली नगर निगम से पानी की अनुपलब्धता के कारण
5.	सैक्टर-सी, पाकेट 4 बसत कुंज में 124 स्व-वित्त पोषित योजना रिहायशी एकक	—वही—	—वही—
6.	बसंत बिहार में 288 जनता रिहायशी एकक	—वही—	—वही—
7.	जी-17 एरिया पश्चिम पुरी से जी० एच० 4 में 356 स्व-वित्त घोषित योजना रिहायशी एकक	पश्चिमी अंचल	—वही—
8.	पश्चिमी पुरम पाकेट ए-4 से 336 कम्युनिटी सर्विस पर्सनल रिहायशी एकक	—वही	दिल्ली नगर निगम से पानी की अनुपलब्धता के कारण

विज्ञान भवन की मरम्मत करके उसे नया रूप प्रदान करना

[अनुवाद]

1020. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में विज्ञान भवन की मरम्मत करके उसे नया रूप देने का कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी;

(ग) मरम्मत का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(घ) मरम्मत का कार्य किस कम्पनी को सौंपा गया है;

(ङ) क्या कम्पनी का चयन न्यूनतम लागत के आधार पर किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो उपर्युक्त कम्पनी के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) 12.20 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है । अन्तिम रूप से तैयार की जा रही परिकल्पना स्कीम के अनुसार लागत परिशोधन किए जाने की सम्भावना है ।

(ग) यह आशा है कि कार्य अप्रैल, 1993 के अन्त तक पूर्ण हो जाएगा ।

(घ) निम्नलिखि दो सलाहकार नियुक्त किए गए हैं :

(1) मै० राजा इद्री कन्सलटेंट्स (प्रा०) लि० ।

(2) मैं० स्ट्रक्टवैल डिजाइन्स एंड कन्सलटेंट्स प्रा० लि० ।

(ङ) और (च) परिकल्पित नवीकरण कार्य के प्रकार के लिए न्यूनतम लागत निर्धारित करना संभव नहीं है क्योंकि यह बहुत से घटकों, जैसे विभिन्न एजेंसियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव, ऐसे समरूप निर्माण-कार्यों को करने में उनकी विशेषज्ञता, इत्यादि, पर निर्भर करता है । विज्ञान भवन के नवीकरण-कार्यों के लिए वास्तुशिल्पीय परामर्श एक परामर्शी फर्म को सुपुर्द किया गया है । खुले प्रतियोगी प्रस्ताव आमन्त्रित किए गए थे और एक समिति द्वारा विचार-विमर्श और सावधानीपूर्वक जांच के पश्चात् कार्य प्रदान किया गया था ।

हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड

1021. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**
कुमारी दीपिका चिखलिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड को सिंगापुर को निर्यात किए गए "फोम इन्सुलेटेड केबल" वापस मिल गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ने सिंगापुर टेलिकाम आथारिटी को अस्वीकार्य केबलों की पूरी मात्रा वापस ले ली है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

विदेश निवेश के प्रस्तावों को स्वीकृति

1022. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा सितम्बर-अक्तूबर, 1991 के दौरान स्वीकृत विदेशी निवेश के बड़े प्रस्तावों का ब्योरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रतिवर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी; और

(ग) सरकार ने कौन-कौन से औद्योगिक क्षेत्रों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का निर्णय किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) स्वीकृत विदेशी सहयोगों के ब्यौरे अर्थात् भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम, विनिर्माण की मद और सहयोग की किस्म आदि के विवरण भारतीय निदेश केन्द्र द्वारा मासिक आधार पर उनके

"मंथली न्यूज लेटर" के पूरक के रूप में छापे जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद से अक्तूबर, 1991 के अन्त तक विदेशी सहयोग के 250 से अधिक प्रस्ताव मंजूर किये जा चुके हैं। इनमें से 60 प्रस्तावों में यह परिकल्पना है कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में जैसे कि औद्योगिक मशीनरी, बिजली के उपकरण, चिकित्सा उपकरण, रसायनों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों आदि में लगभग 170 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा।

(ग) 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में रखे गये औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुबंध-3 में उच्च प्राथमिकता वाले उन उद्योगों की सूची दी गयी है जिनमें सरकार विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करती है।

ग्रामीण विकास योजनाओं के संबंध में कार्य बल

[हिन्दी]

1024. **श्री रामशरण यादव** : क्या **योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने ग्रामीण विकास योजनाओं के संबंध में विभिन्न सुझावों के कार्यान्वयन के लिए कोई कार्यदल नियुक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के संबंध में कार्यदल द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) योजना आयोग ने ग्रामीण विकास स्कीमों के संबंध में विभिन्न सुझावों के कार्यान्वयन के लिए किसी कार्यदल की नियुक्ति नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेंशन का ढांचा

[अनुवाद]

102 . **श्री अन्ना जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में वर्तमान पेंशन ढांचे में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के पेंशन ढांचे की हाल ही में चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा गहराई से जांच की गई थी तथा इसकी सभी मुख्य-मुख्य सिफारिशें पहले ही स्वीकार तथा कार्यान्वित की जा चुकी हैं ।

महासागर विकास योजना

1026. **श्री अन्ना जोशी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रंथिकाओं के विशेष संदर्भ में महासागर विकास के कुछ विशेष कार्यक्रम बनाने की कोई प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की प्रौद्योगिकी में उच्चतर शोध तथा विकास को भी शामिल करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां । अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण द्वारा मध्य हिन्द महासागर में आबंटित खान स्थल (केप कोमरिन के लगभग 1600 कि० मी० दक्षिण) का केवल खनन अधिकारों के साथ विकास करने के लिए, लगातार चलने वाला, भारत का एक कार्यक्रम है ।

(ख) गहरी समुद्र संस्तर पिण्डिकाओं का वाणिज्यिक मूल्य, उनके अल्प सान्द्रण के बावजूद, मेंगनीज के अतिरिक्त ताम्बा, निकल और कोबाल्ट के युक्तीय महत्वपूर्ण अंशों के कारण होता है । अत: मिण्डिका उपयोग कार्यक्रम में तीन अलग-अलग परन्तु अन्त: सम्बद्ध औद्योगिकीय घटक शामिल हैं—(क) सतह से पांच किलोमीटर नीचे गहरे खान स्थल का विस्तृत अन्वेषण, (ख) इन पिण्डिकाओं को सतह तक लाने के लिए गहरी समुद्र संस्तर खनन प्रणाली का विकास, और (ग) पिण्डिकाओं से धातु निष्कर्ष के लिए किफायती धातुकर्म प्रक्रियाओं और संयंत्रों का विकास करना ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पुणे के विकास के लिए सहायता

1027. **श्री अन्ना जोशी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे शहर के विकास के लिए विशेष विकास सहायता नियत करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बहुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनियों के खाद्य प्रसंस्करण एकक

1028. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बहुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनियों के नाम क्या है, जिन्होंने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किये हैं;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में विदेशी पूंजी-निवेश संबंधी कुछ प्रस्तावों को स्वीकृति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये विदेशी कम्पमियां भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने में कहां तक समर्थ हुई हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) बहुराष्ट्रीय कम्पनी की कोई मान्य परिभाषा नहीं है । फिर भी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए 40 प्रतिशत से अधिक अनिवासी हिस्से वाली कम्पनी (जिसे "फेरा" कम्पनी के नाम से जाना जाता है) को बहुराष्ट्रीय कम्पनी माना जा रहा है । मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड बम्बई और मैसर्स हिन्दुस्तान गम एण्ड कैमिकल्स, भिवानी नामक दो कम्पनियों के पास 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी है और प्राप्त सूचना के अनुसार वे खाद्य प्रसंस्करण कार्य में लगे हुए हैं ।

(ख) और (ग) 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी और बकाया भारतीय इक्विटी के साथ एक नया उपक्रम स्थापित करने के मैं० कैलाग कम्पनी, अमरीका के प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नई औद्योगिक नीति के अधीन स्वतः अनुमोदन स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृति दे दी गई है ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरक उत्पादन में कमी

1029. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उर्वरक के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो नाइट्रोजन और फास्फेट उर्वरकों के उत्पादन में कितनी कमी आई है तथा इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन लक्ष्य को पूरा न करने वाले उर्वरक एककों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 (अप्रैल-अक्तूबर, 1991) के दौरान न्यूट्रीएन्ट्स के रूप में उर्वरकों का लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(000 मी० टन)

	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य की तुलना में कमी
नाइट्रोजन	4120.1	4042.5	77.6
फास्फेट	1575.0	1541.6	33.4

तथापि, जब इसकी तुलना 1990-91 की तत्संबंधी अवधि के दौरान उत्पादन से की जाती है तो नाइट्रोजन के मामले में 1.3 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि हुई है और फास्फेट के उत्पादन के मामले में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में लक्ष्य की तुलना में सीमान्तरीय कमी के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं :—

(1) ओ० एन० जी० सी० अधिकारियों की हड़ताल के कारण 9 से 19 सितम्बर, 1991 तक सभी गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों में प्राकृतिक गैस की अनुपलब्धि।

(2) अग्निकांड के कारण कृभको के हजीरा संयंत्र की एक स्ट्रीम 26 सितम्बर से 20 अक्तूबर, 1991 तक पूर्णतः बन्द रही।

(3) थल स्थित आर० सी० एफ० के यूरिया संयंत्र की सभी तीनों स्ट्रीमों में महत्वपूर्ण उपस्कर की खराबी।

(4) एफ० सी० आई० और एच० एफ० सी० के सभी संयंत्रों, एस० एफ० सी० कोटा, आई० सी० आई० कानपुर; फैक्ट के कोचीन-I और II, और सी० एफ० के ट्रांबे, जेड० ए० सी० गोवा, जी० एन० एफ० सी० भरूच और आई० जी० एफ० सी० सी० जगदीशपुर में उपस्कर समस्या।

(5) फैक्ट—उद्योग मंडल, एन० एल० सी० नेवेली, सी० एफ० एल० विजाग, इफको-कांडला, आई० सी० आई० कानपुर, पी० पी० एल० पारादीप और आर० सी० एफ० के सभी संयंत्रों में पावर समस्याएं।

(6) एच० एल० एल० हल्दिया और आई० जी० एफ० सी० सी० जगदीशपुर में श्रमिक समस्याएं।

(7) अन्य समस्याएं—एच० एफ० सी० के नामरूप-3 और आर० सी० एफ० के थल संयंत्र में कच्चे पानी की कमी।

(ग) जिन उर्वरक एककों में लक्ष्य से उत्पादन कम हो रहा है उनके निष्पादन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं :—

(1) समस्यात्मक उपस्करों के प्रतिस्थापन/नवीकरण द्वारा क्षमता उपयोगिता में सुधार करना।

(2) निवारक एवं भविष्य सूचक रख-रखाव द्वारा सतत निगरानी।

(3) संयंत्रों का पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण।

(4) उत्पादन एककों को कच्चा माल प्राप्त करने में सरकार द्वारा सहायता प्रदान करना।

(5) सरकार द्वारा सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र के एककों के निष्पादन का आवधिक पुनरीक्षण करना ताकि जब कभी आवश्यक हो उनके निष्पादन में सुधार करने के लिए उपयुक्त निर्देश दिए जा सकें।

कतिपय उर्वरक एककों का बन्द किया जाना

1030. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरक निर्माता एककों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उन्हें पुनः सुदृढ़ करने/आधुनिक बनाने के लिए यदि कोई योजना तैयार की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार घाटा उठा रहे कतिपय उर्वरक उत्पादक एककों को बन्द करने अथवा उन्हें गैर सरकारी नियंत्रण में देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन एककों में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और उन्हें बेरोजगार होने से बचाने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) उर्वरक निर्माता एककों की स्थिति (31-3-1991 को) नीचे तालिका में दी गई है :—

विवरण इकाई	सार्वजनिक क्षेत्र	सहकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
1. (1) नाइट्रोजन एंड कम्पलैक्स संयंत्र (एन ओ एस)	30	5	18	53
(2) सिंगल सुपर फास्फेट संयंत्र (एन ओ एस)	7	—	82	89
2. स्थापित क्षमता (लाख मी० टन में)				
नाइट्रोजन	43.74	15.31	23.43	82.47
फास्फेट	7.92	3.09	16.50	27.51
नाइट्रोजन का प्रतिशत भाग	53.04	18.55	28.41	100.00
फास्फेट का प्रतिशत भाग	28.79	11.23	59.98	100.00
3. उत्पादन (000 मी० टन) (1990-91)				
नाइट्रोजन	2873.0	1722.1	2398.0	6993.1
फास्फेट	510.0	233.1	1307.9	2051.9
प्रतिशत क्षमता उपयोग (1990-91)				
नाइट्रोजन	66.3	112.4	105.0	05.8
फास्फेट	62.4	75.4	80.6	74.6

(ख) निजी क्षेत्र के एकक जहां पुनर्वास/नवीकरण किया गया है/प्रस्तावित हैं :—

1. कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स, विजाग
2. मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, मंगलौर
3. जुआरी एग्रो, गोवा
4. श्रीराम फर्टिलाइजर्स, कोटा
5. जी० एन० एफ० सी०, भरूच
6. ई० आई० डी० पैरी, इन्नोर
7. स्पिक, तुतीकोरिन

सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र के निम्नलिखित एककों की वृहद पुनर्वास/नवीकरण योजना के लिए पहचान की गयी है :—

1. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन :
   (क) दुर्गापुर
   (ख) बरौनी
   (ग) नामरूप-I
   (घ) नामरूप-II
2. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया :
   (क) रामागुण्डम
   (ख) तालचर
   (ग) सिन्दरी
3. फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड :
   (क) उद्योगमंडल
4. इंडियन फारमर्स एंड फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड :
   (क) फूलपुर
   (ख) कांडिला
   (ग) कलाल
5. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड।

(ग) से (घ) उर्वरक बनाने वाले एककों में से जिन्हें लगातार हानि उठानी पड़ रही है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया (एफ० सी० आई०) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन (एच० एफ० सी०) है। इन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या लगभग 20763 है। सरकार द्वारा इन एककों को बन्द करने अथवा उनका निजीकरण करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मध्य प्रदेश में रुग्ण माइक्रो सीमेंट संयंत्र

[हिन्दी]

1031. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में रुग्ण मिनी माइक्रो और माइक्रो सीमेंट संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का इन रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को अर्थक्षम बनाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार को सहायता देने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा यह सूचना दी गयी है कि रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम के अधीन उनके पास मै० अभिषेक सीमेंट लिमिटेड एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी के रूप में पंजीकृत है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उपर्युक्त (क) व (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में बन्द किए गए उद्योग

1032. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश मे पिछले तीन वर्षों के दौरान बन्द किए गए लघु, मझोले तथा बड़े उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ख) उपरोक्त उद्योगों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश की गई पूंजी कितनी है; और

(ग) इन उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) देश में बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं । नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में सितम्बर, 1989 के अंत में 30 गैर-लघु औद्योगिक रुग्ण एकक/कमजोर एकक थे जो बंद पड़े थे । जिन पर सितम्बर, 1989 के अंत में 41.06 करोड़ रु० की राशि बकाया थी । लघु औद्योगिक एककों के संबंध में ऐसी ही सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है । सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों के फिर से चालू करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जो संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

रुग्ण औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात "रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985" बनाया है । इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

(बी० आई० एफ० आर०)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्य-क्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गये हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिनमें उन मापदंडों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) लघु क्षेत्र में रुग्णता कम करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता करने के विचार से भारत सरकार ने एक "सीमांत धन योजना" शुरू की है। इस उदारीकृत योजना के अंतर्गत पुनःस्थापना हेतु रुग्ण लघु एककों को उपलब्ध प्रति एकक सहायता की अधिकतम राशि को 20,000 रु० से बढ़ाकर 50,000 रु० कर दिया गया है।

(6) कमजोर एककों के लिए एक उत्पाद-कर राहत योजना की भी घोषणा की गई है। यह योजना किसी भी ऐसे एककों के लिए लागू होगी जिसमें किन्हीं पांच लेखा वर्षों में उनका अधिकतम निवल मूल्य संचित हानियों के कारण 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक कम हो गया हो। उक्त एकक की पुनर्स्थापना, आधुनिकीकरण अथवा दिशान्तरण पैकेज नामजद वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। पात्र एकक ब्याज मुक्त ऋण का पात्र होगा जिसके लिए 3 वर्ष की राहत अवधि मिलेगी और इसे 7 वर्षों के भीतर वापस करना होगा जो योजना के अनुमोदन के बाद 3 वर्षों के लिए वास्तविक उत्पाद भुगतान का 50 प्रतिशत होगा। "उत्पाद ऋण" के रूप में दी जाने वाली कुल राशि पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण/दिशान्तरण की कुल लागत से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(7) अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के लिए शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अप्रैल, 1990 में एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है। इस बैंक की चुकता पूंजी 250 करोड़ रुपये है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जीव्य-क्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के लिए परस्पर स्वीकार्य पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए प्राथमिक उधारदाता संस्थानों एवं प्रवर्तकों के सहायतार्थ विभिन्न राज्यों में पुनर्स्थापना संबंधी बैठकों का आयोजन कर रहा है। वर्ष 1990-91 के दौरान, 14 केन्द्रों में 23 बैठकें आयोजित की गईं और 250 से अधिक एककों के मामलों पर विचार किया गया। इन बैठकों में प्राथमिक उधारदाता संस्थानों एवं उधार लेने वालों की प्रतिक्रियाएं उत्साहजनक रही हैं।

जीव्य-क्षम लघु औद्योगिक रुग्ण एककों के पुनर्ज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा पुनर्स्थापना के लिए एक पृथक पुनर्वित्तीयन योजना चलाई जा रही है।

उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

1033. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के लिए कोई विकास योजना तैयार की है;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकरण के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) सरकार खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले खादी तथा ग्राम्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए धन प्रदान करती है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, पंजीकृत संस्थानों तथा सहकारी समितियों, खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सीधे सहायता प्राप्त तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग के विभागीय एककों के माध्यम से खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के विकास में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए निम्नलिखित धनराशि वितरित की :—

(रुपये लाख में)

	1989-90		1990-91	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
खादी	1472.88	472.09	1731.88	417.90
ग्रामोद्योग	154.93	1491.76	47.92	1611.52
कुल	1627.81	1963.85	1779.80	2029.42

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1034. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के उन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पता लगा लिया है जिनका कार्य पिछले दो सालों से संतोषजनक नहीं चल रहा है; और

(ख) इन उपक्रमों के संतोषजनक ढंग से कार्य न करने के क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इनकी कार्य चालन क्षमता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) गत दो वर्षों अर्थात् 1989-

90 तथा 1988-89, केवल जिस अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है, के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सत्तरह उद्यमों में से बारह, जिनके पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं, ने घाटा उठाया है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उठाये गये घाटे के कारण आयात लागत में वृद्धि होना, क्षमता का कम उपयोग होना, पुराने संयंत्र तथा मशीनरी का होना, बिजली की कमी, अधिक जनशक्ति, मांग में कमी-वेशी होना है। उद्योमों के कार्यचालन को बेहतर बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार तथा सम्बद्ध उद्यम द्वारा विशेष के लिए उपचारी कार्रवाई की जाती है। किये गये कुछ उपाय हैं— संयंत्रों का आधुनिकीकरण तथा पुनर्स्थापन करना, वित्तीय, प्रबंधकीय तथा संगठनात्मक पुनर्गठन करना, उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन करना, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी को समुन्नत बनाना, सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आदि।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लाई एश कन्वर्जन संयंत्रों की स्थापना

1035. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** 26 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4413 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा "फ्लाई एश कन्वर्जन संयंत्रो" की स्थापना से संबंधित सभी अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के पश्चात् राजघाट के पीछे दो फ्लाई एश कन्वर्जन संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी दी है।

इंदिरा आवास योजना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में मकानों का निर्माण

[अनुवाद]

1036. **श्री सुबासचन्द्र नायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 और 1991-92 (आज तक) के दौरान इंदिरा आवास योजना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना के अन्तर्गत राज्यवार कुल कितने मकान बनाए गए;

(ख) इन मकानों के निर्माण पर राज्यवार कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत राज्यवार कुल कितने मकान बनाए जायेंगे;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की शिकायतें मिली हैं कि इन मकानों के निर्माण हेतु आबंटित राशि का दुर्विनियोजन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) इन्दिरा आवास योजना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना (20 सूत्री कार्यक्रम के तहत) के अन्तर्गत 1990-91 और 1991-92 के दौरान आज तक बनाए गए राज्य-वार मकानों की सूचित संख्या संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 1990-91 और 1991-92 के दौरान राज्य-वार खर्च की गई कुल राशि को विवरण-2 में दर्शाया गया है। तथापि, चूंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना राज्य क्षेत्र की एक ऋण-सह-सबसिडी योजना है, अतः इसके अन्तर्गत बनाए गए मकानों पर खर्च की गई राशि की केन्द्र सरकार द्वारा निगरानी नहीं रखी जाती है।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिए निर्धारित राज्य-वार लक्ष्यों को विवरण-3 में दर्शाया गया है।

(घ) और (ङ) इन मकानों के निर्माण हेतु आबंटित राशि के दुरुपयोग के बारे में केन्द्र सरकार को कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण-1

1990-91 और 1991-92 के दौरान इन्दिरा आवास योजना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए योजना के अन्तर्गत बनाए गए मकान

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1990-91 बनाए गए मकान (संख्या)		1991-92* बनाए गए मकान (संख्या)	
		इन्दिरा आवास योजना	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु योजना	इन्दिरा आवास योजना	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु योजना
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	6142	5080	889	4880
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	कार्यरत नहीं	सूचना नहीं	कार्यरत नहीं
3.	असम	2299	1298	164	153
4.	बिहार	10480	427	सूचना नहीं	0
5.	गोआ	51	160	19	0
6.	गुजरात	4736	1407	2501	564
7.	हरियाणा	859	729	66	120
8.	हिमाचल प्रदेश	435	30	7	0

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू और कश्मीर	273	240	36	0
10.	कर्नाटक	11341	3607	1468	948
11.	केरल	8724	4865	981	1152
12.	मध्य प्रदेश	18790	3713	22847	1454
13.	महाराष्ट्र	9730	6212	सूचना नहीं	63
14.	मणिपुर	170	0	17	0
15.	मेघालय	210	0	18	19
16.	मिजोरम	1264	कार्यरत नहीं	79	0
17.	नागालैंड	649	कार्यरत नहीं	सूचना नहीं	कार्यरत नहीं
18.	उड़ीसा	9041	1544	4440	190
19.	पंजाब	934	100	147	45
20.	राजस्थान	2028	2708	5417	129
21.	सिक्किम	58	0	शून्य	0
22.	तमिलनाडु	47260	14420	23	9735
23.	त्रिपुरा	491	193	44	14
24.	उत्तर प्रदेश	25300	19088	2230	11827
25.	पश्चिम बंगाल	9421	130	1631	0
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13	40	सूचना नहीं	0
27.	चंडीगढ़	सूचना नहीं	8290	सूचना नहीं	कार्यरत नहीं
28.	दादर और नगर हवेली	53	कार्यरत नहीं	32	कार्यरत नहीं
29.	दमन और दीव	10	कार्यरत नहीं	17	कार्यरत नहीं
30	दिल्ली	सूचना नहीं	0	शून्य	
31.	लक्षद्वीप	सूचना नहीं	कार्यरत नहीं	शून्य	कार्यरत नहीं
32.	पांडिचेरी	40	कार्यरत नहीं	सूचना नहीं	कार्यरत नहीं
	अखिल भारत	170805	74281	43073	31293

*अनन्तिम

विवरण-2

1990-91 और 1991-92 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत किया गया खर्च

खर्च (लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र	1990-91	1991-92* (अनन्तिम)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	964.62	50.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.38	0.00
3.	असम	223.86	50.88
4.	बिहार	सूचना नहीं	0.00
5.	गोआ	2.64	1.41
6.	गुजरात	567.20	424.40
7.	हरियाणा	114.96	5.98
8.	हिमाचल प्रदेश	57.69	1.86
9.	जम्मू व कश्मीर	24.53	4.42
10.	कर्नाटक	948.21	120.60
11.	केरल	472.24	44.05
12.	मध्य प्रदेश	2043.13	713.47
13.	महाराष्ट्र	1313.51	0.00
14.	मणिपुर	21.80	0.80
15.	मेघालय	18.81	1.18
16.	मिजोरम	144.17	10.81
17.	नागालेंड	94.10	0.00
18.	उड़ीसा	1177.99	406.86
19.	पंजाब	111.95	23.60
20.	राजस्थान	178.06	269.57
21.	सिक्किम	3.20	0.00
22.	तमिलनाडु	6687.60	1.78
23.	त्रिपुरा	57.71	4.38

1	2	3	4
24.	उत्तर प्रदेश	2556.43	232.50
25.	पश्चिम बंगाल	993.11	208.87
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.51	0.00
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00
28.	दादर व नगर हवेली	6.20	2.26
29.	दमन व दीव	0.34	0.32
30.	दिल्ली	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	9.43	3.29
	कुल	18795.28	2583.91

*अनन्तिम

विवरण-3

1991-92 के दौरान इन्दिरा आवास योजना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	इन्दिरा आवास योजना (संख्या)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए योजना (संख्या)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7913	35000
2.	अरुणाचल प्रदेश	289	कार्यरत नहीं
3.	असम	1119	2076
4.	बिहार	16346	660
5.	गोआ	10	100
6.	गुजरात	4661	1200
7.	हरियाणा	941	500
8.	हिमाचल प्रदेश	351	50
9.	जम्मू व कश्मीर	205	900
10.	कर्नाटक	5443	4000

1	2	3	4
11.	केरल	1733	12554
12.	मध्य प्रदेश	18266	4000
13.	महाराष्ट्र	7651	6800
14.	मणिपुर	59	300
15.	मेघालय	450	142
16.	मिजोरम	226	220
17.	नागालैंड	392	कार्यरत नहीं
18.	उड़ीसा	9110	1500
19.	पंजाब	1287	100
20.	राजस्थान	7347	1500
21.	सिक्किम	52	40
22.	तमिलनाडु	7222	12558
23.	त्रिपुरा	286	260
24.	उत्तर प्रदेश	18914	18000
25.	पश्चिम बंगाल	11594	295
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	16	30
27.	चंडीगढ़	5	कार्यरत नहीं
28.	दादरा व नगर हवेली	61	कार्यरत नहीं
29.	दमन व दीव	8	कार्यरत नहीं
30	दिल्ली	79	8300
31.	लक्षद्वीप	16	कार्यरत नहीं
32.	पांडिचेरी	48	कार्यरत नहीं
	कुल	122100	110885

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल को खुले बाजार में बेचना

1037. **श्री पी० एम० सईद** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को हाल ही के त्योहार के मौसम के दौरान खुले बाजार में चावल बेचने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और उसे किस दर पर जारी किया गया ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी हां।

(ख) खुले बाजार में चावल की बिक्री करने के आदेश 24 अक्तूबर, 1991 को जारी किए गए थे। भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, अब तक लगभग 10,000 मीटर टन चावल बेचा गया है। यह बिक्री अभी भी की जा रही है। विभिन्न केन्द्रों के लिए बिक्री मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

केन्द्रों के नाम और खुले बाजार में बेचे जाने वाले चावल के बिक्री मूल्य

केन्द्र	बिक्री मूल्य (दर प्रति क्विटल)		
	साधारण रु०	बढ़िया रु०	उत्तम रु०
बम्बई	400	420	430
पुणे	400	420	430
नागपुर	400	420	430
अहमदाबाद	380	400	410
भोपाल	410	420	440
दिल्ली	420	450	470
कानपुर	400	420	440
लखनऊ	400	420	440
वाराणसी	400	420	440
जम्मू	420	450	470
मद्रास	380	400	410
कोयम्बटूर	380	400	410
मदुरै	380	400	410
हैदराबाद	410	430	440
विजाग	410	430	440
बंगलौर	390	410	420
कोचीन	420	450	470
पटना	390	420	430
पश्चिम बंगाल (सांविधिक राशनिंग क्षेत्र को छोड़कर)	390	410	430
भुवनेश्वर	420	440	450
गुवाहाटी	410	430	450

नई औद्योगिक नीति का प्रभाव

1038. श्री पी० एम० सईद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को, नई औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों से सामान्य रूप से और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के उद्योगपतियों से विशेष रूप से प्राप्त प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या लाइसेंस सम्बन्धी औपचारिकताओं को समाप्त कर देने से नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितनी; और

(ग) भारतीय अर्थ-व्यवस्था के बाह्य क्षेत्र पर नई औद्योगिक नीति का क्या प्रभाव पड़ा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) 24 जुलाई, 1991 को नई औद्योगिक नीति पैकेज की घोषणा होने के बाद से 31 अक्तूबर, 1991 तक औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय में उद्यमियों द्वारा 2077 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर किए गए हैं, जिनमें से 8 दिल्ली संघ शासित क्षेत्र से सम्बन्धित हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निवेश पर प्रतिफल मिलने के लिए आरम्भ में लगभग तीन वर्षों की आवश्यकता होती है। इसलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि नई इकाइयों के सम्बन्ध में नई औद्योगिक नीति का वास्तविक प्रभाव कितना है।

(ग) अगस्त से अक्तूबर, 1991 के दौरान 194 विदेशी प्रौद्योगिकी करारों को मंजूरी दी गई है।

तकनीकी विकास के महानिदेशालय का समापन

1039. श्री पी० एम० सईद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तकनीकी विकास के महानिदेशालय के समापन के बारे में विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें कितने कर्मचारी बेरोजगार होने की संभावना है; और

(घ) उनके समावेशन के लिए सरकार की क्या योजना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) सरकार ने व्यापार और औद्योगिक नीति के बारे में बड़े निर्णय लिए हैं जिनसे कई मन्त्रालयों/विभागों/संगठनों की भूमिका एवं कार्यों के बारे में नई जानकारियां प्राप्त हुई हैं। परिणामस्वरूप, इन नई जानकारियों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी विकास महानिदेशालय सहित इनमें से कई विभागों का पुनर्गठन करना जरूरी हो सकता है। सरकार ने इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों का भरा जाना

1040 श्री मुकुल वासनिक :
श्री साइमन मरांडी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1991 के प्रथम सप्ताह में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को 31 मार्च, 1992 तक भर दिया जाएगा;

(ख) कितने पदों को भर दिया गया है और 31 अक्तूबर, 1991 तक केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ग) आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या पहल की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को शीघ्रतर व हर हालत में 31 मार्च, 1992 तक भर दिया जाए।

(ख) इस मंत्रालय में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार तारीख 1-1-90 को केन्द्रीय सरकार में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार थी;

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह क	5331	1593
समूह ख	10497	2222
समूह ग	336880	107103
समूह घ	321795	77353

(ग) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में 31-3-91 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है।

ग्राम पंचायतों को वित्तीय संसाधनों का नियतन

1041. **श्री सुधीर सावन्त :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय संसाधन नियत किए जाने हेतु सांविधिक उपबंध करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्राम पंचायतों की वित्तीय और कार्यकारी शक्तियों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय संसाधनों का आवंटन करने तथा इनकी वित्तीय और कार्यकारी शक्तियों को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक प्रावधान लोक सभा में पेश किए गए संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 में शामिल हैं।

श्रमिक और सामग्री के संदर्भ में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि के आवंटन हेतु मानदण्ड

1042. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिक और सामग्री के संदर्भ में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि देने के लिए किन मानदंडों का पालन किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में सामग्री की लागत अधिक होने के कारण जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को चलाना असंभव हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में सामग्री की लागत के अनुसार परियोजनाओं हेतु धनराशि के आवंटन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निधियों का आबंटन देश में कुल ग्रामीण गरीबों में से राज्य/संघ शासित क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर किया जाता है न कि श्रम और सामग्री के संदर्भ में परियोजना-वार किया जाता है ।

(ख) और (ग) चूंकि, जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजित करना है, इसलिए मार्गदर्शिकाओं में यह निर्धारित किया गया है कि योजना के अंतर्गत 60 प्रतिशत अन्यून निधियां अकुशल मजदूरों की मजदूरी पर खर्च की जाएंगी ।

जवाहर रोजगार योजना का दूसरा उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के प्रत्यक्ष और निरन्तर लाभ के लिए ग्रामीण आर्थिक आधारभूत ढांचे तथा परिसम्पत्तियों को भी सुदृढ़ बनाकर निरन्तर रोजगार सृजित करना है । मार्गदर्शिकाओं के अनुसार, ऐसे सभी ग्रामीण निर्माण कार्य जिनसे स्थायी स्वरूप की उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियां सृजित होती हैं, उन्हें योजना के अंतर्गत आरम्भ किया जा सकता है । उत्पादक स्वरूप की स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों में सामाजिक वानिकी, भूमि तथा जल संरक्षण कार्य, जल एकत्रीकरण ढांचों का निर्माण, लघु सिंचाई कार्य, सामुदायिक सिंचाई कुओं का निर्माण, मुख्य तथा मध्यम किस्म की नालियों और खेत की नालियों का निर्माण, सुधार और उन्हें गहरा बनाने का कार्य, बाढ़ सुरक्षा तथा नालियां बनाने, गांव के तालाबों का निर्माण/पुर्ननिर्माण, भूमि समतलीकरण आदि जैसे कार्य शामिल हैं । ये अधिक श्रम प्रधान गतिविधियां हैं । ऐसे कार्यों में सामग्री घटक का प्रतिशत अंश अनुमेय 40 प्रतिशत से काफी कम है । तथापि, यदि कार्यान्वयन अधिकारी 40 प्रतिशत से अधिक सामग्री घटक के अंश वाले कार्य आरम्भ करने का निर्णय करते हैं, वे ऐसे कार्य कार्यान्वित कर सकते हैं बशर्ते कि इन कार्यों के आरम्भ करने के परिणामस्वरूप मजदूरी घटक पर होने वाला समग्र व्यय 60 प्रतिशत से कम न हो । जवाहर रोजगार योजना की मार्गदर्शिकाओं में निर्धारित की गई स्थानीय सामग्री का उपयोग करके सामग्री घटक को काफी कम किया जा सकता है ।

इसके अलावा, जहां सामग्री घटक पर होने वाला व्यय 40 प्रतिशत से अधिक है, यदि उन कार्यों को आरम्भ करना नितांत आवश्यक हो तो ऐसे मामले में सामग्री की अतिरिक्त लागत को

पूरा करने के लिए अन्य सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से निधियों का उपयोग करने की भी मार्गदर्शिकाओं में अनुमति दी गई हैं।

महाराष्ट्र के पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण हेतु चलती-फिरती गाड़ियां

1043. सुधीर सावंत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चलती-फिरती गाड़ियों की योजना को क्रियान्वित किया गया है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार चलती-फिरती उचित दर की दुकानों के लिए महिलाओं/पिछड़े समुदाय की सहकारिता समितियों की चलती-फिरती गाड़ियां देने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में वस्तुओं के दाम अधिक होने की वजह से इन उचित दर की दुकानों के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराये जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत पर्वतीय, ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में चलती-फिरती उचित दर की दुकानों के रूप में चलाने के लिए 12 मोबाइल वैनों की खरीद हेतु वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान कुल 30.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता ली है। यह सहायता 75 प्रतिशत ऋण और 25 प्रतिशत राजसहायता के आधार पर मंजूर की गई है।

(ख) कौन-सा संगठन इन वैनों को चलाएगा/इनकी देख-रेख करेगा, इसका निर्णय संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) यह निर्णय करना भी राज्य सरकार का कार्य है कि क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नियमित वस्तुओं के अलावा कोई अन्य वस्तुएं चलती-फिरती उचित दर की दुकानों के जरिए वितरित की जाएं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार में रोजगार का लक्ष्य

1044. श्री राम लखन सिंह यादव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निश्चित किए गए थे; और

(ख) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो बिहार सहित सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा था, का वर्ष 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना नामक एक नये कार्यक्रम में विलय कर दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में निर्धारित किए गए रोजगार सृजन के लक्ष्य और उपलब्धि नीचे दर्शाये गए हैं :—

वर्ष	कार्यक्रम	रोजगार सृजन (लाख श्रम दिन)	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1988-89	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	416.00	432.22
1989-90	जवाहर रोजगार योजना	944.19	907.31
1990-91	जवाहर रोजगार योजना	1125.86	1130.11

विदेशी प्रस्ताव

1045. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान अनुमोदित विदेशी सहयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) फैशन वस्त्रों, बुने हुए कपड़ों, सिन्थेटिक होजरी, जूते और खेल संबंधी सामग्री, परफ्यूम, प्रसाधन सामग्री, शराब और स्प्रिट, शीतल पेय, दुपहिया वाहन और कारें, सेनिटेरीवेयर फिटिंग्स, एयर कन्डीशनिंग, बिस्कुट चाकलेट्स एण्ड कन्फेक्शनरी, टूथपेस्ट और ब्रशों के संबंध में स्वीकृत विदेशी सहयोगकर्ताओं के नाम एवं निर्माताओं का वर्षवार ब्यौरा तथा विदेशी सहयोगियों की स्वीकृति की शर्तों का विवरण क्या है;

(ग) कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा कब स्वीकृति दी गई;

(घ) इनमें से कितनी इकाइयों ने काम करना आरम्भ कर दिया है और उनके उत्पादन की विद्यमान मात्रा कितनी है; और

(ङ) गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) मंजूर किए गए विदेशी सहयोगों की संख्या संबंधी सांख्यकीय सूचना कैलेण्डर वर्ष-वार रखी जाती है ।

1986 से 1991 (अक्तूबर तक) के वर्षों के दौरान मंजूर किए गए विदेशी सहयोगों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	मंजूर किए गए विदेशी सहयोग प्रस्तावों की संख्या
1986	957
1987	853
1988	926
1989	605
1990	666
1991 (अक्तूबर तक)	500

(ख) और (ग) विदेशी सहयोग अनुमोदनों संबंधी विवरण जैसे भारतीय कंपनियों के नाम, विदेशी सहयोगकर्ताओं के नाम, विनिर्माण की मद तथा सहयोग का प्रकार, भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा अपने मंथली न्यूज लैटर के परिशिष्ट के रूप में मासिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं। तथापि, पिछले 3 वर्षों के दौरान मंजूर किए गए विदेशी सहयोग अनुमोदनों के उद्योगवार ब्यौरे का एक विवरण संलग्न है।

(घ) जिन इकाइयों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है उनके संबंध में तथा उनके उत्पादन की विद्यमान मात्रा के संबंध में सूचना केन्द्र सरकार द्वारा इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

(ङ) उच्च प्राथमिकता उद्योगों (अनुबंध-III) के विषय में तथा अनुबंध-III में आने वाले उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति, औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में उल्लिखित है जिसे 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में रखा गया था।

विवरण

वर्ष 1988 से 1990 के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी सहयोग मामलों के उद्योगवार विवरण की सूची

क्र० सं०	राज्य का नाम	1988	1989	1990
1	2	3	4	5
1.	धातुकर्मक उद्योग	27	30	26
2.	इंधन	6	1	3
3.	बायलर्स और भाव जनित्र संयंत्र	2	11	7
4.	प्राइम मुवर्स (वैद्युत उपकरणों के अलावा)		2	2
5.	वैद्युत उपकरण	183	99	88
6.	दूर संचार	23	37	69
7.	परिवहन	38	30	22
8.	औद्योगिक मशीनरी	141	59	75
9.	मशीनरी औजार	21	9	24
10.	कृषि संबंधी मशीनरी	3	3	—
11.	अर्थ मूविंग मशीनरी	4		—
12.	विविध मकै० तथा इंजी० उद्योग	68	26	88
13.	वाणिज्यिक कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	10	18	7

1	2	3	4	5
14.	चिकित्सा तथा सर्जीकल उपकरण	18	6	5
15.	औद्योगिक उपकरण	43	35	38
16.	वैज्ञानिक उपकरण	3	5	—
17.	गणितीय सर्वेक्षण एवं ड्राइंग उपकरण	2	2	—
18.	उर्वरक	2	4	—
19.	रसायन (उर्वरक के अलावा)	96	66	66
20.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म और कागज	2	—	—
21.	रंगाई का सामान	1	—	—
22.	औषध एवं भेषज	10	12	2
23.	वस्त्र (रंगीन, छपे अथवा अन्यथा प्रसाधित सहित)	8	6	10
24.	कागज एवं लुगदी कागज उत्पादों सहित	7	7	7
25.	चीनी	1	—	—
26.	फर्मेन्टेशन उद्योग	—	—	—
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	11	15	7
28.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	2	5	—
29.	साबुन, कान्तिवर्धक एवं टायलेट प्रेपरेशन	3	1	2
30.	रबड़ का सामान	11	34	10
31.	चमड़ा, चमड़े का सामान एवं परिस्कारक	8	10	7
32.	सरेस तथा जिलैटिन	—	—	—
33.	कांच	24	18	4
34.	सरेमिक	20	18	8
35.	सीमेंट तथा जिपसम उत्पाद	5	3	6
36.	इमारती लकड़ी के उत्पाद	1	2	—
37.	रक्षा उद्योग	—	—	—
38.	सिगरेट	—	—	—

1	2	3	4	5
39.	परामर्श	39	20	10
40.	विविध उद्योग	97	41	73
	योग	926	605	666

कारों का निर्माण

1046. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989, 1990 और 30 सितम्बर, 1991 तक माह-वार कितनी एम्बेसडर कारों (पेट्रोल और डीजल) प्रीमियर 118-एम० ई० कारों, स्टैंडर्ड कारों, मारुती कारों और जिप्सी (जीपों) तथा महेन्द्रा जीपों (पेट्रोल और डीजल) का निर्माण किया गया;

(ख) प्रत्येक एकक की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और उसकी कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन कारों और वाहनों को चार महानगरों और विभिन्न राज्यों को किस मूल्य पर बेचा गया; और

(घ) सन् 2000 तक पैसेन्जर कारों/जीपों की अनुमानित मांग कितनी है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कारों और जीपों का उत्पादन इस प्रकार रहा :—

(उत्पादन नगों में)

वर्ष	एम्बेसेडर	प्रीमियर 118 एन० ई०	मारुति	महिन्द्रा जीप	स्टैंडर्ड
1989	25859	7203	151061	33359	कुछ नहीं
1990	22445	7987	116400	32779	कुछ नहीं
1991 (अगस्त तक)	12332	7282	87886	13783	कुछ नहीं

(ख) निर्माण की अधिष्ठापित क्षमता और एककों की क्षमता उपयोगिता का प्रतिशत इस प्रकार है :—

	अधिष्ठापित क्षमता	उपयोगिता का प्रतिशत
1. मै० हिंदुस्तान मोटर्स० लि०	30,000	74.8 प्रतिशत
2. मै० प्रीमियर ऑटोमोबील्स लि०	30,000	97.7 प्रतिशत
3. मै० मारूति उद्योग लि०	1,30,000	101.4 प्रतिशत
4. मै० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि०	27,000	73.8 प्रतिशत
5. मै० स्टैंडर्ड मोटर्स	3,500	कुछ नहीं

(ग) क्योंकि कारों/जीपों के मूल्यों और वितरण पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है इसलिए बेचे गये वाहनों की संख्या और विक्रय मूल्य के संबंध में सूचना नहीं रखी जा रही है।

(घ) सन 2000 तक पैसेंजर कारों/जीपों की अनुमानित मांग इस प्रकार है :—

1. कार	—	4,50,000 नग
2. जीप	—	1,20,000 नग

औषधों और फार्मूलेशनों के लिए गए अनुचित लाभ की वसूली

1047. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार बनाम साइनायाइड (इंडिया) लि० के मामले में भारत सरकार को औषध निर्माताओं से प्राप्त सभी पुनरीक्षा सम्बन्धी आवेदन पत्रों को निपटाने और औषध तथा फार्मूलेशनों पर लिए गए अनुचित लाभ की वसूली करने के निर्देश दिए थे;

(ख) इस निर्देश का पालन करने तथा औषध मूल्य समकरण लेखा में अपनी राशि जमा करने वाले औषध निर्माताओं का ब्यौरा क्या है और इस प्रकार किन-किन तारीखों को कितनी-कितनी राशि जमा हुई;

(ग) निर्णय के अनुसार 30 सितम्बर, 1991 तक विभिन्न कंपनियों पर संचित ब्याज सहित कितनी राशि देय है;

(घ) इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) आवश्यक वस्तु अधिनियम के दांडिक उपबंधों को लागू न करने और औषध निर्माताओं द्वारा इस राशि का भुगतान न किए जाने, जैसा उच्चतम न्यायालय को बताया गया है, के क्या कारण हैं; और

(च) क्या औषध कंपनी अभी भी औषधों के उंचे मूल्य ले रही है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) आकलित की गई देयताओं और अब तक प्राप्त राशियों के कंपनीवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

(घ) और (ङ) ओके भेषज कंपनियों को कहा गया था कि सम्पूर्ण देयता का भुगतान करें अन्यथा सरकार भुगतान न करने की तारीख से ब्याज सहित भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशियां वसूलने के लिए कार्रवाई करने को बाध्य होगी। कंपनियों ने अभी अपनी देयता का भुगतान नहीं किया है। किंतु उनमें से कुछ ने समादेश याचिका दायर की है और स्थगन आदेश प्राप्त किये हैं। उसमें से कुछ ने व्यक्तिगत सुनवाई की भी मांग की है और उनकी सुनवाई की जा रही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के दंडात्मक उपबंधों को लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(च) डी० पी० सी० ओ०, 1987 के उपबंधों के अंतर्गत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कीमतों पर अपने उत्पादनों को बेचना कंपनियों के लिए आवश्यक है।

विवरण

उच्चतम न्यायालय मामले वाली कंपनियाँ

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	कंपनी का नाम (शामिल औषधि)	अवधि	विशेष समिति द्वारा निर्धारण	संशोधित निर्धारण	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	**मे० सिनामिड इंडिया लि०**				
	डिमिथाइल क्लोरो टेट्रा साइकलीन और फार्मूलेशन्स	दिसम्बर 83 तक	389.06	490.47	100.00
2.	**मे० हेक्सन इंडिया लि०**				
	बरालगन प्रोटोक्लोराइड, फिनिरमारस पी० एम० टी०	दिसम्बर 83 तक	485.10 अनु०	2491.05 5289.75	312.10
	हाइड्रोक्लोराइड	1984-87		7780.80	
3.	**मे० मोहन दूबेडा क्योफरी मेनर्स**				
	बेन्जोएट एम्पीसिलिन और फार्मूलेशन्स	दिसम्बर 83 तक	28.27 133.46 161.83	28.37 177.67 206.94	45.00
4.	**मे० मेरिन्ड**				
	डेक्सामैथाजोन और फार्मूलेशन्स	दि० 83 तक 1984-86	138.79 अनु०	781.58 1506.96 2288.54	शून्य
5.	**मे० फाइदर**				
	आक्सी टेट्रासाइकलीन और फार्मूलेशन्स	दिस० 83	40.21	87.61	19.90
6.	**और**				
7.	**मे० फेंको इंडिया और मे० प्रोफेम**				
	फिनोसी मिथाइल पेनिसिलिन गोलियां	दिस० 83 तक	11.02	14.02	0.43
8.	**मे० तमिलनाडु दाधा**				
	कैलसियम गोलियां	दिस० 83 तक	15.59	37.97	शून्य

1	2	3	4	5	6
9.	अनिल स्टार्च				
	डेक्सट्रोज एमटाइड्रस	दिस० 83 तक	11.61	11.61	शून्य
10.	मे० एस० बी० फार्मा०				
	आक्सीफिलाइलबुटाजोन	दिस० 83 तक	114.30	205.36	शून्य
11.	मे० इथानोर	दिस० 83 तक	8.15	10.19	10.79
	योग			11132.61	4०7.62

गैर उच्चतम न्यायालय मामले

कंपनी का नाम	अवधि	अस्थायी रूप से निर्धारित राशि (रु० लाखों में)	प्राप्त राशि (रु० लाखों में)
1	2	3	4
1. बायोकेम फार्मास्युटिकल्स	3/79 से 3/84	34.28	—
2. लिका लेब्स	4/79 से 3/84	57.57	5.70
3. आस्ट्रा आई० डी० एल० लि०	82-83 से 5/84	24.11	2.41
4. माइक्रो लेब्स	79-80 से 82-83	2.24	—
5. थेमिस केमिकल्स लि०	82-83 से 83-84	36.31	8.60
6. एलम्बिक केमि० लेब्स	81-82 से 83-84	38.73	3.80
7. बम्बई ड्रग्स हाउस	80-81 से 83-84	1.73	—
8. फारमड प्रा० लि०	79-80 से 83-84	66.01	—
9. डोलफिन लेब्स	1979 से 1983	18.11	—
10. एलबर्ट डेविड लि०	11/81 से 9/83	3.91	3.91
11. फार्मा एण्ड केमि० इण्ड०	80-81 से 82-83	87.99	—
12. केडिला लेब्स प्रा० लि०	79-80 से 83-84	76.52	7.50
13. साराभाई केमिकल्स	82-83 से 83-84	4.14	2.00
14. लूपिन लेब्स लि०	4/79 से 6/84	36.23	3.63
15. रैनबेक्सी लेब्स लि०	4/79 से 6/84	36.23	3.63

1	2	3	4
16. वेलेको फार्मास्युटिकल्स	4/82 से 2/84	2.82	0.29
17. इथीको ड्रग्स एण्ड केमि० फार्मा० कंपनी	5/82 से 3/84	140.98	—
18. मे० इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मा लि०	12/80 से 1/86	2.18	—
19. मे० हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०	81/82 से 83-84	36.66	—
		886.41	50.84
डिपाइरीडामोल			
1. जर्मन रिमेडीज	4/79 से 7/84	59.95	59.95
जेंटामाइसिन			
1. फुलफोर्ड आई० लि०	79-80 से 3/84	194.62	50.00
2. बायोकेम फार्मा० लि०	79-80 से 3/84	33 88	—
3. लाइका लेब्स लि०	7/79 से 3/84	53.03	10.00
		299.00	61.75
सालबूटामोल			
1. मे० खण्डेलवाल लि०	79-80 से 81-82	0.15	—
2. मे० बिडिल स्वेयर प्रा० लि०	4/79 से 3/83	142.74	—
		142.89	—
क्लोफाजामीन			
मे० एस० जी० फार्मास्युटिकल्स	4/79 से 3/84	5.01	—
एम्पीसिलिन एण्ड एमोक्सीलिन			
मे० बायोकेम फार्मा० लि०	79/80 से 83-84	11.80	—
आक्सीफिनाइलबुटाजोन			
1. मे० टेबलेट्स इंडिया लि०	79/80 से 83/84	9.49	—
मेट्रानिडाजोल			
1. मे० बूट्स कंपनी लि०	79/80 से अगस्त 87	62.17	47.92
2. मे० स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मा० लि०	79-80 से 83-84	7.82	—
3. मे० के० एस० डी० पी० एल०	79-80 से 83-84	5.50	—
4. मे० खण्डेलवाल लेब्स	79-80 से 3/84	1.34	—
5. मे० आई० डी० पी० एल०	79-80 से 3/84	20 33	—
		97.16	47.92

1	2	3	4
ट्राइमेथाप्रिम			
मे० जर्मन रिमेडीज	2/82 से 5/86	8.25	8.25
	उपयोग	1519.96	228.71
अन्य मामले			
1. मे० ग्लेक्सो इंडिया लि० (अगस्त 1987 तक)	बेटामेथासोन और साल्ट	7178.18	819.00
2. मे० बुरोज वेलकम (79-80 से फरवरी 84)	सल्फामेथोक्साजोल	441.27	—
3. मे० लिक्सा लेब्स (79-80 से फर० 87)	फ्लूसिनोलोन एसिटोनाइड	678.73	—
4. मे० साराभाई एम० केमिकल्स	(एम० आई० एस० सी०)	20.00	20.00
5. मे० वारनर हिन्दूस्तान लि० (अब पार्क डेविस)	(आइसाकोन)	106.36	55.49
6. मे० बाहरिंगर नोल लि०	(ड्यूग्लूकोन)	97.74	—
7. मे० आई० डी० पी० एल०	(इम्पोरटेड बल्क ड्रग)	336.45	—
8. मे० ए० पी० केमिकल्स	(पेरासिटामोल)	25.43	—
9. मे० मालादी ड्रग्स	(इफीड्रीन)	116.30	—
10. मे० आई० डी० पी० एल०	(सल्फाडीमीडीन)	37.30	—
11. मे० करूणा ट्रेडर्स	(रिफाम्पीसिन)	20.48	—
12. मे० सेण्डोज इंडिया लि०	(मल्टीविटामिन्स)	74.68	—
13. मे० फाइजर इंडिया लि०	(मल्टीविटामिन्स)	122.00	—
14. मे० लुपिन लेब्स	(रिफाम्पीसिन)	3.72	—
15. मे० लुपिन लेब्स	(इथम्बुटोल)	17.31	—
16. मे० केरयूज	(कोम्बीफ्लेम)	710.24	—
	उपयोग	9986.19	894.49
	योग	11506.15	1123.20

दक्षिण दिल्ली में अवैध निर्माण

[हिन्दी]

1048. **श्री राजवीर सिंह :**
श्री बलराज पासी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 सितम्बर, 1991 के समाचार पत्र "नवभारत टाइम्स" में "हुडको के अवैध निर्माण को जायज करार देने की कोशिशें" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण दिल्ली में हुडको के अवैध निर्माण को वैध ठहराया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पौड़ी-गढ़वाल को खाद्यान्नों की आपूर्ति

[अनुवाद]

1049. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिले को भेजे गए खाद्यान्नों की अपर्याप्त मात्रा की, किस्म और मात्रा दोनों दृष्टि से, जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन दोनों जिलों में उपभोक्ता संरक्षण फोरम नहीं है जहां लोग जा सकें अथवा अपनी शिकायतों के समाधन हेतु शिकायत कर सकें;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में गढ़वाल मंडल, जिसमें पौड़ी गढ़वाल तथा चमोली जिले शामिल हैं, की आपूर्ति करने वाले भारतीय खाद्य निगम के डिपो में खाद्यान्न के पर्याप्त भंडार हैं । भारतीय निगम से स्टाक उठाने के बाद जिले में वितरण का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकार को सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्न, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुरूप होते हैं । राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्न की गुणता पर नियत्रण तथा नजर रखती है ।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पौड़ी गढ़वाल तथा चमोली जिलों सहित अपने सभी जिलों में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच (जिला मंच) स्थापित किए हैं ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० का बन्द होना

[हिन्दी]

1050. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची के निकट हटिया स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन कारखाना भारी मशीनों का निर्माण करता है;

(ख) क्या मशीनों के क्रयादेश के अभाव में उद्योग बन्द होने की स्थिति में पहुंच गया है; और

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव सरकारी क्षेत्र के एककों में प्रयुक्त होने वाले भारी मशीनों के सभी क्रयादेश इस फैक्टरी को देने का है ताकि इसे बन्द होने से बचाया जा सके ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । इस समय कंपनी की क्रयादेश स्थिति संतोषजनक है ।

(ग) इस्पात/कोयला/खनन तथा "कोर सैक्टर" के अन्य उद्योगों से और क्रयादेश प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं ।

केन्द्रीय भण्डार द्वारा चलाई जा रही उचित दर दुकानें

[अनुवाद]

1051. **श्री जीवन शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार, उचित दर दुकानों का सही और प्रभावी ढंग से संचालन कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार, खाद्य तथा आपूर्ति विभाग, दिल्ली प्रशासन तथा केन्द्रीय भण्डार को इस मामले में कितनी शिकायतें मिलीं तथा उन पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या सितम्बर, 1991 के महीने में बड़ी संख्या में कार्डधारकों को गेहूं का कोटा नहीं दिया गया;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान केन्द्रीय भण्डार की उचित दर दुकानों को प्राप्त सप्लाई का ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्रीय भण्डार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने/नवीकरण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनका कार्यकरण संतोषजनक है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन/केन्द्रीय भंडार को सात शिकायतें प्राप्त हुई हैं । सभी शिकायतों की जांच की गई और जहां आवश्यक हुआ उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ।

(घ) और (ङ दिल्ली प्रशासन के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई है। हम केन्द्रीय भंडार द्वारा चलाई जा रही 34 उचित दर की दुकानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं की सप्लाई का ब्यौरा निम्नवत है :--

(मात्रा कि० ग्रा०)

माह 1991	खाद्य कार्डों के अनुसार कुल आवश्यकता	सप्लाई की गई मात्रा	इतिशेष
अगस्त	4060	3454	1113
सितंबर	4715	3110	721
अक्तूबर	5435	3500	1161

इस प्रकार दुकानों में गेहूं की पर्याप्त मात्रा थी। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि किसी कार्डधारी से उसे उसका गेहूं का कोटा न दिए जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(च) राशन की वस्तुओं की आपूर्ति की परिवीक्षा को मजबूत किया गया है।

आई० बी० एम० ग्रुप का कार्य

1052. **श्री चित्त बसु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० बी० एम० को टाटा ग्रुप के साथ भारत में पुन: व्यापार करने की स्वीकृति दे दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) सरकार ने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज, नेटवर्क उत्पादों और रखरखाव सेवाओं सहित कंप्यूटर प्रणालियों के विनिर्माण, विपणन और निर्यात हेतु मैसर्स आई० बी० एम० वर्ल्ड ट्रेड कार्पोरेशन, यू० एस० ए० के वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग से भारत में एक संयुक्त उपक्रम की स्थापना करने के वास्ते मैसर्स टाटा इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई को मंजूरी दे दी है।

रांची में विश्व बैंक की सहायता से पानी सप्लाई की योजना

[हिन्दी]

1053. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची (बिहार) में विश्व बैंक की सहायता अथवा अन्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी की सहायता से पानी सप्लाई की कोई योजना चलायी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना की लागत कितनी है और यह किस वर्ष तक पूरी हो जाएगी;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत कार्य में कोई विलंब हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश को आवश्यक वस्तुओं का आबंटन

[अनुवाद]

1054. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को जून, 1991 से अब तक आवश्यक वस्तुओं और खाद्य तेलों की कितनी मात्रा में सप्लाई की गई; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित मात्रा की तुलना में यह मात्रा कितनी है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जून, 91 से नवम्बर, 91 के दौरान तथा गत तीन वर्षों में तदनुरूपी अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आबंटन और उनकी उठाई गई मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित करने हेतु उत्तर प्रदेश को किया गया गेहूं, चावल, मिट्टी के तेल, चीनी और आयातित खाद्य तेल का माहवार आवंटन और उठाई गई मात्रा

(मी० टन में)

	गेहूं		चावल		मिट्टी का तेल		आयातित खाद्य तेल		चीनी	साफ्ट कोक
	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	आवंटन
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जून, 88	50000	15600	40000	28700	70611	64930	4000	1820	52926	20,000
जुलाई, 88	50000	29600	40000	37400	75133	68990	4000	1820	52926	20,000
अगस्त, 88	50000	35500	40000	34300	75133	69140	4000	2290	52926	20,000
सितम्बर, 88	50000	43600	40000	29200	75133	69460	4000	450	52926	20,000
अक्तूबर, 88	50000	38900	40000	16100	69285	69510	4000	1360	60894	20,000
नवम्बर, 88	50000	45500	40000	26600	70910	72050	2500	420	60894	20,000
जून, 1989	60000	35600	32000	31600	67710	67910	100	शून्य	52926	20,000
जुलाई, 89	60000	36600	32000	26600	72455	72880	200	50	52926	20,000
अगस्त, 89	60000	38800	32000	33700	74424	73270	200	50	52926	20,000
सितम्बर, 89	60000	50000	32000	30700	73724	76230	700	30	52926	20,000
अक्तूबर, 89	60000	35900	32000	17500	77724	78080	1000	32	68862	20 000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नवम्बर, 89	75000	40400	45000	19900	90790	90290	1000	56	52926	20,000
जून, 1990	50000	9200	35000	26600	72040	71090	2000	180	52926	20,000
जुलाई, 90	50000	9200	24000	24000	76441	76790	2100	680	52926	20,000
अगस्त, 90	50000	14300	35000	21500	76441	76000	2100	810	52926	20,000
सितंबर, 90	50000	12000	35000	13900	77441	77260	2100	270	60894	20,000
अक्तूबर, 90	50000	25600	31000	9200	76441	75570	2100	1100	60894	20,000
नवम्बर, 90	50000	27200	29000	11900	78588	77180	2000	1320	52926	20,000
जून, 1991	50000	28800	27500	27900	72040	72109	शून्य	306	52926	20,000
जुलाई, 91	50000	98300	30000	34700	76441	उ० न०	शून्य	357	52926	20,000
अगस्त, 91	50000	41100	35000	30900	76441	उ० न०	शून्य	61	52926	20,000
सितम्बर, 91	50000	46300	35000	31800	76441	उ० न०	शून्य	शून्य	58218	20,000
अक्तूबर, 91	55000	उ० न०	35000	उ० न०	76441	उ० न०	1500	उ० न०	63540	20,000
नवम्बर, 91	57500	उ० न०	37500	उ० न०	77880	उ० न०	1500	उ० न०	63540	20,000

चीनी और सॉफ्ट कोक की शत-प्रतिशत मात्रा उठा ली जाती है।

उ० न० = उपलब्ध नहीं।

सरकारी आवास का आवंटन

1055. श्री मदन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास आवंटन हेतु आवेदन पत्र में इलाके/मंजिल जिसमें एक सरकारी कर्मचारी आवास आवंटित करना चाहता है, को वरीयता देने का कोई प्रावधान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में आवेदन पत्रों में प्रावधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या ऐसे सरकारी कर्मचारियों, जिनके वेतन में आवंटन वर्षों के दौरान वृद्धि होती है और इस कारण से बड़े आवास का अधिकारी हो जाता है, के आवेदन पत्रों पर गौर नहीं किया जाता; और

(ङ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं तथा इन अनुरोधों को मानने हेतु क्या कार्यवाही की गई है जैसा कि तबादले आदि पर आये कर्मचारियों के मामले में किया जाता है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी, नहीं। यदि इस प्रकार का विकल्प दिया गया तो प्रत्येक इलाके में टाइप विशेष के आवास के लिए आवेदकों की अधिमानता पर निर्भर करते हुए प्राथमिकता की अलग-अलग तारीख होंगी और मानव द्वारा इस प्रकार के आवंटन को मानीटर करना संभव नहीं होगा। वांछित इलाके अथवा मंजिल अथवा किसी इलाका विशेष में आवंठन चाहने के लिए आवेदनों पर विचार करते हुए, अधिमानता को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) और (ङ) आवास के आबंटन के लिए किसी कर्मचारी की पात्रता आवंटन वर्ष के लिए निर्धारित, किसी निर्णायक तारीख को, उसके द्वारा लिए जा रहे वेतन के आधार पर तय की जाती है। आवंटन वर्ष के दौरान वेतन वृद्धि के अनुसार यदि आवेदनों को स्वीकार किया गया हो तब किसी ऐसे विशेष प्रकार के लिए/भीतर सरकारी कर्मचारियों को प्रासंगिक वरीयता तय करना संभव नहीं होगा, जिसे किसी निश्चित तारीख के संदर्भ में गिनना होता है।

स्थानांतरण पर आने वाले कर्मचारियों के आवेदन पर भी पात्रता तय करने के प्रयोजन के लिए, किसी निर्णायक निश्चित तारीख को उनके द्वारा लिए जा रहे वेतन के आधार पर, विचार किया जाता है।

सरकारी फ्लैटों का निर्माण

1056. श्री मदन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा अन्य शहरों में सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय फ्लैटों के निर्माण की दर में गत वर्षों में कमी रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकारी कर्मचारियों को आवंटन हेतु फ्लैटों के निर्माण की दर में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) दिल्ली तथा अन्य शहरों में 1991 के दौरान टाईप-वार/श्रेणी-वार कितने फ्लैटों का

निर्माण किया गया तथा इसकी तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान टाईप-वार/श्रेणी-वार कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया; और

(घ) आवासीय फ्लैटों के आवंटन के लिए प्रतीक्षारत सरकारी कर्मचारियों की संख्या क्या है तथा वे कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान बनाये गये साधारण पूल क्वार्टरों की संख्या तीन पूर्ववर्ती वर्षों में प्रत्येक के दौरान पूर्ण किये गये ऐसे क्वार्टरों की तुलना में कुछ ही कम है ।

(ख) संसाधन बाधाओं के कारण निर्माण की गति में वृद्धि करना सम्भव नहीं हुआ ।

(ग) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिये गये हैं । वर्ष 1990-91 के दौरान, पिछले तीन वित्तीय वर्षों की तुलना में कम संख्या में क्वार्टरों का निर्माण किया गया है ।

(घ) दिल्ली में 1-1-90 अर्थात् आबंटन वर्ष 1990-91 के प्रारम्भ से रिहायशी वास के आबंटनार्थ प्रतीक्षारत सरकारी कर्मचारियों की संख्या विवरण-2 में दी गई है ।

विवरण-1

पिछले तीन वर्षों और वर्ष 1990-91 के दौरान दिल्ली तथा अन्य नगरों में टाईप-वार निर्मित फ्लैटों की संख्या—टाईप-वार ब्योरा

क्र० सं०	वर्ष	पूर्ण किये गये क्वार्टरों की संख्या	नगर	ए	बी	सी	I	II	III	IV	V	V (विशेष)	होस्टल	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	1990-91	1108	बंगलौर					64	70	42	8			184
			मद्रास					54	102					156
			कोचिन				32	48		24	4			108
			कलकत्ता				288	112	88					488
			नागपुर					72	80					152
			शिलांग							4				4
			इम्फाल					16						16
							320	366	340	70	12			1108
3.	1989-90	1681	दिल्ली		184			90	300					574
			कानपुर				121	145	54	30	4			354
			इलाहाबाद								3			3
			हैदराबाद									32		32
			बंगलौर									30		30
			शिलांग							4				4
			कोहिमा						40					40
			बम्बई				90	210	60			40		400
			इन्दौर				42	84		6				132
			नागपुर				56			32	24			112
			कलकत्ता											
					184		309	529	454	72	31	102		1681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	1988-89	1419	दिल्ली	28	56	116	—	6	114	128	24		184	656
			चंडीगढ़				45	68	52					165
			शिमला				16	16						32
			मद्रास				48	120	112				30	310
			हैदराबाद					32						32
			लखनऊ				56	56	80	32				224
				28	56	116	165	298	358	160	24		214	1419
1.	1987-88	1577	कलकत्ता						336					3336
			अगरतल्ला	28	12	16								56
			शिलांग				4	8	4	4				16
			कोहिमा	8	18									24
			इम्फाल	4	16	16								36
			मद्रास							54	48	32	50	184
			हैदराबाद						64	32	36			132
			दिल्ली/	68	131	69		187			18		18	793
			नई दिल्ली	30	136	136								
				138	311	237	4	195	404	86	102	32	68	1577

विवरण-2

दिल्ली में 1-1-90 से आवंटन के लिये प्रतीक्षारत सरकारी कर्मचारियों की संख्या

टाइप	लम्बित आवेदनों की संख्या
I	3642
II	9422
III	8092
IV	1306
V-ए	316
V-बी	180
VI-ए	131
योग	23089
होस्टल वास	1840
सकल योग	24929

टिप्पणी : उपर्युक्त संख्याएं सम्पदा निदेशालय द्वारा 1-1-90 से 31-12-91 तक के आवंटन वर्ष के लिये आमंत्रित किये गये आवेदनों की सीमित संख्या पर आधारित है।

राज्यों में खाद्य तेलों की कमी

1057. श्री मदन लाल खुराना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों के खाद्य तेलों की कमी की जानकारी है जो कि उन्हें आवंटित खाद्य तेलों की सम्पूर्ण मात्रा को न उठाये जाने के कारण हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को माह-वार, राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार खाद्य तेलों की कितनी-कितनी मात्रा दी गई और पिछले तीन वर्षों की तुलना में इसकी क्या स्थिति है;

(घ) सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1991 के लिये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी चीनी आवंटित की गई और पिछले तीन वर्षों की तुलना में इसी स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या यह मात्रा त्योहारों में लोगों की जरूरत पूरा करने के लिये पर्याप्त है?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) खाद्य तेलों की कमी मुख्यतया मांग व आपूर्ति के बीच अन्तर होने के कारण होती है। कभी-कभार राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन विभिन्न अड़चनों के कारण आवंटित

खाद्य तेलों के आवंटित अपने कोटे को नहीं उठा पाते हैं। तेल वर्ष 1990-9 1 (अर्थात नवम्बर, 90-अक्तूबर, 91) और तेल वर्ष 1989-90 व 1988-89 के लिए खाद्य तेल का महीनावार, राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटन तथा उसकी उठाई गई मात्रा संलग्न विवरण-1, विवरण-2 और विवरण-3 पर दी गई है। जबकि तेल वर्ष 1990-91 में पूरी मात्र उठा ली गई, पूर्ववर्ती दो तेल वर्षों (नवम्बर-अक्तूबर) में यह मात्रा क्रमशः लगभग 76 प्रतिशत व 80 प्रतिशत रही हैं।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सितम्बर, अक्तूबर तथा नवम्बर, 1991 के लिए तथा पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात 1988, 1989 व 1990 के दौरान की तदनुरूपी अवधि के लिए आवंटन इस प्रकार है :

(आंकड़े हजार मी॰ टन में)

	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर
1988	331.9	381.9	381.9
1989	331.9	431.9	331.9
1990	383.0	383.0	333.1
1991	374.2	399.4	383.3

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आवंटन, जिसमें त्योहार कोटा शामिल है, अनुपूरक स्वरूप के होते हैं तथा वह किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की समूची मांग को पूरा करने के लिए नहीं होते हैं।

विवरण-1

1990-91 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेलों का राज्यवार आबंटन तथा उनकी उठाई गई मात्रा

(आंकड़े मी० टन में)

क्र० सं०	राज्य	नवम्बर, 90		दिसम्बर, 90		जनवरी, 91	
		आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4000	4884	—	815	—	508
2.	अरूणाचल प्रदेश	50	8	—	28	—	—
3.	असम	2 0	120	—	74	—	—
4.	बिहार	1000	1000	—	400	—	596
5	गोवा	1000	408	—	284	—	11
6.	गुजरात	7000	11390	—	500	—	—
7.	हरियाणा	6600	594	—	661	—	238
8.	हिमाचल प्रदेश	800	524	—	573	—	682
9.	जम्मू व कश्मीर	400	449	—	308	—	251
10.	कर्नाटक	4000	4172	—	458	—	415
11.	केरल	4000	4005	—	1097	—	8
12.	मध्य प्रदेश	4000	2750	—	1861	—	1502
13.	महाराष्ट्र	10000	10021	—	1718	—	278
14.	मणिपुर	200	240	—	200	—	40

1 2	3	4	5	6	7	8
15. मेघालय	200	237	—	176	—	—
16. मिजोरम	300	198	—	—	—	—
17. नागालैंड	600	183	—	205	—	—
18. उड़ीसा	3000	2034	—	1509	—	250
19. पंजाब	1000	710	—	813	—	252
20. राजस्थान	1500	797	—	648	—	80
21. सिक्किम	100	90	—	30	—	—
22. तमिलनाडु	4000	4422	—	904	—	1450
23. त्रिपुरा	200	1264	—	100	—	—
24. उत्तर प्रदेश	2000	1321	—	703	—	8
25. पश्चिम बंगाल	5000	7748	—	4020	—	1001
26. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	200	—	—	—	—	—
27. चंडीगढ़	100	99	—	181	—	54
28. दादरा व नगर हवेली	60	100	—	—	—	—
29. दिल्ली	2000	1192	—	1600	—	493
30. दमन	50	50	—	—	—	10
31. दीव	40	60	—	—	—	—
32. लक्षद्वीप	30	30	—	—	—	—
33. पांडिचेरी	550	746	—	50	—	50
योग	58180	61846	—	19916	—	8177

क्र० सं०	राज्य	फरवरी, 91 आ०	फरवरी, 91 उ०	मार्च, 91 आ०	मार्च, 91 उ०	अप्रैल, 91 आ०	अप्रैल, 91 उ०
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1200	115	1700	1107	—	1201
2.	अरुणाचल प्रदेश	50	7	50	15	—	24
3.	असम	200	—	200	193	—	—
4.	बिहार	1000	—	1500	895	—	406
5.	गोवा	500	335	500	448	—	217
6.	गुजरात	3600	2564	3600	1627	—	1421
7.	हरियाणा	700	316	600	187	—	304
8.	हिमाचल प्रदेश	800	384	800	546	150	209
9.	जम्मू व कश्मीर	400	69	600	340	—	193
10.	कर्नाटक	1600	1182	2100	1954	—	222
11.	केरल	1200	420	1700	2188	—	298
12.	मध्य प्रदेश	2000	—	2500	742	—	692
13.	महाराष्ट्र	5000	2211	5000	5920	—	1773
14.	मणिपुर	200	—	200	20	—	200
15.	मेघालय	200	149	200	54	—	200
16.	मिजोरम	300	100	300	192	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	नागालैंड	400	400	400	200	400	244
18.	उड़ीसा	1200	184	1500	1000	—	1335
19.	पंजाब	700	301	700	650	—	420
20.	राजस्थान	870	620	870	115	—	260
21.	सिक्किम	150	—	150	201	—	101
22.	तमिलनाडु	1200	1008	1700	1627	400	374
23.	त्रिपुरा	300	—	200	200	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	2000	293	2000	1436	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	3000	216	3000	2883	—	2079
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	200	200	200	—	200	200
27.	चंडीगढ़	100	43	100	18	—	54
28.	दादर व नगर हवेली	60	50	60	70	—	—
29.	दिल्ली	1500	791	1500	885	—	906
30.	दमन	50	50	50	50	—	—
31.	दीव	40	20	40	34	—	16
32.	लक्षद्वीप	30	30	30	20	75	10
33.	पांडिचेरी	100	100	100	100	—	—
	योग	30750	12158	34150	25914	1225	14339

क्र० सं०	राज्य	मई, 91 आ०	मई, 91 उ०	जून, 91 आ०	जून, 91 उ०	जुलाई, 91 आ०	जुलाई, 91 उ०	अगस्त, 91 आ०	अगस्त, 91 उ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	285	860	160	100	560	—	240
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	—	30	—	—	—	135	150	35
4.	बिहार	—	365	—	—	—	—	—	—
5.	गोवा	—	—	200	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	—	—	—	359	—	636	100	—
7.	हरियाणा	—	171	—	95	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	263	500	63	—	—	—	210
9.	जम्मू और कश्मीर	—	213	—	100	300	—	—	205
10.	कर्नाटक	—	—	560	194	—	359	—	—
11.	केरल	—	16	560	300	—	234	100	—
12.	मध्य प्रदेश	—	1214	—	20	—	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	—	7	600	600	—	1112	—	65
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	100	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	200	—	—	185
16.	मिजोरम	—	21	200	—	400	200	—	—
17.	नागालैंड	400	20	200	220	—	300	—	—

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. उड़ीसा	—	39	220	—	—	—	—	134
19. पंजाब	—	166	—	46	—	—	—	—
20. राजस्थान	—	70	—	75	—	—	—	193
21. सिक्किम	100	—	—	—	—	—	—	—
22. तमिलनाडु	—	352	275	—	—	275	—	—
23. त्रिपुरा	—	188	—	—	—	—	—	—
24. उत्तर प्रदेश	—	102	—	306	—	357	—	61
25 पश्चिम बंगाल	600	282	—	194	—	78	—	—
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	200	—	—	—	—	—	—
27. चंडीगढ़	—	35	—	—	—	—	—	—
28. दादर और नागर हवेली	—	—	—	—	60	—	—	15
29. दिल्ली	—	161	500	164	—	289	—	694
30 दमन	—	—	50	—	—	35	—	—
31. दीव	—	—	40	—	—	40	—	—
32. लक्षद्वीप	—	55	75	—	—	—	—	—
33. पांडिचेरी	100	—	100	100	—	100	—	—
योग	1200	4256	4940	2996	1060	4710	450	2037

क्र० सं०	राज्य	सितम्बर, 91		अक्तूबर, , 91		योग	
		आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	1500	—	9360	9875
2	अरुणाचल प्रदेश	—	—	50	—	200	82
3.	असम	—	13	200	—	950	600
4.	बिहार	—	—	1500	—	5000	3662
5.	गोवा	—	—	300	—	2599	1703
6.	गुजरात	—	300	1500	—	15800	18797
7.	हरियाणा	—	—	600	—	2500	2566
8.	हिमाचल प्रदेश	—	255	500	—	3550	3709
9.	जम्मू व कश्मीर	75	95	500	75	2275	2298
10.	कर्नाटक	—	—	1200	244	9460	9206
11.	केरल	—	—	1000	—	8560	8566
12.	मध्य प्रदेश	—	—	1200	—	9700	9761
13.	महाराष्ट्र	—	—	2000	—	22600	23705
14.	मणिपुर	—	—	200	—	900	700
15.	मेघालय	—	—	200	—	1000	998
16.	मिजोरम	—	—	200	—	1700	711
17.	नागालैंड	—	8	200	—	2600	1780

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	उड़ीसा	—	—	1000	—	9620	6485
19.	पंजाब	—	—	700	—	3100	3358
20.	राजस्थान	—	40	700	—	3940	2898
21.	सिक्किम	—	—	150	—	650	422
22.	तमिलनाडु	—	—	1500	2311	9075	12724
23.	त्रिपुरा	—	—	200	—	800	1752
24.	उत्तर प्रदेश	—	—	1500	—	7500	4587
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	1500	—	13100	18501
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	100	—	900	600
27.	चंडीगढ़	—	—	100	—	400	484
28.	दादर व नगर हवेली	—	—	50	—	290	235
29.	दिल्ली	—	149	1500	—	7000	7324
30.	दमन	—	—	50	—	250	195
31.	दीव	—	—	50	—	210	170
32.	लक्षद्वीप	—	—	25	—	265	165
33.	पांडिचेरी	—	—	200	150	1150	1396
	योग	75	860	22175	2780	154205	160009

आ० = आबंटन

उ० = उठाई गई मात्रा

विवरण-2

तेल वर्ष : 1989-90

वर्ष 1989-90 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेलों का राज्यवार विस्तृत आवंटन और उठाई गई मात्रा

(आंकड़े मी० टनों में)

राज्य	नवम्बर, 89		दिसम्बर, 89		जनवरी, 90	
	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	950	1418	950	1086	1000	935
2. अरुणाचल प्रदेश	70	—	20	13	20	10
3. असम	150	20	50	—	100	—
4. बिहार	600	654	100	—	300	300
5. गोआ	350	555	500	332	300	446
6. गुजरात	2500	3251	1500	1199	1600	3099
7. हरियाणा	250	90	250	108	300	22
8. हिमाचल प्रदेश	800	952	400	503	500	106
9. दीव	900	319	400	416	400	55
10. कर्नाटक	3000	3270	2500	2496	2500	2648
11. केरल	2500	3003	3000	2500	2500	2770
12. मध्य प्रदेश	4000	3550	2000	1464	2000	1299

1	2	3	4	5	6	7
13. महाराष्ट्र	12000	14330	6500	7122	6600	8025
14. मणिपुर	300	290	120	250	130	200
15. मेघालय	150	—	100	40	100	94
16. मिजोरम	200	262	100	8	100	60
17. नागालैंड	500	330	300	125	300	370
18. उड़ीसा	800	850	600	673	600	500
19. पंजाब	2[illegible]0	160	200	70	200	59
20. राजस्थान	400	48	100	40	200	—
21. सिक्किम	100	35	100	60	100	30
22. तमिलनाडु	1250	2006	1250	1057	1250	1302
23. त्रिपुरा	100	100	100	8	100	100
24. उत्तर प्रदेश	1000	559	500	202	500	446
25. पश्चिम बंगाल	5000	5158	2200	2965	3300	2113
26. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	200	200	200	100	200	—
27. चंडीगढ़	60	—	60	36	60	18
28. दादरा व नगर हवेली	40	50	40	57	40	47
29. दिल्ली	2750	1045	1000	1120	1000	568
30. दमण व दीव	100	120	100	40	100	50

1	2	3	4	5	6	7
31. लक्षद्वीप	50	39	50	48	50	50
32. पांडिचेरी	550	622	400	651	450	478
योग	42870	43325	26000	24963	27000	26207

(आंकड़े मी० टन में)

राज्य	फरवरी, 90		मार्च, 90		अप्रैल, 90		मई, 90	
	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आंध्र प्रदेश	1000	840	1500	1457	1660	1630	3560	2479
2. अरुणाचल प्रदेश	20	10	50	—	50	—	50	—
3. असम	100	80	100	—	100	—	200	—
4. बिहार	300	300	600	261	600	500	1000	530
5. गोवा	300	510	500	468	500	424	600	443
6. गुजरात	1600	64	2600	3268	4600	4938	6330	6223
7. हरियाणा	300	342	500	20	550	405	600	579
8. हिमाचल प्रदेश	300	990	600	464	700	472	800	349
9. दीव	400	100	600	245	600	149	700	474
10. कर्नाटक	2500	2016	3000	3246	3000	3383	2950	4155
11. केरल	2300	816	3000	2058	3000	2569	3500	4475

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. मध्य प्रदेश	2000	1757	2000	1044	2000	1484	2000	1165
13. महाराष्ट्र	8000	9115	9000	9776	11000	8423	12000	6949
14. मणिपुर	100	—	100	80	100	—	200	—
15. मेघालय	100	80	100	—	100	—	200	14
16. मिज़ोरम	150	100	300	—	300	—	300	96
17. नागालैंड	200	30	200	—	200	—	300	90
18. उड़ीसा	600	500	650	459	750	—	2000	594
19. पंजाब	100	88	200	96	200	46	300	80
20. राजस्थान	100	—	200	84	300	55	350	184
21. सिक्किम	100	45	100	—	100	—	100	—
22. तमिलनाडु	1600	1274	2200	2038	2250	1680	3500	3595
23. त्रिपुरा	50	—	100	—	100	—	200	—
24. उत्तर प्रदेश	500	204	1000	121	1000	177	1150	157
25. पश्चिम बंगाल	3300	1453	4000	1270	4000	988	4500	2893
26. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	200	50	200	—	200	100	200	50
27. चंडीगढ़	50	18	50	17	50	36	50	18
28. दादरा व नगर हवेली	40	50	60	60	50	50	60	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. दिल्ली	1000	831	1000	805	1000	783	1000	933
30. दमन व दीव	90	108	90	95	90	20	90	100
31. लक्षद्वीप	40	—	150	39	—	29	—	—
32. पांडिचेरी	450	339	500	479	550	406	550	657
योग	3490	22030	35200	27870	40600	28748	50500	39338

(आंकड़े मी० टनों में)

राज्य	जून, 90		जुलाई, 90		अगस्त, 90	
	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	5000	3258	6500	4639	8000	6279
2. अरुणाचल प्रदेश	50	—	150	4	150	—
3. असम	200	46	300	—	400	—
4. बिहार	1000	—	1000	1734	1500	645
5. गोवा	600	371	650	327	800	76
6. गुजरात	8000	5437	9500	7500	12500	7000
7. हरियाणा	600	583	800	689	1000	889
8. हिमाचल प्रदेश	800	295	1000	531	1200	404
9. दीव	700	448	700	242	700	469

1	2	3	4	5	6	7
10. कर्नाटक	4500	3416	5000	3637	6500	6290
11. केरल	3200	3262	2500	2999	5000	4516
12. मध्य प्रदेश	4000	1448	4000	1058	5000	1457
13. महाराष्ट्र	13000	10129	14500	10878	16500	16013
14. मणिपुर	200	100	300	—	400	160
15. मेघालय	200	166	200	200	300	196
16. मिजोरम	300	—	300	24	400	138
17. नागालैंड	300	650	300	190	4000	300
18. उड़ीसा	3000	1688	3000	1700	3000	1037
19. पंजाब	300	76	400	130	600	254
20. राजस्थान	350	240	750	345	1750	430
21. सिक्किम	100	—	150	89	200	—
22. तमिलनाडु	5000	5449	6000	5600	7300	5595
23. त्रिपुरा	200	—	300	75	350	—
24. उत्तर प्रदेश	2000	181	2100	678	2100	806
25. पश्चिम बंगाल	5000	2206	6000	1769	10000	2852
26. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	200	150	200	200	250	—

1	2	3	4	5	6	7
27. चंडीगढ़	50	36	50	54	50	63
28. दादरा व नगर हवेली	60	30	60	70	80	70
29. दिल्ली	1250	1060	1600	1032	2600	1302
30. दमन व दीव	90	90	140	110	180	120
31. लक्षदीप	—	—	—	29	—	—
32. पांडिचेरी	550	552	550	507	750	478
योग	61100	42368	70000	47060	98000	58837

(आंकड़े मी० टन में)

	सितम्बर, 90		अक्तूबर, 90		योग	
	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	8000	7437	6000	9305	46860	37740
2. अरुणाचल प्रदेश	150	—	150	16	930	33
3. असम	400	—	400	178	2500	324
4. बिहार	1500	1110	2000	644	10700	6882
5. गोआ	800	561	900	712	7200	6470
6. गुजरात	2500	10815	14000	13727	78450	66442
7. हरियाणा	1000	329	1200	1181	7350	523
8. हिमाचल प्रदेश	1200	470	1200	1188	9700	6665

1	2	3	4	5	6	7
9. दीव	700	499	700	88	7500	3504
10. कर्नाटक	6500	4818	7000	5319	49950	44695
11. केरल	5000	3065	6000	4543	43000	36674
12. मध्य प्रदेश	5000	2500	6000	3792	40000	22018
13. महाराष्ट्र	16500	16377	16500	16531	142000	135678
14. मणिपुर	400	88	400	174	2760	1342
15. मेघालय	300	60	300	477	2150	1321
16. मिजोरम	400	110	400	145	3250	943
17. नागालैंड	400	177	400	674	3800	2936
18. उड़ीसा	4000	2200	4000	3634	23000	13835
19. पंजाब	600	222	600	447	3950	1725
20. राजस्थान	1900	479	2600	657	9000	2562
21. सिक्किम	200	25	100	220	1450	504
22. तमिलनाडु	8000	10888	10000	4922	49800	45407
23. त्रिपुरा	350	97	350	198	2300	578
24. उत्तर प्रदेश	2100	270	2100	1102	16050	4913
25. पश्चिम बंगाल	10000	4564	10000	6790	67400	35021
26. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	250	—	250	250	2550	1100

1	2	3	4	6	6	7
27. चंडीगढ़	90	27	100	54	760	377
28. दादरा व नगर हवेली	80	110	80	75	700	709
29. दिल्ली	2700	2116	3200	2081	19900	13701
30. दमण व दीव	180	180	180	105	1430	1138
31. लक्षद्वीप	50	50	30	30	420	314
32. पांडिचेरी	750	706	750	838	6850	6713
योग	92000	70350	99890	77097	663050	507195

विवरण-3

आवश्यक वस्तुओं का राज्यवार विस्तृत आवंटन व उठाई गई मात्रा (आवंटन के प्रति उठाई गई मात्रा के प्रतिशत के साथ)

तेल वर्ष 1988-89

(आंकड़े मी० टन में)

राज्य/संघ राज्य	नवम्बर		दिसम्बर		जनवरी	
	आ०	उ०	आ०	उ०	अ०	उ०
1	2	3	4	5	6	7
असम	350	30	100	20	100	0
आंध्र प्रदेश	8000	4795	2800	2656	2800	4748
अरुणाचल प्रदेश	50	0	20	0	20	22
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	140	39	56	100	56	56
बिहार	400	600	160	106	160	280

1	2	3	4	5	6	7
चंडीगढ़	150	50	60	50	60	60
दिल्ली	4250	1402	1700	2232	1700	2364
दादर व नगर हवेली	80	35	32	81	32	10
गुजरात	13000	1043	4550	5648	2550	5371
गोवा	600	472	600	547	400	505
हरियाणा	1000	271	400	159	400	87
हिमाचल प्रदेश	1000	906	400	777	500	840
जम्मू व कश्मीर	900	296	360	872	760	493
कर्नाटक	5000	1259	1750	2881	1750	1216
केरल	5000	6456	3500	6803	3500	808
लक्षद्वीप	50	0	20	40	20	20
मध्य प्रदेश	4000	2525	1600	1757	1600	685
महाराष्ट्र	15500	9797	6400	10415	8400	11492
मिजोरम	500	0	350	203	305	774
मणिपुर	500	310	200	480	200	0
मेघालय	350	267	140	308	140	34
नागालैंड	450	100	315	190	315	355
उड़ीसा	1300	820	520	800	520	400
पंजाब	1000	190	400	222	400	173

1	2	3	4	5	6	7
पांडिचेरी	540	92	500	539	350	438
राजस्थान	1000	30	400	200	400	174
सिक्किम	200	0	80	45	80	15
तमिलनाडु	9000	3687	6300	12915	6300	4959
त्रिपुरा	350	130	140	0	140	0
उत्तर प्रदेश	2500	416	1000	288	1000	232
पश्चिम बंगाल	9000	4230	3600	7624	5600	4412
दमन व दीव	70	40	70	5	70	55
योग	86230	40270	38523	58963	40673	41078

राज्य/संघ राज्य	फरवरी,		मार्च		अप्रैल		मई	
	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	100	70	100	7	100	0	100	20
आन्ध्र प्रदेश	2800	2184	2200	1145	1000	1436	1000	1339
अरुणाचल प्रदेश	20	0	20	6	20	0	20	7
अंडमान तथा निकोबार	70	0	70	0	70	70	70	70
बिहार	400	272	500	169	300	400	300	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	60	50	60	40	60	20	60	40
दिल्ली	1200	657	1200	930	700	650	500	25[illegible]
दादर तथा नगर हवेली	40	34	40	48	40	30	40	40
गुजरात	1000	3844	1000	0	0	0	1500	0
गोवा	500	429	400	504	200	388	200	370
हरियाणा	200	43	200	35	50	15	50	38
हिमाचल प्रदेश	600	440	600	263	450	173	250	166
जम्मू और कश्मीर	960	315	960	179	700	0	500	524
कर्नाटक	1750	788	1250	1545	600	1347	600	1553
केरल	3700	6495	2900	418	2000	1001	2000	2235
लक्षद्वीप	30	20	30	30	150	50	0	0
मध्य प्रदेश	1600	986	1600	581	1600	797	1600	821
महाराष्ट्र	8400	6526	5650	5013	5650	7038	7150	5315
मिजोरम	350	65	350	136	350	73	350	399
मणिपुर	200	240	200	220	200	150	200	220
मेघालय	140	0	140	55	140	306	140	150
नागालैंड	325	410	325	325	325	230	325	285
उड़ीसा	520	292	520	0	400	1102	400	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	300	133	300	16	0	0	0	16
पांडिचेरी	450	322	450	269	250	447	250	262
राजस्थान	300	20	300	105	0	0	0	33
सिक्किम	80	30	80	0	80	50	80	45
तमिलनाडु	3600	3993	3600	3394	1000	3143	1000	1651
त्रिपुरा	100	0	100	20	100	0	100	10
उत्तर प्रदेश	800	372	100	315	0	0	0	49
पश्चिम बंगाल	7600	4776	7600	5582	7600	3075	5600	4139
दमन व दीव	70	40	20	60	20	40	20	20
योग	38265	33846	32865	21410	24155	22031	24405	20272

	जून		जुलाई		अगस्त		सितम्बर	
	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	100	8	100	0	100	0	200	8
आंध्र प्रदेश	1000	1194	1000	879	800	268	1000	620
अरुणाचल प्रदेश	20	0	120	0	120	0	50	0
अंडमान तथा निकोबार	70	0	140	0	200	0	200	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिहार	300	0	300	0	300	0	1000	100
चंडीगढ़	60	20	60	0	60	21	60	0
दिल्ली	500	414	1200	580	2000	205	2500	984
दादरा तथा नगर हवेली	40	50	40	8	40	17	40	58
गुजरात	1500	1820	1500	1176	4100	1007	3000	4091
गोवा	200	186	300	34	550	100	350	363
हरियाणा	50	10	100	0	100	64	400	151
हिमाचल प्रदेश	250	118	300	536	500	641	1200	282
जम्मू तथा कश्मीर	500	104	600	396	800	380	800	492
कर्नाटक	600	129	800	346	2000	21	2500	2025
केरल	2000	1818	2200	2108	3000	304	2500	3124
लक्षद्वीप	0	20	0	0	0	0	50	30
मध्य प्रदेश	1600	627	1600	585	1600	229	2000	681
महाराष्ट्र	7150	6100	10000	906	10000	2366	10000	9706
मिजोरम	200	289	200	0	200	0	200	87
मणिपुर	200	26	200	184	200	0	200	0
मेघालय	140	0	140	0	140	0	140	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
नागालैंड	325	248	325	250	325	100	325	303
उड़ीसा	400	0	400	0	400	803	500	130
पंजाब	0	0	300	26	300	0	200	0
पांडिचेरी	350	387	500	198	500	0	500	518
राजस्थान	0	0	300	0	300	0	300	0
सिक्किम	80	0	80	0	100	110	100	40
तमिलनाडु	1000	2284	1500	687	1250	0	1250	3325
त्रिपुरा	100	0	100	0	100	0	100	0
उत्तर प्रदेश	100	0	200	50	200	50	700	25
पश्चिम बंगाल	4100	2638	4100	11297	4500	2283	5200	2175
दमन व दीव	20	10	80	8	100	49	100	80
योग	22955	18500	28785	20254	34885	9018	37665	29590

	अक्तूबर		योग			
	आ०	उ०	कुल आवंटन	देश के आवंटन में आवंटन का प्रतिशत	कुल आवंटन	राज्य के आवंटन के प्रति बढ़ाई गई मात्रा का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
असम	200	0	1650	0.37	155	9.[illegible]9

1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1000	1563	25400	5.67	22827	89.87
अरुणाचल प्रदेश	50	0	530	0.12	35	6.60
अंडमान तथा निकोबार	200	0	1342	0.30	535	39.87
बिहार	300	0	4420	0.99	2127	48.12
चंडीगढ़	60	60	810	0.18	411	50.74
दिल्ली	2000	1330	19450	4.34	12003	61.71
दादरा तथा नगर हवेली	40	60	504	0.11	471	93.45
गुजरात	3000	4404	36700	8.20	28404	77.40
गोवा	350	482	4650	1.04	4380	94.19
हरियाणा	250	161	3200	0.71	1034	32.31
हिमाचल प्रदेश	800	668	6850	1.53	5810	84.82
जम्मू तथा कश्मीर	900	400	8740	1.95	4451	50.93
कर्नाटक	2500	2570	21100	4.71	15680	74.41
केरल	2500	2081	34800	7.77	33661	96.70
लक्षद्वीप	50	30	400	0.09	240	60.00
मध्य प्रदेश	3000	1642	23400	5.23	11916	50.92
महाराष्ट्र	10000	17098	104300	23.30	91754	87.97
मिजोरम	200	49	3600	0.80	2075	57.64

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर	300	493	2800	0.63	2323	82.96
मेघालय	150	122	1900	0.42	1242	65.37
नागालैंड	500	460	4180	0.93	3256	77.89
उड़ीसा	600	575	6480	1.45	4922	75.96
पंजाब	200	248	3400	0.76	1024	30.12
पांडिचेरी	500	610	5140	1.15	4082	79.42
राजस्थान	300	0	3600	8.80	562	15.61
सिक्किम	100	130	1140	0.25	465	40.79
तमिलनाडु	1500	1228	37300	8.33	41266	110.63
त्रिपुरा	100	100	1530	0.34	260	16.99
उत्तर प्रदेश	1000	319	7600	1.70	2116	27.84
पश्चिम बंगाल	5500	5969	70000	15.64	58200	83.14
दमन व दीव	100	80	740	0.17	487	65.81
योग	38250	42932	447656	100.00	358164	80.01

भवनों की नींवें धंस जाना

1058. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मिट्टी की जांच करने के उपकरण पर्याप्त संख्या में नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नई दिल्ली में वसंत कुंज में भवनों की नींव धंस जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) नींव धंसने की इस क्रिया को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास दिल्ली में मिट्टी की जांच करने के लिए पर्याप्त संख्या में मिट्टी के जांच उपस्कर उपलब्ध है। तथापि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास मिट्टी के जांच करने के उपस्कर मौजूद नहीं हैं। मिट्टी जांच करने का कार्य एक विशिष्ट प्रकृति का होने के कारण, मिट्टी की जांच करने वाले उपस्करों से पूर्णत: युक्त तथा मिट्टी आदि के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए मिट्टी जांच प्रयोगशाला से सुसज्जित विशेषज्ञ एजेंसियों को सौंपा जाता है।

(ग) बसंत कुंज के पाकिट 4 सेक्टर सी में भी मानक मिट्टी की जांच कराई गई थी जहां दो ब्लाकों के नीचे मिट्टी का अवतलन हो गया था। तथापि, मिट्टी के इन परीक्षाओं से किसी प्रकार का खोखलापन/जमीन के अन्दर सुरंग के होने का पता नहीं चला है। इस पाकिट में अवतलन का कारण जमीन के अन्दर गहराई में खोखलापन प्रतीत होता है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की से बसंत कुंज के पाकिट 4 सेक्टर सी० में जमीन के अन्दर खोखलापन, शिथिल स्तर/सुरंग का पता लगाने के लिए भू-वैज्ञानिक राडार सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया है। केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा किए गए अन्वेषण कार्य के परिणाम दिसंबर, 91 तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है। अन्वेषण की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर प्रभावित ब्लाकों की नींव सहित ढांचों को मजबूत बनाने का काम प्रारंभ किया जाएगा। यदि अन्वेषण से जोन के अन्य मकानों में भी इसी प्रकार की कमजोर शिथिल स्थल/सुरंग/खोखलापन होने का पता चलता है तो उन पर प्रभावी सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे। सुदृढ़ करने के ये उपाय इस क्षेत्र में विशेषज्ञों तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के परामर्श से किए जाएंगे।

कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी का उन्नयन

1059. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने के संबंध में कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कम्प्यूटर व्यवसायिकों को कोई अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) सरकार कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाने की दृष्टि से उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) पुणे, राष्ट्रीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र, बम्बई और इलेक्ट्रोनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, त्रिवेन्द्रम में अनुसंधान तथा विकास कार्य की सुविधाएं प्रदान कर रही है। ये केन्द्र इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थाएं हैं तथा कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाने के लिए मूलत: समानान्तर अभिकलन, प्रतिबिंब संसाधन और साफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्य में जुटे हुए हैं। सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की आंशिक सहायता से ज्ञान पर आधारित कम्प्यूटर प्रणाली तथा कंप्यूटर नेटवर्किंग मे शिक्षण अनुसंधान के विकास के कार्यक्रम भी आरंभ किए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए कुछ औद्योगिक समस्याओं का समाधान करने के लिए संस्थान की मूल संरचनात्मक सुविधाएं तैयार करना, वैज्ञानिक जन शक्ति को प्रशिक्षित करना और अनुसंधान तथा विकास के कार्य आरम्भ करना है।

इसके अलावा, सरकार ने निम्नलिखित उपाय भी किए हैं :—

(i) नई औद्योगिक नीति के अनुसार, भारत में विनिर्माणकारी सुविधाएं स्थापित करने के उद्देश्य से बड़ी कंपनियों, जिनमें वे विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं जिनके पास ऐसी दुर्लभ प्रौद्योगिकी उपलब्ध है जो अन्यत्र सहज रूप से उपलब्ध नहीं है, को प्रोत्साहित करने के लिए स्वत: अनुमति प्रदान करने की योजना के अंतर्गत 51 प्रतिशत तक की विदेशी साम्या पूंजी की अनुमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार, बड़ी इकाइयों तथा विदेशी कंपनियों को लघु क्षेत्र की इकाइयों मे 24 प्रतिशत तक साम्या पूंजी की सहभागिता करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(ii) निर्यात-आयात प्रमाण-पत्रों (एक्जिम स्क्रिप) का प्रयोग करते हुए डिजाइन तथा ड्राइंग का उदारतापूर्वक आयात करने की अनुमति प्रदान की गई है।

(iii) कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाने की दृष्टि मे भारतीय कंपनियों की सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी तकनीशियनों/विशेषज्ञों को आमंत्रित करने की कार्यविधियों मे छूट दी गई है। इकाइयां विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सीधे ही अनुरोध कर सकती हैं।

(iv) इकाइयों का विस्तार बड़े पैमाने पर करने तथा अपने उत्पादों को एक ही लाइसेंस के अंतर्गत लाने के लिए उन्हें और अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा किए गए उदारीकृत नीति विषयक उपायों का व्यापक रूप से प्रचार एवं प्रसार किया गया है तथा मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात के कार्यालय, उद्योग मंत्रालय और रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इस संबंध में प्रेस नोट भी जारी किए हैं।

उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना हेतु सुझाव

1060. **श्री आर्ज फर्नान्डीज** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना हेतु सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उनके द्वारा लोक दायित्व निर्वहन सुनिश्चित करने के

लिए जन उपयोगिता आयोग की अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया के अध्ययन हेतु एक कार्यकारी दल की स्थापना के बारे में भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) जी, हां, केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की 10वीं बैठक में एक उपभोक्ता कल्याण निधि बनाने तथा जनता को जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता आयोग के अर्धन्यायिक तंत्र का अध्ययन करने के लिए एक कार्यकारी दल गठित करने हेतु दो संकल्प पारित किए गए थे। कार्यकारी दल गठित किया जा चुका है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय उत्पादन व सीमा-शुल्क कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 का 40) पारित किया है, जिसमें एक उपभोक्ता कल्याण निधि बनाने का प्रावधान किया गया है। इस निधि का उपयोग सरकार इस संबंध में बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए करेगी।

लघु उद्योगों के लिए नियत सीमा में वृद्धि

1061. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात से लघु उद्योगों के लिए नियत सीमा में 35 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये अथवा इससे अधिक कर देने के संबंध में कोई प्रस्ताव, अभ्यावेदन/मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) लघु औद्योगिक एककों के लिए निवेश सीमा 35 लाख रु० से बढ़ा कर लघु, सहायक और निर्यातकर्ता लघु इकाइयों के लिए क्रमश: 60 लाख रुपये/75 लाख रुपए/75 लाख रुपये कर दी गयी है, देखें तारीख 2-4-91 की गजट अधिसूचना। 2 अप्रैल, 1991 को निवेश सीमा बढ़ाने से पूर्व गुजरात के निम्नलिखित चार संगठनों से निवेश सीमा में वृद्धि करने के सुझाव प्राप्त हुए थे :—

1. गुजरात चैम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अहमदाबाद।
2. दि सदर्न गुजरात चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सूरत।
3. फेडरेशन आफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, बड़ोदरा।
4. गुजरात डाइस्टफ मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन, अहमदाबाद।

नई औद्योगिक नीति का मूल्यांकन

1062. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद औद्योगिक विकास का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद कितने नए उद्योग स्थापित किए गए;

(घ) नए उद्योग में आज तक कितनी धनराशि का निवेश किया गया है; और

(ङ) इन नए उद्योगों से नए रोजगार के कितने अवसर पैदा हुए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ङ). 24 जुलाई, 1991 को नयी औद्योगिक नीति पैकेज की घोषणा के बाद औद्योगिक एकक, जिनके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लगाने के लिए औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में अक्तूबर, 1991 के अंत तक कुल 2077 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दर्ज किए गए हैं। इसी अवधि के दौरान 194 विदेशी तकनॉलाजी करारों का अनुमोदन किया गया है। सामान्यतया, औद्योगिक क्षेत्र में किसी निवेश के उपयोग से पहले लगभग तीन वर्ष की जरूरत होती है। इसलिए, नयी औद्योगिक नीति के फलस्वरूप स्थापित इकाइयों और सृजित रोजगार के आंकड़े बताना अभी संभव नहीं है।

पश्चिम बंगाल के स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान राशि

1063. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले में उन स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कल्याण कार्यों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुदान राशि अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त की है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान, वर्षवार, इनमें से प्रत्येक ने कितनी धनराशि प्राप्त की है;

(ग) इनमें से कौन-कौन से संगठन नियमित रूप से अपने लेखे एवं रिपोर्टें प्रस्तुत कर रहे हैं; और

(घ) उन्होंने अपने उद्देश्य में कितनी सफलता प्राप्त की है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता उपलब्ध कराने का कार्य लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) को सौंपा गया है। संगठनों तथा उन्हें दी गई सहायता के बारे में सूचना निम्नानुसार है :—

वर्ष	जिन स्वयंसेवी संगठनों को सहायता उपलब्ध कराई गई, उनकी संख्या	उपलब्ध कराई गई सहायता की राशि (लाख रुपये में)
1988-89	8	19.33
1989-90	23	53.53
1990-91	9	30.74

(ग) कापार्ट यह सुनिश्चित करता है कि संगठनों द्वारा लेखे-जोखे तथा प्रगति रिपोर्टें बराबर

भेजी जा रही हैं। चूंकि कुछ संगठन दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं, इसलिए उन्हें अपने खातों की लेखा परीक्षा कराने में समय लग जाता है। अतः कुछ विलंब हुआ है। यहां तक कि खाते और प्रगति रिपोर्टें न भेजने के मामले में जांचकर्ताओं के पैनल में से बाहर के जांचकर्ता को नियुक्त करके अथवा कापार्ट के अधिकारी को तैनात करके परियोजना स्थल पर ही परियोजनाओं तथा निधियों के इस्तेमाल की निगरानी की जाती है।

(घ) पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के स्वयंसेवी संगठन कुल मिलाकर कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में काफी सफल रहे हैं तथा निगरानी रिपोर्टों, प्रगति रिपोर्टों तथा खातों के आधार पर कोई गंभीर अनियमिततायें नहीं पाई गई हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु मानदण्ड

[हिन्दी]

1064. **श्री गोविन्द राव निकम** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना हेतु क्या मानदंड अपनाए हैं; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्यवार किन स्थानों पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जायेंगे ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 24 जुलाई, 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार बीयर और पेय एल्कोहल उद्योगों और उद्योग के स्थान से संबंधित पैरामीटरों को पूरा न करने वाली परियोजनाओं अथवा लघु सेक्टर/सार्वजनिक सेक्टर द्वारा तैयार किये जाने वाले प्रस्तावित आरक्षित पदार्थों को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। अतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार इसके लिए उक्त विभाग में एक ज्ञापन भरना होता है। औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय द्वारा जारी प्रेस नोट संख्या 10 के अनुबंध ० में सम्मिलित उद्योगों में पूंजी निवेश के लिए विदेशी सहयोग समझौते की स्वतः स्वीकृति भी दी जाती है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को तैयार करने में विशिष्ट स्थानों का चयन नहीं किया गया है। विभिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत सहायता के लिए राज्य सरकारों को स्थान विशिष्ट परियोजनायें तैयार करनी हैं।

महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

[अनुवाद]

1065. **श्री प्रकाश वो० पाटील** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र में नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए 26 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस और/या विदेशी सहयोग अनुमोदन की आवश्यकता वाले उद्योगों के आवेदन-पत्रों की जांच की जा रही है और अन्य आवेदकों को नीति के अधीन सरलीकृत प्रक्रिया के अनुसार कारंवाई करनी है। अंगूरों की एकीकृत फसलोत्तर व्यवस्था परियोजना के संबंध में केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता के लिए महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

महाराष्ट्र को पामोलीन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का विशेष कोटा

1066. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गणेश उत्सव के लिए महाराष्ट्र को पामोलीन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का विशेष कोटा आबंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) स्थिति निम्नवत है :—

खाद्यान्न : गणेश त्यौहार के लिए खाद्यान्नों का कोई विशेष आबंटन नहीं किया गया है।

लेवी चीनी : अगस्त, 1991 के दौरान 5014 मी० टन मात्रा तथा अक्तूबर, 1991 के आबंटन के साथ 4000 मी० टन मात्रा का आबंटन त्यौहार कोटा के रूप में महाराष्ट्र को निर्मुक्त किया गया है।

पामोलीन : अप्रैल, 1991 से सितम्बर, 1991 तक की अवधि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, जिसमें महाराष्ट्र शामिल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेल का नियमित आबंटन नहीं किया गया है, क्योंकि खाद्य तेलों का आयात नहीं किया गया था। इसे मद्देनजर रखते हुए गणेश त्यौहार के लिए खाद्य तेल का कोई विशेष आबंटन करना संभव नहीं था।

माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०, दुर्गापुर में मजदूरों की छटनी

1067. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दुर्गापुर में माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड के 1700 मजदूरों की छंटनी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की फैक्टरी की स्थिति में सुधार लाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं ;

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) कम्पनी की वित्तीय स्थिति काफी समय तक चिंताजनक रही है जिससे कंपनी का कार्य संचालन प्रभावित हुआ है । वर्तमान वित्तीय संकट को दूर करने के लिए सरकार योजना और योजनेत्तर ऋण उपलब्ध कराने बैंकों के साथ नगद जमा सीमा बढ़ाने के लिए गारंटी देने और साथ ही अंतर निगमीय ऋण उपलब्ध कराने में सहायता इत्यादि प्रदान करने का कार्य कर रही है ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

1068. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से मई, 1991 तक के महीनों के अंतिम सप्ताह में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक क्या थे; और

(ख) जून, 1991 से नवम्बर, 1991 तक प्रत्येक सप्ताह का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक क्या थे ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) थोक मूल्य सूचकांक प्रत्येक सप्ताह के लिए उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा संकलित किया जाता है । औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है, साप्ताहिक आधार पर नहीं । जनवरी, 91 से सितंबर, 91 (नवीनतम उपलब्ध) तक औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा जनवरी से मई, 1991 के लिए मासान्त थोक मूल्य सूचकांक और 1-6-1991 से 9-11-1991 (नवीनतम उपलब्ध) तक सप्ताहवार सूचकांक संलग्न विवरण पर दिया गया है ।

विवरण

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक मजदूरों के लिए) तथा थोक मूल्य सूचकांक

	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982 100)	थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1981-82=100)	
1	2	3	4
जनवरी, 1991	202	26-1-1991	190.6
फरवरी, 1991	202	23-2-1991	191.8
मार्च, 1991	201	30-3-1991	191.8
अप्रैल, 1991	202	27-4-1991	193.3
मई, 1991	204	25-5-1991	195.7
जून, 1991	209	1-6-1991	196.8
जुलाई, 1991	214	8-6-1991	197.6

1	2	3	4
अगस्त, 1991	217	15-6-1991	198.5
सितम्बर, 1991	221	22-6-1991	199.2
		29-6-1991	200.1
		6-7-1991	201.0
		13-7-1991	201.8
		20-7-1991	202.6
		27-7-1991	205.8
		3-8-1991	207.2
		10-8-1991	208.4
		17-8-1991	209.6
		24-8-1991	210.4
		31-8-1991	210.3
		7-9-1991	210.6
		14-9-1991	210.6
		21-9-1991	208.9
		28-9-1991	208.6
		5-10-1991	208.5
		12-10-1991	208.6
		19-10-1991	209.1
		26-10-1991	209.2
		2-11-1991	209.6
		9-11-1991	210.1

स्रोत : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : श्रम ब्यूरो, शिमला।

थोक मूल्य सूचकांक आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय।

नोट : (1) 14-9-1991 को समाप्त सप्ताह के बाद के थोक मूल्य सूचकांक अनन्तिम हैं।

(2) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केवल माहवार ही उपलब्ध हैं।

महाराष्ट्र में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

1069. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले कौन-कौन है;

(ख) क्या इस सूची में कुछ और जिलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में इन पिछड़े जिलों में से प्रत्येक जिले में कितने नए उद्योग स्थापित किए हैं;

(घ) इसमें से प्रत्येक यूनिट में कितना निवेश होने का अनुमान है; और

(ङ) कौन-कौन से उद्योगों में उत्पादन शुरू हो गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) महाराष्ट्र में केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े जिले निम्नलिखित हैं :—

औरंगाबाद, भंडारा, भीर, बुलडाणा, चन्द्रपुर, कोलाबा, धुलिया, जलगांव, नान्देड़, उस्मानाबाद, परभनी, रत्नागिरि, यवतमाल और गढ़चिरौली।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापनार्थ पिछले 3 वर्षों के दौरान दिये गये आशय पत्रों (आ० प०) और औद्योगिक लाइसेंसों (औ० ला०) की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1989	80	21
1990	58	24
1991 (अक्तूबर तक)	34	17

आमतौर पर आशय पत्र जारी होने के बाद दो से तीन साल तक औद्योगिक एकक उत्पादन आरंभ कर देते हैं। केन्द्र द्वारा लगाये गये नये उद्योगों और किये गये निवेश आदि की जानकारी नहीं रखी जाती।

तमिलनाडु को केन्द्रीय सहायता

1070. **श्री के० वी० तंगकाबालू** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु को चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान मद-वार दी गयी सहायता और अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने आबटित धनराशि को उन्हीं मदों पर खर्च किया है, जिनके लिए वह नियत की गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु को वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान मदवार आवंटित किये गए ऋण एवं अनुदानों के रूप में सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) उचित मदों पर खर्च की गई धनराशि के ब्यौरे केवल वित्तीय वर्ष 1991-92 के समाप्त होने के पश्चात ही उपलब्ध होंगे।

विवरण

(करोड़ रु० में)

शीर्ष	आवंटित धनराशि	अभी तक दी गई धनराशि
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता (शुद्ध)	431 25	298.20
(i) ऋण	301.875	208.90
(ii) अनुदान	129.375	89.30
2. बाह्य रूप से सहायक परियोजनाएं	195.00	142.30
(i) ऋण	136.50	99.61
(ii) अनुदान	58.50	42.69
3. केन्द्रीय करों में हिस्सा नौवें वित्त आयोग की सिफारिशें	1079.35	600.05
4. रेल यात्री किराया कर की बजाय अनुदार	10.34	6.02
5. योजना घाटा अनुदान	7.01	5.2575
6. लघु बचत ऋण	184.00	194.38*
7. विपत्ति राहत फंड (अनुदान)	29.25	29.25
8. पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत	7.18	
9. पहाड़ी क्षेत्र विकास के अन्तर्गत	11.09	**
जोड़	1954.47	1275.4575

*अगस्त, 1991 तक एकत्रित की गई धनराशि के आधार पर दी गई।

**धनराशि अभी दी जानी है।

एच० बी० जे० गैस पाइपलाइन

1071. श्री के० वी० तंगकाबालु : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक कम्पनियों द्वारा प्रयोग न किए जाने के क्या कारण एच० बी० जे० की गैस व्यर्थ जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं क्या इस घाटे के लिए उत्तरदायी उर्वरक कम्पनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तरह से अब तक कुल कितना घाटा हुआ है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी नहीं । चूंकि एच० बी० जे० पाइप लाइन से गुजरने वाली गैस असम्बद्ध है और जिसका जरूरत पड़ने पर उत्पादन किया जा सकता है अतः एच० बी० जे० पाइप लाइन पर उर्वरक कम्पनियों द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण कोई गैस व्यर्थ नहीं गयी है ।

(ख) और (ग) गैस का उपयोग न किये जाने से ओ० एन० जी० सी० और गैस प्राधिकरण द्वारा गैस के उत्पादन और परिवहन के लिए किए गए पूंजी निवेश पर निर्धारित लागत और लाभ प्राप्त नहीं होते । इस प्रकार गैस प्राधिकरण और ओ० एन० जी० सी० को राजस्व की अनुमानित हानि और उपयोग न की गयी गैस का सांकेतिक मूल्य प्रति उर्वरक संयंत्र 37 लाख रुपये प्रतिदिन है । गडेपन, बबराला और शाहजहांपुर में गैस पर आधारित उर्वरक परियोजनाओं का कार्यान्वियन करने वाली तीन कंपनियां क्रमश: मैसर्स चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल लि०, मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि० और मैसर्स कैमिकल्स विन्दल एग्रो कैमिकल्स लि० है । कार्यान्वियन में विलम्ब मुख्यत: गडेपन के मामले में पर्यावरण की दृष्टिकोण से मूल स्थान को स्वीकार न करना तथा बबराला परि-योजना के मामले में प्रवर्तकों की उत्पाद पद्धति को बदलने की इच्छा के कारण हुआ । शाहजहांपुर के मामले में जुलाई, 1989 में परियोजना कार्यान्वियन में पूर्व प्रवर्तक रुचि न लेने के कारण एक नये प्रवर्तक का चुनाव करना पड़ा ।

औद्योगिक उत्पादन

1072. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 के पहले तीन महीनों के दौरान औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार अप्रैल-जून, 1991 के दौरान विकास दर (—) 1.5 प्रतिशत थी । किंतु जुलाई, 1991 का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जुलाई, 1990 की तुलना में 0.6 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है ।

अप्रैल-जून, 1991 में कई कारणों से विकास दर में गिरावट आई । कुछ क्षेत्रों में यह गिरावट विदेशी मुद्रा संबंधी बाधाओं के परिणामस्वरूप विशेषकर आयातित कच्चे माल की कमी के कारण हुई । कुछ अन्य क्षेत्रों में विकास दर में कमी पिछले वर्षों में अत्यन्त उच्च विकास दर में बाद मांग में कमी के कारण कुछ हुई । कुछ क्षेत्रों में विकास दर में कमी भुगतान संतुलन विचारणाओं के कारण कुछ विशेष आयात प्रतिबन्ध लगाए जाने के फलस्वरूप हुई । कुछ अन्य क्षेत्र कुछ क्षेत्रों में बिजली और कोयले की कमी जैसी मूलभूत अड़चनों तथा कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याओं के कारण प्रभावित हुए ।

सरकार ने हाल ही में औद्योगिक नीति वक्तव्य जारी किया है जिसे 24 जुलाई, 1991

को लोक सभा में रखा गया था । नई नीति के मुख्य उद्देश्य यह होंगे :—पहले से प्राप्त लाभों का लाभों का फायदा उठाया जाए, उत्पन्न हो गई विकृतियों एवं कमजोरियों को दूर किया जाए, उत्पादकता तथा लाभकारी रोजगार में निरन्तर विकास बनाए रखा जाए और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में शामिल हुआ जाए । सभी उद्योग क्षेत्रों, चाहे वे लघु, मझौले अथवा बड़े हों और चाहें सरकारी, गैर-सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्र से संबंधित हों, को उनके पिछले कार्य- निष्पादन के आधार पर विकास करने एवं सुधार करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में ठेका प्रणाली का समाप्त किया जाना

[हिन्दी]

1073. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में ठेका प्रणाली समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और यदि नहीं तो कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) भेल कच्चे माल/पुर्जों की प्राप्ति, उपकरणों की आपूर्ति, उत्थापन और संस्थापना सेवा के लिए विभिन्न एजेन्सियों के साथ करार करता है । इसके अलावा, अस्थायी या विरामी प्रकार के कुछ काम कार्य-ठेका आधार पर दिए जाते हैं । चूंकि भेल को, अपने कार्य संचालन के लिए ऐसे करार अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं, अतः इन प्रणालियों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पेयजल समस्या के समाधान के लिए केरल की परियोजनाएं

[अनुवाद]

1074. **श्री टी० जे० अंजलोस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान पेयजल की समस्या के समाधान के लिए कितनी परियोजनाएं स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को भेजी गईं;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाएं स्वीकृत हो गई हैं और कितनी अभी लम्बित हैं; और

(ग) इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि का अनुदान दिया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) केरल सरकार ने अपनी पेयजल की समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार को अनुमोदन हेतु 1990-91 में 6 परियोजनाएं और 1991-92 के दौरान 12 परियोजनाएं भेजी हैं ।

(ख) 1990-91 के दौरान प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया था और 1991-92 के दौरान प्रस्तुत की गई परियोजनाएं स्वीकृति के लिए लंबित हैं ।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को केंद्रीय सहायता समय-समय पर स्वीकृत की गई योजनाओं के लिए उनके वार्षिक आवंटन के अनुसार दी जाती हैं। यह परियोजना-वार नहीं दी जाती है। 1990-91 और 1991-92 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत इन परियोजनाओं के लिए आवंटित और रिलीज की गई केन्द्रीय अनुदान की राशि निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आवंटन	रिलीज
1990-91	10.76	10.76
1991-92	11.91	5 96

केरल में अल्लेपी पत्तन के माध्यम से उर्वरकों का आयात

1076. **श्री टी० जे० अंजलोस** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अल्लेपी पत्तन के माध्यम से उर्वरकों को आयात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) अल्लेपी बन्दरगाह पर उर्वरक की खेपों का संचालन करने के लिए कुछ स्रोतों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस बन्दरगाह पर उर्वरकों के आयात की व्यवहार्यता की भी जांच की गयी थी। बन्दरगाह पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं इस समय उतराई की अपेक्षित दर पर उर्वरक माल के संचालन की अनुमति नहीं देती है।

केंद्रीय निवेश राजसहायता में वृद्धि

1077. **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्त वर्ष 1991-92 के लिए पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीरण के लिए केन्द्रीय निवेश राजसहायता लागू करने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना 1-10-1988 से समाप्त कर दी गई है।

लोगों के लिए घर

1078. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार की कौन-सी एजेंसियां लोगों को घर उपलब्ध कराने का कार्य कर रही हैं;

(ख) केन्द्र सरकार को विभिन्न योजनाओं में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितने परिवारों को घर एवं आवासीय ऋण दिए गए हैं;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आवासीय ऋण और आवास निर्माण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार का सभी लोगों के लिए घर उपलब्ध कराने की योजना बनाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) आवास की व्यवस्था राज्य का विषय है और राज्य तथा संघ शासित सरकारें राज्य योजना के प्रावधानों के माध्यम से अपनी प्राथमिकताओं तथा वित्तीय संसाधनों के अनुसार विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए आवास योजनाएं तैयार करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य स्तर का आवास एजेन्सियों के प्रयासों की सहायता करने के लिए, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय, केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं तथा हुडको, राष्ट्रीय आवास बैंक, जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, जैसे राष्ट्रीय स्तर के आवासीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम आदि जैसे आवासीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा समर्थित और निजी क्षेत्र के माध्यम से वित्तीय सहायता की व्यवस्था करते हैं।

(ख) 20 सूत्री कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं अथवा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन, मकानों के निर्माण के लिए प्रदान की गई सहायता इस प्रकार थी :—

योजना का नाम	यूनिट	उपलब्धि (लाखों में)
1. आवास स्थलों की व्यवस्था	परिवार	43.21
2. निर्माण सहायता	—वही—	22.55
3. इंदिरा आवास योजना	रिहायशी यूनिटें	6.59
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आवास योजना	—वही—	7.14
5. निम्न आय वर्ग की आवास योजना	—वही—	1.67

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवास पर सार्वजनिक क्षेत्र का कुल निवेश 2458 करोड़ रुपए था।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय आवास नीति के मसौदे में गृह विहीनता का उन्मूलन तथा रहने के अयोग्य सभी कच्चे मकानों का उन्नयन करने का लक्ष्य रखा गया है। आवास योजना के

ब्यौरे को आठवीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण

1080. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में श्रेणीवार कुल कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों ने कार्यालयों द्वारा आयोजित टाइप-राइटिंग और शार्टहैंड की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं;

(ग) इनमें से कितने व्यक्तियों के पास स्कूलों और आई० टी० आई० द्वारा जारी टाइप-राइटिंग और शार्टहैंड के प्रमाणपत्र हैं;

(घ) ये व्यक्ति कब से रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ङ) जिन व्यक्तियों ने रोजगार केन्द्रों की टाइपराइटिंग और शार्टहैंड परीक्षाए उत्तीर्ण कर ली हैं उन्हें खपाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) दिल्ली प्रशासन की सूचना के अनुसार, 31 दिसंबर, 1990 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

	(हजारों में)
कुल	843.32
अनुसूचित जाति	108.81
अनुसूचित जनजाति	10.80

(ख) इनमें से क्रमश: 12.8 हजार तथा 8.1 हजार व्यक्तियों ने रोजगार कार्यालयों द्वारा संचालित टंकण तथा आशुलिपि परीक्षाएं पास कर ली हैं।

(ग) इनमें से केवल 0.7 हजार के पास टंकण में तथा 4.5 हजार के पास आशुलिपि में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा जारी प्रमाणपत्र हैं।

(घ) रोजगार कार्यालयों के अभिलेखों के अनुसार, 1975 से कुछ उम्मीदवार तथा 1980 से अधिकतर उम्मीदवार रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(ङ) केवल प्रायोजक अभिकरण होने के कारण रोजगार कार्यालय उन्हें अधिसूचित रिक्तियों पर उम्मीदवारों के नाम प्रायोजित करते हैं।

राजस्थान में लागू की गई ग्रामीण विकास की नई योजना

[हिन्दी]

1081. **श्री राम नारायण बेरवा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए जनता की सहायता से "अपना गांव अपने काम" नाम की नई योजना लागू की है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस योजना को पूरे देश में लागू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए जनता की सहायता से शुरू की गई "अपना गांव अपना काम" नामक नई योजना की जानकारी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य तेलों का आयात

[अनुवाद]

1082. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :**
श्री यशवन्तराव पाटिल :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को खाद्य तेलों के आयात की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया है बशर्ते कि वे पारम्परिक और गैर-पारम्परिक क्षेत्रों से मूल्य वर्धित की मदों का तदनुरूपी निर्यात करने का प्रयास करें;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मदों का पता लगा लिया है;

(ग) इस आयात हेतु निर्धारित शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या संबंधित राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से एवं उनके क्षेत्रों में स्थित वनस्पति मिलों को उनके द्वारा निर्धारित दरों पर तेल की बिक्री कर सकते हैं; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का इस आयात के अतिरिक्त इस समय संबंधित राज्यों को दिए जाने वाले आयातित तेल की मात्रा को बनाए रखने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) योजना की शर्तें संलग्न विवरण में दी गयी हैं ।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयातित खाद्य तेल की संपूर्ण मात्रा जनता को केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित की जाएगी ।

(ङ) जी नहीं ।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा सीधे खाद्य तेल (पामोलीन) के आतात की योजना के लिए शर्तें

(1) वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिए राज्य राज्य व्यापार निगम और राज्य सरकारों

द्वारा कुल आयात की जाने वाली मात्रा केवल एक लाख पचास हजार मी० टन तक सीमित रहेगी ।

(2) राज्यों/संघ राज्य क्षत्रों द्वारा आयातित खाद्य तेल की संपूर्ण मात्रा जनता को केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित की जाएगी ।

(3) आयातित खाद्य तेल के लिए भुगतान भारतीय रुपए में किया जाएगा जिसे निलंब संपत्ति लेखा में रखा जाएगा । इस धनराशि का उपयोग खाद्य तेल के आयात की व्यवस्था करने वाले संगठन द्वारा अनुमोदित भारतीय उत्पादों (सूची संलग्न) के निर्यात के प्रयोजन से किया जाएगा । राज्य सरकारें निर्यात की परिवीक्षा करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि इसमें सीधे विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन न हो ।

(4) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु पामोलीन का आयात करने की इच्छुक कोई भी राज्य सरकार पूर्व अनुमोदन के लिए विस्तृत योजना के साथ नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से सम्पर्क कर सकती है ।

(5) आयातित तेल का मूल्य राज्य व्यापार निगम के अधिप्राप्ति मूल्य अथवा पिछले 30 दिनों में राज्य व्यापार निगम द्वारा दिए गए औसत मूल्य से अधिक नही होगा ।

(6) सीमा-शुल्क 40 प्रतिशत यथामूल्य की दर पर लगाया जाएगा ।

(7) आयात राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों अथवा राज्य सरकारों द्वारा नामित किए जाने वाले ऐसे अन्य सरकारी निगमों द्वारा किया जाएगा ।

(8) राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यवार आयात की जाने वाली मात्रा का अधिकतम सीमा का निर्णय किया जाएगा । इस संबंध में राज्य सरकारें अपनी समूची आवश्यकता बता सकती हैं ।

(9) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए जाने वाले तेल के खुदरा मूल्य का निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाएगा ।

(10) केन्द्रीय सरकार यह योजना लागू करने में कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी व न ही किसी वित्तीय व्यवस्था में कोई मदद करेगी । योजना लागू करने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी ।

(11) इस योजना को अपनाने वाली राज्य सरकारें राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित तेल प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी ।

निर्यात के लिए पात्र वस्तुओं की सूची

1. सूत को छोड़कर पटसन उत्पाद ।
2. कृषि उत्पाद अधिकतम 5 कि० ग्रा० के उपभोक्ता पैकों में और झींगा (श्रिम्प्स) के अलावा अन्य मछली/ झींगा (श्रिम्प) के मामले में अलग-अलग शीघ्र हिमीकृत पकाई गई/हिमीकृत सुखाई गई और ब्लाक रूप में "हेड ऑन श्रिम्म" ।
3. कॉफी

4. तम्बाकू

5. शीरा

6. जूते, कपड़े के वस्त्र, चमड़े की यात्रा संबंधी सामान और सहायक वस्तुएं।

7. इस्पात की पाइप और ट्यूबें तथा इस्पात की वायर रॉड।

8. मसाले

9. चाय मूल्य परिवर्धित रूप में (टी इन वेल्यू एडेड फार्म)।

10. एक कि० ग्रा० तक के उपभोक्ता पैकों में संसाधित काजू।

11. टेलीविजन सेट, रेडियो, टू-इन-वन, साउंड सिस्टम, श्याम-श्वेत पिक्चर ट्यूब, ऑडियो और वीडियो कैसेट।

12. खेलों का सामान।

13. सभी प्लास्टिक उत्पाद।

टिप्पणी : इन वस्तुओं का निर्यात "कोटा" वाले देशों और रुपए में भुगतान वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य देशों को किया जाएगा। इन योजनाओं के तहत मुक्त व्यापार क्षेत्रों से तथा 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख एककों के लिए निर्यात शामिल नहीं होगा।

योजना आयोग की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन

1083. **श्री रवि राय :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के आर्थिक विकास को नया रूप देने के लिए योजना आयोग की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश की योजना प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करने के लिए योजना आयोग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग की भूमिका निदेशात्मक एवं समन्वय की होगी। निधियों के आवंटन के माध्यम से कोर क्षेत्र के विकास करने का, नीति पैकेज के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित करने का तथा समाज क्षेत्र के विकास हेतु राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों को अधिक जिम्मेदारी देने का प्रयास रहेगा। योजना आयोग ऊर्जा मानव संसाधन विकास आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के नीति निर्माण के में एकात्मक भूमिका निभाएगा। यह परिवर्तन का आसानी से प्रबन्ध करने हेतु मध्यस्थतात्मक एवं सुविधाजनक भूमिका निभाएगा और सभी स्तरों पर उच्च उत्पादकता एवं कार्यकुशलता का निर्माण करने के लिए प्रयास करेगा। गंभीर संसाधन दबाव की वर्तमान परिस्थिति में संसाधन आवंटन भूमिका के अतिरिक्त योजना आयोग संसाधन जुटाने और निधियों की कार्यकुशल की उपयोगिता से संबंधित रहेगा।

(ग) वर्ष 1969 से आयोग ने राज्यों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए थे और उनके माध्यम से जिलों को जारी किए गए थे कि उनके स्तरों पर योजनाओं को तैयार किया जाए। राज्य तथा जिला स्तरों पर योजना मशीनरी को सुदृढ़ करने के लिए सहायता भी प्रदान की गई है। योजना मशीनरी को सुदृढ़ करने की स्कीम, राज्य स्तर पर निर्धारित श्रेणी के योजना स्टाफ हेतु 66.6 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता और जिला स्तर पर इसी प्रकार की 50 प्रतिशत सहायता प्रदान करती है। बाद में राज्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण स्टाफ को सुदृढ़ करने के लिए योजना में संशोधन किया गया था। योजना की विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया पर बल देने का यह कार्य भावी योजनाओं में जारी रखा जायेगा।

चीनी मिलों के संबंध में नई चीनी लाइसेंस नीति

1084. **श्री रवि राय :**
कुमारी दीपिका चिखलिया :
श्री रमेश चंद्र तोमर :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई चीनी मिलों को लाइसेंस देने के लिए सरकार ने स्थान की दूरी के आधार वाला पुराना मानदंड अपनाने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोई नई चीनी लाइसेंस नीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने चीनी वर्ष 1991-92 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93—1996-97) के लिए नई तथा मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों के विस्तार के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु 8-11-91 के प्रेस नोट (प्रति विवरण के रूप में सलग्न) के तहत संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों की घोषणा की है, जिसके अनुसार प्रस्तावित नई चीनी फैक्ट्री तथा मौजूदा/पहले लाइसेंस दी गई चीनी फैक्ट्रियों के बीच की दूरी 25 कि० मी० होनी चाहिए, तथापि विशेष मामलों में जहां गन्ना पर्याप्त रूप में उपलब्ध है वहां 25 कि० मी० की दूरी को कम करके 15 कि० मी० किया जा सकता है।

विवरण

भारत सरकार
उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक विकास विभाग
प्रेस नोट सं०—16
(1991 श्रृंखला)

विषय : चीनी वर्ष 1991-92 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93 से 1996-97) के लिए नई चीनी फैक्ट्रियां तथा मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार हेतु लाइसेंस देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।

(क) इस मंत्रालय के दिनांक 23-7-90 के प्रेस नोट सं० 4 (1990 श्रृंखला) के तहत नई चीनी फैक्ट्रियों तथा मौजूदा फैक्ट्रियों में विस्तार के लिए लाइसेंस देने हेतु जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों की भारत सरकार द्वारा समीक्षा की गई है। उपरोक्त प्रेस नोट का अधिक्रमण करते हुए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत निम्न प्रकार बनाए गए हैं :—

(1) 250 टन दैनिक गन्ना पेराई की न्यूनतम आर्थिक क्षमता की नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए जाने जारी रहेंगे। ऐसी क्षमता पर कोई अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी।

तथापि भारत सरकार द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े घोषित और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कृषि जलवायु आधार पर गन्ना विकास के लिए उपयुक्त प्रमाणित किए गए क्षेत्रों में सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में 1750 टी० सी० डी० की प्रारंभिक क्षमता नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए जाएंगे बशर्ते कि ये इकाइयां उत्पादन प्रारंभ करने के 5 वर्ष के भीतर अपनी क्षमता में 2500 टी० सी० डी० तक विस्तार कर लें।

(2) नई चीनी फैक्ट्रियों को इस शर्त पर लाइसेंस जारी किए जाएंगे कि प्रस्तावित नई चीनी फैक्ट्री तथा मौजूदा/पहले लाइसेंस दी गई चीनी फैक्ट्री के बीच की दूरी 25 कि० मी० होनी चाहिए। विशेष मामलों में जहां गन्ना पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो, 25 कि० मी० की दूरी को कम करके 15 कि० मी० किया जा सकता है।

(3) नई चीनी इकाइयों के लिए लाइसेंस प्रदान करने का मूल मानदंड उनकी व्यवहार्यता होगा जिसमें मुख्य रूप से गन्ना उपलब्धता और गन्ना विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा।

(4) सभी नए लाइसेंस इस अनुबद्धता पर दिए जाएंगे कि गन्ने की कीमत सुक्रोज तत्वों के आधार पर देय होगी।

(5) अन्य बातों के समान रहने पर निजी क्षेत्र की तुलना में क्रमशः सहकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों को लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी। किसी क्षेत्र से एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में पहले प्राप्त हुए आवेदन पत्र को वरीयता दी जाएगी, ऐसे मामलों में क्रमशः सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र तथा इसके बाद निजी क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी चाहे पहले क्षेत्रों के आवेदन पत्र बाद की तारीख में प्राप्त हुए हों।

(6) 2500 टी० सी० डी० से कम क्षमता वाली चीनी फैक्ट्रियों को उपर्युक्त न्यूनतम आर्थिक क्षमता तक विस्तार के लिए वरीयता दी जानी जारी रहेगी।

(7) नई इकाइयों और विस्तार परियोजनाओं के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत अर्थात् 1996-97 तक सृजित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(8) नई चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय शीरे के प्रयोग अर्थात्

औद्योगिक अल्कोहल आदि के लिए डाउन स्ट्रीम इकाइयों को औद्योगिक लाइसेंस शीघ्रता से दिए जाएंगे।

(ख) लाइसेंस के लिए आवेदन पत्रों की सर्वप्रथम खाद्य मंत्रालय की जांच समिति द्वारा जांच की जाएगी। ऐसे आवेदन पत्रों की जांच करते समय संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के विचार भी मांगे जाएंगे। राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन को अपनी टिप्पणी खाद्य मंत्रालय से प्राप्त पत्र के तीन मास के भीतर भेजनी होगी।

(ग) नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना तथा वर्तमान इकाइयों में विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र फार्म आई० एल० में सीधे औद्योगिक विकास विभाग में औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को भेजे जाने चाहिए। इसके साथ 2500 रुपए की निर्धारित फीस भी भेजी जानी चाहिए। इसकी एक प्रति खाद्य मंत्रालय को भी भेजी जाए।

(घ) उपरोक्त प्रक्रिया और मार्गदर्शी सिद्धांत उद्यमियों के ध्यान में सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए लाए जा रहे हैं।

ह०/—

(एस० भवानी)

उप-सचिव, भारत सरकार

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1991

एफ सं० 10(74) 91-एल० पी०

उपरोक्त प्रेस नोट को विषयवस्तु व्यापक प्रचार के लिए प्रेस सूचना कार्यालय को अग्रेषित :

प्रधान सूचना अधिकारी
प्रधान सूचना कार्यालय,
नई दिल्ली।

आंध्र प्रदेश में अधिक कीमतों पर उर्वरकों की बिक्री

1985. श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश में उर्वरकों को निर्धारित से काफी अधिक मूल्यों पर बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

ग) उर्वरकों की निर्धारित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) आंध्र प्रदेश को वर्ष 1999-91 के दौरान छोटे और सीमान्त किसानों को दी जाने वाली उर्वरक राज सहायता के रूप में कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ङ) वास्तव में कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) आंध्र

प्रदेश अथवा अन्य किसी राज्य में सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकतम सांविधिक मूल्य से उच्च मूल्य पर उर्वरक बेचे जाने के संबंध में भारत सरकार के ध्यान में कोई विशिष्ट और प्रामाणिक मामला नहीं आया है।

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान देश में छोटे और सीमान्त किसानों को आर्थिक सहायता दिए जाने की कोई केन्द्रीय योजना नहीं थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मकानों की कमी

1086. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कितने मकानों की कमी होने का अनुमान है;

(ख) क्या सरकार का विचार नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन कर बड़े पैमाने पर मकानों के निर्माण को प्रोत्साहित करने का है;

(ग) यदि हां, तो संसद में इस आशय का संशोधन कब तक लाया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1-3-1991 की स्थिति के अनुसार देश में 31 मिलियन मकानों की कमी का अनुमान लगाया गया है—20.6 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में और 10.4 मिलियन एकक शहरी क्षेत्रों में।

(ख) से (घ) आवास क्रियाकलापों हेतु फालतू रिक्त भूमि के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उक्त अधिनियम में विभिन्न संशोधनों पर विचार कर रही है। यह आशा है कि संशोधन प्रस्ताव संसद के समक्ष अगले सत्र में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल एक्शन एंड रूरल टैक्नालाजी द्वारा आंध्र प्रदेश की संस्थाओं को अनुदान

1087. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल एक्शन एंड रूरल टैक्नालाजी द्वारा आंध्र प्रदेश की जिन संस्थाओं/समितियों को सहायता दी जा रही है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन संस्थाओं और समितियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह पता लगाने का कोई प्रयास किया गया कि इस अनुदान की पूरी धनराशि का उचित उपयोग किया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) जानकारी नीचे दी गई है :

वर्ष	आंध्र प्रदेश में उन संस्थाओं और समितियों की संख्या जिन्हें कापार्ट से सहायता मिली है	कापार्ट द्वारा इन संस्थाओं और समितियों को दी गई सहायता
		(करोड़ रुपये में)
1988-89	77	1.70
1989-90	109	1.86
1990-91	156	2.80

(ग) से (ङ) जी हां। परियोजनाधारकों को छमाही प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होती हैं और निधियां तभी रिलीज की जाती हैं जब कार्यक्रम को सन्तोषजनक पाया जाता है। परियोजना क्षेत्रों में विशेषज्ञ और लेखे-जोखे के जांचकर्ताओं को भेजकर भी परियोजनाओं की निगरानी की जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास जमा की गई राशि पर ब्याज

[हिन्दी]

1088. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के उन आवंटियों ने नियमान्तर्गत अपने धन पर ब्याज की मांग की है जिन्हें दि० वि० प्रा० की मांग पर निर्धारित पूरी राशि जमा करने के बावजूद निर्धारित समय के अन्दर फ्लैटों का कब्जा नहीं मिला;

(ख) दि० वि० प्रा० के समक्ष लंबित मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस संबंध मे अंतिम निर्णय करके कब तक ब्याज का भुगतान करने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : क) जी, हां।

(ख) 134.

(ग) ब्याज के भुगतानार्थ आबंटितियों के इस प्रकार के अनुरोधों को वित्त स्कन्ध के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है। इस संबंध में आवश्यक कारंवाई पहले से आरंभ की जा चुकी है। कुछ मामलों में यह मुद्दा न्यायाधीन है।

आबंटितियों के नाम पंजीकरण

1089. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवंटितियों द्वारा फ्लैटों के मूल्य का पूरा भुगतान किए जाने के बाद उनके नाम फ्लैटों का पंजीकरण किए जाने में दिल्ली विकास प्राधिकरण कितना समय लेता है;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास ऐसे कितने मामले लंबित पड़े हैं जिनमें आवंटितियों के नाम फ्लैटों का पंजीकरण करने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) विचाराधीन मामलों का शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) लेखा एकक से मंजूरी, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तथा का नक्शा तैयार होने की शर्त पर आबंटियों के नाम में पंजीकरण में लगभग चार माह का समय लग जाता है।

(ख) 15-11-1991 की स्थिति के अनुसार 672 मामले।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में अनधिकृत निर्माण

1090. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय कालोनियों के आवंटितियों द्वारा खुलेआम अनधिकृत निर्माण किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का इस विषय में तथ्यों का पता लगाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन कालोनियों में भवन उप-नियमों और स्वीकृत नक्शों के उल्लंघन के मामले बड़ी संख्या में ध्यान में आये हैं।

(ग) जब भी अनधिकृत निर्माण के मामले ध्यान में आते हैं, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 और दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 343 और 344 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। शहरी विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति ने भी इस मामले की जांच की है और अपनी रिपोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की है। समिति ने निवारक कार्यवाही, कानूनी बाधाओं को दूर करना और अनधिकृत निर्माण/उपभोक्ताओं के प्रति प्रभावी उपचारी कार्यवाही के लिए दिल्ली पुलिस सहित स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने का सुझाव दिया है।

उर्वरकों का बिक्री मूल्य

[अनुवाद]

1091. **श्री राम विलास पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदानों और उत्पादन लागत में हुई अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए,

सरकार का विचार उर्वरकों का विक्रय मूल्य इस स्तर तक बनाये रखने का है जिससे निर्माताओं और किसानों दोनों के लिए लाभकारी रहे; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) उर्वरकों के उपभोक्ता मूल्यों को पहले ही प्रतिधारण मूल्य सह आर्थिक सहायता योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है। वास्तव में, पिछले 10 वर्षों के दौरान विभिन्न इनपुट्स और उपयोगिताओं की लागत में तेजी से हुई वृद्धि के बावजूद उपभोक्ताओं के लिए मात्र एकमूल्य वृद्धि हुई है। प्रतिधारण मूल्य सह आर्थिक सहायता योजना से अध्यधीन निर्माताओं को भी एक मुश्त लाभ सुनिश्चित किया जाता है जिसमें कुछ प्रतिमानों और वास्तविकताओं के संयोजन पर आधारित एक फार्मूले के अनुसार इनपुट और उत्पादन लागतों में बढ़ोत्तरी के लिए प्रतिपूर्ति शामिल है।

आधारभूत क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य

1092. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 में विद्युत, कोयला, इस्पात, रेल, दूरसंचार नौवहन एवं परिवहन, उर्वरक, सीमेंट, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) वर्ष 1991-91 में क्षेत्र-वार क्या उपलब्धि हुई; और

(ग) क्या इन सभी क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1990-91 के लिए आधारभूत संरचनात्मक क्षेत्रकों के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां

	लक्ष्य	उपलब्धियां
1. विद्युत		
स्थापित क्षमता (मेगावाट)		
जल	1006.5	445.5
ताप	2970.5	2331.0
नाभिकीय	235.0	—
जोड़	4212.0	2776.5
उत्पादन (मिलियन यूनिट में)		
जल	63000	71535
ताप	201400	186452
नाभिकीय	6850	6244

	लक्ष्य	उपलब्धियां
2. कोयला (मिलियन टन)		
कोयला	221.00	211.73
लिग्नाइट (नैवेली)	11.00	11.76
कोयला उत्पादन में लक्ष्य के मुकाबले कंपनीवार गिरावट निम्नलिखित है :—		
कोल इंडिया	194.00	189.64
सिंगरेनी	22.50	17.71
टिस्को/इस्को/डी० वी० सी०	4.50	4.38
जोड़	221.00	211.73
3. इस्पात (मिलियन टन)		
विक्रय योग्य इस्पात	13.10	12.43
4. रेलवे (मिलियन टन)		
मूल भाड़ा यातायात	353.00	341.46
5. दूरसंचार		
(क) स्थानीय दूरभाष प्रणाली स्विचिंग कैपेसिटी (लाख में)	6.5	5.70
सीधी एक्सचेंज लाइनें (लाइनें)	5.5	4.84
(ख) दूरवर्ती स्विचिंग प्रणाली ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज (कुल सं०)	8	8
कर क्षमता (कुल लाइनें)	33700	35700
मैनुअल ट्रंक बोर्ड (सं०)	60	65
(ग) सुदूरवर्ती संप्रेषण प्रणाली को-एक्सियल केबिल प्रणाली (आर० के० एम० एस०)	3172	1589
माइक्रोवेव प्रणाली (आर० के० एम० एस०)	3482	1173
यू० एच० एफ० प्रणाली (आर० के० एम० एस०)	2420	2525

	लक्ष्य	उपलब्धियां
आप्टिकल फाइबर प्रणाली (आर० के० एम० एस०)	5493	1900
(घ) ओपेनवायर तथा तार एल० सी० पी० टी० (कुल) (सं०)	15000	1742
टेलेक्स एक्सचेंज (सं०)	30	34
टेलेक्स क्षमता स्थानीय (लाइनें)	1766	1806
पारगमन (लाइनें)	1626	1551
6. शिपिंग (मिलियन जी० आर० टी)	6.75	6 00
7. परिवहन		
(सड़क परिवहन) (बसों की सं०)	14079	12969
पत्तन (मी० टन)	163.74	150.70
8. उर्वरक		
नाइट्रोजनस (लाख टन)	70.75	69.931
फासफटिक (लाख टन)	20.00	20.519
9. सीमेंट (मी० टन)	49.00	48.86
10. पैट्रोलियम		
कच्चा तेल (एम० एम० टी०)	35.90	33.00
प्राकृतिक गैस (एम० एम० एम०/वर्ष)	22536	17998.0
क्रूड थ्रूपुट (एम० एम० टी० पी० ए०)	51.18	51.77

गिरावट के कारण

1. विद्युत

गिरावट के कारण सिविल कार्यों, बी० एच० ई० एल० आपूर्ति तथा निर्माण में देरी और कुछ राज्यों में कानून व्यवस्था की समस्या आदि है।

थर्मल उत्पादन में कमी मुख्यत: मानसून अच्छा न होने के कारण थी, परिणामस्वरूप कोयले की मांग कम हो गयी विशेषत: कृषि क्षेत्रक में।

2. कोयला

कोल इंडिया में गिरावट के मुख्य कारण हैं : भूमिगत खानों में पानी भर जाना, बिजली फेल हो जाना, अनुपस्थिति तथा औद्योगिक संबंधी समस्यायें है। सिंगरेनी में औद्योगिक संबंध तथा कानून व्यवस्था समस्याएं प्रमुख कारण हैं।

3. इस्पात

बिक्री योग्य इस्पात में गिरावट, विद्युत की अत्यधिक कमी तथा इस्पात मेंटिंग स्क्रैप्स, अपर्याप्त उपलब्धता और कोकिंग कोयला की घटिया गुणवत्ता, इस्पात संयंत्रों में उपस्कर संबंधी समस्याओं आदि के कारण है।

4. रेलवे

अव्यवस्था के कारण तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के पूर्व तट का चक्रवात से प्रभावित होना तथा बड़े-बड़े आन्दोलन भी यातायात में गिरावट के कारण थे।

5. दूरसंचार

उपकरणों की अपर्याप्त आपूर्ति ही गिरावट के मुख्य कारण थे।

6. जहाजरानी

गिरावट का प्रमुख कारण था संसाधनों पर दबाव तथा कठिन भुगतान संतुलन की स्थिति के कारण अल्प उपलब्धि सहित पूर्व टन भार में व्यापक कटौती।

7. परिवहन

प्राप्ति कार्यक्रम में गिरावट का प्रथम कारण संसाधनों पर दबाव था तथा यातायात मुख्यतः डिब्बों की कमी तथा सामान्य माल, कोयला तथा लौह अयस्क के कारण था।

8. उर्वरक एवं सीमेंट

नाइट्रोजेन्स उर्वरकों तथा सीमेंट उत्पादन के मामले में केवल नाममात्र की गिरावट आयी है।

9. पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस

कच्चा तेल तथा संबद्ध गैस उत्पादन में गिरावट असम में कानून व्यवस्था की गड़बड़ी के अलावा तकनीकी कारणों तथा पर्यावरणीय समस्याओं के कारण थी।

उर्वरकों का आयात

1093. डा० सी० सिल्वेरा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष उर्वरकों के आयात के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आयतित उर्वरकों का छोटे और सीमांत किसानों को रियायती दरों पर वितरण सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) उर्वरकों, कच्चे माल तथा मध्यवर्तियों के आयात के लिए चालू वर्ष के दौरान 4545 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा बजट राशि आबंटन की गयी है। इसमें रुपये में भुगतान वाले क्षेत्रों से आयात के लिए 650 करोड़ रु० की राशि शामिल है।

(ग) किसानों को उर्वरक अधिसूचित मूल्यों पर वितरित किए जाते हैं और राज सहायता

के प्रयोजन के लिए स्वदेशी और आयातित उर्वरकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तथापि, 14-8-1991 से मूल्यों में नवीनतम वृद्धि से लघु और सीमान्तरीय किसानों को छूट देने के लिए लघु और सीमान्तरीय किसानों के लिए उर्वरक राज सहायता संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना आरंभ की गयी है। चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए 405.00 करोड़ रुपये की कुल राशि रखी गयी है।

हिमाचल प्रदेश में मूल-व्यवस्था सुविधायें

[हिन्दी]

1094. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरों में सफाई और उनमें मल-प्रणाली की व्यवस्था हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) शिमला, सोलन, नहान, पोन्टा साहिब, नालागढ़, क्षेओग कुमारसेन और रोड़ु में मल-व्ययन सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने, शहरी मलिन बस्तियों के छः नगरों अर्थात् शिमला, धर्मशाला, मंडी, मनाली, चम्बा तथा सोलन में जल-आपूर्ति, मल निर्यास निकासी तथा पर्यावरणीय सुधार की व्यवस्था करने के लिए, इस मंत्रालय के केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सी० पी० एच० ई० ई० ओ०) को तकनीकी दृष्टि से मंजूरी प्राप्त करने के लिए, 110.35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का एक पैकेज प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

नहान, पोन्टा साहिब, नालागढ़, क्षेओग, कुमारसेन तथा रोड़ु के बारे में कोई मल निर्यास योजना प्राप्त नहीं हुई है।

हिमाचल प्रदेश से इलैक्ट्रानिक एककों के लिए प्रस्ताव

1095. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में इलैक्ट्रानिक एकक स्थापित करने हेतु राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस उद्देश्य के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रानिक इकाइयों की स्थापना करने के संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश को खाद्यान्नों की सप्लाई

1096. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल

सरकार को इस समय कितनी मात्रा में केंद्रीय सरकार द्वारा चावल, चीनी इत्यादि जैसे खाद्य पदार्थों की सप्लाई की जा रही है, पिछले एक वर्ष के दौरान की गई सप्लाई का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : विगत एक वर्ष अर्थात्, दिसम्बर, 90 से नवंबर, 91 के दौरान हिमाचल प्रदेश को आबंटित खाद्यान्नों और चीनी की मात्रा और उनके द्वारा उठाई गई मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु हिमाचल प्रदेश को गेहूं, चावल और चीनी का माहवार आबंटन और उनको उठाई गई मात्रा

(मी० टन में)

माह	गेहूं		चावल		चीनी*
	आबंटन	उठाई गई मात्रा	आबंटन	उठाई गई मात्रा	आबंटन
दिसम्बर, 90	10000	8700	6500	4600	2019
जनवरी, 91	10000	8500	6500	5400	2019
फरवरी, 91	12000	10900	6500	6500	2019
मार्च, 91	12000	10100	6500	5600	2019
अप्रैल, 91	12000	10900	6500	4300	2019
मई, 91	12000	12000	6500	5600	2019
जून, 91	10000	9400	6500	5300	2019
जुलाई, 91	10000	6200	6500	3500	2019
अगस्त, 91	10000	8200	7150	7500	2019
सितम्बर, 91	10000	11400	7150	7200	2221
अक्तूबर, 91	10000	उ० न०	7150	उ० न०	2424
नवम्बर, 91	10000	उ० न०	7150	उ० न०	2424

*चीनी की सामान्यतः शत-प्रतिशत मात्रा उठा ली जाती है।

उ० न० = (उपलब्ध नहीं)

हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को मंजूरी दिया जाना

1097. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल सरकार से प्राप्त हुए उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनके प्रस्ताव मंजूरी के लिए आये हैं; और

(ख) इन उद्योगों में किन-किन वस्तुओं का उत्पादन किया जायेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) नई औद्योगिक नीति के तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग के अधीन आने वाले 18 उद्योगों की छोटी सूची को छोड़कर, औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

बीयर, शराब इत्यादि के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश में एकक स्थापित करने संबंधी तीन प्रस्ताव हैं, जिन्हें ऐसे उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता है।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा अर्जित खर्च की गई विदेशी मुद्रा

1098. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक मारुति उद्योग द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ख) वर्ष 1990-91 के वित्तीय वर्ष के दौरान मारुति उद्योग लिमिटेड के कारण विदेशी मुद्रा का कितना भार वहन करना पड़ा और चालू वित्त वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान इस कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा में कितना व्यय किया गया अथवा किया जाना है;

(ग) पिछले वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान मारुति उद्योग लिमिटेड ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की; और

(घ) क्या विदेशी मुद्रा की कमी अभी भी चल रही है और यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और इसके परिणाम कब तक आने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) पिछले तीन वर्षों (1988-89 से 1990-91) के दौरान, मारुति उद्योग लिमिटेड ने पुर्जों के आयात के लिए 505.72 करोड़ रु० के बराबर विदेशी मुद्रा खर्च की। दिनांक 1-4-91 से 30-9-91 की अवधि के दौरान खर्च की गई विदेशी मुद्रा 101.12 करोड़ रु० है।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 और 1991-92 (30-9-91 तक) में पुर्जों के आयात पर खर्च विदेशी मुद्रा और अर्जित की गई विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :—

	पुर्जों के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा (करोड़ रु० में)	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपये में)
1990-91	171.14	72.91
1991-92* (30-9-91 तक)	101.12	122.78

*अनन्तिम

(घ) चालू वर्ष (1991-92) के पूर्वार्द्ध में, निर्यात वाहनों के पुर्जों सहित, पूर्जों के आयात पर किए गए खर्च की अपेक्षा, मारुति उद्योग लिमिटेड ने अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स, नांगल

[अनुवाद]

1099. **श्री हरिन पाठक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर नांगल, बंद होने के कगार पर है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) मैसर्स पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि० जो पंजाब राज्य सरकार का एक संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है (सरकारी कंपनी मानी गयी) जो सोडा ऐश और अमोनियम क्लोराइड का उत्पादन कर रहा है। ने वर्ष 1990-91 के दौरान 475.21 लाख रुपए की हानि सूचित की हैं। कंपनी ने सूचित किया है कि चालू वर्ष दौरान 25 जुलाई, 1991 से अमोनियम क्लोराइड फर्टिलाइजर पर से नियंत्रण हटने के कारण उनके घाटे में बढ़ोतरी होगी। चूंकि अमोनियम क्लोराइड उर्वरक पर से नियंत्रण हटा दिया गया है और कोई आर्थिक सहायता अब देय नहीं है, अतः इस कंपनी के कार्य में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

ठेका श्रमिक प्रणाली को समाप्त करने की मांग

1100. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली आफिसिज एंड एस्टेबलिशमेंट एम्पलाईज यूनियन ने ठेका श्रमिक प्रणाली को समाप्त करने की मांग की है;

(ख) क्या सभी केन्द्रीय श्रमिक संघों ने अपनी मागें मनवाने के लिए 29 नवम्बर, 1991 को हड़ताल का आव्हान किया है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी मांगें पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) जी नहीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार इंटक भा० म० सं० और एन० एल० ओ० को छोड़कर केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से संबद्ध ट्रेड यूनियनों ने 29 नवंबर 1991 को औद्योगिक हड़ताल का आह्वान किया है।

हड़ताल के नोटिस में उल्लिखित मुख्य मांगे इस प्रकार हैं :—

(1) केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से विचार-विमर्श करके भारत सरकार की औद्योगिक और आर्थिक नीतियों को पुनर्निर्धारित करना।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के निजीकरण के सभी प्रयासों को तुरंत रोकना।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के लिए अत्यंत्र आवश्यक साज-सामानों के आयात के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाना।

(4) पेंशन संबंधी बी० पी० ई० परिपत्र को रद्द करना और पेंशन योजनाओं को तुरंत अंतिम रूप देना।

(5) त्रिपक्षीय महंगाई भत्ता समिति की सिफारिशों पर शीघ्र कार्रवाई करना।

(6) सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में यूनियनों के मांग-पत्र प्रस्तुत किये जाने के 2 महीने के अंदर उन पर द्विपक्षीय बातचीत आरंभ करना। कर्मकारों की किसी मांग को औद्योगिक अधिकरणों अथवा वेतन आयोग को निर्दिष्ट न करना। जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम तथा भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के सामूहित सौदाकारी अधिकारों का प्रत्यावर्तन करना।

(7) श्रमिकों को रोजगार से निकालने तथा सरकारी और निजी क्षेत्रों में स्थायी और वर्ष भर चलने वाले रोजगारों ने ठेका श्रमिकों को लगाने पर कानूनी रोक।

(8) भारतीय श्रम सम्मेलन जिसने कि जनवरी, 1990 में आयोजित सेमिनार में सिफारिशों को पृष्ठांकित किया, के आधार पर प्रबंध में कर्मकार सहभागिता संबंधी विधेयक को तत्काल अधिनियमित करना।

(9) सार्वजनिक क्षेत्र तथा सरकारी प्रतिष्ठानों में भर्ती पर लगी रोक हटाना।

(10) सभी कर्मचारियों को बोनस की अदायगी सुनिश्चित करना।

(11) सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यपालकों को ट्रेड यूनियन अधिकारों तथा ट्रेड यूनियन क्रिया-कलापों में भाग लेने के लिए उनके विरुद्ध की गयी सभी अनुशासनात्मक कार्रवाइयां वापस लेना।

श्रमिकों पर प्रभाव डालने वाली समस्याओं और अन्य संबंधित विषयों पर नयी औद्योगिक नीति के प्रभाव पर विचार करने के लिए सरकार ने एक त्रिपक्षीय समिति गठित की है।

भारतीय मानक ब्यूरो के आई० एस० आई० चिह्न वाले उत्पाद

[अनुवाद]

1101. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजाज, ऊषा, क्राम्पटन, रैंकोल्ड जैसे बड़े उद्योग लघु उद्योग उत्पादकों से भारतीय मानक ब्यूरो के आई० एस० आई० चिह्न वाले उत्पाद का मूल्य पर खरीद लेते हैं और उन उत्पादों पर अपना ब्रांड लगाकर उन्हें वास्तविक मूल्य से तिगुने मूल्य पर बेचते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लघु उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम में विहित उन संहिता का उल्लंघन करते हैं जो भारतीय मानक ब्यूरो के चिह्न वाले उत्पादों का उपयोग लाइसेंसधारी व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने से रोकना है; और

(घ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) अनेक लघु औद्योगिक एकक अपने उत्पाद बड़े विपणन संगठनों जैसे बजाज, ऊषा,

क्राम्पटन, रेकाल्ड इत्यादि के जरिए बेचते हैं। ये विपणन संगठन आवश्यक तकनीकी जानकारी मुहैया कराते हैं और अपने ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं। लाभ का मार्जिन अलग-अलग उत्पाद और अलग-अलग यूनिट पर भिन्न-भिन्न होता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए, सरकार का इस संबंध में कोई कदम उठाने का प्रस्ताव नहीं है।

नामरूप, असम में पेट्रो-रसायन परिसर का विस्तार

1102. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में नामरूप में वर्तमान पेट्रो-रसायन परिसर का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यह एक अलाभप्रद परियोजना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) असम के डिब्रूगढ़ जिले की नामरूप तहसील में अपने विद्यमान औद्योगिक उपक्रम में 33,000 टन की वार्षिक क्षमता (विस्तार के बाद) से मेथनाल के विनिर्माण में पर्याप्त विस्तार के लिए मे० आसाम पेट्रो-कैमिकल्स लि०, गुवाहाटी को दिसम्बर, 1986 में एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था।

(ख) भारत सरकार के पास इस प्रकार के कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

रुग्ण उर्वरक एककों का निजीकरण

1103. **कुमारी दीपिका चिखलिया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र को रुग्ण उर्वरक एककों को चलाने की अनुमति देने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रुग्ण उर्वरक एककों को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने संबंधी व्यापक नियम और शर्तें क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) रुग्ण उर्वरक एककों को चलाने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति देने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

बल्क औषधों के मूल्यों में संशोधन

1104. **डा० असीम बाला** :

श्री चित्त बसु :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि फार्मास्युटिकल कंपनियां अपनी औषधियों को सामान्य नाम से अपने ही ब्रांड नाम के उसी प्रकार फार्मूलेशनों की बहुत अधिक मूल्य पर बिक्री कर रही है, यदि हां, तो उनके ब्रांड नाम और उनके सामान्य नाम के मूल्यों की तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अप्रैल, 1991 से अक्तूबर, 1991 की अवधि के दौरान अनेक बल्क औषधों के मूल्य संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है, यदि हां, तो बल्क औषधों के पूर्व मूल्यों एवं संशोधित मूल्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान औषध नीति और औषध मूल्य नियंत्रण आदेश में संशोधन करने का है जैसा कि 2 सितम्बर, 1991 के इकोनामिक टाइम्स (कलकत्ता प्रकाशन) में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और नई नीति की घोषणा कब तक की जाएगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 की तीसरी अनुसूची के अनुसार द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट प्रपुंज औषधों पर आधारित तथा जेनरिक नामों के अंतर्गत बेचे जाने वाले सभी एकल संघटक सूत्रयोग मूल्य नियंत्रण से मुक्त हैं। सरकार ब्रांड नामों की तुलना में जेनरिक नामों के अंतर्गत बेचे जाने वाले सूत्रयोगों की कीमतों के संबंध में आंकड़े संकलित नहीं करती है।

(ख) अनुसूचीबद्ध प्रपुंज औषधों की कीमतें जब कभी निर्धारित/संशोधित होती हैं तो वे असाधारण राजपत्र में अधिसूचित की जाती हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) विद्यमान औषध नीति और औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 दोनों की समीक्षा की जा रही है और यह कार्य जल्दी ही पूरा होने की आशा है।

लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक एककों को स्थापित करने की स्वीकृति

1105. **प्रो० राम कापसे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिलघु एवं लघु उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों, जिनके लिए हाल ही में उदार नीति की घोषणा की गई है, को औद्योगिक एककों की स्थापित करने हेतु राज्य स्तर की अनेक एजेंसियों के पास जाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या "परिवर्तन की हवा" जो केन्द्र सरकार ने चलाई है वह स्थानीय स्तर पर नहीं पहुंच पाई है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में इन परियोजनाओं की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने तथा सरल प्रक्रिया बनाने हेतु क्या सुधार किए गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) उद्यमी निविष्टिदाता अभिकरणों से सीधे संपर्क कर सकते हैं अथवा वे जिला उद्योग केन्द्र से संपर्क कर सकते हैं जो उद्यमियों के मामले को अपनी ओर से विभिन्न अभिकरणों के पास भेजते हैं।

(ख) "परिवर्तन की हवा" विभिन्न स्तरों पर पहले ही प्रतीत हो रही है।

(ग) शीघ्र कार्यवाही और कारगर समन्वय के लिए प्रत्येक जिले में संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति गठित की गई है, जिसमें जिला स्तर के अन्य अधिकारी भी होते हैं। कारगर समन्वय एवं शीघ्र कार्रवाई के लिए मुख्य मंत्री/उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तर समन्वय समिति है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता

1106. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को कम प्राथमिकता दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र माना जाता रहेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में सड़कें

1107. **डा० ए० के० पटेल :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सड़कों की वर्तमान क्षमता वाहनों के बढ़ते यातायात को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए किसी दीर्घकालिक योजना पर विचार किया है;

(ग) क्या काफी समय पहले 1969 में पहली बार विचारित मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम अथवा मेट्रो रेलवे के प्रस्ताव को तत्कालिकता के आधार पर कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसको पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) इसमें असाधारण विलंब के क्या कारण हैं जबकि दैनिक यात्रियों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली में बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए सड़क क्षमता का बिस्तार करने की निरन्तर आवश्यकता है।

(ख) बहुरूपी जब द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (एम० आर० टी० एस०) का प्रारम्भन समस्या का एक दीर्घावधिक समाधान है।

(ग) से (ङ) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में एम० आर० टी० एस० प्रारंभ करने के लिए एक तकनीकी आर्थिक व्यवहारिता अध्ययन तैयार करने के कार्य में मैसर्स रेल इंडिया टैक्निकल

एंड इकोनामिक सर्विसेज (राइट्स) को लगाया था। अध्ययन ने दिल्ली के लिए 184.5 किमी० बहुरूपी जन द्रुतगामी परिवहन नेटवर्क की अनुशंसा की जिसमें भूमिगत मैट्रो, भूतल रेल और एक्सप्रेस बस मार्ग प्रणालियां शामिल हैं। परियोजना में 5378 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी धन-राशि अंतर्ग्रस्त है। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, भू-उपयोग की जटिलताओं का विश्लेषण करने और अवस्थिति संबंधी विश्लेषण आदि करने की आवश्यकता है। परियोजना पर कार्य आरंभ होने से पूर्व वित्त-पोषण के साधनों की भी शिनाख्त करनी होगी। परियोजना के लिए संसाधनों की शिनाख्त करने सहित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए दिल्ली के उप-राज्यपाल की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। निहित जटिलताओं को देखते हुए इस स्तर पर परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित समय बताना संभव नहीं है।

परमाणु बिजली उत्पादन क्षमता

[हिन्दी]

1108. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु बिजली संयंत्रों की संयंत्रा क्या है, उनकी बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है तथा अक्तूबर, 1991 महीने में उनकी कितनी क्षमता का उपयोग किया गया;

(ख) क्या इन संयंत्रों का वर्तमान कार्य-निष्पादन संतोषजनक है;

(ग) यदि नहीं, तो इन परमाणु बिजली संयंत्रों की क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(घ) भविष्य में नए परमाणु बिजली संयंत्रों की स्थापना करने की और योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) अपेक्षित विवरण निम्नानुसार है :

क्र० सं०	रिएक्टर	पुनःनिर्धारित क्षमता (मेगावाट)	अक्तूबर, 1991 में क्षमता गुणक का प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	तारापुर-1	160	62	
2.	तारापुर-2	160	74	
3.	राजस्थान-1	100	—	यूनिट को योजनाबद्ध अनुरक्षण कार्यों के लिए बंद रखा गया।
4.	राजस्थान-2	200	41	यूनिट को 4 दिनों के लिए योजनाबद्ध रूप से बंद

1	2	3	4	5
				रखा गया और लगभग 11 दिनों के लिए मजबूरन बंद रखना पड़ा।
5.	मद्रास-1	220	77	
6.	मद्रास-2	220	61	
7.	नरोरा-1	220	36	इंधन भरने संबंधी बकाया कार्यों की वजह से यूनिट को अपेक्षाकृत निम्न विद्युत स्तर पर चलाना पड़ा।
8.	नरोरा-2	220	—	इस यूनिट ने 24 अक्तूबर, 1991 को क्रांतिकता प्राप्त की और आशा है इसे इसी वर्ष ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा।

(ख) और (ग) इसमें सुधार की गुंजाइश है। विद्युत स्तर बढ़ाना, रोधात्मक अनुरक्षण, यूनिट को प्रचालन के लिए अधिक समय तक उपलब्ध रखे जाने की दृष्टि से उपस्करों के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाना ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी ओर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसी परियोजनाएं, जिन पर काम चल रहा है तथा भविष्य में लगाई जाने वाली परि-योजनाओं को स्थापित करते समय प्रचालन संबंधी अनुभव को ध्यान में रखा जाता है। मद्रास परमाणु बिजलीघर के प्रत्येक यूनिट की 175 मेगावाट बिजली उत्पादित करने संबंधी अस्थायी सीमा को बढ़ाने तथा नरोरा परमाणु बिजलीघर में उसके चालू रहने के दौरान निर्बाध रूप से तथा पर्याप्त मात्रा में पुनः इंधन भरे जाने की क्षमता प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) उपर्युक्त (क) पर निम्नलिखित चालू बिजलीघरों के अतिरिक्त, ककरापार, कैगा और राजस्थान (विस्तार) नामक तीन स्थानों पर दो-दो यूनिट, जिनमें से प्रत्येक की विद्युत क्षमता 220 मेगावाट होगी, वाले छः रिएक्टरों के निर्माण का कार्य चल रहा है। तारापुर में 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले दो और यूनिट स्थापित करने के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। कैगा (विस्तार) में 220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 4 यूनिट, राजस्थान (विस्तार) में 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट और कुडानकुलम में 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव हैं। यह परिकल्पना की गई है कि यदि साधन उपलब्ध हो गए तो सन् 2002 तक परमाणु, बिजली की कुल स्थापित क्षमता 7700 मेगावाट तक हो जाएगी।

भारत में शीतल पेयों के उत्पादन हेतु विदेशी कंपनियों को अनुमति देना

1109. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला के अलावा कुछ अन्य विदेशी कंपनियों ने भारत में शीतय पेयों के उत्पादन हेतु अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) हांगकांग स्थित कंपनी मैं० जे० एम० आर० पी० सी० ओ० से, जिसके पास एन० आर० आई० की अधिक इक्विटी और मैं० कोका कोला दक्षिण एशिया की कम इक्विटी है, "कोका-कोला," "फैन्टा"; "स्प्राइट" आदि पंजीकृत ट्रेड मार्क्स के अधीन घरेलू बिक्री के लिए अन्य पदार्थों के साथ-साथ गैर-एल्कोहालिक पेय क्षारक/सम्मिश्रण तैयार करने के लिए मैं० ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और महाराष्ट्र राज्य सरकार के एक उपक्रम के सहयोग से महाराष्ट्र के एक पिछड़े जिले में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना का प्रस्ताव हाल ही में विदेशी पूंजी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ० आई० पी० बी०) को प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव की विदेशी पूंजी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है।

इलेक्ट्रानिक सामान का निर्यात/आयात

1110. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान का कितनी मात्रा में आयात तथा निर्यात किया गया; और

(ख) यह सामान किन देशों को निर्यात किया जा रहा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के दौरान 910 करोड़ रुपये मूल्य की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात किया गया। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्यात कई देशों को किया जाता है, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, फिनलैंड, सोवियत संघ, हांगकांग, नीदरलैंड, जर्मनी, ताईवान, सिंगापुर, स्विटजरलैंड आदि शामिल हैं।

चूंकि विदेशी व्यापार के आंकड़े मोटे तौर पर वस्तुओं के समूह के लिए ही रखे जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जों/वस्तुओं के आयात के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

गन्दी बस्ती निवासियों को राशन कार्ड

1111. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गंदी बस्ती के निवासियों को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसी कितनी बस्तियों में अभी तक यह सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है; और

(ग) सरकार का दिल्ली में सभी झुग्गी-झोपड़ी कालोनियों में राशन कार्ड सुविधा कब तक उपलब्ध कराने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) दिल्ली विनिर्दिष्ट वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश, 1991 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली के सभी वास्तविक निवासियों को, चाहे वे गन्दी बस्तियों में रह रहे हों अथवा कहीं और, राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं।

तथापि गन्दी बस्तियों के झुग्गी-झोपड़ी वाले हिस्सों के वास्तविक निवासियों, जिनकी निवास यूनिटें 31-1-1990 से पूर्व अस्तित्व में आई थीं, को भी एक बार की कार्रवाई के रूप में कार्ड जारी किए गए थे।

(ख) और (ग) 31-1-1990 के बाद बनी नई झुग्गी-झोपड़ी कालोनियों के निवासियों को खाद्य कार्ड जारी करने का प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

बोनस के लिए पात्रता की सीमा

[अनुवाद]

1112. **श्री राम नाईक :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने बोनस अधिनियम के अंतर्गत बोनस के लिए 2500 रुपये परिलब्धियों की सीमा समाप्त करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबध मे अभी तक कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, तो यह निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

फास्ट फूड/प्रोसेस्ड फूड का निर्माण करने के लिए विदेशी सहयोग

1113. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा विदेशी कंपनियों के सहयोग से फास्ट फूड/प्रोसेस्ड फूड का निर्माण करने वाले अनेक एकक स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक मंजूर किए गए विदेशी सहयोगों का तथा सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले यूनिटों की स्थापना के लिए दो प्रस्ताव, एक मैसर्स कैलॉग

कंपनी, अमरीका और दूसरा हांगकांग स्थित कंपनी मैसर्स जे० एम० आर० पी० सी० ओ० से प्राप्त हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वतः अनुमोदन स्कीम के अंतर्गत नये उपक्रम मैसर्स कैलॉग इण्डिया लिमिटेड में 51 प्रतिशत की इक्विटी के लिए मैसर्स कैलॉग कंपनी, अमरीका को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग हेतु स्वीकृति दे दी है परन्तु मैसर्स जे० एम० आर० पी० सी० ओ० के प्रस्ताव की विदेशी पूंजी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है।

खाद्य वनस्पति तेलों का आयात

1114. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान में खाद्य तेलों का कितना अनुमानित उत्पादन हुआ है;

(ख) उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान कितना खाद्य वनस्पति तेल आयात किया गया है; और

(ग) सरकार ने खाद्य वनस्पति तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) पिछले 6 महीने के दौरान देश में खाद्य वनस्पति तेलों के उत्पादन का कोई विश्वसनीय आकलन उपलब्ध नहीं है। मोटे तौर पर इसे 20 लाख मी० टन के आसपास माना जा सकता है।

(ख) अप्रैल से अक्तूबर, 1991 की अवधि के दौरान आयात के लिए खाद्य तेल की 66000 मी० टन मात्रा का अनुबंध किया गया है। 18 अक्तूबर, 1991 तक वास्तविक आवक 30061 मी० टन रही है।

(ग) खाद्य वनस्पति तेलों के उत्पादन मे वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों मे से कुछ इस प्रकार है :—

(1) 1989-90 से चल रही दो केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं, राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन संवर्धन परियोजना को 1990-91 के दौरान मिलाकर एक ही योजना अर्थात तिलहन उत्पादन कार्यक्रम बना दिया गया है। इस योजना के तहत राज्यो को अच्छी किस्म के बीजो के उत्पादन और वितरण, पौध संरक्षण उपायों, जिनमें पौध सरक्षण रसायनों तथा उपकरणों की आपूर्ति तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन आयोजित करना शामिल है, के लिए यथायंतः आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(2) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन संबंधी परियोजना।

(3) मई, 1986 में तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना करना, ताकि उत्पादन, संसाधन और प्रबंध संबंधी तकनीकों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया जा सके।

(4) मुख्य तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन प्रदान करना।

(5) तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

(6) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी गैर-पारम्परिक तिलहन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि करना तथा वृक्ष और वनमूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का दोहन करना ।

(7) तेल ताड़ की खेती और उसके संसाधन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना ।

(8) तिलहन के उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप आवश्यक संसाधन और आधार ढांचे संबंधी सुविधाओं की स्थापना ।

(9) वनस्पति में कुछ गैर-पारम्परिक तेलों के इस्तेमाल पर उत्पाद-शुल्क में छूट के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन देना, ताकि तेलों के इन स्रोतों के अधिक दोहन को प्रोत्साहित किया जा सके ।

12.00 मध्याह्न

दिल्ली में चुनाव कराए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, आज मैं पुन: दिल्ली के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पांच फरवरी, 1982 को दिल्ली नगर निगम के चुनाव चार वर्ष और महानगर परिषद के चुनाव पांच वर्ष के लिए हुए थे । साढ़े आठ साल हो गए और दिल्ली के चुनाव नहीं हुए । कांग्रेस "आई" ने दिल्ली की असेम्बली देने का वायदा किया और वी० पी० सिंह सरकार ने स्टेटहुड का वायदा किया । कांग्रेस ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया और वी० पी० सिंह सरकार ने विश्वासघात किया । पांच दिसंबर, 1991 को एक्सटेन्शन के लिए नया नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है । आज दिल्ली के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लॉ एंड आर्डर के हालात क्या हैं । यह राहू अपहरण कांड से सिद्ध हो जाता है कि किस तरह से उनका अपहरण हुआ और किस तरह से वे अपने आप आ गए । दिल्ली की पुलिस क्या करती रही, यह सारे अखबारों के अन्दर सिद्ध हो चुका है । दिल्ली में 200 से ज्यादा मौतें हुई । हम कहीं उसको डिसकस नहीं कर सकते, कहां उसको डिसकस करें ।

1965 में भारत-पाक युद्ध के दौरान जनरल कल्हन ने हाजी-पीर पर भारतीय झंडा फहराया और भारत सरकार ने उनको परमवीर चक्र दिया । उनकी हत्या पिछले सप्ताह कैन्टोन्मेंट एरिया में हो गई, इससे अधिक और क्या हो सकता है । दिल्ली में पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन कोलेप्स हो गया है, यह अखबारों में आ गया है ।............(व्यवधान) दिल्ली की अनेक समस्याएं हैं जैसे—बिजली, पानी, डी० डी० ए० और डी० टी० सी० आदि समस्याओं से दिल्ली के लोग दुखी हैं । दिल्ली का कोई मां-बाप नहीं है । जब तक दिल्ली का भावी ढांचा तैयार नहीं हो जाता तब तक हमारी मांग यह है कि दिल्ली नगर निगम और महानगर परिषद के चुनाव तुरन्त घोषित किए जाएं । पांच महीने पहले दिल्ली में संसद के चुनाव हो सकते हैं और बाइ-इलैक्शन नई दिल्ली का होने जा रहा है तो फिर दिल्ली नगर निगम और महानगर परिषद के चुनाव क्यों न हो । ढांचा तैयार होने में साल-दो साल का समय लगेगा । लेकिन दिल्ली के लोग मारे-मारे फिर रहे हैं, उन पर रहम, दया कीजिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं......(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि दिल्ली के चुनाव में विलम्ब क्यों हैं, उसकी जानकारी सदन को दें। हम बार-बार इस सवाल को बाकी प्रदेशों के संबंध में उठाते हैं। लोकतंत्र के लिए यह परमावश्यक है कि वहां पर सदैव चुनाव होते रहे। यहां पर इतने वर्षों से चुनाव नहीं हुए। यहां पर कोई लॉ एंड आर्डर की स्थिति नहीं है। कोई टैररीज्म सिसेशनिज्म नहीं है और पांच दिसंबर को अगर फिर से नोटिफिकेशन इश्यु होता है एक्सटेन्शन का महानगर परिषद और दिल्ली नगर निगम के लिए तो यह अनर्थ होगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अधिवेशन में एक बार दिल्ली की समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा हो और दूसरा चुनाव के संदर्भ में सरकार घोषणा करे कि स्थिति क्या है।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : आडवाणी जी ने जो कहा हम उसका समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली में शीघ्र चुनाव करायें जायें। सरकार को डर है कि दिल्ली में वे बुरी तरह से हार जायेगी। सरकार पार्टी लाइन से हटकर दिल्ली में जितनी जल्दी हो चुनाव कराने की घोषणा करे और सदन के नेता को इसके बारे में आश्वासन देना चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं एक किताब खरीदने के लिए दुकान पर गया वहां मुझे दिल्ली के भूतपूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद जगप्रवेश जी मिले। उन्होंने हमसे सवाल किया कि आप दिल्ली में चुनाव कराने के लिए सरकार पर क्यों नहीं जोर दे रहे हैं। यह बहुत अन्याय है। दिल्ली में स्थिति भी सामान्य है। कम से कम सदन के नेता को बताना चाहिए कि क्या बात है वहां कोई आतंकवाद भी नहीं है। आखिर लोकतंत्र में मान्यताओं पर नहीं चलेंगे तो लोकतन्त्र कमजोर हो जायेगा इसलिए मेरा निवेदन है कि आप शीघ्र ही दिल्ली में चुनाव करायें।

अध्यक्ष महोदय : सारी दिल्ली के सदस्य यही चाहते हैं।

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम (पूर्व दिल्ली) : आज दिल्ली में हमें 24 सदस्यों के बराबर का काम करना पड़ता है। हम 19 घंटे काम करने के बाद भी धरती से जुड़ नहीं पाते हैं। किसी की भैंस गुम हो जाय तो वह हमारे पास आता है, क्योंकि कार्पोरेशन के चुनाव नहीं हुए। पूर्व दिल्ली में 36 लाख लोग रहते हैं वहां अभी 18 मर्डर हुए हैं और ला एंड आर्डर बुरी स्थिति में है। मैंने इस बाबत सी० पी० को पत्र लिखे हैं वहां कहा जाता है कि मेरे पत्र चोरी हो जाते हैं, ऐसी स्थिति दिल्ली में पैदा हो गई है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : यहां सारे हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट बसती है और दीये तले अंधेरा हो रहा है। दिल्ली में जनतंत्र नहीं है इसलिए यहां चुनाव कराने चाहिए और इसकी घोषणा तुरंत होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, दिल्ली के सब सदस्य बोल रहे हैं।

श्री ताराचंद खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : जब पंजाब के बारे में सरकार ने फैसला कर लिया है कि फरवरी में चुनाव होंगे तो क्या राज है कि दिल्ली में तीन साल से बराबर चुनाव टाला जा रहा है। चुनाव नहीं होने के कारण भ्रष्टाचार और अफसरशाही इतनी बढ़ गई है, सरकार क्या

चाहती है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ता रहे। अभी पासवान जी ने कहा कि सरकार चुनाव इसलिए नहीं करा रही कि दिल्ली में उसे भय है कि कांग्रेस जीतेगी नहीं। मैं आश्वासन देता हूं कि अपने क्षेत्र में एक सीट कांग्रेस को जरूर जीताऊंगा।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सदन की ओर से गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद का मैं भी सदस्य हूं। इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है और कभी मीटिंग होती भी नहीं है, ऐसा मुझे बताया गया है। जो अभी कारण दिये गए हैं वे अच्छे हैं इसलिए वहां चुनाव होने चाहिए। हम चाहते हैं कि खुराना जी को यहां से विदा करें। सदन के नेता यह बतायें कि सरकार चुनाव इसलिए नहीं करा रही कि सदन के विरोधी दल के नेता दिल्ली को छोड़कर चले गये हैं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैं सभी सदस्यों की इस मांग का समर्थन करता हूं कि दिल्ली में यथाशीघ्र चुनाव करवाये जाने चाहिए। इससे पहले चुनावों को स्थगित करने के लिए कई बार विधेयक प्रस्तुत किया गया था। चुनाव न करवाने का कोई व्यावहारिक स्पष्टीकरण नहीं है। दिल्लीवासियों को पूरी तरह नौकरशाहों के हवाले कर दिया गया है जो अपनी इच्छानुसार कार्य कर रहे हैं तथा लोग दुख सहन कर रहे हैं। यह हमारे देश के लोगों के लिए कोई अच्छी बात नहीं कि हमारी राजधानी बिना किसी लोकतांत्रिक संस्था के ठीक प्रकार से कार्य कर रही है। इसलिए राजनीति से इस कलंक को हटाने के लिए, हमें यह स्पष्ट करना होगा कि यह सदन दिल्ली में चुनाव करवाने के प्रति गंभीर है तथा उन्हें चुनाव करवाने केलिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : इसमें विशेष कारण मुझे नजर नहीं आता। यह मुद्दा जनता के मन में गहरी शंका उत्पन्न करता है। दिल्ली में चुनाव करवाने के संबंध में कांग्रेस दल आंख मिचौली क्यों खेल रहा है ? श्री वी० पी०सिंह सरकार के समय में इस सदन के सदस्यों, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस संबंध में आश्वासन प्राप्त करने के लिए जोर दिया था तथा उन्हें जो आश्वासन प्राप्त हुआ था, उससे वे संतुष्ट थे। परन्तु इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि आप जानते हैं कि बाद में क्या हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि किन राजनैतिक कारणों से कांग्रेस पार्टी ने देश की राजधानी को अलोकतांत्रिक तथा नौकरशाह प्रणाली के अंतर्गत रखा हुआ है तथा दिल्ली के लोगों को अपनी विधान सभा निर्वाचित करने से वंचित रखा जा रहा है ? सदन के माननीय नेता यहां उपस्थित हैं। वह अभी कई दिनों तक सदन के नेता रहेंगे। उन्हें यह बताना पड़ेगा कि वास्तव में समस्या क्या है। चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं ? आप इस संबंध में कुछ कहते क्यों नहीं ? आप कोई आश्वासन क्यों नहीं देते ? आप इसके लिए अवधि निर्धारित क्यों नहीं करते ? हमें इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, कांग्रेस पार्टी कभी भी दिल्ली, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली महानगर परिषद् के चुनाव करवाने के विरुद्ध नहीं रही है। मुद्दा अलग है। जब तक दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, जब तक संरचना का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक चुनाव कैसे हो सकते हैं ? एक ही सांस में खुराना जी हमें देशद्रोही [हिन्दी] विश्वासघाती—धोखेबाज [अनुवाद] कहते हैं तथा यह कहते हैं कि हम दिल्ली को राज्य का दर्जा देने तथा चुनाव

करवाने के प्रति निर्णय नहीं ले रहे हैं तथा दूसरे ही सांस में वे कहते हैं कि चुनाव होने चाहिये। इसलिए, जब तक दिल्ली को राज्य का दर्जा प्रदान करने का अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक चुनाव कैसे करवाये जा सकते हैं ? (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, सत्ता पार्टी का देश भर में पंचायत अथवा नगर पालिकाओं के चुनाव न करवाने का पुराना इतिहास है। साधारण-सा प्रश्न यह है कि क्या यह अल्पसंख्यक सरकार अपनी पुरानी परम्परा से हट कर दिल्ली में चुनाव करवायेगी ? इसी प्रश्न का उत्तर सदन के नेता को देना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री दिग्विजय सिंह : मध्य प्रदेश में भी स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुए हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है ?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मेंट्रोपालिटन कौंसिल का सवाल है जो असेम्बली की तरह है।

श्री दिग्विजय सिंह : आप दिल्ली का इश्यू तो तैयार कीजिये।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के इस विचार से सहमति व्यक्त करना चाहता हूं कि चाहे यह दिल्ली हो, पंजाब हो, कश्मीर हो अथवा देश का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह लोकतांत्रिक प्रणाली होनी चाहिए। अब इसके लिए ऐसी स्थितियां कई बार अवश्य उत्पन्न होती हैं जबकि कई बार न्यायोचित कारणों से कई बार अनुचित कारणों से कि इसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे विचार में आप दिल्ली की तुलना पंजाब अथवा कश्मीर में नहीं कर रहे हैं।

श्री अर्जुन सिंह : नहीं मैं केवल तथ्य उजागर कर रहा हूं। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं। जैसा कि माननीय वरिष्ठ सदस्य द्वारा यहां पर कहा गया कि जब श्री वी० पी० सिंह प्रधान मंत्री थे तो इस संबंध में आश्वासन दिया गया था, तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर उनका इरादा सच्चा था तो उसके लिए 11 महीने की अवधि पर्याप्त थी। परन्तु यह एक अलग बात है। मैं यह कहना चाहूंगा कि चुनाव करवाने का मुद्दा सरकार के विचाराधीन है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : गंभीरता से विचाराधीन है।

श्री अर्जुन सिंह : विचाराधीन का अर्थ गंभीरता से विचाराधीन ही होता है। कोई भी मामला निष्क्रिय रूप में विचाराधीन नहीं होता। माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि एक संबंध में क्या किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : 5 दिसम्बर को नोटिफिकेशन हो रहा है। हम चाहते हैं कि 5 दिसम्बर से पहले इसका फैसला करें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ ने आनन्दमार्गी संस्था को एक स्वयंसेवी संस्था के रूप में सहायता कार्य करने के लिए मान्यता प्रदान कर दी है। यह संस्था विघटनकारी गतिविधियों में लगी हुई है। यह आनन्दमार्गी संस्था वर्ष 1961 में स्थापित की गई थी तथा इसका मुख्यालय मेरे जिला पुरुलिया में भूमि हथिया कर बनाया गया था। वर्ष 1961 से वहां पर बहुत-सी झड़पें हो चुकी हैं। इस संस्था को कई देशों से अनुदान प्राप्त होता है। इन आनन्दमार्गियों ने 1977 में भारतीय उच्चायुक्त पर आक्रमण किया था तथा 1975 में कई राजनयिकों को आहत किया था। वे तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या के लिए भी जिम्मेदार हैं, यह तथ्य जांच समिति द्वारा उजागर किया गया था.........

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सभी ऐतिहासिक तथ्य देने जा रहे हैं अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसे प्रदान की गई मान्यता के मुद्दे पर आओगे ?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह संस्था श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 1976 में अवैध घोषित कर दी गई थी ? इस संस्था ने 1978 में श्री मोरारजी देसाई की हत्या का षड्यन्त्र रचा जबकि वे सिडनी में राष्ट्रमण्डल देशों के प्रमुखों के सम्मेलन में भाग ले रहे थे। एक संस्था के कुछ सदस्यों को पिछले वर्ष पंजाब की सीमा पर गिरफ्तार किया गया था। वे ऐसे हथियार ले जा रहे थे जिन्हें पाकिस्तान से तस्करी करके लाया गया था। एक सम्बन्ध में तत्कालीन गृह मंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने वक्तव्य भी दिया था। उन्होंने पिछले वर्ष इस सदन में बताया था कि किस प्रकार यह संस्था धार्मिक गतिविधियों की आड़ में विघटनकारी तथा हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त है।

आनन्दमार्गियों ने इस देश के कुछ राजनैतिक नेताओं की हत्या का भी षडयन्त्र रचा था। उन्होंने मनीला में एक सम्मेलन किया था जिसमें हमारे राजनैतिक नेताओं की हत्या का षडयन्त्र रचा था। महोदय, पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी इस संस्था की गतिविधियों पर श्वेत पत्र जारी किया है। मुझे एक बात पर आश्चर्य है कि यह संस्था, जो कि हिंसा, हत्याओं, लोगों को मारने, गरीब लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा करने जैसी गतिविधियों में लगी हुई है, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्राप्त करने में सफलता कैसे मिल गई। इसके प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? मैं कहना चाहूंगा कि इस मान्यता को वापस लिया जाना चाहिए। क्या सरकार यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष उठायेगी अथवा नहीं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उन्हें यह मुद्दा उठाना ही चाहिए इसमें कोई शंका नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे स्थायी प्रतिनिधि द्वारा यह मामला उठाया गया है अथवा नहीं। यह अचानक नहीं हुआ है। मुझे इसकी छः महीने पहले से जानकारी है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : सरकार ने अब तक क्या किया है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विदेश मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं हैं। उन्हें तथ्यों की जानकारी लेनी पड़ेगी। यह मुद्दा संसद के समक्ष प्रश्न के रूप में भी लाया जा सकता था। आपने इसके लिए

नोटिस नहीं दिया तथा शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठा दिया तथा अब आप इसका तुरन्त उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं। सरकार मुद्दे पर विचार करके इसका उत्तर देगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, सदन के नेता को इस संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : मैंने अध्यक्ष महोदय के निदेश को नोट कर लिया है। मुद्दे पर विचार करने के पश्चात् संबंधित मंत्री महोदय उसका उत्तर देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : रेलवे कर्मचारियों की बहाली की तरह नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसे मत कीजिए।

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : अध्यक्ष महोदय लारसेन तथा टुब्रो लिमिटेड, कंसबाहल, उड़ीसा के कर्मचारी अच्छी तथा एक समान पदोन्नति की नीति, अतिरिक्त लाभ पर 8 प्रतिशत अनुग्रह राशि तथा स्थानीय विस्थापित लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए पिछले छः महीने से मांग कर रहे हैं परन्तु अभी तक इस संबंध में कुछ नहीं किया गया है। अब वे 28-10-91 से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं तथा तीन कर्मचारियों की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए निवेदन करता हूं कि वह प्रबंधन को बातचीत के द्वारा मामले को सुलझाने का निदेश दे।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द त्रिवेदी (साबरकांठा) : अध्यक्ष महोदय, पूरे गुजरात में अकाल के बादल छाए हुए हैं। सबसे ज्यादा अकाल का प्रभाव साबरकांठा, बनासकांठा, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ और कच्छ में पड़ा है। पानी की विकट समस्या है। किसानों के पास आमदनी नहीं है। सरकार ने अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया है और लोग अपने पशुधन को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण कर रहे हैं और इसको रोकने के लिए तथा घास-चारे के लिए सरकार कोई प्रबंध नहीं कर रही है। सरकार ने जिला-बन्दी कर दी है। एक जगह से दूसरी जगह पर घास ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेरी आपसे विनती है कि इस सूखे के अंदर कोई भी प्राणी भूख तथा प्यास से न मरे तथा मेरी यह प्रार्थना भी है कि केन्द्र की तरफ से, यहां से एक डैपुटेशन जाए, जो वहां जाकर देखभाल करे कि किन-किन जिलों में सूखा पड़ा है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाए क्योंकि जो सरकार वहां चल रही है वह मायनारिटी की सरकार है और पूरा ध्यान वहां के लोगों के कल्याण पर नहीं दे रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि यहां से कोई डैपुटेशन जाना चाहिए जो यह पता लगाए कि इस सूखे के कारण वहां पर कितने पशु और कितने आदमी मरे हैं। वहां पर लोग अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर कत्लखाने में बेच रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सूखा तो मध्य प्रदेश में भी बहुत से क्षेत्रों में पड़ा है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके पास भी आऊंगा। यह गुजरात के बारे में था।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में भी बहुत सूखा पड़ा हुआ है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पाठक जी, अगर आप इतने ही पर्टिकुलर थे, तो आप प्रश्न दे देते। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित आटो ट्रैक्टर को सिपानी उद्योग समूह, बंगलौर को बेचे जाने और सिपानी उद्योग समूह द्वारा उसमें तालाबंदी का विरोध करने वाले लगभग 600 श्रमिकों को लखनऊ, उन्नाव तथा रायबरेली के जिलों में बंद कर रखा गया है। ये श्रमिक तालाबंदी एवं श्रमिकों की छंटनी को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन मानते हैं। उनका दावा सही भी है। आज तालाबंदी एवं छंटनी के कारण इन श्रमिकों के परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है।

उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने उत्तर प्रदेश के बेचे गये तीन सीमेंट कारखानों को वापस अपने अधिकार में लेकर पुनः चालू कर दिया है। पर अपने वायदे के मुताबिक प्रतापगढ़ स्थित उपरोक्त आटो ट्रेक्टर कारखाने को वापस अपने कब्जे में पता नहीं क्यों नहीं लिया।

अदालत के स्टे के कारण उक्त कारखाने के सभी शेयर भी अभी सरकार के पास हैं। जिसके पास 51 प्रतिशत शेयर होते हैं वही संबद्ध प्रतिष्ठान का मालिक हो जाता है। लेकिन आटो ट्रेक्टर के मामले में सिपानी के पास अभी एक भी शेयर नहीं है फिर भी वह मालिक बना बैठा है।

हमारी सरकार से मांग है कि जिस तरह उ० प्र० के सीमेंट कारखानों का सौदा रद्द कर सरकार उन्हें अपने हाथ में लेकर चला रही है उसी तरह से आटो ट्रेक्टर का सौदा रद्द कर उसे अपने हाथ में लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दे। आटो ट्रैक्टर के गिरफ्तार श्रमिकों को रिहा कराए तथा उक्त कारखाने की तालाबंदी समाप्त करने का प्रदेश सरकार को निर्देश दे।

[अनुवाद]

श्रीमती बासवा राजेश्वरी (बेल्लारी) : अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच वर्षों से बेल्लारी में दिमागी बुखार का प्रकोप बना हुआ है। बेल्लारी में आंध्र प्रदेश, आनन्तपुर तथा कुरनूल जैसे पड़ौसी जिलों तथा कर्नाटक के चित्रदुर्ग और रायचूर जिलों में भी दिमागी बुखार के मरीज आते हैं। पहले ही इस वर्ष 16 मौतें हो चुकी हैं तथा विभिन्न अस्पतालों में दिमागी बुखार के 80 मरीज दाखिल हैं। अभी तो दिमागी बुखार है या नहीं इस बात की पुष्टि के लिए रोगियों के खून के सैम्पल जांच के लिए बंगलौर अथवा पुणे भेजे जाते हैं। जब तक जांच रिपोर्ट आती है तब तक रोगी, जो कि अधिकतर बच्चे होते हैं, या तो मर चुके होते है, या फिर डिस्चार्ज हो चुके होते हैं, यही नहीं बरन जांच सुविधा के अभाव में इस महामारी सबंधी ठोस जानकारी नहीं मिल पाती है और इसलिए वैज्ञानिक तरीके से किसी भी इलाके में समय पर विरोधात्मक उपाय भी नहीं हो पाते हैं।

महोदय, 'भारतीय चिकित्सकसंघ, बेल्लारी' आपसे सविनय अनुरोध करता है कि बेल्लारी में नैशनल इंस्टीच्यूट आफ वायरोलोजी पुणे के तत्वावधान में डायग्नोस्टिक तथा रिसर्च वायरल यूनिट स्थापित किया जाए जिसमें कि स्थानीय सरकारी मेडिकल कालेज का सक्रिय योगदान लिया जाए।

इसे यथावधि देश के इस भाग में एक माडल यूनिट के रूप में विकसित किया जा सकता है। यह संस्था केवल कर्नाटक के लिए ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के लिए भी काफी सहायक सिद्ध होगी।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, सोयाबीन उद्योग में लगने वाला हेक्जेन नामक रसायन जिसकी आपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जानी होती है, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन और भारत पेंट्रोलियम कार्पोरेशन के द्वारा विगत महीनों और खासकर एक सप्ताह के अन्दर उसकी आपूर्ति ठीक न होने से देशभर के सोयाबीन उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है विशेषकर मध्य प्रदेश में जबकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन के संयंत्र लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में इस हेक्जेन नामक रसायन की आपूर्ति शीघ्र की जानी आवश्यक है। ऐसी दस हजार किलो लीटर की आपूर्ति के स्थान पर केवल चार हजार मात्र आपूर्ति की गई है। इसके कारण सोयाबीन उद्योग बन्द होने की स्थिति में आ गये हैं। इससे हजारों मजदूर बेकार हो सकते हैं। सोयाबीन खली जो बाहर भेजते हैं वह अब निर्यात भी नहीं हो रही है जिसके कारण विदेशी मुद्रा की प्राप्ति पर भी उसका विपरीत असर हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि क्योंकि पेंट्रोलियम पदार्थ केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र की चीज है, केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करके जल्दी से जल्दी हेक्जेन पदार्थ उपलब्ध कराए ताकि देश के और विशेषकर मध्य प्रदेश के सोयाबीन उद्योग किसी प्रकार से प्रभावित न हों और वे ठीक से चल सकें।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है। हालांकि मध्य प्रदेश शासन ने सूखा घोषित कर दिया है लेकिन न लगान स्थगित किया, न करों की वसूली स्थगित की, न कोई राहत कार्य खोला गया है। पूरे स्थान पर मजदूरों का पलायन हो रहा है और पेयजल की पूरी तरह से अव्यवस्था है। एक पैसा भी जिलों में नहीं भेजा गया, केवल झाबुआ जिले में चुनाव के लिए थोड़ा पैसा भेजा गया था। राहत कार्य बन्द पड़े हैं। पांडेय जी ने जो ऐग्जीन की बात की है, सोयाबीन उद्योग को चलाने के लिए ऐग्जीन की व्यवस्था तत्काल करनी चाहिए। सम्पूर्ण सोयाबीन उद्योग ठंडा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से सोयाबीन के भाव में भी फर्क आने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मध्य प्रदेश सरकार को कहा जाए कि राहत कार्य तत्काल चालू करे ताकि पलायन रुक सके।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर स्थित खाद का कारखाना बंद होने से हजारों मजदूर जो खाद के कारखाने पर निर्भर रहते थे आज सड़क पर आ गए हैं। ···(**व्यवधान**)

श्री गुमानमल लोढ़ा (पाली) : अध्यक्ष जी, मैं चार दिन से लगातार आपसे निवेदन कर रहा हूं। 10 दिसम्बर को तीन बीघा का क्षेत्र जो बंगलादेश को दिया जा रहा है, उसके संबंध में मुझे आपसे निवेदन करना है।··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपको अगर यह मालूम है कि 10 तारीख को दे रहे हैं तो मैं गवर्नमेंट को स्टेटमेंट देने के लिए कहूंगा।

[अनुवाद]

आप ऐसे नहीं बोल सकते, यदि आप कहते हैं कि ऐसा किया जा रहा है तो इसका आपको उत्तरदायित्व लेना होगा।

(**व्यवधान**)

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस बारे में दिल्ली में मीटिंग हो चुकी है। ज्योति बसु जी उसमें आये थे ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप जिम्मेवारी से कहें तो मैं सरकार को वक्तव्य देने के लिए कह सकता हूं। परन्तु आपको जिम्मेवारी लेनी होगी। पहले आप मंत्री महोदय से जानकारी ले लीजिए। ऐसे नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं गोरखपुर के खाद के कारखाने के बन्दी का मामला उठा रहा हूं। आज सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की खुशहाली का एकमात्र माध्यम गोरखपुर का खाद का कारखाना है। ढाई हजार के करीब मजदूर इसके बन्द होने से आज सड़क पर आ गये हैं। ढाई हजार दैनिक वेतन के श्रमिक नौकरी से निकाल दिये गये हैं और ढाई हजार श्रमिक जो कि नियमित तौर पर थे, उनको आज वेतन नहीं मिल रहा है। उनके भी सामने भुखमरी की स्थिति है। साढ़े पांच सौ टन यूरिया प्रतिदिन तैयार करने वाला वह फर्टिलाइजर का कारखाना था। आज पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की खाद की जो आपूर्ति है, वह विदेशी खाद मंगा कर की जा रही है। उस कारखाने के बन्द होने से विदेशी मुद्रा बरबाद हो रही है। 23 करोड़ रुपया हर साल का, उसकी बन्दी की वजह से फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया को घाटा हो रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि हिन्दुस्तान की सरकार उसी के साथ दो फर्टिलाइजर के कारखाने और भी जो बंद थे, उनको आर्थिक सहायता देकर फिर से चालू कर दिया लेकिन गोरखपुर के खाद के कारखाने के ऊपर सरकार की कुछ कोप की दृष्टि है। आज सम्पूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश में चूंकि वही एक बड़ा संस्थान है, केन्द्रीय सरकार की ओर से बड़े औद्योगिक संस्थान के रूप में स्थापित था, उसके चलते छोटी-छोटी इकाइयां वहां कार्यरत थीं, वे सारी इकाइयां आज बन्द हो गई हैं। इसलिये एक औद्योगिक वातावरण संपूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश का, उसकी बन्दी की वजह से समाप्त हो रहा है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पूरी कोशिश करके गोरखपुर के उर्वरक के कारखाने को तत्काल चलाने की कोशिश की जाये जिससे श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने में हम सक्षम हो सकें।

[अनुवाद]

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में काम की कमी, सूत तथा रंगों की कीमतों में अत्यधिक बढ़ोतरी अर्थात् 1988 के मुकाबले में कीमतों में शत-प्रतिशत बढ़ोतरी इत्यादि के परिणामस्वरूप 95 बुनकरों की भूख से मौत हो गई। बिजली करघों पर बने कपड़े के साथ कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के कारण हथकरघों पर बने कपड़े की कीमतों में काफी कमी करनी पड़ी तथा यह कीमत 5 रुपए प्रति साड़ी तक आ गई जिससे कि उन्हें मजदूरी भी नहीं मिल पाती थी।

आंध्र प्रदेश में लगभग 5.50 लाख हथकरघे हैं और सबके सब आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बुनकरों के बारे में लिए गए अलोकतांत्रिक और अमानवीय निर्णयों के कारण बन्द पड़े हैं। इन गरीब बुनकरों की दुर्दशा के निम्नलिखित कारण हैं :

1. आंध्र प्रदेश सरकार ने एक सरकारी आदेश द्वारा समाज कल्याण विभागों द्वारा हथकरघों में बने कपड़े की खरीद पर पाबन्दी लगा दी। श्री एन० टी० आर० के शासनकाल के दौरान महानिदेशक ने हथकरघों पर बना सारा कपड़ा समाज कल्याण विभाग तथा दूसरे सरकारी विभागों द्वारा खरीदने के आदेश दिए थे।

2. केन्द्रीय सरकार ने 'जनता क्लाथ' के उत्पादन में 25 प्रतिशत की कमी कर दी है।

3. शीर्ष संस्था एपको, बुनकरों के हितों की रक्षा में असफल रही है। आंध्र प्रदेश सरकार बुनकरों को 40 करोड़ रुपए का भुगतान करने में असफल रही है।

4. आंध्र प्रदेश में लगातार चक्रवातों के आने के कारण, बुनकरों के घर, खड्डियां, औजार, सम्पत्ति इत्यादि नष्ट हो गए हैं, तथा सरकार ने 200 रुपए प्रति परिवार के अतिरिक्त और कोई सहायता उपलब्ध नहीं करवाई है।

5. आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रियायती दर पर राशन भी उपलब्ध नहीं करवाया जाता है।

यह एक शर्मनाक बात है कि स्वतन्त्रता के 44 वर्ष बाद भी भूख के कारण 95 मौतें हुई जबकि हमारे प्रधानमन्त्री श्रीलंका तथा दूसरे देशों को हवाई जहाजो में भरकर भोजन तथा सैकड़ों टन चावल भेज रहे हैं और उनके अपने भाई-बन्धु भूख से मर रहे हैं और 5.50 लाख परिवारों की स्थिति अत्यंत दंडनीय हो गई है।

इसलिए मैं भारत सरकार तथा कपड़ा मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे आंध्र प्रदेश के गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री से पूछताछ करें तथा 5.50 लाख बुनकरों के परिवारों के दुःखों का निवारण करने में सहायता करें।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष जी, मेरे लिए भी समय हो तो दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं आपको इनके बाद समय देता हूं।

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में बहुत-सी जगह करीब-करीब ढाई महीने से बरसात नहीं हुई, कुछ में अभी-अभी हुई। कुछ इलाकों में, अगर 2-4 तालुकों को छोड़ दिया जाये तो बहुत ही खराब स्थिति हो रही है। हमने केन्द्रीय शासन से बहुत कुछ मांगा है कि मदद की जाय लेकिन अभी कोई मदद नहीं हो रही है इसलिए कि वहां सूखा इस प्रकार से हो रहा है कि पीने के पानी की दिक्कत हो रही है। कई-कई जगह तो ऐसा है कि वहां अगले महीने से पीने का पानी नहीं मिलेगा, इस प्रकार की सिचुएशन हो रही है। इसके लिए केन्द्रीय शासन के पास महाराष्ट्र शासन ने मदद के लिए भेजा हुआ है लेकिन मदद नहीं आ रही है तो हम केन्द्रीय शासन से यह कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र शासन ने जो भी मदद मांगी है, उसके मुताबिक जल्दी से जल्दी दी जाए।

श्री तेज नारायण सिंह : अध्यक्ष जी, बिहार राज्य के भोजपुर जिले में जगदीशपुर अंचल में 1989 में 4 करोड़ 85 लाख 30 हजार रुपये की लागत से एक पावर ग्रिड का शिलान्यास हुआ था। यह भारत सरकार की योजना थी। इस पर 6 लाख रुपया खर्च होने के बाद सरकार ने

इसका काम बन्द कर दिया है और यहां से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है। यह पैसा भारत सरकार को ही देना है। मैंने भारत सरकार के पास कई बार पत्र लिखे और बिहार सरकार के मुख्य मंत्री ने कहा कि पावर ग्रिड में काम लगाया जाय तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन कई बार पूछने के बाद कल मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है, भारत सरकार के उर्जा मंत्री के माध्यम से, जिसमें लिखा गया है कि इसके लिए आप बिहार सरकार के बिजली बोर्ड से सम्पर्क करें। यह भारत सरकार द्वारा बिहार में पावर ग्रिड बनाने का सवाल है और यह भारत सरकार की ही योजना है। अगर भारत सरकार 4 करोड़ 85 लाख 30 हजार रुपया नहीं देगी तो मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं दिसम्बर महीने में किसी भी तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर लोक सभा के सामने बैठूंगा और जब तक भारत सरकार यह रुपया ग्रिड बनवाने के लिए नहीं देगी तब तक मेरा धरना समाप्त नहीं होगा। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं, भारत सरकार से कि 4 करोड़ 85 लाख 30 हजार रुपये की लागत से भोजपुर जिले में जगदीशपुर में जो पावर ग्रिड बनने वाला है, उसको यह रुपया दे दिया जाय। चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस की हुकूमत जाने के बाद फिर कांग्रेस की हुकूमत आई है इसलिए इनकी नियत खराब नहीं होनी चाहिए और रुपया जल्दी से जल्दी दे दिया जाना चाहिए जिससे कि पावर ग्रिड का काम समय पर हो सके।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, हमने एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है। यदि आप हमें एलाउ नहीं करेंगे तो हम लोग वाक आउट करेंगे। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है। अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

12.37 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

दालें, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल (भंडारण नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1991 और भारतीय मानक ब्यूरो (उपभोक्ता संगमों को मान्यता) नियम, 1991

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

1. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दालें, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल (भंडारण नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1991, जो 26 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 485 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
2. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (उपभोक्ता संगमों को मान्यता) नियम, 1991, जो 9 अक्तूबर, 1991 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 619 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 761/91]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय वन सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1991, जो 24 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 473 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1991, जो 24 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 474 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1991, जो 14 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 526 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1991 जो 14 सितंबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 527 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1991, जो 5 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 564 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय वन सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 1991, जो 5 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 565 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय वन सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1991, जो 19 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 583 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय वन सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 1991, जो 19 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 584 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन

विनियम, 1991, जो 13 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 403 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1991, जो 13 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 404 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) पहला संशोधन विनियम, 1991, जो 7 सितंबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 492 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1991, जो 7 सितंबर, 1991 के भारत के राजपत्र से अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 493 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) भारतीय पुलिस सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1991, जो 21 सितंबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 537 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1991, जो 19 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 585 में प्रकाशित हुए थे ।

(पन्द्रह) भारतीय पुलिस सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) पांचवा संशोधन विनियम, 1991, जो 19 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 586 में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह) भारतीय पुलिस सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1991, जो 19 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 587 में प्रकाशित हुए थे ।

(सत्रह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1991, जो 19 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 588 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 762/91]

(2) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 763/91]

(3) (एक) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 764/91]

(4) (एक) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 765/91]

ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1989-90 और केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसियेशन आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसियेशन आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 766/91]

(2) (एक) केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्ररण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 767/91]

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(2) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। (देखिए संख्या एल० टी० 768/91]

12.38 म० प०

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 26 नवम्बर, 1991 को हुई अपनी बैठक में पारित कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1991 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

राज्य सभा द्वारा यथा पारित कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथा पारित कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1991 सभा पटल पर रखता हूं।

12.39 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, श्री राम विलास पासवान ने हरिजनों पर किए गए अत्याचारों के संबंध में एक सूचना दी है और स्वयं दिल्ली में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक वरिष्ठ विद्यार्थी को विश्वविद्यालय के भोजनालय में भोजन नहीं करने दिया गया। जब यह मामला वार्डन की जानकारी में लाया गया तब वार्डन और प्रोफेसरों ने कहा कि यह विद्यार्थियों का आपसी मामला है। इस बारे मे कुछ नहीं किया गया है।

हमने अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम पारित किया हुआ है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जा रहा है। पूरे देश में क्या संदेश दिया जा रहा है ? श्री राम विलास पासवान ने यह मुद्दा उठाया और इसके साथ-साथ पुलिस द्वारा किए जा रहे अत्याचार और नहर में शव फेंकने का मुद्दा भी उठाया गया है।

यदि आप यह मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं देंगे और सरकार के ध्यान में यह मुद्दा नहीं लाया जाएगा तब सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? मेरा यह अनुरोध है कि कृपया उन्हें बोलने का मौक दें । सरकार सदन को यह आश्वासन दे कि वह इस बारे में आवश्यक कदम उठाएगी । महोदय, हम भी यही कह रहे हैं । ऐसे मामलों पर हमारे पास अपना विरोध प्रकट करने और सभा का बहिष्कार करने के अलावा कोई चारा नहीं है । कृपया हमें ऐसा करने के लिए मजबूर मत करिए ।······(व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का मामला अत्यंत गंभीर है । हम भी इस पर चर्चा करना चाहते हैं···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है, छः हरिजनों को मारकर उनको नहर में फेंक दिया गया···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप लोग बैठ जाइए ।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : महोदय, कृपया पहले हमारी बात सुनिए । हम पांच व्यक्ति एक ही मुद्दा उठा रहे हैं । माननीय शहरी विकास मंत्री यहां उपस्थित हैं । आवास समिति के सभापति जी यहां हैं । लगभग 50 भूतपूर्व संसद सदस्यों और भूतपूर्व मंत्री अनधिकृत ढंग से सरकारी आवासों में रह रहे हैं । लगभग 50 वर्तमान संसद सदस्यों को अभी तक सरकारी आवास नहीं दिया गया है । पांच महीने का समय बीत चुका है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे बैठ जाएं ।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : महोदय, हम एक ही मुद्दे को उठा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए । किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तथा उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल करने के लिए एक सदस्य को ही बोलना होता है । यदि चार या पांच सदस्य एक साथ बोलते हैं तो यह ठीक नहीं हैं । मैं जानता हूं कि कल भी आपने इस मुद्दे पर आक्रोश प्रकट किया था । मैं जानता हूं कि आपका गंभीर मामला है । कोई भी इस विषय पर बोल सकता है । बाद में श्री राम विलास पासवान अपनी बात कहेंगे ।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, हमें बहुत सारे एमपीज ने इस प्वाइंट को उठाने के लिए कहा है । बहुत सारे सीटिंग एमपीज को एकॉमोडेशन नहीं मिला है और पांच महीने बीत चुके हैं । कुछ एक्स-एमपीज और एक्स-मिनिस्टर्स अनअथोराइज्ड तरीके से गवर्नमेंट के एकॉमोडेशन में हैं । हाउस कमेटी के चेयरमैन यहां पर हैं और आनरेबिल मिनिस्टर महोदया भी यहां सदन में हैं, हम बताना चाहते हैं कि पांच महीने से हम सड़क पर बैठे हैं । इस वजह से हम अपनी ड्यूटीज भी पर फार्म नहीं कर पा रहे हैं । हमारे पास कोई एकॉमोडेशन नहीं है और कुछ लोग नाजायज तरीके से बैठे हैं । पांच महीने बीत चुके हैं और पांच महीने गुजर जायेंगे, उसके बाद यह हाउस नही रहेगा और हम बिना घर चले जायेंगे । यहां लोक सभा सदन में आने से

पहले हमें रोजाना हाउस कमेटी के सामने जाना पड़ता है। हमारे पास लोग आते हैं और हम उनको एडजस्ट भी नहीं कर सकते हैं। हम आनरेबिल मिनिस्टर महोदया से हाथ जोड़ कर कहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान करें। लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें आउट-ऑफ-टर्न एकॉमोडेशन दिला दो, हम उन्हें कहते हैं कि हम खुद नहीं ले पा रहे हैं, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। यह तीस लोगों द्वारा साइन किया हुआ पत्र हम सभा पटल पर रखना चाहते हैं।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

श्री राम नाईक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि शून्य काल समाप्त हो चुका है। मंत्रियों ने सभा पटल पर पत्र रख दिए हैं। अब शून्य काल नहीं हो सकता है। महोदय, इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को कल उठाने की अनुमति दें। अब कार्यवाही शुरू हो गई है और इसे जारी रखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम नाईक ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। हम कार्यवाही शुरू कर चुके हैं। मैं जानता हूं कि हमारे मित्रों ने कल भी इस मुद्दे पर काफी आक्रोश प्रकट किया था और अपनी शिकायतें बताना चाहते थे। यह आवास से संबंधित मामला है। वे कल भी काफी उत्तेजित थे तथा सभा में उनकी बात नहीं सुनी गयी थी। उचित सर्वसम्मति के अभाव में उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिल पाया था। मेरे विचार से उन्हें एक अवसर दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे पूर्वोदाहरण के तौर पर नहीं लिया जा सकता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : महोदय, मैं समझती हूं कि माननीय संसद सदस्यों को मकान पाने का अधिकार है और जिनको आवास मिला हुआ है, वे उसके अधिकारी नहीं हैं। हमने उन्हें मकान खाली करने के आदेश दिये थे। इन लोगों ने अदालत में जाकर दरख्वास्त की तथा अदालत ने स्थगन आदेश जारी कर दिये हैं। इस समय हम यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उन्हें हम कैसे वहां से निकालें ताकि माननीय संसद सदस्यों को रहने के लिए आवास उपलब्ध हो सकें। संसद सदस्यों को होने वाली असुविधा के लिए हमें बेहद अफसोस है और मैं भी उनके इस दुःख में शरीक हूं। जब वे आवास की मांग करते हैं, तो इसकी मांग करना उनका अधिकार है। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मेरे हाथ मजबूत किए हैं। संभवतः वे यह महसूस करेंगे कि जितने वे उत्तेजित हैं मैं भी उनके बारे में उतनी ही चिन्तित हूं।······
(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह वास्तव में बहुत अच्छा है कि माननीय मंत्री जी ने संसद के माननीय

सदस्यों को आवास सुविधा देने की आवश्यकता महसूस की है और वह सभी आवश्यक कदम उठाएंगी ताकि आप सभी को यथाशीघ्र आवास उपलब्ध कराये जा सकें।

(व्यवधान)

श्री के० वी० तंगकाबालू (धर्मपुरी) : सांसदों को आवास सुविधा के अभाव में काफी कठिनाई हो रही है और बार-बार वे आवास के लिए अनुरोध कर रहे हैं। परन्तु वे संसद सदस्यों को आवास का आबंटन नहीं कर रहे हैं जबकि सरकारी कर्मचारियों को आवास सुविधा दी जाती है। हम सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं हैं। उन्हें पर्याप्त आवास सुविधा मिलती है। सरकार संसद के माननीय सदस्यों को आवास सुविधा दे सकती है।

श्रीमती शीला कौल : यह बिल्कुल गलत है। इस समय कोई आवास उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उनमें पहले ही अवैध रूप से लोग कब्जा किए हुए हैं।

श्री के० वी० तंगकाबालू : सरकार को अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों से मकान खाली कराने के लिए एक कानून बनाना चाहिए ताकि सांसदों को आवास प्राप्त हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : खैर, यह बहुत अच्छा है कि आपने सभा में इस मुद्दे को उठाया है। सभा में आपकी इस बात से माननीय मंत्री जी को काफी बल मिला है तथा वह इस संबंध में आवश्यक उचित कदम उठायेंगी। ऐसा लगता है कि किसी प्राध्यापक को मारा गया है या कोई ऐसी ही घटना घटी है। मेरे विचार से हमें श्री राम विलास पासवान को एक अवसर देना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि जिन दिक्कतों का मैं यहां पर सामना कर रहा हूं, आप उन्हें समझेंगे। वास्तव में, हम कार्यसूची पर काफी आगे विचार-विमर्श कर चुके हैं। परन्तु यह एक गंभीर मामला है। हमारे सभी माननीय सदस्य कल भी काफी उत्तेजित थे तथा उनकी बात कल नहीं सुनी जा सकी। इस मामले पर उत्तेजित होने का उन्हें पूरा अधिकार है। मेरे विचार से हमें इसी मुद्दे पर विचार करना चाहिए और कार्यसूची के अनुसार सभा की कार्यवाही आगे चलानी चाहिए। मुझे आशा है कि आप इसे पूर्वोदाहरण के तौर पर नहीं लेंगे और इस संबंध में मेरे साथ सहयोग करेंगे। इस आश्वासन के साथ क्या अब मैं सभा की कार्यवाही आगे बढ़ाऊं? क्या अब मैं माननीय सदस्य से बोलने का अनुरोध करूं? मुकुलजी और दूसरे माननीय सदस्य अपने विचार कल रख सकते हैं।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढ़ाना) : श्री पासवान और मुझमें एक समझौता हो गया था। मैं पहले उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा और फिर वह मुझे बोलने की अनुमति देंगे। यदि वह अकेले ही बोलने जा रहे हैं तब मैं उस समझौते को नहीं मानता। (व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : कृपया श्री राम विलास पासवान, श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक और हम सभी को एक अवसर दीजिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हमें एक समझौता कर लेना चाहिए। दो अथवा तीन सदस्य दो-दो मिनट के लिए बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, 21 लड़कियों पर अत्यधिक क्रूरतापूर्वक हमला किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : थामस जी, हम सभा की कार्यवाही परस्पर समझबूझ से ही चला सकते हैं। यदि हम इस तरह अनुमति देंगे तब हर सदस्य के अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्यायें हैं और ये संपूर्ण देश से संबंधित हैं। अत: अब हमें मुख्य विषय पर विचार करना चाहिए। इस सभा की सहमति से क्या मैं श्री राम विलास पासवान, श्री मुकुल वासनिक और शास्त्री जी को अनुमति दे दूं ?

श्री पी० सी० थामस : यदि पासवान जी कुछ कह रहे हैं तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वह मेरे विचार भी व्यक्त कर दें क्योंकि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ये महिलाओं के संबंध में है······ **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। मेरे विनिर्णय से हमारे कुछ मित्रों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। आपकी सहमति से मैं निर्धारित कार्यसूची से थोड़ा-सा हट रहा हूं तथा इसे पूर्वोदाहरण के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए।

12.51 म० प०

दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जातिवाद और देश में हरिजनों पर अत्याचार के बारे में

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष जी, आप समझ सकते हैं कि मैं जिस चीज को उठाना चाहता हूं, वह कितना गंभीर मामला है। इसमें सभी पक्षों के माननीय सदस्य चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, अपोजीशन के हों, सभी इस मामले को उठाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस है कि चेयर बाकी सब मामलों को उठाने की इजाजत देती है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण मामला जो अनुसूचित जाति-जनजाति का तथा गरीबों का मामला है, इस बारे में नेशनल फ्रंट, लैफ्ट फ्रंट और कांग्रेस आई० के सदस्यों द्वारा नोटिस दिया गया है, ऐसे महत्वपूर्ण विषय को इगनोर करती है। मैं नहीं समझता कि हाउस कैसे चल पाएगा। मैं आज आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि चेयर का यही रवैया रहा और ऐसे महत्वपूर्ण इशू को जानबूझकर ढकने की कोशिश की गई तो आप हमें भी बाध्य करेंगे जैसे दूसरे माननीय सदस्य वैल में आकर करते हैं, वैसे ही हम भी करें। कोई हम अपनी नौकरी का सवाल यहां पर नहीं उठा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हाउस के सेंटीमेंट्स को समझा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : हम आपके आभारी हैं। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : यह मामला कोई एक स्टेट या एक जगह का नहीं है। अभी लीडर आफ दी हाउस श्री अर्जुन सिंह यहां पर रहते तो उनके सामने मुझे इस मामले को उठाने से ज्यादा लाभ मिलता, लेकिन वे चले गए हैं, उनकी मिनिस्ट्री का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली भारत की राजधानी है और यहां पर जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 16 तारीख को शेड्यूल्ड कास्ट के सदस्य को खाना नहीं खाने दिया गया और खाने

की जगह से, डाइनिंग टेबल से यह कह कर हटा दिया गया कि तुम शेड्यूल्ड कास्ट हो। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने इस मामले को टेकअप किया और घेराव किया। घेराव करने के बाद वहां जो मैस मैनेजर हैं.···*··· जो वार्डन हैं, प्रोफेसर हैं, उनके नजदीक जब गए तो उन्होंने कहा कि भंगी, चमार लोगों को साथ खाने का क्या अधिकार है। इसके खिलाफ थाने में एफ० आई० आर० दर्ज की गई।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन नामों का उल्लेख मत कीजिए बल्कि उनके पद नाम बताइये।

श्री राम विलास पासवान : उन्होंने भंगी और चमार कहा था।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, जब स्टूडेंट्स द्वारा एफ० आई० आर० दर्ज की गई तो दिल्ली प्रशासन को चाहिए था कि अनटचेबिलिटी एक्ट, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो एफ० आई० आर० दर्ज की गई थी, उसके तहत गिरफ्तारी की जाती, लेकिन आज तक वार्डन को गिरफ्तार नहीं किया गया। उसका नतीजा है कि वहां पर आंदोलन चल रहा है और निर्दोष लड़कों को फंसाया जा रहा है, राइटिंग में फंसाया जा रहा है, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया जा रहा है। आज नतीजा यह है कि यूनिवर्सिटी अशांत हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई इस समय जबाब-देह मिनिस्टर है यहां पर या नहीं, आप सरकार से कहिए कि इस संबंध में स्टेटमेंट दें।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मामला आपके स्टेट कर्नाटक का है। कर्नाटक में आपको मालूम है कि मैसूर एक जगह है। मैसूर के बगल में एक जगह सरगूर है। वहां मैं 20 तारीख को गया हुआ था। वहां पर 11 नवंबर को 6 शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को हाथ-पांव-गर्दन काट कर उसको नाले में फेंक दिया गया। हमें इस बात का अफसोस है, 22 तारीख को मैंने पार्लियामेंट में इस मामले को उठाया था, सारी चीजों को संसद समीक्षा में मैंशन किया गया, लेकिन इतने बड़े इशू को संसद समीक्षा में लेने की जरूरत नहीं समझी गयी, न्यूज की बात तो दूर रही। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार क्या चाहती है? क्या इस देश में खून-खराबे की भाषा समझना चाहती है? 11 तारीख की घटना, उस दिन चेयर की तरफ से कहा गया···

[अनुवाद]

मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा। वे तथ्य कौन से हैं? सरकार क्या कर रही है? सरकार कोई तथ्य क्यों नहीं बता रही है?

[हिंदी]

इस तरह की जघन्य घटनाएं घटें, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की बूचड़ किया जाए दिल्ली में यूनिवर्सिटी में इस तरह से डिसक्रीमीनेशन हो और चेयर एक मिनट के लिए एलाऊ करे, अपनी भावना व्यक्त करने के लिए, तो हम लोग पार्लियामेंट में किसलिए आए हैं? पार्लियामेंट में हम

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्या झाड़ू लगाने के लिए आए हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपसे आग्रह करता हूं कि आप चेयर की तरफ से सरकार को डायरेक्ट करें कि सरकार इस संबंध में आगे आए और सदन को बताने का काम करे। मैं यही आपसे आग्रह करना चाहता था।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उपाध्यक्ष जी, जैसा कि हमारे राम विलास जी ने कहा कि सरकार मौजूद है और उसके बाद भी हरिजनों पर अत्याचार, उनकी हत्याएं, उनका शोषण हो रहा है। श्रीमान्, कर्नाटक की घटना है, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी की घटना है, मैं एक घटना और बताना चाहता हूं। बीपत राम नाम का हरिजन एक दिन वाराणसी में एस० एस० पी० से शिकायत करने गया कि आपका थाना इन्चार्ज हरिजनों पर अत्याचार कर रहा है। पुलिस के अधीक्षक ने तत्काल उस थानेदार को निर्देश दिया और उससे पूछताछ की। इसके बाद थानेदार दो नवंबर को प्रातः उसके घर पहुंच जाता है, नंगे ही उसको ले जाता है, मारते-मारते थाने ले जाता है। रास्ते में जब वह कहता है कि मैं हरिजन लीडर हूं तो उस दरोगा द्वारा कहा जाता है कि हिन्दुस्तान के हरिजन लीडरों को पेशाब मैं पिलाता हूं। दो तारीख को 4.30 बजे रात को बीपत राम की घटना है। बीपत राम बनारस का रहने वाला है दयाराम नाम का दारोगा पांच आदमियों के साथ उसे पीटता है। जब बीपत राम प्यास के मारे तड़पता है तो उसको दयाराम भास्कर दारोगा पेशाब पिलाता है। यह खबर एस० एस० पी० के पास जाती है, डी० एम० वाराणसी के पास जाती है तो एस० एस० पी० और डी० एम० वाराणसी उसको बुलाते हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद वह थाने में जाकर बीपत राम को नंगा करके पीटता है। मैडिकल कराने के बाद उसके हाथ-पैर तोड़ दिए हैं। अभी बीपत राम अस्पताल में पड़ा हुआ है। दारोगा कहता है कि हम हरिजनों को पेशाब पिलाते हैं, तुमको पेशाब पिलाया और तुम्हारे बड़े नेताओं को भी मैं पेशाब पिलाऊंगा। बनारस से लेकर दिल्ली में पार्लियामेंट तक जो हरिजनों की वकालत करते हैं उन सारे लोगों को पेशाब पिलाऊंगा। श्रीमन्, अभी तक उसे मुअत्तिल नहीं किया गया। उसको गिरफ्तार किया जाए।

दुःख की बात है कि अभी सुबह मैंने स्पीकर साहब को पर्ची लिख कर दी थी, कालिंग अटेंशन दिया था, 184 का नोटिस दिया था, ऐडजर्नमेंट नोटिस दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बातों की सुनवाई नहीं हुई। जो सरकारी मशीनरी है, जो आपका दूरदर्शन है, रेडियो है, जो हम लोग हरिजनों के बारे में मामले उठाते हैं, उस मामले को अपने यहां से ब्राडकास्ट भी नहीं करते हैं, दबा देते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, दुःख की बात है कि कोई ऐसा जिम्मेदार मिनिस्टर नहीं बैठा हुआ है इस हाउस में। आप सबकी ओर से श्रीमन्, निर्देश दें, हाउस के लीडर चले गए हैं। उनको मालूम था कि राम विलास पासवान और सोनकर शास्त्री आज हरिजनों का मामला उठायेंगे। उन्होंने स्पीकर से बातचीत की और उसके बाद वे उठ कर चले गए। श्रीमन्, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात सुनी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया आप हरिजनों पर अत्याचार के बारे में विशेष वक्तव्य दिलाने की कृपा रेंक।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस विषय पर आपने मुझे बोलने की इजाजत दी। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ के अध्यक्ष मो० तनवीर ने मेरे पास एक निवेदन दिया है। यह बहुत दुखद घटना है कि 15 तारीख को यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी श्री सालान को ब्रह्मपुत्र होस्टल के

कैंटीन में यह कहकर रोका गया कि वह भंगी है। जे० एन० यू० जो सारे हिन्दुस्तान में यह कह कर मशहूर है कि वह हिन्दुस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। वहां इस तरह की घटना होना बेहद दुःखद है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट रुकिये। इस पर 1.00 बजे से अधिक समय तक चर्चा नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : महोदय, केवल एक मिनट। होस्टल के मैस मैनेजर ने उस कर्मचारी को भंगी कहा। उस मैस मैनेजर को वहां के वार्डन और वहां के वाईस चांसलर ने पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया। छात्रों ने जब मैस मैनेजर के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था तो उन छात्रों के विरुद्ध पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिसमें कई छात्र घायल हुए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि तुरन्त वहां के वाईस चांसलर को निष्कासित किया जाए। अगर वहां के वाइस चांसलर को निष्कासित नहीं किया गया तो जे० एन० यू० के छात्र, छात्राएं हो नहीं बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया के छात्र वहां के वाइस चांसलर के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। मैं यह मांग करता हूं कि सरकार को इसे पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमें अपनी सीमाएं भी जाननी चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह देखा था कि सदस्य इस मामले में अत्यधिक उत्तेजित हैं। मेरे विचार से हमारे समाज के लिए यह मामला अत्यन्त चिन्ता का विषय है। समाज में ऐसी घटना और नहीं घटनी चाहिए। अतः मैंने केवल निर्धारित कार्यसूची से थोड़ा-सा हटकर कार्यवाही का संचालन किया था। इस समय 1.00 बजे हैं। सभा के कुछ वरिष्ठतम सदस्यों का परामर्श सुनकर मैंने यह महसूस किया था कि इस सम्बन्ध में मुझे नियमों में थोड़ी ढील देनी चाहिए। अतएव मैं श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य और धनंजय जी से इस पर बोलने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है कि हर राजनैतिक दल ने यह स्वीकार किया है कि अन्याय किया गया है तथा उन्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए। अतः अब श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य बोलेंगी और उसके बाद श्री धनंजय कुमार बोलेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पासवान जी ने इस बारे में आपके दल की तरफ से पहले ही अपने विचार व्यक्त कर दिए है। अब श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य बोलेंगी।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ही ऐसी घटना नहीं घटी है। ऐसी ही एक घटना कुछ वर्ष पूर्व हुई थी जब लक्ष्मण सिंह नामक एक और

कर्मचारी को सिर्फ नीची जाति का होने के कारण ही पुस्तकालय के शौचालय से एक क्षत-विक्षत शव बाहर निकालने के लिए बाध्य किया गया तथा इसके परिणामस्वरूप घोर अपमान की पीड़ा से वह अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठा था और फिर उसने आत्महत्या कर ली थी। महोदय, हम इससे यह बताना चाहते हैं कि जातिवाद का यह जहर जो हमारे सम्पूर्ण समाज में फैल गया है, वही जहर हमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसी आदर्श संस्था में भी दिखाई पड़ रहा है और वहां पर प्रशासन बिल्कुल ठप्प हो गया है, यह सबसे अजीबोगरीब बात हमें वहां पर देखने को मिलती है। महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगी कि ऐसी ही घटना हर स्थान पर घट रही है चाहे वह सरगूर हो, छुंडूर हो, अथवा त्रिपुरा में जनजातीय महिलाओं पर हुए बलात्कार के रूप में हो। अभी हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन को ध्यान में रखते हम सरकार से यह जानना चाहेंगे कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गई हैं और क्या उन सिफारिशों को संसद तथा जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : उपाध्यक्ष महोदय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सफाई कर्मचारी श्री सुल्हान को भोजन करने की अनुमति दी गई थी। वह इसी भोजनालय में भोजन करता है। परन्तु उस दिन अर्थात् इस माह की 16 तारीख को उसे भंगी कहकर वहां पर भोजन करने से रोका गया। जैसा कि यहां पर बताया गया है, इस विश्वविद्यालय में भी जातिवाद काफी जोरों पर है तथा इस कार्य में वार्डन और उप-कुलपति का भी पूरा सक्रिय सहयोग है। प्रशासन के खिलाफ अनेक आरोप लगाये गये हैं। स्वयं उप-कुलपति भी भ्रष्टाचार में संलग्न हैं। जब श्री सुल्हान ने वार्डन से इसकी शिकायत की तब उन्होंने उसे भद्दी भाषा बोलकर गालियां दीं। तब उसे उप-कुलपति के पास जाना पड़ा और जब उप-कुलपति भी वार्डन का साथ देने लग गये तब अन्त में श्री सुल्हान प्रशासन द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से बेहोश हो गये। इस समय विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस मुद्दे को उठाया है। छात्रों ने शांतिपूर्वक आन्दोलन किया और उप-कुलपति को एक ज्ञापन भी दिया था। परन्तु दुर्भाग्य से उप-कुलपति ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया। अब परीक्षाएं चल रही हैं और छात्रों को यह धमकी दी जा रही है कि विश्वविद्यालय के उप-कुलपति और प्रशासन उनका भविष्य चौपट कर देगा। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। श्री सुल्हान ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की और वसंत विहार पुलिस स्टेशन में प्राथमिक सूचना दर्ज की गई है। प्राथमिक सूचना की संख्या 373/91 है। पुलिस इस मामले को दबा रही है और वह इसकी जांच-पड़ताल नहीं कर रही है। अतः छात्र यह मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा करायी जानी चाहिए और वार्डन तथा उप-कुलपति को तुरन्त निलम्बित किया जाना चाहिए। हम छात्रों की मांगों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं अन्यथा न केवल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र ही बल्कि दिल्ली के सारे छात्र भी आन्दोलन छेड़ देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इतने विस्तार से यह बताने की जरूरत नहीं है। सरकार आपकी मांग से काफी प्रभावित है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रोशन लाल (खुर्जा) : हम तो बहुत कम बोलते हैं। एक मिनट का समय दे दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इससे हरेक की भावना को ठेस पहुंचती है। इसमें कोई मतभेद नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि यह कोई आम चर्चा नहीं है। आखिर इस प्रश्नकाल में हमें सरकार के ध्यान में ऐसी असाधारण घटनाओं को लाना चाहिए जिनसे समाज की शांति भंग होती है। अतएव आप सरकार के ध्यान में इस मामले को लाए हैं और इस पर विचार करना अब सरकार का काम है। पूर्व वक्ताओं द्वारा इसी उद्देश्य से यह सब उल्लेख किया गया है।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, पिछले सत्र में अनुसूचित जातियों और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर हम चर्चा कर रहे थे परन्तु अभी भी उन पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी कर्नाटक में लोगों की हत्या करके उनके शवों को नहर में फेंक दिया गया था। जवाहरलाज नेहरू विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति के कर्मचारी को खाना खाने से रोका गया तथा अब वहां के छात्र आन्दोलन कर रहे हैं। यह विश्वविद्यालय पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है तथा यदि ऐसी घटनाएं वहां पर होती रहेंगी तो इससे केवल इन घटनाओं के प्रति सरकार और प्रशासन की कठोरता का ही संकेत मिलता है। सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है और इसीलिए ये घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। विभिन्न अवसरों पर सरकार ने कहा था कि उनके हितों की रक्षा के विशेष उपाय किए जाएंगे। अतः हम जानना चाहेंगे कि कौन से विशेष उपाय किए जा रहे हैं और सरकार ने विशेषकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मामले में क्या कदम उठाया है जहां पर छात्र काफी समय से आन्दोलनरत हैं। ये बातें सारे देश को आन्दोलित करती है। हमारे विचार से, सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए और उस पर सभा में चर्चा होनी चाहिए ताकि दिशा निर्देश बनाए जा सकें। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई मंत्री इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस मुद्दे पर हमें उत्तर चाहिए। जिन तीन घटनाओं की सूचना यहां दी गई है, क्या सरकार उसके बारे में सभा को सूचित करेगी ?

हम सरकार से एक वक्तव्य की मांग करते हैं जिसमें यह बताया जाए कि क्या हुआ था और उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : महोदय, यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है। मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा। किन्तु सरकार को यह वक्तव्य देना चाहिए कि जवाहर लाल विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति के छात्रों के उत्पीड़न के मामले में क्या कार्यवाही की गई है।

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय (राबर्ट्सगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब से लोक सभा का चुनाव हुआ है, बराबर देख रहा हू कि केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अन्याय और बलात्कार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर खीरी, झांसी में हुआ है। वहां पर मोड़ तहसील में कुछ महिलायें अनुसूचित जाति की पढ़-लिख गई हैं जिनमें एक शांति देवी एक स्कूल में प्रधानाध्यापक थीं। उनके साथ सवर्ण जाति के लोगों ने अन्याय किया और उसे वहां से निकाल दिया। कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गयी। उस महिला को आज भी जान का खतरा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन सब सवर्णों की धर-पकड़ नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे स्व० प्रधान-

मंत्री नेहरू के देश में और उस स्कूल में कलंकित कार्य हो रहा है। उनको आज हरिजन, चमार कहकर निकाला जा रहा है। इसका कारण यह है कि हम लोगों का जो रिजर्वेशन है, कोटा पूरा नहीं होता और ये जो सबल सवर्ण पंडित हैं, उनको मिल जाता है और यही हमें भंगी, पासी, चमार, खटीक आदि संख्या में भावना से कहते आ रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शांति देवी का मामला गंभीर मामला है। आप अपनी ओर से सरकार को निर्देशित करें कि उन अत्याचारी सवर्ण लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाये।

श्री रोशन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जब से सदन चालू हुआ है और जब-जब भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार हुए हैं, हमारे नेता श्री पासवान जी ने उनको बयान किया है और घटना बतायी है। चाहे वह चुंडूर की घटना हो या कोई दूसरी जगह हो कोई भी सरकार इस पर वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के एक स्थान ऊंचा गांव की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को हटा दिया गया था। मैंने कलेक्टर को लिखा। उस समय इधर-उधर के लोगों ने आकर हमला किया। मैं तीन रोज से वहां जा रहा हूं और मैंने फिर एस० पी० से और कलेक्टर को कहा है कि जो इसमें एस० आई० जिम्मेदार है, उसको बर्खास्त किया जाये। यह गांव 100 गांवों की बस्ती है जहां जाटव लोग रहते हैं, अब वे डर के मारे वहां से भाग गये हैं। वहां ऐसे हालात हो रहे हैं कि इलेक्शन के बाद 2-3 प्रधान मार दिए गए हैं। चूंकि यह मेरे क्षेत्र खुर्जा में है, इसलिए वहां पर जनता दल को वोट दिया गया। इस संबंध में एफ० आई० आर० नहीं लिखी गयी। एक गांव खटारा सिकन्दराबाद असेम्बली सेगमेंट में है। वहां जाटवों का रास्ता रोक लिया जाता है। कलक्टर से कहा जाता है कि ये प्रचार कर रहे हैं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रोशनलाल जी, यह मामला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री रोशन लाल : जो वहां के अधिकारी लोग हैं, उनसे कहा जाता है कि ऐसे आदमियों को गिरफ्तार कर उन पर कार्यवाही की जाए। अभी 15 तारीख को मैंने सिंचाई विभाग को पत्र लिखा था, पर वहां पर···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को पीठासीन अधिकारियों की परेशानियों को भी समझना चाहिए। हमें नियमों एवं विनियमों के तहत कार्य करना होता है।

[हिन्दी]

श्री रोशन लाल : वहां हजारों आदमी मर जाएंगे। ये सब घटनाएं हैं, इन पर आप गौर करें नहीं तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो गरीब दबाया जाता

है, उसकी भी एक सीमा होती है । जब सीमा पार हो जाती है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रोशन लाल जी, आप मेरी बात सुनिए ।

श्री रोशन लाल : मैं कहना चाहता हूं कि इसको गंभीरता से देखें और गंभीर समस्या समझकर इसका समाधान करें । (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : संविधान की मूल मंशा के विपरीत जो आचरण हो रहे हैं, मैं उस पर कहना चाहता हूं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सबको चांस दिया है, आप जरा बैठ जाएं ।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी समय दिया जाए । हमारे दल को कम समय दिया गया । (व्यवधान)

श्री सुखदेव पासवान (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जे० एन० यू० का मामला बहुत गंभीर मामला है । इसके बाद पूरे देश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं । हरिजन, आदिवासी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और सभी जगह मर रहे हैं लेकिन जब तक सरकार इस पर गंभीरता से कोई ठोस निर्णय नहीं लेगी, तब तक स्थिति सुधरने वाली नहीं है । जे० एन० यू० का जो मामला है, इसमें छात्रों पर घटी घटना के लिए दोषी को गिरफ्तार किया जाए । जब तक ठोस कार्यवाही वी० सी० पर नहीं होगी तब तक पूरे देश में ऐसे मामले होते रहेंगे । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अविलंब वी० सी० को गिरफ्तार किया जाए ।···(व्यवधान)

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि सदन जब आन्दोलित था और सदन का माहौल आन्दोलित था खासकर जे० एन० यू० के मसले पर, आपकी स्पेशल पॉवर के जरिए आपने इस पर समय दिया ।

उपाध्यक्ष जी, पिछले 20-25 महीनों से मैं देख रहा हूं कि दलितों के ऊपर ज्यादा अत्याचार की खबरें निकल रही हैं । वह कुछ हद तक इसलिए बढ़ रही हैं कि दलितों में चेतना बढ़ी है । मैं आपके जरिए आपके लायक दोस्त, जो एकमात्र मंत्री बैठे हैं, कुरियन जी से कहता हूं··· (व्यवधान) हां, गिरिजा व्यास जी भी हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आपने समय दिया, हमको लगता है कि कुरियन साहब इस बारे में हमारे साथ सहमत होंगे कि सरकार की तरफ से जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए इस मामले में, हमको लगता है उसमें कोई कमी है । आप खुद देखें । महाराष्ट्र और मैसूर का किस्सा मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन आप खुद सोचें कि हमारी नाक के नीचे, राजधानी दिल्ली में, जिसके जे० एन० यू० विश्वविद्यालय पर भारत में सबसे अधिक पैसा खर्च होता है, वहां इस तरह की घटना होती है तो अनटचेबिलिटी के ऐक्ट के तहत जो दंड विधान में प्रावधान है वह तो यहां लागू नहीं हुआ । इसलिए मेरा कहना है कि राम विलास जी इसको पहले उठा चुके थे, क्या वजह है कि केन्द्रीय सरकार की सेंसिटिविटी खत्म हो गई, यह तो सुओ-मोटो की कार्यवाही हो गई । भाई ऐसा हम लोगों ने करवाया, क्योंकि यह राज्य सरकार के तहत नहीं है । यह केन्द्र सरकार की विशेष जिम्मेदारी है । सदन का खामखां समय बर्बाद न हो, इसलिए मैं आगे के लिए यह कहना चाहता हूं कि वैलफेयर डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट ये तीनों डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी खास जिम्मेदारी डिवाइड हुई है । इसलिए केन्द्रीय

सरकार की देश के दलित वर्गों के प्रति कांस्टीट्यूशनली जिम्मेदारी है। वह निभा नहीं रही है। मैं कुरियन साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वे पिटे-पिटाए रास्ते पर चलने, जैसे जवाब न देकर अंतर्मुखी (सैल्फ इंस्ट्रोपैक्शन) होकर जवाब देंगे। अगर इसी तरह से अत्याचार होता रहेगा तो कैसे चलेगा। इसमें कांस्टीट्यूशनली जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की बन जाती है। वह इस सैंसिविटी को कम न करें और सदन में जो लोग इससे चिन्तित हैं, उनको दिलासा दिलाएं और उनके विश्वास को कायम करने के लिए मैं इनकी सेंसिविटी को बढ़ाने के लिए इनकी कॉन्सेंसस की अपील करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, प्रो० कुरियन। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : महादय, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हरिजनों व अन्य कमजोर वर्गों पर अत्याचार चाहे वह जहां भी हो रहा है, के प्रति सरकार संवेदनशून्य नहीं है। सरकार ऐसी बातों को गंभीरता से लेगी। इस मुद्दे को उठाने के लिए मैं माननीय सदस्यों के प्रति आभारी हूं। माननीय सदस्य श्री रवि राय ने कहा है कि पिछले दो वर्षों से इस देश में काफी अत्याचार हो रहे हैं। किंतु मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि सदस्यों की भावनाओं को गृह मंत्रालय तक पहुंचाया जाएगा और मैं आश्वासन दे सकता हूं कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ पर्याप्त एवं जरूरी कार्यवाही की जाएगी। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की घटना के बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि यदि उप-कुलपति या अन्य किसी अधिकारी ने कानून का उल्लंघन किया है और हरिजनों व अन्य दलित वर्गों के प्रति किसी अन्य प्रकार का भेद-भावपूर्ण व्यवहार किया है, तो निश्चय ही कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। मैं आपकी भावनाओं को संबंधित मंत्री तक पहुंचा दूंगा ताकि वे उचित कार्यवाही करें। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जवाहर लाल विश्वविद्यालय केन्द्र द्वारा प्रशासित विश्वविद्यालय है। यह एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और दिल्ली में ही स्थित है। जिस वार्डन के अनुसूचित जाति के छात्र को कहा था कि उसे भोजनालय से भोजन नहीं लेने दिया जाएगा, उसके विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। अगर मंत्री द्वारा इसे गृह मंत्री के ध्यान में लाना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि गृह मंत्री आज शाम तक वक्तव्य दे दें क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थित है। सरकार को उसे अति शीघ्र ब्यौरा देने का संदेश भेजना चाहिए। इसे यह भी संदेश भेजना चाहिए कि भारत सरकार पूर्णतः सतर्क है और कार्यवाही करने में सक्षम है। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों की एक विशेष बैठक हुई थी। मैं माननीय मंत्री को यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि इन अत्याचार के जारी रहने की स्थिति में सरकार को एक विशेष निगरानी सेल बनाना चाहिए। जैसा कि श्री रवि राय ने सुझाव दिया है, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा पहले इस मुद्दे को उठाएं और फिर वे इसे सुलझाएं। बल्कि कार्यवाही करने के बन्द उन्हें इस मामले की सूचना सभा को देनी चाहिए और उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। कार्यवाही की गई है अथवा नहीं इसकी सूचना सभा को देनी चाहिए। मैं यही बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। सभा में यह सूचना दी जानी चाहिए कि दोषियों को सजा दे दी गई है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, हमने यहां 22 तारीख को इस मामले को उठाया था और चेयर की तरफ से डायरेक्ट किया गया था—कि हम गवंनमेंट को कहेंगे कि फैक्ट्स को फाइंड-आउट करे। मैंने कर्नाटक का मामला उठाया था कि वहां 6 लोग मारे गए हैं। यह तारीख 11 की घटना है और दिल्ली की घटना 15 तारीख की है और आज 27 तारीख हो गई है। यह यहां पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हू कि हम मामलों को बार-बार सदन में उठाते हैं और इन पर सरकार का थोड़ा-सा भी ध्यान नहीं है जबकि मामला इतना गंभीर है, छः-छः लोगों को बूचड़ कर दिया गया हो, जहां जे० एन० यू० में लड़कों को खाना न मिलता हो, उस मामले में सरकार चुप्पी सीधे हुए है। क्या यह सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या कुरियन जी आश्वासन देंगे कि सरकार इस पर वक्तव्य देगी ?

[अनुवाद]

यह आपका संयुक्त दायित्व है। आपकी सरकार की ओर है। क्या आप सभा को आश्वस्त कर सकते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर वक्तव्य देगी। (व्यवधान)

श्री चन्द्र जीत यादव : हम इस मुद्दे पर एक वक्तव्य की मांग करते हैं। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : हम आज इस पर जोर नहीं दे रहे। किंतु मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इसके बारे में हमें आश्वासन देगी। संसदीय कार्य मंत्री को यहां होना चाहिए; सदन के नेता को यहां होना चाहिए। किंतु यहां सिर्फ दो मंत्री बैठे हुए हैं—एक प्रो० कुरियन हैं तथा दूसरी श्रीमती व्यास हैं। (व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : वे पर्याप्त सक्षम हैं।

श्री राम विलास पासवान : अगर आप सक्षम हैं तो क्या आप सभा को यह आश्वासन दे सकते हैं कि गृह मंत्री एक वक्तव्य देंगे। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि सदन के नेता और अन्य मंत्री शून्य काल तक यहां थे। किंतु आपने सभापटल पर पत्र रखे जाने के पश्चात् इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी। इसलिए, गृह मंत्री या अन्य मंत्री यह पूर्वानुमान नहीं कर सके कि आप नियमित कार्य शुरू होने के पश्चात् इस मुद्दे को उठाने की अनुमति देंगे। नियमित कार्य शुरू होने के बाद, सभा के नेता और अन्य मंत्री सभा से बाहर चले गए। फिर भी, माननीय सदस्यों के इन सुझावों का मैं स्वागत करता हूं कि माननीय मंत्री एक वक्तव्य दें। इसकी सूचना माननीय मंत्री को दी जाएगी और मैं उनसे यथाशीघ्र वक्तव्य देने का अनुरोध करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री अरुणाचलम वक्तव्य देंगे।

1.28 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

दिनांक 20 नवम्बर, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 6 का संशोधनात्मक उत्तर

संदर्भ : **रोहिणी में प्लाटों का आवंटन**

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : रोहिणी में प्लाटों के आवंटन विषयक लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 6 जिसका उत्तर 20-11-91 को दिया गया था, के भाग (ग) के उत्तर में दिए गए विवरण में 1989 (पांचवें ड्रा) के लिए 32 वर्ग मीटर और 48 वर्ग मीटर के निम्न आय श्रेणी के प्लाट के लिए उल्लिखित दर में :

"273 की जगह "330" पढ़ा जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

2.28 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.34 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा म० प० पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में सूखा राहत कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मोहन लाल झिकराम (मंडला) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के अधिकांश जिले जिसमें विशेष रूप से मंडला जिला वर्तमान में भयंकर अकाल से प्रभावित है। इस वर्ष खरीफ की फसल शुरू-शुरू में बहुत अच्छी थी किंतु अंत में पकने के समय वर्षा के अभाव में सूख गई है क्योंकि यहां पर सिंचाई के साधनों का अत्यन्त अभाव है। आखिरी समय में वर्षा न होने से उसका प्रभाव आने वाली रबी फसल पर पड़ा है। लोग सूखे की स्थिति में न तो जमीन जोत सके और न ही बीज बो सके हैं। इस प्रकार मंडला, सिवनी आदि जिलों सहित अनेक जिले सूखे की चपेट में आ गये हैं जिससे इन क्षेत्रों की जनता हजारों की तादाद में जबलपुर और बांदा, भंडारा आदि जिलों में कामकाज की तलाश में पलायन कर रही है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि मंडला, सिवनी आदि सभी सूखाग्रस्त जिलों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य खोले जाने हेतु केन्द्रीय सरकार अधिकाधिक राशि मध्य प्रदेश शासन को प्रदान करे।

(दो) लिटल अण्डमान तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के अन्य द्वीपों में बड़े पैमाने पर खजूर के पेड़ लगाने हेतु समुचित योजना को अंतिम रूप देने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान-निकोबार) : विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भण्डार न होने के कारण देश को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को खाद्य तेल जैसी कतिपय आवश्यक वस्तुओं का आयात विवश होकर करना पड़ा जिससे राष्ट्रीय कोष पर बोझ पड़ता है। केन्द्र सरकार ने देश की खाद्य तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर बार-बार जोर दिया है। सौभाग्य से अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह खजूर तेल के उत्पादन द्वारा इसमें महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं जिससे आयात पर होने वाला खर्च कम किया जा सकता है। हालांकि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में तेल खजूर के बागान लगाने का कार्यक्रम बहुत पहले आरम्भ किया गया था, तथापि अभी तक केवल 1600 हैक्टेयर भूमि पर ही ये बागान हैं और उससे आयल तेल का उत्पादन किया जा रहा है। खजूर तेल का प्रमुख रूप से उत्पादन करने वाले देश मलेशिया की तुलना में हमारे यहां के पौधे अधिक स्वस्थ और ज्यादा विकसित हैं।

लिटल अण्डमान तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के अन्य द्वीपों में कम-से-कम और 20,000 हैक्टेयर भूमि पर इसके बागान लगाए जा सकते हैं, इसके द्वारा हम विदेशों से खजूर तेल के भारी आयात में कमी तो कर ही सकते हैं इसके साथ ही इस द्वीप समूह में रोजगार की अपार संभावनाओं का विकास कर सकेंगे। वर्तमान में 1600 हैक्टेयर भूमि पर लगाए गए बागान आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं हैं।

मैं सरकार से इस क्षेत्र में खजूर के बागान लगाने हेतु समूचित योजना को अंतिम रूप देने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

(तीन) केरल में मछलियों में महामारी को रोकने की आवश्यकता

प्रो० के० वी० थामस (एरनाकुलम) : केरल में मछलियों में महामारी फैली हुई है। इस रोग का कारण ज्ञात होने के पश्चात् भी, कोई उपचारात्मक उपाय नहीं खोजे गए हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन भारी संख्या में मछलियां मर रही हैं। इसके कारण मछुआरे भुखमरी के कगार पर हैं। यद्यपि केरल सरकार प्रभावित परिवारों को मुफ्त राशन और आर्थिक सहायता दे रही है, तथापि केन्द्र सरकार से अभी तक केरल सरकार को कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है। मछलियोंमें फैली इस महामारी को एक प्राकृतिक आपदा मान कर केन्द्र सरकार को चाहिए कि केरल राज्य को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए।

(चार) **राजस्थान के विभिन्न शहरों में जल पूर्ति एवं सीवरेज योजना के लिए आई० डी० ए० से वित्तीय सहायता संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य प्रारंभ से ही शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए तरसता रहा है। जयपुर की पानी की आपूर्ति करने वाली रामगढ़ झील सूख गई है और कुओं में पानी का स्तर 10 से 15 मीटर नीचे चला गए है। परिणामस्वरूप प्रदेश राजधानी में ऊपरी मंजिल पर रह रहे लोगों को तो पानी मिल ही नहीं पाता और नीचे भी पूरे दिन में दो घण्टे से अधिक पानी नहीं आता। जोधपुर में तो कई बार तीन रोज में एक बार एक घण्टे के लिए पानी मिलता है। कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अलवर की स्थिति भी इससे बेहतर नहीं है।

बढती जनसंख्या, बढ़ते औद्योगीकरण एवं बढ़ते यातायात के कारण इन छः शहरों की सीवरेज व्यवस्था भी उपयुक्त नहीं है। समुचित निकासी एवं ट्रीटमेंट के अभाव में शहर सड़ रहे हैं एवं प्रदूषण फैल रहा है। राजस्थान के इन 6 शहरों की जलापूर्ति एवं सीवरेज योजना के लिए आई० डी० ए० की वित्तीय सहायया से विकास हेतु राज्य सरकार ने 29-6-1990 को 514 करोड़ 60 लाख रुपये की योजना केन्द्र सरकार को भेजी थी जो अभी तक लंबित पड़ी है।

मेरा निवेदन है कि उपरोक्त योजना हेतु विश्व बैंक से वांछित कर्जा दिलवाने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाए।

(पांच) **बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुपरी में चीनी मिल लगाने की आवश्यकता**

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के अति पिछड़ा जिला सीतामढ़ी के पुपरी प्रखंड में चीनी मिल स्थापित करने की मांग वर्षों से होती रही है। इसके लिए कई बार जन-आन्दोलन भी हुआ है। पूर्व मंत्री पुपरी में चीनी उद्योग लगाने की घोषणा भी कर चुके हैं एवं सरकार द्वारा शायद सर्वेक्षण का काम भी पूरा करा लिया गया है। सीतामढ़ी के प्रखंड पुपरी, सुरसण्ड, परिहार, सोनवरसा, बाजापट्टी एवं रून्नी सैदपुर, नानपुर तथा दरभंगा जिला एवं मधुबनी के प्रखंड मधवापुर, बेनीपट्टी एवं जाले के किसानों को समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां के लोग क्रशर द्वारा गन्ने की पिराई करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आधे गन्ने की फसल की समय पर पिराई नहीं हो पाती है। जिससे गन्ना खेत में ही सूख जाता है। इससे किसानों को प्रतिवर्ष भारी क्षति होती है और उनका मनोबल भी टूटता है।

अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इन सभी प्रखण्डों के मध्य में अर्थात् पुपरी में चीनी मिल स्थापित की जाए, जिससे जन आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।

(छः) **पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत डाक कर्मचारियों को उस क्षेत्र में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जा रहे भत्ते के समान विशेष ड्यूटी भत्ता देने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अंतर्गत निम्नलिखित मामले उठाना चाहूंगा।

मैं सरकार का ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र के डाक, रेल-डाक सेवा और मोटर डाक सेवा कर्मचारियों के प्रति किए जा रहे दुर्व्यवहार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वे पूर्वोतर क्षेत्रों के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष ड्यूटी भत्ता प्रदान करने संबंधी आदेशों को क्रियान्वित न करने के विरोध में वे 15 नवम्बर से हड़ताल पर हैं।

यद्यपि दूरसंचार विभाग ने केन्द्रीय प्रशासनिक अभिकरण के आदेशों के अनुसार अपने कर्मचारियों को उक्त भत्ता देने का निर्णय किया है तथापि डाक विभाग अपने कर्मचारियों—रेलवे डाक सेवा, डाक सेवा तथा मोटर डाक सेवा के संबंध में उक्त आदेश को लागू नहीं कर रहा है। हालांकि डाक विभाग एवं दूरसंचार विभाग एक ही मंत्रालय के अधीन हैं। फिर भी डाक विभाग के कर्मचारियों को अकारण इस भत्ते से वंचित रखा जा रहा है। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसी के फलस्वरूप कर्मचारी हड़ताल पर है जिससे पूर्वोतर क्षेत्रों के एवं देश के अन्य भाग की जनता से भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के डाक कर्मचारियों को उनके प्रति देय वैध भत्ते प्रदान किए जाने को सुनिश्चित करने और इस दुर्भाग्यपूर्ण हड़ताल को समाप्त करके के लिए हस्तक्षेप करें।

(सात) देश के ऊर्जा क्षेत्र को पुन: सशक्त बनाने तथा विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा पश्चिम बंगाल में फरक्का परियोजना को निरन्तर धनराशि दिया जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, मैं निम्नलिखित मामले को नियम 377 के अधीन उठाना चाहता हूं।

वित्तीय संसाधनों में भारी कमी के कारण पश्चिम बंगाल सरकार ने योजनागत व्यय में अघोषित कटौतियां कर दी हैं जिससे सभी सार्वजनिक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पश्चिम बंगाल राज्य के लिए राज्य योजना परिव्यय के अंतर्गत निर्धारित 1,733.39 करोड़ रुपए का सिर्फ लगभग 27.5 प्रतिशत औसतन धनराशि ही राज्य को प्राप्त हुई है।

एशियाई विकास बैंक एन० टी० पी० सी० के फरक्का ताप विद्युत परियोजना जिसकी अनुमानित लागत 375 मिलियन डालर है, के लिए धनराशि देने पर सहमत था किंतु अब बताया जाता है कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र के खराब कार्य-निष्पादन की अत्यन्त कटु आलोचना करने के पश्चात् बैंक ने परियोजना की यह धनराशि रोक ली है। एशियाई विकास बैंक तथा विश्व बैंक दोनो ने ही ऊर्जा क्षेत्र को पुन: सशक्त और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस क्षेत्र में आवश्यक सुधार करे और यह भी सुनिश्चित करे कि विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक फरक्का परियोजना को धन देना जारी रखे जिससे इस परियोजना सम्बन्धी निर्माण कार्य रुके नहीं और जोर-शोर से हो सके तथा वह समय पर पूरा हो सके।

[अनुवाद]

(आठ) गुजरात में अनुसूचित जन-जातियों को वन भूमि के मालिकाना अधिकार दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्दूभाई देशमुख (भड़ोच) : माननीय उपाध्यक्ष जी, गुजरात में 1940 से हजारों आदिवासियों के पास वनभूमि है। लेकिन उस संपत्ति के मालिकाना अधिकार उन्हें नहीं मिले हैं हालांकि कठिन परिश्रम करके इन आदिवासियों ने उस जमीन को उपजाऊ बनाया है और अधिक कृषि उत्पादन किया है। राज्य सरकार ने उन आदिवासियों को मालिकाना अधिकार देने का वायदा किया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ऐसी वनभूमि जो 19·0 तक अतिक्रमित हुई हो, उसका मालिकाना अधिकार देने की नीति तय की गई है। गुजरात में ऐसी नीति 1967 तक बनाई गई है। फिर भी उसका पालन ठीक से नहीं हो रहा है जिससे वनवासियों को सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वन अधिनियम के उपबंधों में छूट देकर वनवासियों को वन भूमि के मालिकाना हक प्रदान करें।

2.46 म० प०

जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण (उपकर) संशोधन विधेयक—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गजपति।

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण वहीं से आरंभ करूंगा जहां पर मैंने उसे कल समाप्त किया था। पहले कही गई बात के क्रम में ही विश्व-परिदृश्य पर विचार करते हुए हमें स्थानीय रूप से तथा व्यवहार्यतः उस पर विचार करना पड़ता है। इस संदर्भ में मैं निम्न उपचारात्मक कदमों के सख्ती से क्रियान्वयन की सिफारिश करूंगा। एक, बढ़ती हुई समस्या पर नियंत्रण करने के लिए सभी औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण हेतु इंजीनियरों की नियुक्ति को अनिवार्य बनाया जाये। दो, औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थों को वातावरण में छोड़ने से पहले तरल और गैसीय, दोनों ही प्रकार के पदार्थों को हानिरहित बनाने के लिए उपयुक्त रूप से कार्य किया जाये। तीन, प्रदूषण विरोधी बोर्डों को पर्याप्त शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि उनके अधिकारी दोषी संस्थानों के साथ सख्ती से निपट सकें। पर्यावरण संबंधी स्वच्छता को बनाये रखने के लिए वायु-प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1981 का सख्ती से पालन करने हेतु कठोर उपाय लागू किए जायें।

इसके अलावा, हमें अपनी राजधानी नई दिल्ली को, जो विश्व में चौथा सर्वाधिक प्रदूषित शहर है इस प्रदूषण से मुक्त कराना चाहिए जिसे 'वायुमंडल अवरोधन' या शायद लेटिन के 'आवस्यूडो' के अनुसार 'वायुमंडलीय उत्क्रमण' कहा जाता है जिसका अर्थ है मैं छिपाता हूं, इस

घटना में गैसीय अवशेषों को शीतऋतु ठंडी हवा से अपने में समाहित क लेती है जिससे धुंआ बनता है जिनसे स्वयं मैं भी पीड़ित हूं। महोदय, मजाक की बात नहीं है। लगभग दो महीने से मैं अपनी सामान्य आवाज खो चुका हूं।

अंत में मैं अपने वन और पर्यावरण राज्य मंत्री माननीय कमल नाथ द्वारा लाये गये अत्यधिक महत्वपूर्ण और मानवता के अस्तित्व के लिए आवश्यक विधेयक जल (प्रदूषण नियंत्रण और निवारण) उपकर (संशोधन) अधिनियम का पूर्ण हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या (एलुरू) : उपाध्यक्ष महोदय, जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) उपकर अधिनियम, 1977 को उपकर लगाने के लिए लाया गया था ताकि हम प्रदूषित जल को शुद्ध करने की विधि में सुधार कर सकें।

2.47 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

लेकिन जैसी स्थिति चल रही है, हमारी जरूरतें बढ़ गई लगती हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए यह विधेयक इन वस्तुओं पर बहुत अधिक उपकर लगाने के लिए लाया गया है। लेकिन मुख्य बात यह है कि हम सभी को स्वच्छ पानी की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं। प्रदूषण की बात अनेक स्थानों से उठ रही है। प्रदूषण शहरों, नगर पालिकाओ और उद्योग से उत्पन्न होता है। यहां तक कि कृषि में जो पानी प्रयुक्त होता है वह भी कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग के बाद प्रदूषित होता जाता है और अगर हम उसे पीने के लिए प्रयोग में लायें तो फिर इससे बहुत-सी समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार पानी शुद्ध करने की सुरक्षात्मक प्रणाली बहुत आवश्यक है। सरकार को ऐसे मामलों में दिलचस्पी लेनी चाहिए। कुछ इस प्रकार की विधि, प्रौद्योगिकी और प्रणाली विज्ञान आंतरिक रूप से चाहे अनुसंधान प्रयोगशालाओं के माध्यम से अथवा आयातित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकसित की जानी चाहिए ताकि सरकार और लोग दोनों ही अपनी जिम्मेदारी का समान रूप से निर्वाह कर सकें। उद्योगों के विकास के बगैर हम न तो रोजगार क्षमता का और न ही संसाधनों का विकास कर सकते हैं। साथ ही, प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाना चाहिए। यह इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी स्थितियों के नाम पर बहुत-सी कठिनाइयां उत्पन्न की जाती हैं। आज भी कुछ थर्मल स्टेशन अनिवार्य हैं हालांकि वे प्रदूषण फैलाते हैं और उसके लिए शुद्धीकरण की उचित प्रणाली आवश्यक है। अगर हम आज की सभ्यता में रहना चाहते हैं तो हमें प्रौद्योगिकी विकसित करनी पड़ेगी और प्रदूषण कम करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में सरकार को इसमें रुचि लेनी पड़ेगी और बेहतर तरीके अपनाने का प्रयत्न करना होगा।

जहां तक उपकर का संबंध है, उपलब्ध विधि को प्रभावी रूप से प्रयुक्त करके एकत्र किया जा सकता है। औद्योगिक रूप से प्रदूषित जल को पुनः प्रयोग करने योग्य बनाना, जो कि प्रौद्योगिकी का एक बेहतर तरीका है, लोगों द्वारा अपनाया जाना चाहिए और उस पहलू पर उन्हें कुछ रियायतें दी जानी चाहिए और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस विधि पर आई लागत को उत्पादन लागत में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार को जहां भी संभव हो उद्योग को किस प्रकार विकसित किया जाये और जल एवं वायु प्रदूषण को कम कैसे किया अनेक तरीके निकालने होंगे। हमें कुछ ऐसे उद्योग विकसित करने

चाहिए जो प्रदूषित नहीं हैं। वर्तमान परिस्थितियों में इलैक्ट्रॉनिक उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। यह समस्या शहरों और नगरपालिकाओं में अधिक से अधिक विकट होती जा रही है और उसके लिए संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें विकसित करना होगा। अगर हम उनके और अधिक उपकर के लिए कहेंगे तो वे उसे देने की स्थिति में नहीं होंगे। अब सरकार को आरंभिक स्थिति में ही ये समस्यायें सुलझाने में सहायता देने के लिए प्रदूषित जल को नदियों में डालने और उसे प्रभावी बनाने और बढ़ावा देने के बजाय पुन: आगे आना होगा। आज प्रदूषित जल की वजह से कृषि भी प्रभावित हो रही है। अत: औद्योगिक प्रदूषण, नगर-प्रदूषण, कृषि प्रदूषण और वायु प्रदूषण पर विचार दिया जाना चाहिए। लोगों को इस संबंध में कुछ करना पड़ेगा। साथ ही साथ विकास भी नहीं रुकना चाहिए। कुछ सीमा तक उपकर बढ़ाकर वे कुछ अच्छा कर रहे हैं। वे इसे प्रौद्योगिकी के विकास और नई प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी के लिए लोगों को प्रोत्साहित करके इसका उचित उपयोग करते हैं। वर्तमान परिस्थितियो में, केवल यही एक तरीका है जिससे हम अपनी सभ्यता विकसित कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये (पणजी) : सभापति महोदय, मैं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, पहली वार मैं पालियामेंट में हिन्दी में भाषण कर रहा हूं और अपनी टूटी-फूटी भाषा में अपने विचार प्रकट करने की कोशिश करूंगा। स्पीकर साहब, प्रारंभ में मैं आनरेबल मिनिस्टर, कमल नाथ जी को बधाई देता हूं। उनकी दूरदृष्टि और तत्परता की मैं तारीफ कर रहा हूं। प्रदूषण कम करने के लिए उन्होंने जो पहला कदम उठाया है वह सभी लोगों के ध्यान मे रहेगा। मैं पहला कदम क्यों बोलता हूं, क्योंकि आज तक 10 वर्ष तक मैं गोआ में मिनिस्टर था। मुझे आज भी याद नहीं है कि सैंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कुछ काम वहां चल रहा है, यह भी मेरे ध्यान में नहीं है कि कभी उन्होंने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को काम करने को कहा है। अगर ऐसा किया होता तो पोल्यूशन के बारे में जो हालत है वह कभी नहीं होती। अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए, लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब ने, जो मोस्ट इम्पार्टेंट सब्जेक्ट है पोल्यूशन का उसका क्या नतीजा हो सकता है, यह इनके ध्यान में आया और इन्होंने यह पहला कदम उठाया है। मैं इनका दिल से अभिनन्दन कर रहा हूं।

माननीय सदस्यों ने, पोल्यूशन कैसे और कितना तेज हो रहा है, इसके बारे में महत्वपूर्ण भाषण दिए हैं और चर्चा की है। क्या देश की पोजीशन है, वह पालियामेंट के सामने, हिन्दुस्तान के सामने लाए हैं। मैं वह बात रिपीट नहीं कर रहा हूं। गोआ की क्या पोजीशन है, इसकी ओर मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पोल्यूशन दो प्रकार के होते हैं—एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वाटर पोल्यूशन। दोनों संबंधित हैं। एयर पोल्यूशन माइनिंग डस्ट और एक्सप्लोसिव्स के कारण ज्यादा होता है। कम्प्रेशर्स, हैवी मशीन, डीजल इंजन, हैवी एंड अदर व्हीकल्स और बार्ज आदि सभी से धुआं जो निकलता है उससे एयर पोल्यूशन होता है। उसको कम करने की आज बहुत जरूरत है।

[अनुवाद]

खनन उद्योग गोआ का प्रमुख उद्योग है ।

[हिन्दी]

आज गोआ जो फ्लोरिश हो रहा है उसका मेन कारण माइनिंग है, बाद में टूरिज्म। करोड़ों रुपया फारेन एक्सचेंज भारत सरकार को मिल रहा है और स्टेट को भी लाखों रुपया टैक्स के रूप में मिल रहे हैं । हजारों लोगों को इम्पलायमेंट मिल रही है इसलिए इंडस्ट्री को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है । फिर भी इंडस्ट्री को आज 40 वर्ष हो गयी, दिन-प्रति-दिन जोरों से चल रही है, मगर जो पोल्यूशन हो रहा है, उसकी तरफ कोई भी नहीं सोच रहा है । अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसा समय आएगा कि गोआ के सब कुएं प्रदूषित हो जायेंगे और बहुत कठिन समय आएगा । माइनिंग में जो एक्सप्लोसिव, डस्ट और वेस्ट मैटीरियल होता है वह बरसात में नदी में चला जाता है । गोआ में बहुत ज्यादा बरसात होती है, 120 इंचिज के लगभग बरसात होती है । गोआ ऐसी जगह है कि सभी नदियों से जुड़ा है । मुझे लगता है कि ऐसी सुन्दर जगह भगवान का दिया हुआ वरदान है । आप किसी भी टाउन में नदियों से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं । यह जो सुन्दर नदियों का जाल है उसको कायम रखना, बढ़ाना उसकी सुन्दरता कायम रखना आज बहुत जरूरी है ।

3.00 म० प०

इन सभी नदियों में आयरन-ओर जो माईन्स से निकलता है उसमें पाऊडर होता है तो वह पाऊडर स्टीमर लोड करने के लिए एक्सपोर्ट हेतु Barrage बैराज से जाती है । जब जोर से हवा आती है तो वह पाउडर उड़ जाता है और इसी तरह पाऊडर नदी में जाकर के रीवर सिल्ट हो जाती है । बार्मिस में काम करने वाले से सब वेस्ट नदी में डालते हैं ! माईनिंग इंडस्ट्री कम से कम चालीस वर्ष से चल रही है लेकिन नदियां सिल्ट हो रही हैं और पानी पोल्युट हो रहा है । इसके अलावा फिशिंग इंडस्ट्री जोर से चलती है । एग्रो इंडस्ट्री, फार्मेस्युटीकल्स और डिस्टीलरी वाले अपना वेस्ट नदियों में डालते हैं । इसके लिए बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत है । गोवा में Townism टूरीज्म बड़ा आकर्षण है । गोवा में बहुत अच्छी सिनरी है और बहुत अच्छी सुन्दरता है इसलिए पोल्यूशन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । कहां पर एक साल रिवर है उसमें से चालीस साल से कांकोण से मडगांव सामान लेकर जहाज जाते थे । लेकिन आज कोई भी छोटी-सी वोट नाव वहां नहीं जा सकती । बड़े-बड़े फार्मास्युटीकल्स वाले 15 करोड़ रुपया खर्च करके ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं । लेकिन छोटे-छोटे यूनिट्स वह नहीं कर सकते । जो एफल्युऐंट होता है वह ग्राऊंड में जाता है । पचास वर्ष बाद ऐसा एक दिन आयेगा कि जितने बाजू-बाजू में कुएं हैं वे सब पोल्युट होने वाले हैं और पीने का पानी नहीं रहेगा । इसके लिए गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए । इस बिल के द्वारा आपने थोड़ा-सा सैस बढ़ाया है तो उससे कैसे काम चलेगा । ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि आपके हाथ में करोड़ों रुपया आना चाहिए ! आप एक बहुत बड़े डायनामिक मिनिस्टर हैं। आपका कार्य मैं देख रहा हूं । खाली एक्ट से काम नहीं चलेगा, आप ऐसी योजना बनायें जिससे आने वाले पच्चीस-तीस सालों में भारत का प्रदूषण कम ही नहीं, खत्म हो जाये । आप ज्यादा पैसे का बन्दोबस्त करें । इसमें सब लोग शामिल होते हैं, केवल उद्योगपति ही प्रदूषण नहीं फैलाते । इसलिए

ऐसे टैक्स लगायें कि लोगों को फील नहीं होना चाहिए। प्रदूषण बन्द करने की आपको अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए।

एक और महत्वपूर्ण बात मैं एंटी पोलुशन बोर्ड के बारे में कहना चाहता हूं। यह एक दुधारी हथियार है। यह कंस्ट्रक्टीव हो सकता है और डीकंस्ट्रक्टीव भी हो सकता है। अगर आप सारे अधिकार उनके हाथ में देंगे तो किसी का सत्यानाश भी हो सकता है और किसी की मदद भी कर सकते हैं। आपको हर टाउन में, जैसे महाराष्ट बहुत बड़ा राज्य है वहां चार-पांच जोन बना कर एडवाइजरी कोटीज बनानी चाहिए। उसमें प्राथमिकता सांसदों को दें, उनको इन्वाल्व करें। क्योंकि वे चुने हुए नुमाइंदे होते हैं और उनको अपने निर्वाचन क्षेत्र का ख्याल रहता है, वे बैलेंस माइंड के लोग हैं। चैंबर ऑफ कामर्स के प्रेजीडेंट, एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेजीडेंट, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, लेबर यूनियन आदि के सभी लोगों को इन्वाल्व करें और एक एडवाइजरी कमेटी बनायें। जिससे यह कार्य अच्छी तरह से चले और आहको प्रदूषण रोकने में बड़ा नाम मिलेगा।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : ओपोजीशन के भी मैंबर होने चाहिए या नहीं।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांत्ये : मैंने सभी सांसदों के बारे में कहा है। लोगों को विश्वास में लेना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सारे भारत और विश्व को मालूम हो जाये कि हम प्रदूषण रोकने में क्या कर सकते हैं। इसलिए हम ऐसे कदम उठायें जिससे अशिक्षित आदमी को भी ख्याल रहे कि उसका कर्त्तव्य क्या है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और मंत्री जी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे मेरे इन विचारों पर गौर करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पू० अशोकराज (पेरम्बलूर) : महोदय, अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक पार्टी की ओर से जल (प्रदूषण नियंत्रक एवं निवारण) उपकर (संशोधन) विधेयक, 1991 पर मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदूषण शब्द को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है किसी सीवेज अथवा व्यापार अवशिष्ट पदार्थों अथवा किसी अन्य पदार्थ को पानी में छोड़ने पर जल का दूषण, जो जल को खराब कर सकता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा अथवा जानवरों, पौधों अथवा जलचरों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए हानिकारक हो।

महोदय, इसे बहुत विस्तृत अर्थ प्राप्त हुआ है। हमें जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ेगी।

जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिये हैं। हम देख रहे हैं कि लगभग सभी स्थानों पर जल से उत्पन्न बीमारियां फैली हुई हैं। भारत में शहरी जल आपूर्ति का लगभग 80 प्रतिशत निकास व्यवस्था द्वारा वापिस हो जाता है। यह घरेलू और औद्योगिक अवशिष्टों के रास्ते से जाता है। हजारों मिलियन अवशिष्ट जल पुनः नदी में चला जाता है। इसे शुद्ध नहीं किया जाता।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमानों के अनुसार लगभग 80 प्रतिशत बीमारियों गंदे-पानी के

माध्यम से फैलती हैं। आपने देखा ही होगा कि हमारे गांवों में और हमारे शहरों में भी, उद्योग पानी को परिष्कृत नहीं करते और अवशिष्ट जल को नालों अथवा नदियों में जाने देते हैं। आदमी और जानवर उस पानी को पीते हैं और उसी कारण ऐसी बीमारियां आती हैं।

अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि बोर्ड उचित कार्यवाही द्वारा गंभीरता से इसके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करे। हमारे देश में प्रदूषण का प्रमुख कारण विभिन्न शहरों के सीवेज और निकास के माध्यम से गये मानवीय अवशिष्ट पदार्थ हैं। ऐसा केवल गांवों में ही नहीं बल्कि अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी किया जाता है। वहां शौचालय भी नहीं हैं।

औद्योगिक प्रदूषण की मात्रा औसतन 10 से 15 प्रतिशत तक आती है। ऐसा प्रदूषण मुख्यतः अत्यधिक विषाक्त पदार्थों के ढेर को नदियों में फेंकने की वजह से होता है। लगभग सभी उद्योग अवशिष्ट पदार्थों को नदियों में डाल कर जहां तक संभव हो, व्यय से बचना चाहते हैं।

हमें राज्य के साथ-साथ केन्द्रीय बोर्डों को भी सख्त निर्देश देने चाहिए ताकि ऐसी बातें न हों। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि यहां तक कि सरकारी अधिकारी भी उद्योगपतियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। वास्तव में वे ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। वे समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं।

जल-प्रदूषण के दो प्रमुख स्रोत शहरों और नगरों से सीवेज और मल व्ययन तथा औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थ हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं जो इस दिशा में पहल करने के लिए बहुत ही युवा और स्फूर्त हैं। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस संबंध में सभी राज्य सरकारें अनिवार्यतः निर्देश का पालन करें। अगर ऐसा हो जाता है तो सैकड़ों-हजारों ग्रामीणों को फायदा होगा और वे एक सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। मैं माननीय मंत्री को गांवों में प्रचार हेतु राज्यों को निर्देश देने का अनुरोध करूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रामीण प्रदूषण के खतरों से अवगत नहीं हैं। हमें उन्हें शिक्षित करना चाहिए ताकि वे जल प्रदूषण के बारे में जागरूक हो सकें।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री से इसे अनिवार्य बनाने के लिए अनुरोध करता हूं। उन्हें समानुपातिक उपायों के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रामीण लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाये।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक, 1991 जिस भावना के साथ लाया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। स्वतंत्रता के 44 वर्ष के बाद भी भारतवर्ष के हर क्षेत्र में साफ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। यह सचमुच एक गंभीर समस्या है। इसलिए कोई भी कदम जो इस दिशा में उठाया जाए, उसका स्वागत करना स्वाभाविक है। लेकिन केवल मात्र विधेयक लाने या कानून बनाने से समस्या सुलझ नहीं सकती। लोगों में प्रदूषण के प्रति चेतना पैदा करना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी कानून बन जाय, जब तक जन-समर्थन उसे प्राप्त न हो और लोगों का सहयोग न मिले, तब तक वह कानून केवलमात्र कानून की पुस्तकों में रहता है।

पिछले वर्ष दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण के बारे में अखबारों में बड़ी चर्चा रही। कुछ चालान हुए, लेकिन सभापति महोदय, आप जानते हैं कि आज भी दिल्ली की सड़कों पर यात्रा

करना, मांस लेना दूभर है और इतना प्रदूषण फैलता है स्कूटर, बस तथा मोटर से। हालांकि इसके लिए मशीनरी बनी है, कानून बना है लेकिन उसको लागू कौन करता है? क्या प्रदूषण में कोई कमी आई है, इसकी क्या मंत्रालय ने जांच की? इसलिए मेरा कहना यह है कि कानून बनाने मात्र से या इसके लिए धन उपलब्ध कराने मात्र से ही समस्या नहीं सुलझेगी। मैं इस बिल की डीटेल्स पढ़ रहा था। एक तो जो सैस बढ़ाया जा रहा है, उसमें लगभग सीधा फार्मूला रखा गया है कि जो आज रेट है उसको दुगना करने का प्रस्ताव है। जहां तीन-चौथाई था एक पैसे का, वहां डेढ़ कर दिया, एक पैसे का दो कर दिया, दो पैसे का चार कर दिया और ढाई पैसे का पांच पैसे कर दिया है। सीधा दो से गुणा कर दिया। शेड्यूल 2 में जो सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 ए का भाग है, उसमें जो अधिकार दिया गया है कि मैक्सिमम रेट जब अधिकारी लगा सकते हैं सजा के तौर पर यदि कोई व्यक्ति या कोई औद्योगिक संस्थान अपनी रिटर्न नहीं देता, इसमें भी जो पनिशमेंट है, जो सजा है, वैसे तो पैसे में बात करने से एक दो दो पैसे में कम लगता है लेकिन वास्तव में यदि उसका भार देखा जाय तो वह ज्यादा है। मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना जरूर करूंगा कि घरेलू प्रयोग के लिए जो पानी है, उस पर सैस को दुगना करना गलत है। जहां उद्योग के लिए प्रयोग होता है, जिनमें पेइंग कैपेसिटी है, जो दे सकते हैं, उनसे तो लीजिए, लेकिन घरेलू प्रयोग के लिए जो पानी के ऊपर सैस की दर बढ़ा रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें।

एक बात और कि जो स्टेटमेंट आफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स है, उसके फोर्थ पैरा में कहा है कि—

[अनुवाद]

> "उपकर एकत्रित करने वाले अधिकारियों और प्राधिकारियों को, जहां से कोई विवरणी दाखिल नहीं की जाती, उपकर की राशि का निर्धारण करने हेतु शक्तियां प्रदान की गई हैं। उपकर का भुगतान करने में हुए विलम्ब पर ब्याज दर को भी बढ़ाया गया है।'

[हिन्दी]

ये शक्तियां किसको दी जाएंगी, इन शक्तियों का कहीं दुरुपयोग न हो, जिसको मुझसे पूर्व कांग्रेस (आई०) के वक्ता ने भी, जो गोवा से सांसद हैं, उन्होंने जिक्र किया कि कहीं दुर्भावना से इन शक्तियों का दुरुपयोग न हो। तो इसके लिए मंत्री महोदय, आप राइट टू अपील या कोई दूसरा ऐसा प्रावधान अवश्य करें। आबिट्रेरीली कहीं रेट न बढ़ा दिया जाये या रेट आफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाये, अथवा अज्ञान के कारण किसी ने रिटर्न फाइल नहीं की तो उस पर कोई ज्यादा जुर्माना न लगा दिया जाये, ऐसी व्यवस्था आप इस बिल में जरूर करें।

एक मेरा सुझाव यह है कि रिबेट के जिस प्रतिशत की आज्ञा आपने पहले दे रखी थी, 70 प्रतिशत तक रिबेट दिया जा सकता था, अब उसे कम करके, आपने 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। उद्योगों के संबंध में, मैं जानता हूं कि आपको इसे लागू करने में धन की आवश्यकता होगी, इसलिए उद्योग के बारे में, मैं कुछ कहना नही चाहूंगा, लेकिन फिर वही अनुरोध करूंगा कि डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू प्रयोग के लिए, रिबेट देने की जो पहले औथोरिटी थी, उसे आगे भी 70 प्रतिशत तक ही रखा जाये।

इसके अतिरिक्त, एक बात और कहूंगा, जिसकी तरफ मैंने शुरू में आपका ध्यान दिलाया था कि कानून बना देने मात्र से कोई परिवर्तन आना संभव नहीं है। आज बड़े-बड़े उद्योग जहां नगरों में प्रदूषण फैला रहे हैं, वे धड़ल्ले से आपके कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वर्तमान कानून भी काफी सख्त है, इसलिए उन्हें थोड़ा बहुत पैसा यदि और भी देना पड़े, यदि सैस बढ़ जाये तो, ऐसा करने मात्र से कोई परिवर्तन नहीं आयेगा।

आपके सेन्ट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संबंध में, एक ऐसा आभास बन गया है, जैसे यह सरकार का कोई एक और असफरशाही का विभाग है, ब्यूरोक्रेटिक एप्रोच है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस ब्यूरोक्रेटिक एप्रोच को, अफसरशाही का जो काम करने का ढंग है, उसे बदला जाये तथा टैक्नोक्रेट्स को, तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोगों को उसमें महत्व दिया जाये ताकि केन्द्र के वाटर पौल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड की ओर से जो भी मैसेज प्रदेशों को जाये, वह स्पष्ट हो तथा तकनीकी आधार पर भी, टैक्नीकली साउंड हो। इसके लिए आवश्यक है कि आप वर्तमान सैन्ट्रल पौल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड के गठन में आमूलचूल परिवर्तन करें। उसमें प्रदेशों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाये। प्रदेशों के अधिकारी भी इसमें शामिल किये जायें, जिन्हें तकनीकी ज्ञान हो, ताकि अफसरशाही के दृष्टिकोण को बदला जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि आप सैन्ट्रल पौल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड का पुनर्गठन करें।

जब मैं कह रहा था कि बहुत से क्षेत्रों में लोगों को पीने का शुद्ध पानी भी उपलब्ध नहीं है तो एक बहुत ही सीनियर मैंबर, श्री बसुदेव आचार्य ने कहा था कि पानी भी उपलब्ध नहीं है, शुद्ध की क्या बात करते हो, मैं उसे फिर दोहराना चाहता हूं कि आज वास्तव में लोगों को पीने का शुद्ध पानी भी उपलब्ध नहीं है। आज यदि किसी भी स्थान पर 300-400 फीट गहरे कुएं की खुदाई करके पानी निकाला जाये तो आपको प्रदूषित पानी ही मिलेगा। इसके लिए आपको समुचित कदम उठाने होंगे। इस सबके लिए, मैं फिर कहूंगा कि जब तक आप सैन्ट्रल पौल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड का पुनर्गठन नहीं करेंगे, असफरशाही के दृष्टिकोण को जब तक बदला नहीं जायेगा, जब तक उसमें तकनीकी दृष्टिकोण का समावेश नहीं कराया जाता, टैक्नोक्रेट्स को उसमें महत्व नहीं दिया जाता, तब तक ये सारी बातें, सुधार के लिए लाये गये संशोधन या कानून महत्वहीन होकर रह जायेंगे। इसलिए जहां मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, इसके साथ ही आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसा मैंने शुरू में कहा, घरेलू प्रयोग में आने वाले पानी पर सैस आप बिल्कुल मत बढ़ाइये, उसका रेट पहले वाला ही रहने दीजिये, इस मामले पर पुनर्विचार कीजिए और गरीबों को राहत दीजिये। दूसरे, सैन्ट्रल पौल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड में भी सभी प्रदेशों को प्रतिनिधित्व दीजिए, तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोगों को उसमें लीजिये ताकि सचमुच में परिवर्तन नजर आये। मंत्री जी, आपको ट्रिब्यूट्स तो काफी पे हुई हैं, अच्छे मंत्री के नाते, युवा मंत्री के नाते, मुझे आशा है कि जो समर्थन आपको और आपके बिल को संसद के सभी वर्गों की ओर से मिल रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए, ऐसे मामलों में अपेक्षित इनीशियेटिव लेकर आप निर्णय करेंगे और सैन्ट्रल पौल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड का शीघ्र पुनर्गठन करेंगे।

[अनुवाद]

डा० वसन्त पवार (नासिक) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको इस जल प्रदूषण उपकर विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। चिकित्सा क्षेत्र से होने के नाते मैं प्रदूषित जल से होने वाले नुकसान के बारे में जानता हूं। हमारे देश में लगभग 70 प्रतिशत जल प्रदूषित है। मुख्य दोषी लौह तथा अलौह और धातुकर्मीय उद्योग पेट्रोरसायन, उर्वरक और रेयन उद्योग हैं। महाराष्ट्र में चीनी मिलों का अन्त्योत्पाद चाशनी है और इसे अहाते में फैंका जाता है जिससे आस-पास के क्षेत्र में प्रदूषण फैलता है। जैविक आक्सीकरण मूल्य जिसे बी० ओ० डी० मूल्य भी कहा जाता है अन्त्योत्पाद से कम होना चाहिए। इसीलिए इसका प्रसंस्करण किया जाना चाहिए। आजकल महाराष्ट्र में चाशनी को गाय के गोबर में मिलाया जाता है और इस प्रकार बी० ओ० डी० मूल्य घट जाता है।

वर्ष 1940 में एक लिटर पानी में 2.5 क्यूबिक सेंटीमीटर आक्सीजन की मात्रा विद्यमान थी। लेकिन अब 1990 के दौरान पानी में केवल 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर के लगभग आक्सीजन होती है। हमारे देश में 10 लाख जनसंख्या एक वर्ष में लगभग 5 लाख लीटर सीवेज उत्पन्न करती है। अनियोजित शहरों में जहां सीवेज और मल व्ययन को परिष्कृत नहीं किया जाता, वहां 150 फुट की गहराई तक का भूमि जल प्रदूषित हो जाता है।

समुद्र के जल में तेल प्रदूषण होने से समुद्री जीवों की संख्या लगभग 40 प्रतिशत कम हो गयी है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दो-तिहाई बीमारियां खुले पानी के कारण होती हैं। पानी से पैदा होने वाली बीमारियां जैसे हैजा, गेस्ट्रो, टाइफाइड, जोंडिस, वार्म इन्फेस्टेशन इमोईबियेसिस, फिलेरियेसिस, मलेरिया, इनसिफलिटिस, कंजंकटिविटिस बीमारियां फैल जाती हैं। इन बीमारियों को रोकने अथवा इनके उपचार पर बहुत-सा धन खर्च की बजाय हमें जल प्रदूषण को नियंत्रित कर उन्हें रोकने के प्रयास करने चाहिए।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के समंथन में कहा है कि अनुच्छेद 21 'जीने का अधिकार' के अन्तर्गत—प्रदूषण रहित जल प्रत्येक भारतीय का मौलिक अधिकार है। इसलिए मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव दूंगा कि हमें प्रदूषण के संबंध में प्रदर्शनियां आयोजित की जानी चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में बेहतर जानकारी मिल सके। इस कार्य में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। यह एक जन आन्दोलन बनना चाहिए। मैं समझता हूं कि दूसरे ऐसे उपकरण तथा मशीनरी के लिए, जिनसे प्रदूषण पैदा नहीं होता, हमें उत्पाद शुल्क पर कुछ छूट देने पर विचार करना चाहिये जैसे कि हम विद्युत की बचत करने वाले उपकरण पर छूट दे रहे हैं। हमें इस तरीके पर भी विचार करना चाहिये उपकर को एक पैसे से बढ़ाकर दो पैसे किया जाना है और छूट में 25 प्रतिशत तक की कमी की गयी है। मैं समझता हूं कि इसका कुछ आधार, कुछ सिद्धांत अपनाने होंगे। मैं समझता हूं कि यह एक स्थायी समाधान नहीं है।

मैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के घाटों के बारे में जानना चाहूंगा और यह भी जानना चाहूंगा कि उपकर में वृद्धि तथा छूट में कमी से किस तरह से नया राजस्व आयेगा। किस तरह इनसे घाटा पूरा होने जा रहा है? इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

केवल इस विधेयक को पास कर देना ही हमारे देश के लिये पर्याप्त नहीं है। जल प्रदूषण का नियंत्रण व रोकथाम के अन्तर्गत शहर की गन्दगी तथा बेकार पानी सीवरेज सिस्टम के अंतर्गत

नालियों में बहा देना ही काफी नहीं है बल्कि जल को शुद्ध करने का संयंत्र लगाना, उसकी निरंतर मरम्मत और आवर्ती खर्च भी इसके अन्तर्गत आते हैं।

स्थानीय निकाय इतना खर्च नहीं कर सकते अथवा उनके पास वित्त नहीं होता। इसलिए इन्हें राज्य और केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। यदि स्थानीय निकाय स्वतन्त्र रूप से ऋण ले सकते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा प्रावधान किया जाए कि स्थानीय निकायों के लिए आवश्यक आबंटन की व्यवस्था हो सके। गंगा कार्रवाई योजना से गंगा के जल प्रदूषण के 23 प्रतिशत की कमी हुई है। मैं एक सुझाव दूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नासिक नगर निगम क्षेत्र में एक पवित्र नदी गोदावरी है जोकि दक्षिण की गंगा के नाम से सर्वविख्यात है। यहां हाल ही में एक कुम्भ मेला भी लगा था जबकि बहुत से सदस्यों ने नासिक भ्रमण किया था। माननीय मंत्री जी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि गंगा कार्रवाई योजना की तरह गोदावरी कार्रवाई योजना प्रारम्भ की जाये जिससे ट्रिम्बकेश्वर से पैठन तक गोदावरी के प्रदूषण पर नजर रखी जा सके और साथ-साथ नासिक नगर निगम में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए धनराशि की व्यवस्था भी की जाये।

यह जल-कर और छूट निश्चित तथा आवश्यक है चूंकि यह केवल एक पैसा है जिसे बढ़ाकर दो पैसा किया गया है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। वास्तव में, चूंकि इन्होंने छूट में कमी की है, वित्त मंत्रालय को इस अनुसार देश में सब्सिडी भी कम करनी चाहिये। इसके साथ-साथ हमें सभी बड़े नगरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिये वित्त व्यवस्था करनी होगी, इस समय केवल 30 प्रतिशत आबादी इस सुविधा का लाभ ले रही है और अभी लगभग 112 मिलियन लोग शेष हैं। यदि सीवरेज ट्रीटमेंट सुविधाओं को जुटाने के लिए 500 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च आता है, तो हमें 5600 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इसलिए मंत्री जी से मेरा अनुरोध है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिक सशक्त बनाये जाने के अलावा स्थानीय निकायों को भी वित्तीय सहायता दी जाये ताकि वे सीवरेज ट्रीटमेंट संबंधी व्यवस्था कर सकें और जल प्रदूषण पर रोकथाम लगा सकें।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं यह उम्मीद करता हूं कि हमारे युवा व कर्मठ मंत्री महोदय मेरे इन सभी सुझावों पर ध्यान देंगे। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिये जल कर विधेयक आज की आवश्यकता है। पुनः इन शब्दों के साथ मैं, यह अवसर प्रदान करने के लिये आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, मैं ऐसे क्षेत्र से चुनकर आता हूं जहां आदिवासी लोग बसते हैं। उस क्षेत्र के लोग वन एवं जंगलों के माध्यम से अपना जीवन उपार्जन करते थे। उनका दुर्भाग्य या सौभाग्य कहिए, सोनभद्र में हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कंपनी के भयंकर धुएं से प्रदूषण हो रहा है। पूरे सोनभद्र जिले की वन सम्पदा नष्ट हो रही है। इसके साथ-साथ वहां पर कनोडिया कैमिकल्स की भी फैक्ट्री है। उसका प्रदूषण और दूषित पानी डोगिया नाला से बहकर रिहंद बांध में जाता है और फिर वही पानी रेणुसागर से बहकर सोन नदी में मिलता है। उस नदी का पानी एकदम काला और प्रदूषण से भरा बुरी तरह जहरीला हो चुका है जबकि आदिवासी लोग बराबर उस पानी को पीने के लिये मजबूर हैं, जिससे वहां पर भयंकर

बीमारी फैल रही है। लोग लंगड़े और अंधे लूले हो रहे हैं। अनगिनत संख्या में लोग विभिन्न बीमारियों के शिकार होकर मौत के मुंह में जाते हैं। अब तक इनकी संख्या हजारों में पहुंच गई है। लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं देती है।

रेणूसागर जो बिड़ला का थर्मल पावर है उसके धुएं से भी भयंकर प्रदूषण फैल रहा है। यह थर्मल पावर स्टेशन प्रदूषण नियंत्रण नियमों के विपरीत है। यह एकदम से 880 रिहन्द जलाशय से सटा हुआ है। अभी हाल ही में रेणूसागर थर्मल पावर के ऐश डैम से पानी रिस गया जिसकी वजह से गरीबों और अनुसूचित जातियों के घर धराशाई हो चुके हैं और हो रहे हैं और पानी रिसना जारी है। उनके रहने के लिये कोई जगह नहीं रह गई। ऐसी हालत में उक्त ऐश डैम के टूटने से अनपरा थर्मल पावर ए एंड बी भी प्रभावित होगा और उसके पास में जो लोग अनपरा बाजार में रहते हैं, वे भी उजड़ेंगे।

इसके अलावा वहां पर 3-4 सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। कजरहट सीमेंट फैक्ट्री (चुनार) जो कि मिर्जापुर में पड़ती है यह भी हमारे क्षेत्र में पड़ती है। डाला सीमेंट फैक्ट्री और चुरक सीमेंट फैक्ट्री से बहुत प्रदूषण हो रहा है। पास में रहने वाले आदिवासियों एवं पिछड़े लोगों को इससे जीना मुश्किल हो रही है। उनको कोई नौकरी नहीं मिलती है, कोई काम नहीं मिलता है, यदि कुछ नहीं मिल रहा है तो वह मौत के लिये केवल प्रदूषण ही मिल रहा है। इसकी वजह से वे लंगड़े, लूले और अंधे हो गये हैं। जंगलों में जो संपदा होती थी वह अब नष्ट हो रही है। तेंदू पत्ता सूखता जा रहा है। जंगली जानवर और पालतू जानवर जैसे गाय, बैल, भैंस और बकरी सब कहीं दिखायी नहीं देते हैं। बिड़ला फैक्ट्री के चेयरमैन जो श्री अग्रवाल हैं वह कहते हैं कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भगवान जाने क्या होगा। सेंट्रल प्रोल्युशन कंट्रोल बोर्ड से पता नहीं उनकी क्या सांठ-गांठ है।

शक्ति नगर थर्मल पावर स्टेशन और अनपर थर्मल पावर स्टेशन ए एंड बी से भी बहुत प्रदूषण फैल रहा है। रिहन्द डैम जिसको पंत सागर डैम कहते हैं उसका पानी भी प्रदूषित हो रहा है। हमारे यहां जो 10-12 कोयले की खदानें हैं उसकी वजह से पंत सागर का पानी विषैला हो रहा है। 880 रिहन्द जलाशय के किनारे जितने ऐश डैम बनाये गये हैं और बनाये जा रहे हैं, प्रदूषण नियमों के बिल्कुल विपरीत हैं। बीजपुर थर्मल पावर, शक्ति नगर थर्मल पावर और बिन्द नगर थर्मल पावर स्टेशनों से भी प्रदूषण फैल रहा है जो कि न्यायसंगत नहीं है। आप वहां पर जाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि इसकी वजह से गांवों में हर फसल बरबाद हो रही है। धान की फसल तो बरबाद हो चुकी है। आम, जामुन, महुआ और बेर आदि के जो फलदार वृक्ष हैं उनमें भी फल नहीं होते हैं। जड़ी बूटी वाले पौधे भी नष्ट हो रहे हैं। इतना प्रदूषण है कि अगर उस क्षेत्र में दो घंटे के लिए भी चले जायें तो सफेद कपड़ा काला दिखायी देगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इसमें जो सैंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड है या जिस क्षेत्र में जहां यह सब है, जो तमाम फैक्ट्रियां हैं, एन० टी० पी० सी० या थर्मल पावर के जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं, इन सब प्रोजेक्ट्स की जांच के लिए मैं कहता हूं और अगर आप उसमें क्षेत्रीय सांसदों को इन्क्वायरी में रखेंगे और उनकी देख-रेख में जांच करायेंगे तो यह गड़बड़ी नहीं होगी। मैं इस संबंध में कई बार शासन को लिख चुका हूं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। बिड़ला जी, उनके अधिकारी और मैनेजमैंट के लोग या जो एन० टी० पी० सी० एन० सी० एल० वाले हैं, उनकी सरकार उसका कुछ नहीं कर सकती न

आप कुछ कर सकते हैं अतः मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से इन सब गंभीर मामलों को आप दिखवायें और शासन को, सरकार को, यह निर्देशित करें कि सोनभद्र और मिर्जापुर के उन आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों को, जो निरीह और गरीब हैं आज वहां से उजाड़े जा रहे हैं, और हम वहां से 5-5, 6-6 बार उजाड़े गये हैं कि उक्त भयंकर प्रदूषण से रक्षा करें। पहले एन० टी० पी० सी० आया तब उजाड़े गये, रेणुसागर आया तब उजाड़े गये, एन० टी० पी० सी० एन० सी० एल० कोयला आया तब भी उजाड़े गये। उनको न कहीं स्थान दिया जाता है और न उचित मुआवजा दिया जाता है लेकिन उनको केवल वहां प्रदूषण मिल रहा है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, क्योंकि, यह भी सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है कि उनको जमीन समतल कराकर दी जाए, उनके प्लाटों में बिजली पानी की व्यवस्था कराकर दी जाय, उनको अस्पताल व स्कूल की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं आपसे चाहूंगा कि आप मेरे क्षेत्र को बचाने के लिए अपना हस्तक्षेप करके संबंधित माननीय मंत्रियों जी को निर्देशित करें जिससे कि हमारे मूल निवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनकी रक्षा हो सके।

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर) : माननीय सभापति महोदय, पानी के प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से और वैसे ही पर्यावरण की सुरक्षा करने की दृष्टि से यह जो विधेयक आया है, उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

यह एक अतिसंवेदनशील, इस प्रकार का विषय है और सरकार ने जो नई औद्योगिक नीति घोषित की है, उसके कारण कई क्षेत्रों में डीलाइसेंसिंग हो जाएगा। डीलाइसेंसिंग तो बहुत जगह पर होगा तो उसका एक सबसे बड़ा परिणाम यह है कि एनवायरमैंट क्लियरेंस के लिय सबको आपके पास आना पड़ेगा और इसलिए डीलाइसेंसिंग योजना का लाभ होना या न होना, आपका मंत्रालय किस प्रकार से काम करता है, उस पर बड़े पैमाने पर निर्भर करेगा। इसमें सबसे बड़ी बात नई पालिसी की दृष्टि से मुझे जो लगती है वह यह है कि आज दुनिया में कैमीकल के कई उद्योग इस प्रकार के हैं जिनको एडवांस कंट्रीज अपने यहां लगाने नहीं देते हैं, कैमीकल के इस प्रकार के कई प्रोजैक्ट्स हैं। मल्टी नेशनल्स इस प्रकार की डीलाइसेंसिंग पॉलिसी के कारण हिन्दुस्तान में वह लाने की कोशिश करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपके मंत्रालय को बहुत बड़ा रोल प्ले करना है और अगर वह ठीक प्रकार से रोल प्ले होगा तभी इस मंत्रालय का कुछ काम होगा और तभी सरकार ने यह जो नई नीति घोषित की है, उसके कारण देश का नुकसान नहीं होगा।

मैं भोपाल ट्रेजेडी या इस प्रकार की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं लेकिन यह जो सारे चलने वाले उद्योग हैं, वह विदेशों में नहीं चलने देते हैं इसलिए यहां पर आएंगे इसलिए एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि डीलाइसेंसिंग के नियम के अधीन ऐसे कष्ट देने वाले डिस्कार्डेड और डेंजरस कैमीकल्स के उद्योग अपने देश में नहीं आने देने चाहिए और यह करना है तो उसके लिए उचित पद्धति निर्माण करनी चाहिए, नहीं तो कुल मिलाकर सारा का सारा लाइसेंसिंग आपके मंत्रालय में रुक जाएगा और इसलिए आपके मंत्रालय की जो भी पद्धति रहेगी, पोल्यूशन की दृष्टि से, वह एफीशिएण्ट, नॉन करप्ट और शीघ्रता करने वाली बननी चाहिए। ऐसा मुझे इस विधेयक के संबंध में पहले कहना है।

दूसरे, एक पद्धति जो मुझे ठीक नहीं लगती है, वह यह है कि सामान्यतया जो भी नया

टैक्स लगाना है, आप उसे नाम कुछ भी दो, सैस कहें या टैक्स कहें, आखिर वह टैक्स ही है। आदमी नहीं जा सकता है, वहां मछली जिन्दा नहीं रह सकती है। इसलिए समुद्र में 15-20-25 किलोमीटर दूर मछली पकड़ना प्रारम्भ हो गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समुद्र के प्रदूषण को दूर करने के बारे में भी एक योजना बनानी चाहिए।

बड़े-बड़े होटलों में पोमफ्रेट मछली खाने को मिलती है, जिसे मराठी में पापलेट कहते हैं। हिन्दुस्तान की यह सबसे मशहूर मछली है, पोमफ्रेट यानि पापलेट। मेरे क्षेत्र में सातपाटी एक बन्दरगाह है और उस बन्दरगाह में यह मछली मिलती है, लेकिन पिछले छः-सात सालों से इस प्रदूषण के कारण, उसका जो समुद्र से उत्पादन होता था, वह भी कम होने लगा है। हिन्दुस्तान में अलग-अलग प्रकार की मछलियां हैं, उनमें यदि किसी मछली से फॉरेन एक्सचेंज मिलता था, तो वह इसी पोमफ्रेट से मिलता था। इसलिए मैं समुद्र के प्रदूषण की ओर भी आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, जिससे योग्य उपाय किए जायें।

दूसरी बात, आपने पीने के पानी पर सैस लगाया है। मैं कहना चाहता हूं कि पीने का पानी और हवा तो लोगों को मुफ्त मिलनी चाहिए। जैसे इन्डस्ट्री है, उत्पादन करती है, व्यापार करती है, मुनाफा करती है, इन सारी बातों को ख्याल में रखकर आपने सैस लगाया है, टैक्स लगाए हैं तो बात समझ में आ सकती है और कितना लगाना है या कितना नहीं लगाना है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। पीने के पानी के ऊपर जो आपने सैस लगाया है, उसके संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि कई और माननीय सदस्यों ने भी कहा है, पीने के पानी पर सैस नहीं लगाना चाहिए—यह मेरा आपसे आग्रह है। आपने बिल इन्ट्रोड्यूस करने के बाद अमेंडमेंट्स दी हैं, जबकि सामान्यत: ऐसा होता नहीं है। आपने जो इस प्रकार का जो आप कोई नया टैक्स या नया सैस सदन में लाते हैं, लगाने के लिए, तो जब लोक सभा के सामने बजट के समय मुख्य प्रोपोजल्स आती हैं, यह उसी समय पर आना चाहिए। अब तो आप ला रहे हैं, हमें यह विधेयक मंजूर करना भी है, लेकिन मंजूर करते समय, इस बात का उल्लेख है कि यह जो विधेयक है, वह कब अमल में आएगा। यह ठीक है कि उसकी तारीख तय करने का अधिकार बाई-नोटिफिकेशन सरकार के पास रहेगा। इस संबंध में मेरा आपसे निवेदन है कि इसको अमल में लाने का नोटिफिकेशन एक अप्रैल को करें, जिससे यह मालूम हो सके कि देश के सामने कौन-कौन से नए टैक्स आ रहे हैं। मैं इसको एक अप्रैल से प्रारम्भ करने के लिए निवेदन कर रहा हूं।

कई माननीय सदस्यों ने नदी के पानी को प्रदूषण का भी उल्लेख किया है। मैं मुम्बई से आता हूं और स्वाभाविक तौर पर समुद्र के पानी का भी प्रदूषण होता है, इसलिए मैं उसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संयोग से हमारे जो इस समय सभापति पीठासीन हैं, वे भी मुम्बई के हैं। एक जमाना था, उनके क्षेत्र में, माहीम और दादर, दस-पन्द्रह साल पहले समुद्र में तैरने के लिए हम जा सकते थे और वहां कोई तकलीफ व कष्ट नहीं होता था, सिर्फ समुद्र में नमक वाला पानी जो होता है वही लगता था। लेकिन आज वहां अंदर तैरने के लिए हम लोग जाने की हिम्मत भी नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे पानी में गए तो कौन-कौन से बीमारी के रोग हो जाएंगे, इसका कुछ पता नहीं है। इस प्रकार का भयंकर प्रदूषण समुद्र में भी हो रहा है। समुद्र में जो प्रदूषण हो रहा है, उसको रोकने के काम के बारे में ठीक प्रकार से विचार नहीं होता है—मुझे ऐसा लगता है। समुद्र में मछवारे मछली पकड़ने का काम करते हैं। यह आपका बाकी पर अमेंडमेंट दी है, जिस पर कि मैं अंत में बोलने वाला हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि पीने के पानी

पर सैस फर्म करने के फैसले की घोषणा आपको करनी चाहिए। अमेंडमेंट आपने दी है और मैंने अमेंडमेंट टू अमेंडमेंट दी है, उस समय मैं सभागृह का समय लेने के बजाए, मैं अभी उन पर अपना भाषण पूरा करूंगा। इसमें एक महत्व की बात यह है कि आपने बहुत गंभीरता से विचार करके अगस्त महीने में यह विधेयक सभागृह में रखा। उस पर बहस हो रही है, तो मेरे ख्याल में यह नहीं आ रहा है कि दो महीने आपको यह ध्यान में नहीं आया और फिर आपने अमेंडमेंट दी थी कि इंडस्ट्रीयल इनटोक्सीकेंट का जो पोरशन है, जो शेड्यूल है, इसमें जो अभी यहां साढ़े सात पैसे रखे हैं उसके बदले में साढ़े नौ पैसे रखने का, क्या आपके मंत्रालय को यह ख्याल में नही आया कि ऐसा क्यों हुआ और क्या आप हमको भी कम-से-कम बताएंगे कि बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद दो महीने सभागृह में चर्चा प्रारंभ होने के बाद आपकी अमेंडमेंट क्यों आई? मुझे ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से आपके मंत्रालय का काम ठीक नहीं है और आप ये क्यों बढ़ाना चाहते हैं? साढ़े सात पैसे पहले बढ़ाकर रखा था, आप उसको क्यों साढ़े नौ पैसे करना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी देना यह आपका काम है।

इसमें मेरा सुझाव यह है कि यह साढ़े नौ पैसे बहुत ज्यादा हैं और इसलिए सभागृह की भावना को ध्यान में रखकर ये जो साढ़े नौ पैसे हैं इसको नौ पैसे करना चाहिए और जैसे मैंने कहा कि do not take the House so casually आप बिल लाएंगे और अंत में चर्चा करते समय आप अमेंडमेंट लाएंगे, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आपने जो साढ़े नौ पैसे किए हैं वह नौ पैसे करने चाहिएं, ऐसी मेरी मांग है। साथ ही साथ पीने के पानी पर जो आपने सैस लगाने का प्रोविजन रखा है वह निकालना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ० विश्वनाथम कनिथी (श्रीकाकुलम) : माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे यहां अनेक प्रकार का प्रदूषण है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और शोर प्रदूषण। अब हम जल प्रदूषण अधिनियम के संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं। यह किसी अकेले मंत्रालय अथवा विभाग की ही अकेली जिम्मेदारी नहीं है। सबसे पहले तो यह सभी व्यक्तियों की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए विशेषकर उनकी जो किसी भी प्रकार का प्रदूषण फैलाते हैं। जल पीने वाले सभी व्यक्तियों को इसे अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए और सभी वर्गों को, जोकि जल प्रदान करने में सहयोग दे रहे हैं, भी इसे अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। जल की आपूर्ति करने वाले सभी संगठनों को भी इसी तरह की जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जल को प्रदूषित करने वाले सभी संभावित व्यक्तियों को इसे अपनी अधिक जिम्मेवारी समझनी चाहिए।

जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने संकेत किया है, जल से संक्रामक रोग पैदा होता है। इसीलिए इलाज से परहेज अच्छा होता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जल प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना के बाद ग्रामीण जनता के लिए पेयजल की आपूर्ति में भारी वृद्धि हुई है। जनता के लिए जल की आपूर्ति इस तरह से की जानी चाहिए ताकि सभी व्यक्ति, विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में, शुद्ध और अप्रदूषित जल प्राप्त कर सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें हवा, जल और भोजन की आवश्यकता होती है। हम लोगों को भोजन तो निशुल्क मुहैया नहीं करा सकते लेकिन जल तो मुहैया करा ही सकते हैं। तब कर के बारे में सदस्यों ने यह कहा है कि इसे कैसे

बढ़ाया गया है और क्यों बढ़ाया गया है। हमारे पास सड़क कर, शिक्षा कर तथा तेल कर जैसे अनेकों मामले हैं। अब यह जल कर का मामला है। जहां तक मुझे ज्ञात है, अन्य करों को उन प्रयोजनों पर खर्च नहीं किया जा रहा जिनके लिए वे एकत्रित किए जाते हैं; उदाहरणार्थ सड़क कर को सड़कों के विकास अथवा विस्तार पर खर्च नहीं किया जा रहा है। इस कर का प्रयोग उन सभी लोगों के शिक्षाप्रद तथा जागरूकता के कार्यक्रम के लिए किया जाना चाहिए जिन्हें इस तरह से जागृत किया जाना आवश्यक है। प्रदूषण नियंत्रण जागरूकता, बच्चों में उनके बचपन में पैदा की जानी चाहिए यदि इसे उनके पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाये, और यदि वे इसके बारे में जान जाएं तथा प्रदूषण को नियंत्रित किया जाना अथवा उत्तदायित्व समझें तो अपने नियमित जीवन में जब वे उद्योग आदि स्थापित करते हैं वे प्रदूषण का ध्यान रखेंगे।

पर्यावरण मंत्रालय के बारे में बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि पर्यावरण तथा वन मंत्रालय उद्योग, कृषि अथवा अन्य कार्यों में बाधा डालता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसी धारणा आगे जारी भी नहीं रहनी चाहिए।

उप-कर का प्रयोग शिक्षा, उद्योगपतियों को पर्यावरणोन्मुख बनाने और उन सभी लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत बनाने के लिए किया जाना चाहिए जोकि जल तथा प्रदूषण की रोकथाम, विशेषतया जल प्रदूषण की रोकथाम का कार्य कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ, माननीय मंत्री जी से, जिन्होने संशोधन विधेयक रखा है, मैं अनुरोध करता हूं कि जल प्रदूषण के नियंत्रण तथा रोकथाम के लिए उचित धन की व्यवस्था करें। इसी के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

15.57 म० प०

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : विधेयक का समर्थन करने के साथ-साथ मैं उस विशेष घटना के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहूंगी जबकि एक दिन मैंने माननीय मंत्री श्री कमल नाथ जी का ध्यान आकर्षित किया था।

प्रदूषण के अनेक पहलू हैं। लेकिन एक पहलू जोकि वास्तव में एक जटिल समस्या बन गया है, जैसा कि मैंने सभी बड़े नगरों में भी देखा है, वह डीजल का धुंआ है जोकि सरकारी वाहनों, टैक्सियों तथा लगभग सभी दूसरे वाहनों से निकलता है। उदाहरण के लिए, कुछ दिन पहले शनिवार को मैं कलकत्ता गयी। दुर्भाग्यवश वहां बहुत बड़ा यातायात अवरुद्ध हो गया जोकि चार घण्टे तक रहा। यद्यपि हावड़ा स्टेशन से मेरा घर चार किलोमीटर की दूरी पर है पर मुझे घर पहुंचने में चार घण्टे लग गये। पूरे चारों घण्टे तक चारों तरफ डीजल का धुंआ ही छाया रहा। यह केवल कलकत्ता के बारे में ही विशेष बात नहीं है। दिल्ली में भी, जोकि कलकत्ता की अपेक्षाकृत कम घनी हैं, यदि आप व्यस्त सड़कों पर चलें तो यह वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है। जब तक कि वे इसे हमारे साथी श्री टाईटलर जी के साथ नहीं लेते, तो इस समस्या का हल ढूंढना बहुत कठिन है। पहले भी मोटर-वाहन अधिनियम के संशोधन के बारे में बहुत-सी बहस हुई है। भले ही डाक्टर मनमोहन सिंह जी को हम कुछ भी क्यों न कहते रहें, कारें बढ़ती जा रही हैं। इसलिए यह संकट बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए यह एक ऐसी बात है जिस पर मैं सभा का और माननीय सदस्यों का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

दूसरी बात यह है कि मैं मानती हूं कि इस पर्यावरण संरक्षण में स्कूल के बच्चों की तरह

महिलाएं भी महान भूमिका निभा सकती हैं। मैं एक पुरस्कार वितरण समारोह में गयी जैसा कि हममें से बहुत से जाते हैं। वहां मैंने सुझाव दिया कि एक प्रतियोगिता होनी चाहिए। स्कूल के प्रत्येक बच्चे को अपनी प्रतिभा के साथ-साथ कम-से-कम एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए। यदि स्कूल में भी किसी ने पेड़ लगाया है तो उसकी भी गणना होनी चाहिए।

4.00 म० प०

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुई]

इसे अनिवार्यतया अथवा दंड स्वरूप नहीं किया जा सकता। पर निश्चित तौर पर ऐसी भावना डाली जा सकती है विशेषकर विद्यार्थियों में।

श्री कमल नाथ जी के लिए यह सम्माननीय होगा कि वे महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू करें और ऐसी घोषणा करें कि प्रत्येक गांव में जहां महिलाओं द्वारा सबसे ज्यादा वृक्ष लगाए जाते हैं, उसे विशेष पुरस्कार और विशेष प्रशंसा मिलेगी। इस तरह से महिलाओं में एक प्रतियोगिता की भावना पैदा की जा सकती है।

अन्य बातें तो उन्हें पता ही हैं। मैं अन्य किसी बात का उल्लेख नहीं करूंगी। कुछ प्रोत्साहन, प्रेरणायें तथा नियंत्रण बहुत आवश्यक हैं।

महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मैं यह अनुरोध करती हूं कि वे इस मामले को देखें।

सभापति महोदय : क्या मैं माननीय मंत्री श्री रामेश्वर ठाकुर जी से वक्तव्य देने का अनुरोध कर सकती हूं ?

मंत्री द्वारा वक्तव्य

विदेशी मुद्रा प्रेषण और भारतीय विकास बांड योजना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : वित्त मंत्री ने 24 जुलाई, 1991 को दिए गए अपने बजट भाषण में विदेशों से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रेषणों और विदेशी मुद्रा बांड के रूप में दो योजनाओं की घोषणा की थी। यद्यपि, वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि दोनों योजनाएं बजट भाषण के तत्काल बाद से प्रभावी होंगी, परन्तु सरकार को यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि इन योजनाओं को औपचारिक रूप से शुरू करने के पूर्व, संसद में संगत विधान पारित कर इन दोनों योजनाओं के प्रयोजनों के लिए दी जाने वाली उन्मुक्तियां प्रदान की जाएं। तदनुसार सितम्बर, 1991 के पूर्वार्ध में इस सम्मान्य सदन द्वारा विदेशी मुद्रा प्रेषण और विदेशी मुद्रा बांडों में निवेश (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1991 (1991 का 41) पारित किया गया और इस अधिनियम को 18-9-1991 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।

प्रारम्भ में सरकार का यह इरादा था कि इन दो योजनाओं के प्रचालन के लिए कम से कम 4 महीने का समय दिया जाए ताकि विश्व के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले अनिवासी भारतीयों तक इन दो योजनाओं के बारे में सूचना पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिल सके तथा उन्हें प्रेषणाओं को भेजने अथवा बांडों में निवेश करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वास्तव में इन योजनाओं के लिए केवल दो महीने से अधिक का समय रह

जाता है और हमें अनिवासी भारतीयों से और भारत में रहने वाले उनके रिश्तेदारों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह अनुरोध किया गया है कि इन योजनाओं का समय बढ़ाया जाए। लंदन में भारत के उच्चायुक्त तथा अन्य भारतीय दूतावास और उच्चायुक्तों ने भी इन योजनाओं का समय कम से कम दो महीने और बढ़ाने के लिए दबाव डाला है।

इन अनुरोधों और अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, और इन योजनाओं के प्रचालन के लिए कम से कम चार महीने का समय देने के सरकार के मूल इरादे को देखते हुए इन योजनाओं को 31 जनवरी, 1992 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा प्रेषण और विदेशी मुद्रा बांड (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1991 की धारा 2 (1) ख) तथा धारा 5 (1) में प्रेषणाओं के उद्देश्य से आज एक राजपत्र जारी कर 1 फरवरी, 1992 को एक निश्चित तारीख निर्धारित किया गया है, जिससे पहले प्रेषण भारत में प्राप्त हो जाने चाहिए, या विदेश में विदेशी मुद्रा बांड में निवेश कर दिए जाने चाहिए। आज जारी किए गए दो राजपत्रों की एक-एक प्रति सदन के सभा पटल पर रखी जाती है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 770/91]

इसी प्रकार, उस योजना जिसे वित्त मंत्री के बजट भाषण में भी घोषित किया गया था, के मामले में, जिसमें लेखा बाह्य धनराशि रखने वाले किसी व्यक्ति को 30 नवम्बर, 1991 को अथवा इस तारीख को बैंक कारोबार बन्द होने से पूर्व राष्ट्रीय आवास बैंक में राशि जमा कराने की अनुमति दी जाएगी, स्वैच्छिक जमा (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1991 (1991 का 47), जो आवश्यक उन्मुक्ति प्रदान करते हैं, सितम्बर, 1991 के उत्तरार्ध में माननीय सदन द्वारा पारित किया गया था, और 20-9-91 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस योजना के प्रचालन के लिए भी चार माह का समय देने का सरकार का इरादा था। यह योजना भी 1 अक्तूबर, 1991 को औपचारिक रूप से प्रारम्भ की गई थी। तदनुसार, इस योजना को भी 31 जनवरी, 1992 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। उसके परिणामस्वरूप, स्वैच्छिक जमा (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1991 की धारा 2 (क) के प्रयोजन से, आज राजपत्र जारी कर इसके लिए एक निश्चित तारीख 1 फरवरी, 1992 निर्धारित की गई है, जिससे पहले स्वैच्छिक जमा योजना के अंतर्गत धनराशि जमा करायी जा सकती है। आज जारी राजपत्र की प्रति भी सदन के सभा पटल पर रखी जाती है। (व्यवधान)

[ग्रन्थालय में रखी गया। देखिए संख्या एल० टी० 771/91]

श्री गुमान मल लोढ़ा : दोनों परियोजनाओं में कितनी राशि स्वीकृत की गई और उसमें से कितनी राशि कम की गई थी। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह साफ कहा था कि वह एक अंतिम मौका दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राम नाईक : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : श्री राम नाईक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं। कृपया उन्हें उठाने दीजिए।

श्री राम नाईक : महोदया, जब कभी भी ऐसा बयान दिया जाता है, तो सदन को पूर्व सूचना देनी होती है। अब यह आज की कार्य सूची में शामिल तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब कभी भी ऐसा बयान दिया जाता है तो एक नोट यहां जारी किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट होता है कि मंत्री महोदय एक बयान देंगे ? तो यह रस्म भी पूरी नहीं की गयी है। प्रश्न यह है कि इन परिस्थितियों में सदस्यों को कैसे ज्ञात होगा कि इतने महत्व का बयान दिया जा रहा है। कम से कम सदन इस मामले में सरकार से शिष्टाचार की अपेक्षा करता है। दूरदर्शन पर यह दर्शाया गया था। यह अपने आपमें पर्याप्त नहीं है। जब यह व्यवस्था उपलब्ध है तो हमें इसकी सूचना साईक्लोस्टाइल्ड कॉपी में मिलनी चाहिए कि बयान दिया जाने वाला है। मैं जानना चाहता हूं कि यहां यह क्यों नहीं किया गया है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : कृपया मुझे अनुमति दी जाए। वह इस मामले को उठाने में बिल्कुल सही हैं। सदन कुछ शिष्टाचार की अपेक्षा करती है। यदि आप स्मरण करते हैं तो आपको याद होगा कि वित्त मंत्री ने बजट भाषण में और बाद में भी यह कहा था कि उन लोगों को अंतिम मौका दिया जा रहा है जिन्होंने बिना हिसाब की बेशुमार दौलत एकत्र कर ली है। अब चार महीने की अवधि के उस अंतिम मौके को दो महीने के लिए और बढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार उस अंतिम मौके की अवधि को छः महीने कर दिया गया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा चुका है। व्यवस्था का प्रश्न नोट भी कर लिया गया है। लेकिन यह बयान अध्यक्ष महोदय की अनुमति से दिया गया था। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह बिल्कुल सही है। मुझे स्पष्ट कहना चाहिए कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है बल्कि शिष्टाचार का प्रश्न है। सदन शिष्टाचार की कुछ अपेक्षा करता है। माननीय मंत्री महोदय को यह ज्ञात होना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय के बयान पर प्रश्न नहीं पूछा जाता है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : कुछ महत्वपूर्ण मामलो पर, हम प्रश्न कर सकते हैं। वह उन अप्रवासी भारतीयों से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने गैर कानूनी ढंग से इसे अर्जित किया है। अफवाह यह है कि मुद्रा का अवमूल्यन तीसरा बार भी किया जा रहा है। इससे भी अप्रवासी भारतीयों से धन प्राप्त करने में सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। मैं सोचता हूं कि यदि माननीय मंत्री महोदय इस मामले में गंभीर हैं तो उन्हें जवाब देना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी, यदि आप इस मामले में बहस चाहते हैं तो इसके लिए प्रक्रिया है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं कहना चाहूंगा कि मैं उनसे सहमत हूं कि विदेशी मुद्रा प्राप्त को प्राप्त हो। लेकिन अफवाह है कि हम रुपये के तीसरे अवमूल्यन के कगार पर खड़े हैं। (व्यवधान)

क्या वह हमें और इस राष्ट्र को आश्वासन देंगे कि अब रुपये का और अवमूल्यन नहीं होने वाला है। (व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा : मंत्री महोदय को सदन को ज्ञात कराना चाहिए था कि दोनों

योजनाओं के लक्ष्य क्या थे और कितनी राशि को प्राप्त की गई है और उस आवश्यक राशि को प्राप्त करने में सरकार की विफलता क्या है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : इस तथ्य को नोट कर लिया गया है। कृपया बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री ई० अहमद : नियम 373 बहुत ही स्पष्ट है और ऐसे पूर्व उदाहरण हैं कि इस तरह के बयान पर किसी तरह के प्रश्न नहीं किये जा सकते और न ही कोई भी बहस इस पर हो सकती है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मि० अहमद, मैंने पहले भी यह कहा है।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : ऐसा क्यों हो रहा है। (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : अभी माननीय मंत्री महोदय ने बयान दिया है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या एक बार फिर समय बढ़ाया जा सकता है। एक बार पहले भी समय बढ़ाया जा चुका है। अब फिर एक बार समय बढ़ाया जा रहा है। क्या हम यह जान सकते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिये। (व्यवधान)

श्री पी० सी० चाक्को (त्रिचूर) : मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। पहले ही बड़ी संख्या में लोगों ने इस समिति की अवधि बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया है और मंत्री महोदय ने ज्ञापन स्वीकार भी कर लिया है। अब इस निर्णय का प्रभाव क्या होगा। तीसरे अवमूल्यन के विषय में अफवाह के संदर्भ में क्या समझा जाए। (व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह : यह समाचार पत्रों में भी छपा है···(व्यवधान)रुपये का अवमूल्यन होने वाला है।

सभापति महोदय : इस समय हम इस पर बहस नहीं कर सकते। यह अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा : सदन को आश्वस्त कराया जाना चाहिए कि रुपये का अब और अवमूल्यन नहीं होगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप मुझे बोलने की इजाजत दें। लोक सभा को नियमों के तहत, अध्यक्ष महोदय कार्यसूची में शामिल किए बगैर किसी भी मंत्री को महत्वपूर्ण बयान देने के लिए इजाजत दे सकते हैं। अतः यह आपत्ति करना कि मंत्री द्वारा महत्वपूर्ण बयानों को जारी करने के पहले इसे कार्यसूची में शामिल किया जाना चाहिए सही नहीं है। हां, नियम 193 के तहत सदस्य-गण मंत्री के बयान पर बहस की मांग कर सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि आप इसी तरह बोलते रहेंगे तो आप एक दूसरे को नहीं सुन पाएंगे। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मेरा बयान स्वतः पूर्ण है और इस पर विवाद या बहस की जरूरत ही नहीं है।

हां, मैं एक तथ्य व्यक्त करना चाहता हूं जो प्रसंग से थोड़ा हटकर है लेकिन तीसरे अवमूल्यन से जुड़ा हुआ है। इस मामले में, मैं बहुत पूर्णरूपेण स्पष्ट हूं कि तीसरे अवमूल्यन का प्रश्न ही नहीं उठता है।

सरकार का ध्यान एक दैनिक में छपी उस खबर की ओर अवश्य गया है जिसमें यह आशंका व्यक्त की गई थी कि अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष और आर० बी० आई० के गवर्नर के बीच हुई बैठक के परिणामस्वरूप रुपये का अवमूल्यन होने वाला है। वह खबर अपने आपमें आधारहीन है। आर० बी० आई० के गवर्नर ने टोकयो, लंदन और न्यूयार्क के विदेशी दौरा करते समय ही वाशिंगठन का भी दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ नियमित बैठक की थी। विश्व बैंक के साथ जो बैठक हुई थी वह 20 महीने की अवधि में 2.2 बिलियन डालर की अपर क्रेडिट स्टेन्डबाई व्यवस्था के लिए धन जुटाने के संदर्भ में थी, जिसे फंड के बोर्ड ने अपने 31 अक्तूबर को स्वीकृति दी थी। यहां अवमूल्यन पर किसी प्रकार की कोई बहस नहीं हुई। (व्यवधान)। दरअसल, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ जो सहमति हुई थी, उसके फलस्वरूप सरकार उन नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध है जिससे वर्तमान मुद्रा दर में स्थायित्व सुनिश्चित होगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार में पिछले दो महीने में हुई वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया है। पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा था उसे उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार 6,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गए हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 6,700 करोड़ से ज्यादा है। कल, हमने 220 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा से प्राप्त किए हैं।

आर० बी० आई० के गवर्नर और जी० के० अरोड़ा जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक हैं, से सही स्थिति की जानकारी मिली है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ गवर्नर की चर्चा हुई थी उसमें मि० अरोड़ा मौजूद थे। दोनों ने यह स्पष्ट किया कि न तो आई० एम० एफ० के अधिकारी ने और न ही भारतीय पक्ष की ओर से विनिमय दर समायोजन का मसला उठाया गया था। उन्होंने साफ कहा कि फंड अधिकारियों के साथ हुई चर्चा में इस मामले को किसी भी प्रकार से नहीं उठाया गया था।

यह दुर्भाग्य है कि एक प्रमुख दैनिक ने आर० बी० आई० के गर्वनर या श्री अरोड़ा या वित्त मंत्री से इस तथ्य को सत्यापित किए बगैर उक्त आशय का बयान छाप दिया। यह आधारहीन है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आपने सदन के पटल पर शर्तों को उजागर करने का वचन दिया था।

श्री रामेश्वर ठाकुर : हम इसे सही वक्त पर रखने जा रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि आप सभी एक साथ बोलते हैं, तो किसी की भी आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी।

श्री चित्त बसु : प्रधानमंत्री या मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि आई० एम०

एफ० की शर्तों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। अब मैं यह जान सकता हूं कि उक्त आश्वासन को कब कार्यान्वित किया जाएगा।

श्री रामेश्वर ठाकुर : माननीय वित्त मंत्री महोदय की ओर से मैं सदन को पुनः आश्वासन देता हूं कि उन पेपरों को सदन के पटल पर सही वक्त पर रखा जाएगा। (**व्यवधान**)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदया, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा...

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। अब हम कार्यारम्भ कर सकते हैं और यदि सदस्य चाहते हैं तो वे नियम 193 के तहत मंत्रीजी के बयान पर बहस की मांग कर सकते हैं।

जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण (उपकर) संशोधन विधेयक—जारी

4.20 म० प०

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री ए० चार्ल्स।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदया जी, मैं जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण (उपकर) संशोधन विधेयक, 1991 का समर्थन करता हूं। यह विधेयक जल के अधिकतम दर में वृद्धि करने तथा कुछ स्थितियों में शुल्क में जो कटौती के लिए सुविधा दी गई, उसको घटाने जैसे सीमित उद्देश्य से रखा गया। जैसा कि "उद्देश्यों और कारणों का कथन," शीर्षक के अंतर्गत बताया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यभार में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय दबाव भी बढ़ गया है।

इस विधेयक में प्रस्तावित दर वृद्धि का विरोध उचित नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री जी को आगाह करना चाहता हूं कि इस प्रकार जमा की गई धनराशि का हाल केन्द्रीय सड़क निधि की तरह न हो जाए। केन्द्रीय सड़क निधि के नाम से कई करोड़ रुपये जमा किए गए लेकिन वित्त मंत्रालय ने अभी तक इसे राज्य सरकारों को वितरित करने के लिए आवश्यक अनुमति नहीं दी है जिससे राज्यों को जितनी धनराशि मिलनी चाहिए थी वह अभी तक नहीं दी गई है। अतः मेरा सुझाव है कि जिस निधि के प्रयोजन से जो धनराशि जमा की जाती है उसे समुचित बोर्डों को ही दिया जाय जिससे कि वे मूल अधिनियम के प्रावधानों का अधिक सार्थक रूप में कार्यान्वयन कर सके।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यद्यपि केन्द्रीय सरकार द्वारा कई वर्ष पहले कानून पास कर दिया गया था, फिर भी यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने विधेयक के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक विधान पारित नहीं किए। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे यह साफ-साफ बताएं कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्होंने विधेयक के कार्यान्वयन के लिए

आवश्यक विधान पारित नहीं किए तथा वे कौन से राज्य हैं जो अधिनियम के ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए आगे नहीं आये।

जैसा कि हम जानते हैं ऐसे कई उद्योग हैं जोकि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे उद्योगों का पता लगाया जाना चाहिए और गलती करने वाले उद्योगपतियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ हमें दूषित जल को नदियों और यहां तक कि समुद्र में बहाने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। जनता के उपयोग हेतु निश्चित जल स्रोतों में अनुपचारित पानी को बहाने से स्वास्थ्य के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता को खतरा पैदा हो गया है। यह विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से, सरकार नदी जल में प्रदूषण समाप्त करने के उद्देश्य से "केन्द्रीय नदी सफाई योजना" बना रही है। यदि मेरी सूचना सही है तो यह एक वृहद योजना होगी, जिस पर लगभग सौ करोड़ की लागत आएगी। इस संदर्भ में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र, केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम से संबंधित एक गंभीर विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

त्रावनकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स एक सुप्रतिष्ठित उद्योग है जिसका वहां एकाधिकार है। यह त्रिवेन्द्रम में समुद्र के निकट स्थापित है। पिछले 25 वर्षों से भी अधिक समय से गंधक अम्ल युक्त उत्सर्जित तरल जो कि मुख्य दूषित तरल है उसे समुद्र में बहाया जा रहा है। हम बार-बार उद्योग से गंधक युक्त तरल के उपचार के लिए अद्यतन तकनीक का प्रयोग करने का अनुरोध कर रहे हैं। इस दूषित तरल को बहाए जाने के कारण समुद्र का कई कि० मी० क्षेत्र का जल दूषित हो गया है। मैं त्रिवेन्द्रम की ओर विमान से यात्रा करने वालों से अनुरोध करता हूं कि जब उनका जहाज वहां के हवाई अड्डे पर उतरे तो वे नीले समुद्र को एक नजर देखे तब उन्हें मालूम होगा कि वहां समुद्र का पानी कई किलोमीटर दूर तक पीला पड़ गया है और उसमें मछलियां भी जीवित नहीं रह सकती हैं। हजारों की संख्या में लोग जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी मछुआरे का काम करते रहे हैं आज बेकार हो गए हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार त्रिवेन्द्रम में कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। एक समाचार पत्र में अनुसंधान पर आधारित एक रिपोर्ट छपी है जिसके अनुसार इसी प्रदूषण के कारण त्रिवेन्द्रम में कैंसर के मरीजों में बढ़ोतरी हुई है। यह बड़ी खतरनाक बात है। इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि वे इस विषय पर राज्य सरकार से बात करें और देखें कि त्रावनकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स द्वारा समुद्र में प्रवाहित किए जाने वाले दूषित तरल का उपचार किया जाए। यह काफी लाभकारी उद्योग है। यदि एक वर्ष के लाभ का उपयोग नये तकनीक के प्रयोग के लिए किया जाएगा तो, इस समस्या का समाधान संभव है। मैं उनसे ऐसा करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है।

मेरा ख्याल है कि सरकार "राष्ट्रीय नदी सफाई योजना" पर विचार कर रही है। मैं इस संदर्भ में मंत्री जी से गंगा सफाई योजना के परिणाम बताने का अनुरोध करता हूं। इस महती परियोजना की घोषणा हमारे प्रिय स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने की थी। वह राजीवजी के सपनों में से एक था, जिसकी लागत 250 करोड़ रुपये थी। यदि वे इस सभा में होते तो उन्हें यह देखकर प्रसन्नता होती कि जल का 23 प्रतिशत अंश शुद्ध किया गया है। तब भी, कल समाचार पत्र में एक खबर छपी थी जिसके अनुसार हुगली नदी का जल कपड़े धोने और स्नान करने

के काम का भी नहीं है फिर पीने के योग्य होने की तो पूछो ही नहीं। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि गंगा सफाई योजना का क्या हुआ।

वर्ष 1988 में संसद समिति के एक सदस्य के रूप में मुझे वाराणसी जाने का अवसर मिला, जहां हमें गंगा नदी में लगभग पन्द्रह किलोमीटर दूर तक यात्रा करवाई गई थी। इतने छोटे क्षेत्र में ही हमने देखा कि अध जले शरीर गंगा नदी में फेंके गए थे। इस नदी के साथ-साथ लगभग 27 शहर हैं और उन सभी शहरों के कारखानों से निकलने वाला दूषित जल हमारे महान देश की इस शुद्ध जल युक्त गंगा नदी में बहाया जा रहा है। इसलिए मैं उनसे यह बताने का अनुरोध करता हूं कि उस पर कैसे निगरानी की जा रही है और गंगा सफाई योजना के अंतर्गत क्या काम हो रहा है।

मेरा अंतिम मुद्दा यह है और यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि केरल, एरणाकुलम व अल्लेपी में कई पानी से भरे ऐसे क्षेत्र हैं जहां सीजन में कई करोड़ रुपये मूल्य की मछलियां पकड़ी जाती हैं। छह महीने पहले यहां एक ऐसा रोग फैल गया था जिससे कई करोड़ रुपये मूल्य की मछलियां मर गई थीं। लोग वहां की मछली नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि उनके उपयोग से नुकसान होने का भय है। अतः स्थिति अभी भी बदतर है। कोचीन विश्वविद्यालय के जीव रसायन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ है कि धान की खेती में जीवनाशक दवाइयों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण ही भारी संख्या में मछलियों की मृत्यु हुई है। पर आश्चर्य है कि इस रिपोर्ट के बावजूद कुछ ऐसे गुट हैं जो पर्यावरण विरोधी कार्य किए जा रहे हैं। वे लोग उस अनुसंधान निकाय के सिफारिशों का अमल करने के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री चार्ल्स जी, आपके दल के ही और चार सदस्य बात करना चाहते हैं। इसलिए आप अपनी बात जरा जल्दी पूरी करिए।

श्री ए० चार्ल्स : मैं अभी अपनी बात समाप्त करता हूं, महोदया।

केरल में यह काफी गंभीर समस्या है। सभी राष्ट्रीय समाचार-पत्रों ने इसकी चर्चा की थी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे मछलियों की भारी मात्रा में हो रहे नाश को रोकने हेतु तुरन्त कारंवाई करें, जिससे कि प्रदूषण रोका जा सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदया, इस विधेयक में बहुत विरोध करने की बात तो नहीं है सिवाय इसके कि घरेलू उपयोग के जल पर भी सैस में वृद्धि ही रही है। घरेलू उपयोग के जल पर सैस में वृद्धि करने से पूर्व कई बार सोचने की आवश्यकता है। हिन्दुस्तान के बहुसंख्य गांवों में हम पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं और जिन शहरों में पीने का पानी देते भी हैं, वह पानी पूरी तरह से प्रदूषित है। इसके कारण अधिकांश बड़े शहरों में लोग घातक बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। पेय जल की प्रदूषित व्यवस्था के कारण, घरेलू उपयोग के पेयजल पर वृद्धि कर देना ठीक नहीं है। इस पर सरकार को बहुत सोचने की आवश्यकता है।

महोदया, इस चर्चा के दौरान मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का

कार्य बढ़ रहा है और उसके लिए आप सेस में वृद्धि कर रहे हैं, यह बहुत आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से प्रदूषण बोर्ड की गतिविधियों को और उसके दायरे में और भी वृद्धि करने की आवश्यकता है। आज जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं उनमें जो पम्पिंग सेट हैं, उनको पुराने ढंग की गाड़ियों में लगाकर उनसे यात्रियों को ढोने का काम हो रहा है। इसका नतीजा क्या हो रहा है प्रदूषण ग्रामीण इलाकों में भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आटो की उत्पादन क्षमता जो प्रतिदिन की है, उनमें बिना सोचे-समझे वृद्धि करने के कारण यह प्रदूषण अब शहरों के साथ-साथ गांवों में भी पहुंचता जा रहा है।

महोदया, अभी मैंने एक महत्वपूर्ण समाचार, समाचारपत्रों में पढ़ा कि जो दिल्ली शहर में पैदा होने वाला हर आदमी, उत्तरी दिल्ली में बिना सिगरेट पिए भी डेढ़ पैकेट सिगरेट पी लेता है, इतना प्रदूषण है। जो पश्चिमी दिल्ली में पैदा होता है, वह बिना सिगरेट पिए भी एक सिगरेट के पैकेट के बराबर जहर पी लेता है। इतना नुकसान हर व्यक्ति को हो रहा है। वहां के वायुमंडल में आटो की सुविधा प्रदान करने के कारण, इतना प्रदूषण हो गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दायरे और गतिविधियों में वृद्धि करने की आवश्यकता है क्योंकि हिन्दुस्तान की सरकार नये आने वाले उद्योगों, और निजी वाहनों के उत्पादन के लिए खुली छूट देती जा रही है।

महोदया, सड़कों की स्थिति में विस्तार और फैलाव नहीं हो रहा है, बल्कि सड़कों के ऊपर निजी वाहनों का जो जोर है, वह बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है जिसका नतीजा यह है कि हमारे शहर और सड़कें निरंतर प्रदूषित हो रही हैं।

महोदया, जहां तक नदियों का सवाल है मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जैसे प्राचीन काल में सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ जैसे ही अब नदियों और नालों के किनारे छोटे-छोटे उद्योग और फैक्ट्रियां पनप रही हैं और उनका सारा प्रदूषण इन नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है जिसके कारण आज हमारी नदियों और नालों में भी भयंकर रूप से प्रदूषण फैल गया है।

महोदया, हिन्दुस्तान की सरकार ने गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए एक मास्टर प्लान चलाया, लेकिन इस गंगा नदी में जो उप नदियां है घाघरा आदि जिनका जल इसमें मिलता है, उनके लिए कोई प्लान नहीं बनाया जिसके कारण सरकार द्वारा गंगा नदी के स्वच्छ करने पर खर्च किया गया सारा पैसा बेकार और बर्बाद चला हो गया क्योंकि इसमें मिलने वाली जो नदियां हैं, वे अपने साथ प्रदूषण लाती हैं और गंगा में मिल जाती हैं जिससे गंगा नदी भी अपने आप प्रदूषित हो जाती है। यमुना नदी जो दिल्ली से होकर बहती है यदि मंत्री जी और उनके विभाग के लोग उसकी दुर्दशा आगरा में जाकर देखें तो आपको यकीन होगा कि कितनी बुरी हालत में आगरा के नागरिक उस जल को पी रहे हैं। उस जल को जानवर भी पीकर मर रहे हैं इंसान के पीने की तो बात दूभर है। उसका नतीजा है कि आगरा जैसे बड़े शहर में आज सात सैकड़ों से अधिक लोग पोलियो रोग के मरीज हो रहे हैं। हिन्दुस्तान का सुप्रीम कोर्ट बार-बार निर्देशित करता है कि डिस्टीलरी के उद्योग या चर्म उद्योग प्रदूषण के यंत्रों को लगाएं। लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार, उनका प्रदूषण विभाग दोनों सांठ-गांठ करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सारे आदेशों की निरंतर अवज्ञा हो रही है। डिस्टीलरी के जितने मालिक हैं चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, मैं भिलाई

गया था, वहां भी इस तरह की समस्या है कि सारी छोटी नदियों में डिस्टीलरी का जल आ रहा है। हिन्दुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को निर्देशित किया कि प्रदूषण नियंत्रण यंत्र वहां तत्काल लगाए जाएं लेकिन प्रदूषण विभाग उस दिशा में कोई पहल नहीं कर रहा है। हमारे यहां गंगा नदी पर कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। उस नगर के किनारे गंगा नदी की सतह पर जितने चर्म उद्योग हैं उनके लिए भी भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय ने निरन्तर निर्देशित किया है। गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एक तरफ तो हिन्दुस्तान की सरकार अरबों रुपया खर्च कर रही है और दूसरे वहां का जो चमड़ा उद्योग है, टेनरीज हैं वह भारी मात्रा में अपने जल को गंगा में प्रवाहित करके उस जल को प्रदूषित कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया। 30 अक्तूबर उसकी तारीख थी। मैं इसी चर्चा के दौरान मंत्री जी से उत्तर चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कानपुर में गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए हिन्दुस्तान की सरकार और प्रदूषित नियंत्रण विभाग ने क्या पहल की।

छोटी-छोटी टैनरीज के मालिक कहते हैं कि हम अपनी तरफ से इतने महंगे यंत्र नहीं लगा सकते हैं। सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनी तरफ से कोई बड़ा यंत्र लगा दे, उसमें सभी पर टैक्स लगा दे और जितनी टैनरीज हैं उनकी अपनी क्षमता, शक्ति के मुताबिक उन पर टैक्स इम्पोज करके वे ले तो मैं समझता हूं कि प्रदूषण को रोका जा सकता है। उसी तरह से छोटे-छोटे जलाशय गांव में हैं जिनका प्रयोग ग्रामीण लोग पीने के काम में और स्नान करने के काम में लेते हैं। प्रदूषण बोर्ड को चाहिए कि ऐसे सभी गांव स्तर के जो तालाब हैं, झील हैं, उनको गहरा करने के बारे में एक योजना बनाए। उसी तरह से यदि नदियों के पैंदे को गहरा नहीं किया गया तो नदियों के जल को प्रदूषित होने से रोका नहीं जा सकता है। उस सिल-सिले में प्रदूषण विभाग को गौर करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मोटे तौर पर इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं केवल एक बात के साथ कि इसमें घरेलू उपयोग के जल पर भी सैस लगा है, उस पर मंत्री जी पुनः विचार करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदया, मैं दो बातों की ओर विरोध कर रहा हूं—एक तो जिन लोगों को प्राइवेट जल मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, दूसरे सैस की सहूलियत में जो कमी कर दी गई है, 70 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल जल से संबंधित नहीं है, इसमें ध्वनि और वायु भी शामिल है। पैट्रोल और डीजल के धुएं से कैंसर जैसा रोग पैदा होता है। यह बिल बहुत समय पहले आने को था, आया भी लेकिन इसका कहीं कोई असर नहीं है। न उद्योगों पर नियंत्रण है न और किसी पर नियंत्रण है। इसका कारण यह है कि वाटर वर्क्स में जो लोग हैं उनको जल प्रदूषण बोर्ड का मैंबर बनाया जाता है। यह एक प्रकार से सजा है। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं और आपने उनको जल प्रदूषण में लगा दिया तो एक प्रकार से सजा देने के नाते अधिकारियों को वहां पर भेजते हैं। वे ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं।

इस बिल के द्वारा दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। 70 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का और उसमें भी वह व्यक्ति हकदार नहीं होगा जो अधिक जल का उपयोग करेगा। दूसरा

है 25 का उपबंध या जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 का उल्लंघन करेगा, उसका भी आपने प्रावधान किया है। अधिकारियों और प्राधिकारियों को उपकर की रकम का निर्धारण करने का अधिकार भी आप देने जा रहे हैं जो कोई अपना विवरण पेश नहीं करेगा। एक बात यह भी है कि आप बाजार की दरों में वृद्धि करने जा रहे हैं। घरेलू पानी पर आप जो टैक्स लगा रहे हैं, वह नहीं लगाये। 70 परसेंट से घटा कर 25 परसेंट जो आपने किया है, मैं इसका विरोध करता हूं।

यह बिल जो कि नाममात्र का बिल है, कोई असरदायक बिल नहीं है। उसको प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ उपाय आपको बताना चाहता हूं। पर्यावरण विशेष अदालतें बनायी जायें। उनका दायरा विस्तृत हो और जिला स्तर तक ही अदालतें बनायी जायें। जिन कारखानों के कारण प्रदूषण फैलेगा उन्हीं पर क्षति का मुआवजा देने की जिम्मेदारी हो। इसके कारण कारखानेदार या उपभोक्ता अनिवार्य रूप से परिशोधन संयंत्र लगायेंगे और सरकारी आदेशों का पालन करेंगे। कर्त्तव्य निभाने में जो अधिकारी असमर्थ रहें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये।

देश में उपलब्ध पानी का 70 प्रतिशत भाग प्रदूषित है। दो तिहाई बीमारियां पानी से संबंधित हैं। लगभग 36 करोड़ व्यक्ति साफ पानी पीने के लिए तरस रहे हैं और शेष पानी भी अनुपयोगी हो रहा है। जल प्रदूषण की प्रदर्शनियां लगायी जायें। संतोषजनक ढंग से जो संयंत्र लगाये गये हैं उन्हें जल संबंधी अधिकार पर 70 प्रतिशत की रियायत दी जाये। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि उन उद्योगों को लाइसेंस नहीं दिया जाये जो कचरा साफ नहीं करते। नदियों के किनारे व्यापार पैमाने पर जंगल लगाने चाहिये। प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारखानों में जो स्लज पड़ता है, वह बारिश में बह कर नदियों में मिल जाता है। उसको भी साफ करने की जिम्मेदारी जिन्होंने पानी का उपयोग किया है, उन्हीं पर होनी चाहिए। सामान्यतः एक वर्ष में 10 लाख व्यक्तियों पर पांच लाख टन सीवरेज उत्पन्न होता है। हमारे देश में प्रतिदिन 80 लाख टन मीटर मल एकत्र होता है। भारत के 142 शहरों में मल-मूत्र को समाप्त करने के लिए संयंत्र लगे हुए हैं। 62 शहरों में आंशिक और 72 शहरों में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। मेरा सुझाव है कि शहरों में शोधन संयंत्र लगाये जायें। जल का उपयोग करने वालों को जल शोधक प्लांट लगाने के लिये बाध्य किया जाये।

मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी-नर्मदा नदी के किनारे प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को लगाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र जयपुर में प्रदूषण जल ध्वनि और वायु से होता है। वहां इन तीनों की समस्या है जिनका निराकरण किया जाये। जयपुर शहर में पांच स्थानों पर जहां पीने का पानी कुंओं के द्वारा दिया जाता है वहीं पर खाली गटर लाइन छोड़ देने के कारण कुंओं के जल में प्रदूषण फैलता है। टैम्पो से धुंआ निकलता है जिसके कारण वायु और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। राजस्थान सरकार ने 6 शहरों में जल आपूर्ति एवं सीवरेज योजना के लिए आई० डी० ए० की वित्तीय सहायता हेतु 26-6-90 को 514 करोड़ 60 लाख की योजना केन्द्र सरकार को भेजी है जो कि अभी तक आपके पास पड़ी हुई है। मेरा निवेदन है कि उपरोक्त योजना हेतु विश्व बैंक से वांछित कर्जा 6 नगरों की जल आपूर्ति एवं सीवरेज योजना को पूरा करने हेतु दिलवाई जाये।

अंत में मेरा निवेदन है कि प्राइवेट लोगों को जो पानी दिया जाता है, उस पर टैक्स नहीं

लगाया जावे और 70 से 25 जो किया है पहले इसको नहीं किया जावे। पहले कानून को मजबूत और शक्तिशाली किया जावे। उसके बाद इस पर अगले सत्र में विचार हो। यही मेरा निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : चूंकि, अभी भी लगभग आठ वक्ता रहते हैं, जिन्होंने इस विषय पर बोलने के लिए अपने नाम दिए हैं। क्या मैं उनसे पांच मिनट की समय-सीमा का पालन करने का अनुरोध कर सकती हूं।

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : सभापति महोदय, यह विधेयक जल तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभायेगा। औद्योगिकीकरण में तेजी से हो रही प्रगति के कारण पूरे संसार में जल तथा वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बना हुआ है। जो अधिकतर उद्योग नदी के किनारे स्थापित किए गए हैं, वे अपने प्रदूषित जल का निष्कासन नदी में कर देते हैं, जिससे उस नदी के जल के उपयोग से लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचने का खतरा रहता है।

दूसरे, वे कारखाने चाहे वे सीमेंट अथवा इस्पात की फैक्टरियां हों, जोकि धूल के कण फैलाती हैं, हमारे जीवन के लिए एक वास्तविक चुनौती बन चुकी हैं। यह और भी अधिक दुर्भाग्य-पूर्ण है कि हमारे सरकारी उपक्रम भी प्रदूषण संबंधी मार्ग-निर्देशों का पालन नहीं करते। सबसे बड़ा उदाहरण है मेरे निर्वाचन-क्षेत्र सुन्दरगढ़ राउलकेला स्टील संयंत्र, जो न केवल एक सीमा कण वातावरण में फैलाता है बल्कि अपना प्रदूषित पानी सीधा ब्राह्मणी नदी में प्रवाहित करता है। मेरे जिले की उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड तथा दूसरे सीमेंट कारखाने जैसे अन्य निजी औद्योगिक इकाइयों का तो कहना ही क्या है। वे धूल-कण फैलाकर वायु को प्रदूषित करते हैं।

मेरी आपके द्वारा इस सम्मानीय सभा से प्रार्थना है कि जब हम सभी को पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकते तो हमें इसे प्रदूषित करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे लोगों के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ता है। पानी तथा वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को दंडित करने के अलावा इनको प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के कारण प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान करनी चाहिएं। विशेषकर राउलकेला तथा राजगंगपुर सीमेंट कारखाने के आस-पास रहने वाले ग्रामवासी टी० बी० तथा दूसरी बीमारियों से ग्रस्त हैं। इसलिए स्टील तथा सीमेंट कारखानों के मालिकों को उनका ध्यान रखना चाहिए। मैं आपके द्वारा भारत सरकार से प्रार्थना करती हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें।

श्रीमती बसवा राजेश्वरी (बेल्लारी) : सभापति महोदय, मैं विधेयक का स्वागत करती हूं। मेरे विचार से जो विधेयक सभा के सामने लाया गया है उसे और अधिक व्यापक होना चाहिए था। सभापति महोदय, सरकार घरेलू उपभोग के जल पर तथा उद्योगों को सप्लाई किए जाने वाले जल पर उप-कर लगाने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है। इससे पहले कि मैं विधेयक के विषय पर आऊं मैं कर्नाटक की एक कहावत के बारे में कहूंगा "तुंगपान्न गंगा स्नाना"। गंगा स्नान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पहले था। इसी प्रकार से तुंगभद्रा से जल लाना भी उतना महत्व रखता है।

अब मुझे लगता है कि गंगा स्नान तथा तुंगा पानी दोनों ही प्रदूषित हो गये हैं। कई सदस्यों ने इस विषय के बारे में बोला है कि गंगा का पानी कैसे प्रदूषित हो गया है। मैं ऐसे स्थान से आती

हूं जहां तुंगभद्रा नदी बहती है। मैं यहां यह बताना चाहूंगी कि तुंगभद्रा नदी कैसे प्रदूषित हुई है। यह हरिहर से आने वाले पोली फाइवर के कारण प्रदूषित हुई है। इसलिए इसका पानी प्रदूषित है तथा वायु भी हरिहर से कृष्णा नदी तक मीलों तक प्रदूषित है। जो लोग यह पानी पीना चाहते हैं, वह न तो पानी पी सकते हैं, न ही उसमें स्नान कर सकते हैं। इस नदी के किनारे कई चीनी के कारखाने लगे हैं। इसका शीरा तथा कुछ दूसरे औद्योगिक कचरे को नदी में फेंक दिया जाता है। इस निरन्तर सिंचाई के पानी के कारण कीटनाशक दवाइयां, उर्वरक तथा दूसरी चीजें भी प्रदूषित हो जाती हैं। पानी इतना अधिक प्रदूषित होता है कि जब ये नदी में पहुंचता है तो इसे भी प्रदूषित कर देता है। जब हम इस पानी से नहाते हैं तो सारे शरीर में खुजली हो जाती है। तो यह है तुंगभद्रा नदी की स्थिति। उन्हें इस स्थिति में होना चाहिए कि वे इस बात का जवाब दे सकें कि वे इस प्रदूषण को किस तरह दूर करने जा रहे हैं।

पुराने दिनों में रायचुर जिले में पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। वहां, अधिकतर काली मिट्टी होती है। यहां तक कि पानी भी काला होता है। इसलिए हमारे पूर्वज इस नदी के किनारे गांव बसा पाये थे। अब अधिकतर गांववासी जो यह पानी पीते हैं, बहुत कठिनाई में हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से जवाब चाहूंगी कि वे कैसे इस प्रदूषण को समाप्त करने जा रहे हैं।

महोदया, हमारे पास स्पंज लोहे की कमी है। हम रद्दी लोहे का आयात कर रहे हैं। जहां तक कि विदेशी मुद्रा का संबंध है, हम बहुत ही कठिन परिस्थिति में हैं। परन्तु लाइसेंस देते समय क्या यह जरूरी है कि कच्चे लोहे पर आधारित स्पंज लोहे के संयंत्र शहर की सीमा-क्षेत्र में लगाए जाएं एक व्यक्ति इतने धुएं के साथ कैसे रह सकता है? स्पंज लोहा बहुत ही प्रदूषण फैलाता है। बेल्लारी शहर में एक स्पंज लोहा संयंत्र प्रारंभ होने जा रहा है। मुझे पता नहीं है कि इस संयंत्र का लाइसेंस किसने दिया है। हमें इस विधेयक पर बहस करने से पहले ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए।

जहां तक कि वायुमंडल का संबंध है, हम इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। बच्चों को शुरू से ही पौधों को उगाने के बारे में जानकारी दी जाए, इस बात के लिए मैं बहुत इच्छुक हूं। कर्नाटक में प्राथमिक स्कूल के स्तर पौधे लगाने की एक बहुत ही बड़ी योजना बनाई गयी है। बच्चों को पौधे लगाने को कहा जाता है। वे उन पौधों को बेचते हैं। इससे जो भी पैसा मिलता है वे उसे स्कूल के सुधार में लगाते हैं। इसलिए उनमें पेड़ उगाने के प्रति प्रेम तथा लगाव है। ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित करना चाहिए ताकि वायुमंडल को अधिक-से-अधिक बचाया जा सके।

महोदया, उद्योगों से होने वाले कचरे और अनेक वस्तुओं से पानी का प्रदूषण होता है। लेकिन वायु-प्रदूषण के बारे में आप क्या कहते हैं? उद्योगों तथा अन्य दूसरी चीजों से यहां वायु प्रदूषण है। मनुष्यों के प्रदूषण के बारे में क्या विचार है? जब हम ग्रामों में प्रवेश करते हैं, तो हम वहां मनुष्यों का प्रदूषण देखते हैं। हम इसका हल कैसे खोजेंगे? जो व्यक्ति ग्रामों में जाना चाहते हैं, उनको यह बहुत बुरा लगता है। सफाई के बारे में आपका क्या विचार है? शहरों में पीने के पानी का क्या प्रबंध है? हमारे पास गांवों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। हमने सीवेज समितियां बनाई हैं। इनके रखरखाव का क्या साधन है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें पीने का पानी गन्दे पानी के साथ मिल जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस प्रकार पीने का

पानी गन्दे पानी के साथ मिल जाता है। इससे काफी आंत्रशोथ हो सकता है। ऐसी कई घटनाएं शहरों में होती हैं। जहां तक सफाई का संबंध है, नगर निगम के कर्मचारी कूड़ा-कचरा हटाने पर ध्यान नहीं देते हैं और न ही नालियों को साफ करने की तरफ ही ध्यान देते हैं। इनको साफ करना चाहिए। इन सब बातों का ठीक तरह से ध्यान नहीं रखा जाता। अब तक फ्लश वाली शौचालय नहीं हैं। जब तक हम इन पर ध्यान नहीं देते, हम प्रदूषण नहीं रोक सकते।

कर लगाने के संबंध में यह ठीक से नहीं बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपना कुंआ या कुछ और औद्योगिक उपयोग के लिए या घरेलू इस्तेमाल के लिए खोदता है तो क्या उस पानी पर भी कर लगेगा। यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है।

यह ठीक तरह से नहीं बताया गया कि इसको मापने का तरीका क्या है ? कितने लोग और कितने उद्योग इनकी खपत करते हैं ? यह तरीका इस विधेयक में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है।

चूंकि आप घंटी बजाने ही वाले हैं, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहती हूं। माननीय मंत्रीजी से यह देखने का अनुरोध करूंगी कि आगे से पानी तथा पीने के पानी में तथा नगरों को भेजे जाने वाले पीने के पानी में प्रदूषण का ध्यान रखा जाए। अन्यथा कर लगाने का कोई लाभ नहीं, यदि हम इनको समुचित मात्रा में साफ पीने का पानी भी मुहैया न करवा सकें। इन प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्री जी को देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मुमताज अंसारी (कोडरमा) : आदरणीय सभापति महोदया, बहुत सारी बातें इसमें कही जा चुकी हैं और मैं बहुत तफसील में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन यह कहना मैं जरूरी समझता हूं कि पानी जिन्दगी के लिए एक अनिवार्य हिस्सा है और जब पानी थोड़ा गन्दा होता है, पोल्युटिड होता है तो पूरी फिजा गन्दी होती है और उसके बाद पूरा माहौल बिगड़ जाता है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि एनटी पोल्युशन वाटर प्रोग्राम और न जाने कैसे-कैसे प्रोग्राम इस मुल्क में चले और करोड़-करोड़ रुपया इसमें खर्च हुआ, लेकिन इसका खातिरख्वाह जो नतायज बरामद होना चाहिए था वह नतायज बरामद नहीं हो पाए हैं। लेकिन यह जो बिल पेश किया गया है यह सिर्फ सैस के मुताल्लिक है। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि सेसे से नजरेसारी, इस हर गौर करने से पहले मैं यह जरूरी समझता हूं कि उसके वजुहात (कारण) को भी दूर करने की जरूरत है। जो कारण हैं, जो वजुहात हैं, उस पर भी नजरेसानी करने की जरूरत है जैसे नदियों के किनारे जो इंडस्ट्रीज एस्टेबलिश की जाती हैं उससे रोग लगने के तमाम क्वानिन हैं लेकिन उस पर सख्ती से अमल नहीं किया जा रहा है इसकी वजह से पूरी गन्दगी बढ़ती चली जा रही है।

इसी तरह से जो कोल वाशरिस हैं, मैं तो कोलफिल्ड से आता हूं इसलिए मैं यह यकीन के साथ कह सकता हूं कि जहां पर अभी बिहार में 13 कोल वाशरिस ऐसे हैं जिसकी वजह से पानी पूरा गंदा हो रहा है और उस पर किसी तरह की निगरानी और पाबन्दी नहीं की जा रही है। हालांकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं लेकिन जो इससे क्वानिन हैं उस पर सख्ती से अमल नहीं होने की वजह से ये तमाम पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के जरिए सिर्फ यह न देखा जाए कि सैस कैसे बढ़ाया जाए और

कैसे घटाया जाए, आमदनी की सूरतेहाल कैसे पैदा की जाए, बल्कि यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो पूरी गंदगी बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए और इसके जो असरात हो रहे हैं, जो बहुत सारी इन्सानी जानें नजरअंदाज हो रही हैं। उसी तरह से जो फिशिंग इंडस्ट्रीज हैं वह बड़े पैमाने पर नजरअंदाज हो रही हैं जिससे करोड़-करोड़ रुपए से हमारे फोरन एक्सचेंज मुहैया होते हैं और एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हम होते हैं, ये तमाम इंडस्ट्रीज आपके नजरअंदाज हो रही हैं।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो वजीरे मोहतरम हैं इसके मुतालिक उनको इस पर नजरेसानी करना चाहिए, जो फिशिंग इंडस्ट्रीज हैं, वह पोल्यूशन से जो जवाल पजीर हैं, जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं वह जवाल पजीर हैं और इन्सानी जो जिन्दगी है वह असरअंदाज हो रही है, इन तमाम चीजों पर नजरसानी करने की जरूरत है। यहां पर कुछ बातों को ऐसा कहा गया है कि जो रिबेट है वह सिर्फ 70 परसेंट से घटाकर 25 परसेंट तक ले जाई जाएगी, लेकिन इसमें कोई भी इम्तियाज नहीं बरता गया है कि यह पानी इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल होगा या पीने के लिए इस्तेमाल होगा। यहां पर सख्ती से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो रिबेट लागू किया गया है, 70 परसेंट से लेकर 25 परसेंट तक जो घटाया गया है इसको कम-से-कम पीने के पानी के मुताल्लिक अमल में नहीं लाया जाए और इसका जो इंडस्ट्रीयल यूज है उसके मुताल्लिक अगर इसका इस्तेमाल हो तो यह जायज होगा। लेकिन पीने के पानी के सिलसिले में अगर इसका इस्तेमाल होता है तो कतई जायज नहीं होगा। दूसरी तरफ यह कहा गया है कि जो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करता है तो वैसी हालत में उसका जो रिबेट है वह उसको नहीं मिलेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह का फर्क वहां बरता जाए, जहां पीने का इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसी हालत में जरूर रिबेट दी जाए, चाहे वे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करें या जरूरत से कम इस्तेमाल करें। जहां पर इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है, वहां पर इसको अप्लाई किया जा सकता है।

इसके साथ ही साथ यह भी बिल में व्यवस्था की जा रही है कि इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा, अगर रूल 25 को आब्जर्व नहीं किया जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है और वहां पर रूल 25 का वायलेशन हो रहा है तो वहां पर रेट आफ इंटरेस्ट बढ़ाना जायज है, लेकिन जहां पर पानी पीने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर इस तरह की चीजें वजूद में लाना कतई जायज नहीं होगा। मैं इस बात का सख्ती से विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, इसमें आपने कहा है कि जो अफसरान हैं, हुक्काम हैं, उनके पावर्स बढ़ाए जाएं, ताकि वे सैस वसूल करने के लिए सक्षम हो सकें। मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान में भी सारे पावर्स उसके पास हैं, अभी जो कानून हैं, उनके तहत भी अधिकारियों के पास पावर्स हैं, इसलिए उनके अख्तियारात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। बल्कि वह किया जाए कि उन पर जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा आयद करिए और सख्ती से करिए, उनको कहा जाए कि वे सैस ढिलाई से वसूल न करें और सख्ती से सैस वसूल करके एक्सचेकर में जमा कराएं।

इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थॉमस (मुवट्टुपुजा) : महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और अपने आपको एक मुद्दे तक सीमित रखता हूं। वास्तव में यह बात अनेक सदस्यों द्वारा कही गई है।

यह एक समस्या है कि बहुत से उद्योग जल को दूषित कर रहे हैं और जहां तक कि हमारा संबंध है जल एक बहुत बड़ा खजाना है।

मैं अपने राज्य का एक ठोस उदाहरण दूंगा। हमारे राज्य में 'कैक्ट' के कारखाने हैं, जो उर्वरक का उत्पादन करते हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में इस कारखाने की एक इकाई है। 'कैक्ट' कारखानों से निकलने वाले द्रव्य उस नदी में बहाये जाते हैं जो कारखाने के साथ ही बहती है। इस नदी का नाम चितरपुझा है। यह लगभग पिछले 17 वर्षों से चल रहा है। हालांकि, पिछली दो सरकारों से और इस सरकार से लोक सभा में उठाए गए कई प्रश्नों के उत्तर मिले हैं कि उचित कार्यवाही की जाएगी परन्तु यह समस्या अभी बनी हुई है और इससे होने वाला नुकसान काफी बड़ा है।

मैं ऐसा उदाहरण दे सकता हूं कि इस नदी के साथ लगने वाली 200 एकड़ भूमि इस नदी से निकलने वाले द्रव्यों से पिछले सोलह साल से बंजर हो गई है। यह केवल एक उदाहरण है।

अब हम इस लगातार होने वाले नुकसान का क्या मुआवजा दे सकते हैं? वास्तव में ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हम अपने नागरिकों को होने वाले इस नुकसान का मुआवजा दे सकें। एक तरफ तो हम उद्योगों और उनके विकास की बात करते हैं लेकिन दूसरी ओर हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और इस प्रदूषण और पानी और नदियों के प्रदूषण से होने वाले नतीजों से बड़ी कड़ाई से निपटा जाए।

मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसे एक खास मुद्दा मानें और मैं इस बारे में एक अलग ज्ञापन दूंगा जिससे कि वे इसे खास मुद्दा मानकर इस पर कार्यवाही कर सकें। यह एक उदाहरण है और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो कि उद्धरित किए जा सकते हैं। लेकिन मैं उन मामलों में नहीं जाऊंगा।

जबकि मंत्री महोदय जल प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में गहरी रुचि ले रहे हैं, उन्हें इस तरह के अभिशाप पर भी विचार करना चाहिए जो अविराम चल रहा है।

मैं इस विधेयक के विस्तार में नहीं जाना चाहता हू। मैं इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय द्वारा उठाया गया यह एक अच्छा कदम है।

श्री पी० सी० चाक्को (त्रिचूर) : सभापति महोदया, इस विधयक पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वास्तव में, मैं सभापति महोदया की इस इच्छा का, कि इस विधेयक पर चर्चा यथाशीघ्र समाप्त की जाए, स्वागत करता हूं, चूंकि यह चर्चा 20 तारीख को शुरू हुई थी।

पहले जो कुछ कहा जा चुका है, उसकी पुनरावृत्ति किए बिना ही मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस विषय से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस विधेयक का सीमित उद्देश्य जल पर उपकर वृद्धि करने का है। मैं नहीं जानता कि पेय जल पर उपकर लगाने से सरकार कितनी राशि प्राप्त होने की आशा रखती है। माननीय मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि पेयजल पर अतिरिक्त कर की राशि नही बढ़ायी जाये। मैं नहीं समझता कि प्रस्तावित कर वृद्धि किसी भी सूरत में अनुचित है। पर इससे लोगों को अनावश्यक रूप से यह कहने की प्रेरणा मिलेगी कि पानी तक भी महंगा है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जल प्रदूषण दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है और जिन प्राधिकारीगण को इसकी सुधि लेनी है वे अत्यन्त उदासीनता का व्यवहार कर रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी कलकत्ता में स्वचालित वाहनों तथा अन्य स्रोतों से निकलने वाली कार्बनमोनोक्साइड के कारण होने वाले वायु प्रदूषण की चर्चा कर रही थीं। मुझे विश्वास है कि यह इसके तहत नहीं आएगा तथा हम सब विशेषकर मंत्री महोदय जानते हैं कि कलकत्ता कई तरह से प्रदूषित है जिसका फिलहाल कोई इलाज नहीं है। ··(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : केवल कलकत्ता में ही नहीं बल्कि अन्यत्र भी ···(व्यवधान)

श्री पी० सी० चाक्को : केवल कार्बनमोनोक्साइड प्रदूषण ही नहीं बल्कि वैचारिक प्रदूषण भी कलकत्ता को प्रदूषित कर रहा है। यह एक भिन्न मामला है। हम इसे नहीं रोक सकते किंतु समस्या तो यह है कि ··(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदया, दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। इसमें कोई दो मत नहीं। आपके योगदान से प्रदूषण प्रतिदिन बढ़ रहा है।···(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : यह हमारी राजधानी है ··(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप शिक्षा एवं ज्ञान के प्रकाश के लिए कलकत्ता आते हैं। श्री कमल नाथ से पूछें। वे वहां पैसा कमाने के लिए आते हैं।···(व्यवधान)

श्री पी० सी० चाक्को : महोदया, श्री सोमनाथ चटर्जी प्राचीन कलकत्ता के बारे में कह रहे थे न कि आधुनिक कलकत्ता के बारे में, मेरा तात्पर्य ज्योति बसु के कलकत्ता से है। कोई इसमें क्या कर सकता है। मैं जो मुद्दा उठाना चाहता हूं वह यह है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिनका कार्य प्रदूषण पर नियंत्रण करना है, अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं।

मैं उत्साही मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कम से कम एक दर्जन ऐसे कारखानों का स्वयं दौरा करें जहां औद्योगिक अपशिष्टों को नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है, फिर उसका नमूना लें, अध्ययन और विश्लेषण करायें। महोदया, नदियों में प्रवाहित किये जा रहे औद्योगिक अपशिष्टों में विद्यमान बी० ओ० डी० कन्टेट अनुज्ञेय स्तर से बहुत अधिक है। मैं नहीं जानता कि इसके लिए किसी को दंड दिया गया है। इक्की-दुक्की ऐसी घटनाएं कहीं हो सकी हों तो हुई हो।

मैं ऐसे राज्य से आता हूं जहां अनेक स्वच्छ जल वाली नदियां हैं। केरल ऐसा राज्य है जहां बहुत कम औद्योगीकरण हुआ है। उसके बावजूद भी वहां के एक या दो उद्योग जो वहां हैं सारी नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं और उससे सम्पूर्ण राज्य प्रदूषित हो रहा है। मेरे मित्र श्री चार्ल्स ने कहा है कि जल मग्न क्षेत्रों में महामारी फैलने से करोड़ों रुपये मूल्य की मछलियां मर जाती हैं। इसका कोई हल नहीं निकाला गया है। हमारे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या कर रहे हैं? वैज्ञानिक लोग उसके अन्यान्य कारण बता देते हैं। किंतु करोड़ों रुपये मूल्य की मछलियां मर जाती हैं और मछुआरे केवल राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त मुफ्त राशन पर जी रहे हैं। वे लोग मछली पकड़ने नहीं जा सकते हैं। यदि वे मछलियां पकड़ते भी हैं तो उन्हें बेचा नहीं जा सकता है। केवल राज्य सरकार की सहायता से ये लोग जी रहे हैं।

जल प्रदूषण का यह महत्वपूर्ण प्रश्न अनेक आपदाओं की ओर ले जा रहा है और हम लोग इस बारे में निश्चित बैठे हुए हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या कर रहा है ? नदियों के विषाक्त अपशिष्ट पदार्थ प्रवाहित करने वाले कितने उद्योगों को दंडित किया जा रहा है। उत्साही मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि राज्य अथवा केन्द्र के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लापरवाह अधिकारियों को दंडित किया जाये एवं उनसे अपना काम कराया जाये। अन्यथा, विषाक्त पदार्थ नदियों में प्रवाहित होते रहेंगे जिससे संपूर्ण देश प्रदूषित होगा।

मैं विधेयक में प्रस्तावित उपायों का पुरजोर समर्थन करता हूं तथा माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पेय जल के संबंध में मेरे विनम्र सुझाव पर विचार करें।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : सभापति महोदया, इस बिल में पीने वाले पानी पर जो सैस की बात की गई है मैं उसका विरोध करता हूं और बातों का समर्थन करता हूं। अभी भी इस देश में ऐसी जगह हैं जहां गरीबों को पीने का पानी नहीं मिलता है। आदिवासी इलाके के गरीबों के लिए पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। अभी मुझे घाटशिला जाने का मौका मिला था। कई गांवों के लोगों से मुझे आवेदन मिला है कि विधायक कोटे से चंपाकल मिलता है तो उसे हमारे लिए पीने के पानी के लिए लगवा दिया जाए। पुराने जमाने में पीने का पानी रखते थे तो वही स्थिति आज भी है। सरकार के द्वारा आज तक पीने के पानी का इंतजाम नहीं किया गया है। मैं समझता हूं बिहार ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी वही स्थिति है। ऐसा कोई भी राज्य नहीं होगा जहां गर्मी के दिनों में पानी के लिए तरसते हों। दूर-दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। आजादी के बाद भी इतने दिन गुजर गए तो पीने के पानी का इंतजाम करना चाहिए। प्रदूषण की बात बहुत दिनों से चल रही है। गंगा पवित्र नदी है। उसमें कल-कारखानों का गंदा पानी गिरता है। इससे गंगा का पानी खराब हो जाता है क्योंकि उसमें कीड़े-मकोड़े चले जाते हैं। दस-बीस दिनों तक गंगा का पानी रखा जाता था। आज वह पानी रखा जाता है तो उसमें दूसरे दिन ही कीड़े आ जाते हैं। सरकार के द्वारा इतना कहा जाता है कि गंगा में किसी कारखाने की गंदगी नहीं गिरने दी जायेगी।

5.14 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसमें अरबों रुपया खर्च हो जाता है, यह नहीं मालूम कि वह रुपया कहां चला जाता है। यह जवाब दिया जाता है कि हमारी सरकार चली गई तो दूसरे की सरकार थी इसलिए ठीक से काम नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि कितना अच्छा काम किया था। चालीस वर्ष से किया हुआ आपका काम डेढ़ वर्ष में समाप्त हो गया। बिल आता है तो सही है, कानून बना तो सही है लेकिन कानून को लागू करना चाहिए जिससे देश के लिए फायदा हो सके। रोहतास जिले के अमझोर में एक फैक्ट्री बनी हुई है। किसानों ने बड़ी उमंग से जमीन दी थी। जब से वह फैक्ट्री चालू है तो दो किलोमीटर के चारों तरफ किसानों की फसल खराब हो जाती है। पहले उस खेत में तीस-चालीस मन धान की उपज हो जाती थी। आज वहां हालत यह है कि किसान की फसल लगती है तो उसकी फसल बरबाद हो जाती है। उसमें बीज अंकुरित नहीं होता है और सरकार के द्वारा किसी प्रकार का इंतजाम नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय

से कहना चाहता हूं कि जहां-जहां फैक्ट्रीज हैं उस तमाम इलाके के किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। उसके लिए आप मुआवजा दें, अगर नहीं दें तो फैक्ट्री से जो फसल की बर्बादी होती है उससे मुआवजा दिलाने का इंतजाम करें। मैंने अभी अमझोर की बात कही। मैं एक साल पहले वहां गया था, अब फिर होकर आया हूं। वहां के लोग कह रहे हैं कि जो फसल बोई थी वह बर्बाद हो गई है, रेह हो गया है, रेह भोजपुरी शब्द है, चारों तरफ उजला ही उजला हो गया है, फसल लगती नहीं है। इसलिए जिन-जिन जगहों पर फैक्ट्रीज हैं और उनका पानी किसानों के खेतों में गिरता है उसे न गिरने दिया जाये। उसे इस तरह की जगह पर गिराया जाये जिससे किसानों की फसल को नुकसान नहीं हो। बिहार में जो अमझोर की फैक्ट्री है उसका पानी सोन में चला जाता है, सोन नहर से पांच लाख किसानों को खेती होती है और 22 लाख एकड़ जमीन सिंचित होती है। अगर अमझोर का पानी वहां गिरना जारी रहा तो अभी जो दो-चार लाख एकड़ फसल बर्बाद हो रही है, फिर 28 लाख एकड़ जमीन की फसल बर्बाद होगी। इसलिए जो सोन नहर में अमझोर का पानी गिरता है उसको जल्द से जल्द रुकवाया जाये जिससे किसानों की फसल बर्बाद न हो।

साथ ही साथ गंगा का जो पानी है जो कि अशुद्ध हो रहा है। हिन्दू धर्म के मुताबिक जो बहुत शुद्ध है और लोगों के मन में उसके प्रति जो भावना है जो कि अब निराशा में बदल रही है उसे कम से कम रोका जाये और कोशिश की जाये कि हिन्दुस्तान की किसी फैक्टरी का पानी गंगा में नहीं गिरे। जैसे पुराने जमाने से हम गंगा का पानी पीते आ रहे हैं उसी तरह से अब भी पी पायें।

जिन इलाकों में पीने के पानी का इंतजाम नहीं है वहां पानी का इंतजाम करने की कोशिश की जाये। आप कारखाने पर जितना चाहे टैक्स लगा दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनकी बहुत तरफ से आमदनी होती है। लेकिन इस देश में पचास प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है, अगर पीने के पानी पर भी टैक्स बढ़ा दिया जायेगा तो मैं समझता हूं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग बेमौत मर जायेंगे। इसलिए जो सैस की बात की गई है उसका मैं विरोध करता हूं।

अन्त में मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर अधिक से अधिक कड़ी निगाह रखी जाये जिससे गंगा का पानी और यमुना का पानी तथा सरयू नदी का पानी अशुद्ध न हो। साथ ही साथ मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी और गरीब इलाके में तथा राजस्थान जैसे गरीब इलाके में पानी का इंतजाम कराया जाये जिससे बिना पानी के लोग न मरें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत में प्रदूषण की समस्या एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है। इसका एक कारण यह है कि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है और हमारे पास आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। दूसरा कारण सामाजिक जागरूकता का अभाव होना है। चाहे जल हो या वायु प्रदूषण इनका भी प्रदूषण बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। यह समस्या तो इतनी गंभीर है कि अकेले पंजाब में छः हजार ऐसे औद्योगिक एकक हैं जो जल प्रदूषित कर रहे हैं। हरियाणा के 70,000 एककों में से अधिकांश एकक प्रदूषण फैला रहे हैं। ये दो छोटे-छोटे लेकिन

राजधानी के निकटवर्ती राज्य हैं । अतः मैं सरकार का ध्यान समस्या की गंभीरता की ओर आकृष्ट करना चाहता है ।

समस्या की गंभीरता का पता इस बात से किया जा सकता है कि हरिद्वार और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में गंगाजल में दस लाख लीटर से अधिक प्रदूषित जल जाता है । यह भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल प्रदूषण का 25 प्रतिशत गंगाजल के कारण है । अतः समस्या अत्यन्त ही गंभीर और विशाल है । मुझे प्रसन्नता है कि हाल ही में देश में जागरूकता बढ़ रही है तथा सरकार भी समझती है कि देश में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कुछ प्रभावकारी कार्य करना बाकी है । अन्यथा इससे हमारे बच्चों, हमारी जनसंख्या और सामान्य वातावरण एवं मौसम को बहुत ही नुकसान पहुंचेगा ।

सरकार कतिपय प्रयास कर रही है । किन्तु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित कर देना और सोचना कि काम हो जाएगा, पर्याप्त नहीं है । मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्री जी कुछ उपाय कर रहे होंगे । किंतु इसमें और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है । त्वरित कार्यवाही एवं दीर्घावधिक कार्यवाही के लिए भी राष्ट्रीय समेकित दृष्टिकोण अथवा राष्ट्रीय समेकित योजना पर कार्य होना चाहिए । इन दोनों पर साथ-साथ कार्य किया जाना चाहिए ताकि कोई ठोस उपाय किए जा सकें ।

हम सबके सामने आ रही एक समस्या यह है कि कारखानों खासकर रासायनिक कारखानों से निकलने वाले विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों से कारखाने के निकटवर्ती क्षेत्रों में फसलों पर और साथ ही पशुओं पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है । मुझे इलाहाबाद जाने और फूलपुर स्थित उर्वरक कारखाने को देखने का अवसर मिला । इस कारखाने की स्थापना पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा फूलपुर जो उनका निर्वाचन क्षेत्र था, में की गई थी जो हमारे देश के एक मुख्य उर्वरक कारखानों में से एक है । अब इस कारखाने ने हजारों स्थानीय किसानों को इतना भारी नुकसान पहुंचाया है कि विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों के खुले नाले बहने के कारण उनका बड़ा नुकसान हो रहा है । कामगारों, किसानों और राजनैतिक दलों ने इस क्षेत्र में लम्बे समय तक आन्दोलन किया किन्तु इस सबके बावजूद आज तक कुछ भी प्रभावकारी उपाय नहीं किया गया । यह तो केवल एक उदाहरण है किंतु ऐसी स्थिति ऐसे अनेक कारखानों में है जो रसायन आधारित हैं ।

सदन का अधिक कीमती समय लिए बिना मैं इस संबंध में एक या दो सुझाव देना चाहूंगा । चर्चा के दौरान यहां कई बातें सामने आई हैं । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी जो कुछ करने को उत्सुक हैं मेरे विचारों पर ध्यान देते हुए उन पर विचार करेंगे ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में आम जनता की और सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए । मैं सुझाव देता हूं कि कृपया सरकार स्वयं-सेवी संगठनों एवं जननेताओं के साथ बैठक करे जिससे वे भी प्रदूषण विरोधी आन्दोलन खासकर लोगों को शिक्षित करने के लिए आरंभ कर सके । आपने विशेषज्ञों की राय ली होगी । मैं नहीं जानता । मुझे बताया गया है कि सौर-विकिरण पेय जल को प्रदूषण रहित बनाने का प्रमुख साधन है । यदि जल को निश्चित मात्रा में यहां तक कि खुले स्थान पर कुछ समय के लिए भी रख दिया जाए चाहे घर की छत पर भी, तो वह प्रदूषणमुक्त हो जाता है । यदि यह सही है तो लोगों को इसकी जानकारी दें क्योंकि हम लोगों के पास साधनों का अभाव है । यदि ऐसा किया गया और

लोग इस प्रक्रिया को समझ जाते हैं कि यह जल को प्रदूषण मुक्त करने का प्रभावी तरीका है तो मैं समझता हूं कि इससे लोगों की बहुत मदद होगी, विशेषकर इस पर हमें कोई पैसे खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है।

दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वह है दूरदर्शन और रेडियो के बारे में, जिनका इस उद्देश्य के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकता हैं। प्रतिदिन आप कतिपय नये तरीके सिखा सकते हैं जोकि बहुत आवश्यक हैं और जो लोगों की समझ में आ सकते हों। अब आप प्रदूषण नियंत्रण पर कुछ वैचारिक कार्यक्रम दिखा रहे हैं। इसी तरह आपकी प्रदूषण विरोधी अभियान के लिए कुछ करना होगा। मैं सोचता हूं, यह विचार कारगर होगा। इसे भी किया जाना चाहिए। मेरा विचार है कि यह भी वांछनीय है। सरकार स्वयं जानती है कि पश्चिमी देशों में पहले ही सशक्त आन्दोलन चल रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका और अधिकांश यूरोपीय देशों में जहां प्रदूषण हैं वहां बड़े-बड़े जनान्दोलन हुए हैं विशेषकर स्त्रियां और बच्चे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तब हमें यह सुनिश्चित क्यों नहीं करना चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षक विशेषकर विद्यालयों के, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक विद्यालय है, यदि एक में नहीं तो दो ग्राम पंचायतों में एक विद्यालय तो है ही। अतः मैं सोचता हूं इस उद्देश्य के लिए प्राथमिक शिक्षकों का प्रयोग किया जाए ताकि इसके विरुद्ध जन-आन्दोलन चलाया जा सके।

श्रीमन् मुझे बताया गया है कि 13 या 14 नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए चुना गया है। केवल इन 13-14 नदियों की प्रदूषण विरोधी योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता हुई है। यह राशि बहुत अधिक है और हमारे पास इस समय संसाधनों का अभाव है। हमारी एक समस्या यह है। अतः मैं सोचता हूं कि शुरू से ही एक समस्या जिसका हमें सामना करना है वह यह है कि लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दिये के बाद यदि प्रभावकारी उपाय नहीं किए गए और यदि जिले के अधिकारी और स्थानीय प्राधिकारी सतर्क नहीं हुए तो कोई भी व्यक्ति जहां चाहे वहीं अपनी फैक्टरी खड़ी कर सकता है और वह प्रमुख समस्या होगी। आप दिल्ली में या राज्य की राजधानी में बैठे-बैठे हर चीज को सही ढंग से नहीं देख सकते हैं।

अतः, जिला प्राधिकारियों तथा क्षेत्रीय प्राधिकारियों को कुछ स्पष्ट निर्देश, कुछ विशेष दिशा-निर्देश दिए जाने चाहिएं ताकि यह सुनिचित किया जा सके कि जब भी किसी छोटे अथवा मध्यम स्तर के नए उद्योगों की स्थापना की जाए तो उनकी स्थापना करते समय प्रदूषण विरोधी अभियान के लिए आवश्यक नियमों को ध्यान में रखा जाये।

महोदय, मेरे विचार में संसद सदस्यों तथा विधान सभा के सदस्यों को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, वे भी यह सुनिश्चित करें कि दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं; सरकार कुछ विशेष योजनाएं तैयार कर रही है जिनमें वे लोगों को शिक्षित करने तथा उनमें जनचेतना जगाने में भी भूमिका निभा सकते हैं। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि सरकार जो कुछ भी कर रही है, वे भी करें; वे विशेष तौर पर यह सुनिश्चित करें कि रसायन पर आधारित उद्योगों के, नियमों तथा सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन किया जाए जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक है। किन्तु, इसके अतिरिक्त, जन शिक्षा तथा जन चेतना जगाकर जो किया जा सकता है वह भी किया जाए, इसके काफी दूरगामी लाभ होंगे।

अन्त में, मेरे विचार में, कई सदस्यों ने यहां पेय जल पर उपकर बढ़ाने की जो बात उठाई है, उस पर मन्त्री जी को विचार करना चाहिए। मेरे विचार में उन्हें इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। मैं केवल कह नहीं रहा हूं पर वास्तविक में बता रहा हूं कि समस्या यह नहीं है कि उपकर बढ़ा देंगे तो पेय जल प्रदूषण रहित हो जायेगा। अधिकतर नगरीय क्षेत्रों में, नगर पालिकाओं में, यहां तक कि निगमों में कोई उचित निकासी व्यवस्था नहीं है, कोई उचित मल निस्त्राव व्यवस्था नहीं है, और प्रदूषण के यही मुख्य कारण हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से, अथवा उनके साथ मिलकर इसे प्राथमिकता देगी और कम-से-कम पहले से उपस्थित नगरों में अथवा नए नगरों में, जो बन रहे हैं, किसी समयबद्ध कार्यक्रम के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ किया जायेगा कि इन शहरों और इन शहरों की जनसंख्या की उचित निकासी तथा मलनिस्त्राव व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं।

ये कुछ ऐसे सुझाव हैं जिन पर मेरे विचार में मन्त्री महोदय को विचार करना चाहिए।

5.30 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

आठवां प्रतिवेदन

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

5.30-1/2 म० प०

जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण (उपकर) संशोधन विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री अकबर पाशा।

श्री बी० अकबर पाशा (वैल्लोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वैल्लोर निर्वाचन क्षेत्र से संबंध रखता हूं जहां चमड़े की रंगाई के कारखाने काफी संख्या में हैं। वहां पर प्रदूषण की समस्या रही है। मैं पिछले दो दशकों से टैनर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूं, चमड़ा रंगरेजों की जल प्रदूषित करने और आम लोगों के लिए परिस्थिति विज्ञान तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करने की कोई मंशा नहीं है। हम तथा अन्य उद्योगपति जल प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए मल निस्त्राव उपचार संयंत्र स्थापित करने को इच्छुक हैं। मैं चमड़ा टेक्नीशियन हूं तथा मेरे पास स्नातकोत्तर डिग्री है और मैं एक उद्योगपति हूं तथा मेरी चमड़ा रंगाई तथा जूते की फैक्टरियां हैं। सैन्ट्रल लैदर रिसर्च इंस्टीट्यूट मद्रास द्वारा टैनरी अवशिष्ट उपचार के लिए बनाई गई कार्य बल की कोर समिति का मैंने प्रतिनिधित्व किया है। इसमें न केवल सेंट्रल लैदर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ वैज्ञानिक थे अपितु एम० ई० ई० आर० आई के प्रतिनिधि तथा इंजीनियरिंग कालेज, मद्रास के प्रोफ़ेसर तथा अन्य लोग थे। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि टैनरी अवशिष्ट पदार्थों से होने वाले प्रदूषण के उपचार के लिए जीव विज्ञान संबंधी उपचार सबसे सस्ता तथा बढ़िया होगा। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि केंद्रीय तथा राज्य सरकार कुछ उपाय करे तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए। अवशिष्ट पदार्थों

के उपचार पर आने वाली कुल लागत पर केंद्रीय तथा राज्य सरकारें 50 प्रतिशत राज सहायता दे रही हैं। भारत में होने वाले कुल चमड़ा रंगाई का 60 प्रतिशत काम उत्तर आरकोट जिले के, शायद पेरनामपेट, वेनियाम्बडी, अम्बुर तथा रानीपेट नामक चार नगरों में होता है। इन स्थानों पर चमड़ा रंगाई कारखानों का अभाव है। हमें आवश्यक पूंजी, जो लगभग 8 करोड़ है, में 25 प्रतिशत का योगदान करने के लिए कहा गया था और वह हमने पहले ही कर दिया था। बाकी का 25 प्रतिशत, टैनर्स वित्तीय संस्थाओं से उधार लेंगे, राज्य तथा केंद्रीय सरकारों ने अपना योगदान पहले ही दे दिया था, किन्तु चर्मकारों को तंग किया जाता है तथा देरी के लिए उन्हें दण्डित किया जाता है। काम में कुछ देर हो जाती है। यह कार्य तमिलनाडु चमड़ा विकास निगम संभालता है जो मद्रास की एक राज्य सरकार संस्था है। वे बार-बार इंजीनियर्स तथा अफसर बदलते रहते हैं और कार्य करने में मनमाना समय लगाते हैं। कभी-कभी वर्षा हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, हाल ही में काफी वर्षा हुई थी और काम रुक गया था।

एक अन्य तकनीकी मुद्दा भी है। चमड़ा कारखानों से निकले जल की अवशिष्ट से रहित करने के लिए हमें 30 डिग्री बी० ओ० डी० तक सीमित रहने को कहा गया था और यह बहुत कठिन है। कुछ निजी चमड़ा कारखानों ने अवशिष्ट उपचार संयंत्र लगाये हैं और उन्हें उस स्तर को बनाए रखने में कठिनाई होती है। हमने इस विषय को केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान के साथ उठाया था और उन्होंने चमड़ा कारखानों से बाहर आने वाले शोधित जल के लिए 150 डिग्री का सुझाव दिया है। किन्तु मद्रास के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकारी इससे सहमत नहीं हैं। वे चाहते हैं कि 30 डिग्री बी० ओ० डी० को बनाए रखा जाए जो बहुत कठिन है। हमने कार्पोरेशन जल का विश्लेषण किया था और हमें यह जानकर हैरानी हुई कि बी० ओ० डी० लगभग 200 डिग्री है। जब वे चाहते हैं कि हम 30 डिग्री बी० ओ० डी० का स्तर बनाए रखें तो कार्पोरेशन द्वारा उपलब्ध कराया गया पेय जल उस स्तर तक नहीं आता है। ये विसंगतियां व्याप्त है। चर्मकारों ने आवश्यकतानुसार पूंजी में पूरा योगदान दे दिया है, राज्य सरकार संस्था टेल्को से देरी हो रही है। पहले इस क्षेत्र के चर्मकारों ने यह कार्य करने के लिए एक पंजीकृत संस्था की स्थापना की है। बाद में सरकार ने हमें परियोजनाओं की तमिलनाडु चमड़ा विकास निगम (टेल्को) को सौंप देने के लिए कहा, जो हमने कर दिया। अब टेल्को इस कार्य की देखभाल कर रहा है। यदि कार्य करने में कोई देर हो रही है तो यह विभिन्न कारणों से है। इसके लिए चर्मकारों को दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए।

> "मैं प्रस्तावित उपकर विधेयक का स्वागत करता हूं, यह उन चर्मकारों पर लागू किया जाना चाहिए जिन्होंने आय अवशिष्ट उपचार में हिस्सा नहीं लिया था और अपने हिस्से की शेयर पूंजी में पूर्ण रूप से योगदान नहीं था।"

ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो मैं सम्माननीय सभा तथा माननीय पर्यावरण मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता था।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वह देश की जल प्रदूषण समस्या से चिन्तित होकर जो यह जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण का विधेयक लाई है, यह प्रशंसनीय है और मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। प्रदूषण वास्तव में एक विशाल समस्या है और हमारे प्राचीनकाल के ऋषियों ने वेद मंत्र के माध्यम

से यह कहा था—"ओम् द्यौ शान्ति अन्तरिक्ष शान्ति पृथ्वी शान्तिराप:" 'आप:' मतलब जल भी शांत और पवित्र हो और भूलोक, पृथ्वीलोक और वायु, इन सब प्राकृतिक शक्तियों का वर्णन करते हुए कहा था और तभी यह मान लिया गया था कि जल ही जीवन है, "जलम् ऐव जीवनम्"। हमारे अब्दुर्रहीम खानखाना सहाब ने तो कहा है—"रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न ऊबरे मोती मानस चून।" तो इन सारी बातों से पता लगता है कि प्राचीन काल से ही जल की पवित्रता की स्वच्छता को कितना महत्व प्रदान कर दिया गया था और हमारे यहां पर ऋषियों ने जब पंच महायज्ञों की कल्पना की थी, तो उनमें से एक यज्ञ था जिसे देव यज्ञ कहते हैं और जिसका वर्णन प्राकृतिक शक्तियों के लिए किया गया है कि उन प्राकृतिक शक्तियों को किस प्रकार से शुद्ध और स्वच्छ रख सकते हैं, प्रदूषण से मुक्त रख सकते हैं और उन्होंने इसके लिए अग्निहोत्र यज्ञ की हवन की कल्पना की थी। मेरे बहुत से सांसद् बंधु इस बात पर शायद आपत्ति कर रहे होंगे, लेकिन प्राचीन काल में ग्रंथों को उठाकर देख लीजिए, प्राचीन काल में जब घर-घर होम हुआ करता था, यज्ञ हुआ करता था, तो उस समय जितना भी वायु प्रदूषण था या जल प्रदूषण था या अन्य प्रकार का प्रदूषण था, वह सारा प्रदूषण नष्ट हो जाता था। मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो प्रदूषण एक विकराल समस्या बन गया है वह एक बड़ी चिन्ता का विषय है। राष्ट्रीय पर्यावरण एवं अनुसंधान परिषद संस्थान ने कहा है कि हमारे हिन्दुस्तान का 70 प्रतिशत पानी आज प्रदूषित हो गया है। 29 नदियों के जल का सर्वेक्षण एवं परीक्षण किया गया, तो परीक्षण के बाद रिपोर्ट दी गई, उसके अनुसार गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का जल और जलपाईगुड़ी में तीस्ता नदी के पानी को छोड़कर, बाकी देश की 29 नदियों का पानी सब जगह, सभी स्थानों पर बहुत अधिक प्रदूषित हो चुका है और अधिकांश बीमारियां इसी प्रदूषित पानी के उपयोग करने पर होती हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन कारखानों के औद्योगिक लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं या उनको लाइसेंस नहीं दिऐ जाएं जो अपने कचरे को, अपने कारखाने में बचे-खुचे कूड़े को, अपने कारखाने के निक्षेप को, अपने कारखाने की गन्दगी को, सड़े-गले मांस को, सड़ी-गली गन्दगी को नहीं मिटा सकते, नष्ट नहीं कर सकते। ऐसे कारखानों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाने चाहिए। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के 3 प्रमुख नगरों की ओर माननीय मंत्री जी और सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं बहां और अन्य स्थानों पर जो प्रदूषण की समस्या है, उसकी ओर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान गया था। उदयपुर जिले के पास बीछड़ी नाम का गांव है, वहां पाली शहर तथा बालोत्रा में कपड़े की रंगाई और छपाई का काम होता है। रंगाई और छपाई के काम की वजह से वहां पर प्रयुक्त रसायनों का जो निक्षेप बचता है, उसको वहां बहा दिया जाता है और उसके कारण पाली शहर के पास लाखों एकड़ भूमि किसानों की खराब हो चुकी हैं। उसमें आज कोई फसल नहीं होती है वहां जितने गहरे कुएं हैं, उनमें भी उसका प्रदूषण पहुंच गया है। चाहे वह बीछड़ी का पानी हो, पाली का पानी हो या बालोत्रा का पानी हो, सभी जगह प्रदूषण फैल गया है। वहां का पानी पीने लायक नहीं रहा है और उस पानी को पीने से वहां के आसपास के लोगों को भयंकर बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है।

मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में एक स्थान है सरवाड़, उसके पास में ऐसा पानी है जिसको पीने से बच्चे कुबड़े हो जाते हैं, जिसके पीने से नाना प्रकार की असाध्य बीमारियां

हो जाती हैं। उसके बारे में अनुसंधान किया गया। राजस्थान सरकार ने और केन्द्र सरकार ने भी वहां सर्वेक्षण कराया और उसके बाद उनको पीने के लिए स्वस्थ पानी की व्यवस्था कराई गई। लेकिन ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पर इस बारे में बड़ी समस्याएं है। इस बारे में हमारे माननीय सदस्य प्रकाश डाल चुके हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कुछ वर्षों पहले पुष्कर सरोवर का पानी, जहां पर देश के लाखों व्यक्ति स्नान करते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाखों लोग उसमें डुबकी लगाकर अपने आपको धन्य समझते हैं, दूषित हो गया था। वहां पर रहने वाली मछलियां मर गई थीं। विदेशी पर्यटकों के नाम पर पुष्कर सरोवर के किनारे होटल स्थापित किए गए जहां से गंदा पानी, शराब वगैरह पीकर सरोवर में बहा दिया जाता है। इससे सरोवर का पानी प्रदूषित हो रहा है। मंत्री जी के ध्यान में यह बात अवश्य आई होगी। पुष्कर के आसपास का पर्यावरण हो या जल संबंधी प्रदूषण को दूर करने की बात हो, इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए।

अजमेर ऐतिहासिक नगर है। वहां पर लाखों लोग प्रतिवर्ष आते हैं और दरगाह शरीफ से मत्था टेककर अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं। वहां परड्रेनेज सिस्टम या सीवरेज सिस्टम जैसा होना चाहिए, वह नहीं है। आना सागर जो ऐतिहासिक झील है, उस सागर में जो पानी इकट्ठा होता है वह पानी सड़ जाता है। अजमेर के लोगों को साफ पानी पीने को उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए मैं आपका ध्यान राजस्थान के विभिन्न नगरों के जल प्रदूषण की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जो नए संशोधन आप लाए हैं इसके लिए जहां मैं धन्यवाद देता हूं वहां यह कहना चाहता हूं कि चार बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली बात तो वहां पर प्रदूषण नियंत्रण यंत्र जल की शुद्धि करने के लिए अवश्य लगाए जाएं। जिन कारखानों के द्वारा रसायन छोड़े जाते हैं या जहां नदी का पानी प्रदूषित हो गया हो वहां पर प्रदूषण नियंत्रण यंत्र उद्योगपतियों के माध्यम से लगाए जाएं। फिर भी यदि कोई नहीं लगाता है तो उनके लाइसेंस जब्त किए जाएं, फिर भी पानी बहकर चला जाता है और लोगों को नुकसान पहुंचता है तो क्षतिग्रस्त लोगों को कारखाने के मालिकों से मुआवजा दिलवाया जाए। औद्योगिक स्थानों के चुनाव और निर्णय की प्रक्रिया में भी सावधानी रखनी चाहिए। यह नहीं कि "मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू"। यदि सरकार के पास बड़े उद्योगपति या प्रभावशाली राजनैतिक दबाव आ गया तो बिना देखे कारखाने खोले जा सकते हैं और जहां पर ऐसा नहीं है वहां पर कारखाने नहीं लग सकते हैं। औद्योगिक स्थलों के चुनाव और निर्णय की प्रक्रिया में सावधानी बरतनी चाहिए, बिना किसी पक्षपात के दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। स्थानीय प्रभावशाली लोगों का सहयोग भी प्राप्त किया जाए। जनता को जागरूक किया जाए, जनता को जानने का अधिकार होना चाहिए कि हमारे इलाके में कौन-सा कारखाना स्थापित होने जा रहा है, इसके कारण कहीं जल प्रदूषण की समस्या तो नहीं होगी। कल को कुंओं का पानी नीचे न चला जाए।

अभी पुष्कर में एक बड़ी बीमारी फैली है। पुष्कर के पास सारे अमरूद के पेड़ सूख गए। सारे कृषि विशेषज्ञ गए, उन्होंने जांच की, कहीं पता नहीं लगा। बाद में पता लगा कि जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण से पैदा हो गया है, उससे बगीचे नष्ट हो गए।

पर्यावरण न्यायालय की बात की गई है। पर्यावरण न्यायालय को सक्षम बनाया जाए, उनकी परिधि सीमित करके जनता को जागरूक किया जाए। जब तक जन सहयोग प्राप्त नहीं किया जायेगा, आम जनता को प्रशिक्षण नहीं दिया जायेगा कि खराब पानी पीने से कौन-कौन-सी बीमारियां होती हैं, कैसे प्रदूषण का निवारण हो सकता है, कैसे उस पर नियंत्रण हो सकता है तब

तक इस समस्या का निदान नहीं किया जा सकता है। इसके लिये जन शिक्षण देना होगा। बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में उसको स्थान देना होगा। जैसा कि पहले होता था।

"दृष्टिपूतं न्यसेतपादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्"

यानी कि पवित्र निगाहों से कदम रखो, आगे बढ़ो और वस्त्र से छान कर पवित्र जल पीओ। इसके बारे में पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया जाये। पर्यावरण को सुधारने के लिये वेद और यज्ञ और बड़े-बड़े यज्ञों का जैसे आयोजन होता था, वैसे यज्ञ आयोजित किये जायें। यज्ञ का मतलब है घी, सामग्री और बहुमूल्य पदार्थ। ऐसे बड़े-बड़े यज्ञों का आयोजन करके प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बारे में भी ध्यान रखा जाये।

अंत में केवल एक बात कहूंगा कि घरेलू पानी जो कि पीने के काम में आता है, उस पर किसी तरह का उपकर न लगाया जाए। जैसे पहले रिबेट मिलती थी, वैसी मिलनी चाहिए। कल-कारखानों को रिबेट देना चाहते हैं तो दें और उपकर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ायें लेकिन आम जनता को इस पर रियायत मिले। इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने जो बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दरबार) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को यह बिल लाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वे स्वागत योग्य हैं। इस पर यहां बहुत चर्चा हुई है इसलिए मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा। उद्योगों के गंदे पदार्थ नदियों और नालों में ऐसे ही छोड दिए जाते हैं जिससे उनमें गन्दगी फैल जाती है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। सूरत जैसे शहर में उद्योग बहुत हैं। इसकी वजह से वहां बहुत प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। इसके लिए वन लगाने चाहिये। बारिश दिनोंदिन कम होती जा रही है और पानी भी नीचे जा रहा है। महाराष्ट्र में सूखा पड़ा हुआ है। पानी ढाई सौ और तीन सौ फुट तक बोर करने के बाद भी नहीं मिल रहा है। वनों को ज्यादा उपजाऊ करने से बारिश भी अच्छी होगी। इसलिए इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

प्रदूषण के बारे में हमने यहां बहुत चर्चा सुनी। मंत्री जी को मालूम ही है कि बम्बई और कलकत्ता जैसे बड़े-बड़े शहरों में प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया है। इसके लिए जो मोटर व्हिकल्स ऐक्ट है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ट्रक, मैटाडोर और मोटर कार बहुत ज्यादा धुंआ फैंकते हैं लेकिन इसको कंट्रोल करने वाले कोई ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में उनका रोड परमिट रोक दिया जाना चाहिए तभी प्रदूषण कम होगा।

आज जंगल बहुत बड़ी मात्रा में कट रहे हैं। 1972 से 1978 तक हमारी महाराष्ट्र सरकार ने एक कानून बनाकर आदिवासियों को जमीन दे देने का निर्णय लिया है जो भूमिहीन हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो रहा है इसीलिए सालों साल वन भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है और लोग सुप्रीम कोर्ट में आकर स्टे ले जाकर यह जंगल की भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं, इसीलिए वन कम हो रहे हैं। वन कम होंगे तो बारिश नहीं होगी और बारिश नहीं होगी तो पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, इसलिए इस संशोधन में जो बातें रखी गई हैं, वह बहुत अच्छी बातें हैं।

वन ज़मीन के लिए भी मंत्री महोदय ध्यान दें, इनसे ऐसी प्रार्थना करके मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री तेजसिंह राव भोंसले (रामटेक) : सभापति महोदय, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक का मैं समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं।

एक समय था जब पूरे देश देश में कहा जाता था कि देहात में सारे लोग बसते हैं, 80 प्रतिशत जनसंख्या हमारी देहात में रहती थी लेकिन अब 40 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में आ गई और 60 प्रतिशत देहातों में रह गई है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में करीब-करीब 250 नगरपालिकाएं हैं और 11 कारपोरेशन हैं। वहां पर जल को शुद्धिकरण करने का जो प्रयत्न किया जाता है, मुझे तो लगता है कि कारपोरेशन के बगैर और कोई नगरपालिका ऐसी नहीं है, जिनके पास पानी शुद्ध करने की व्यवस्था नहीं है और अंडर ड्रेनेज भी कहीं पर है, ऐसा मुझे नहीं दिखता। इसके लिए कुछ न कुछ प्रावधान करना पड़ेगा, ऐसा मैं यहां सूचित करता हूं।

देश में गंगा वैली, कृष्णा वैली और गोदावरी वैली, इन तीनों वैलियों में जो संस्कृति बैठी है, वहां पर अब बड़े-बड़े कारखाने बनने शुरू हो गये हैं। इतना ही नहीं वहां पर विद्युत निर्माण करने के भी बड़े-बड़े संयंत्र सारे हैं और उनसे भी बहुत जल प्रदूषण आज वहां पर हो रहा है। हमारे यहां आराड़ी थर्मल पावर स्टेशन से जो पानी निकलता है, उस पानी से नागपुर और उसके नीचे जब पानी आएगा, नदी के नीचे तो कामठी में उस पानी को उठाया जाता है और उस पानी में ऐश का जो परमाणु है, वह इतना ज्यादा होता है जिसको कह नहीं सकते लेकिन वही पानी नागपुर शहर के 20 लाख लोगों को पीना पड़ता है। इससे आज नहीं तो कल कुछ न कुछ वहां बहुत बड़ी आपत्ति शहर में आने वाली है। ऐसा ही काम दीगर शहरों में भी आज हो रहा है। वैसे ही गोदावरी और कृष्णा नदी के जल के बारे में उसके पास जो शुगर के बड़े-बड़े कारखाने बनने शुरू हो गए हैं, डिस्टीलरीज शुरू हो गई हैं, उनसे भी प्रदूषण बढ़ गया है कि वहां पर किस ढंग से उसको कंट्रोल किया जाय, यह आज समझ में नहीं आ रहा है। यही कारण मैं समझता हूं जिसके कारण मंत्री महोदय और सरकार ये बिल लाए हैं, संशोधन करने के लिए।

पहले टैक्स में जो रिबेट मिलती थी, वह 70 से घटकर 25 परसेंट तक उसमें अब छूट मिलेगी, बाकी 75 टका पैसा भरना पड़ेगा, यह इसमें दिखाता है। लेकिन मैं देखता हूं कि इसमें जो प्रावधान किया गया है, एक व्यक्ति को यदि इस प्रावधान में फंसाया गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिये उस पर फिर से एक बार मंत्री महोदय से विनती है कि इसको देखा जाय।

पेपर मिल, शुगर के कारखाने, कैमिकल के कारखाने, मौलेसिस से एल्कोहल तैयार करने वाले कारखाने, कोल वाशरीज, यह जितने भी बड़े-बड़े कारखाने हैं, इनके लिए वाटर ट्रीटमैंट प्लांट अच्छे ढंग से बैठाये जायें, इसके लिए भी कोई कानून यहां पर बनना चाहिए, यह मैं यहां सूचित करता हूं।

इन सब कामों के लिए स्कूल और कालेज शिक्षा में कुछ न कुछ सीख हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, इसके लिए भी कुछ न कुछ काम आपको, सरकार को करना चाहिए। प्रदूषण के बारे में लोगों में एक निराशा की भावना है, इस भावना को आपको दूर करना होगा। जिस प्रकार जंगल लगाने के लिए लोगों को एक दिशा दी गई है, वैसे ही जल प्रदूषण से हानि हो सकती है, इस बारे में भी शिक्षा देने का काम सरकार को करना चाहिए। यदि सरकार रेडियो और टी० वी० के

द्वारा भी इसका प्रचार करे, तो लोगों को फायदा हो सकता है। इससे जो मुश्किल पैदा हो रही है, वह कुछ हद तक हो सकती है और जहां तक टैक्स लगाने की बात है, वह कम होनी चाहिए।

माननीय सदस्य, श्री रावत जी ने, राजस्थान की सारी की सारी इन्डस्ट्री को बन्द करने की बात कह दी है, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट कर दिया है। मैं उसका विरोध करता हूं। यदि सारे कारखाने बन्द कर दिए जायेंगे, तो उनमें काम करने वाले मजदूर कहां जायेंगे। इस बारे में शायद वे भूल गए होंगे और सबके लिए उन्होंने एक बात कही थी। वहां पर जो कुछ भी गलत काम हुआ है, उसमें संशोधन होना चाहिए। जहां पानी का प्रदूषण है, वहां ट्रीटमेंट प्लांट बैठाया जाना चाहिए। इस पर आपको दबाव डालना चाहिए, लेकिन कारखाने बन्द करना उचित नहीं है।

इस बिल का समर्थन करते हुए मैं जो टैक्स बढ़ने वाला है, उसके लिए दोबारा शासन को सोचना चाहिए। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अयूब खां (झुंझनू) : जनाबे मोहतरिम डिप्टी साहब, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए मौका दिया। मैं सबसे पहले हमारे डायनैनिक मिनिस्टर साहब को बधाई देना चाहता हूं, वे एक अच्छा बिल सदन में लेकर आए हैं। यह बिल मुल्क की सेहत, तन्दरुस्ती के लिए एक अच्छा बिल है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाटर के पोल्यूशन को दूर करना बहुत जरूरी है, लेकिन जो मुल्क के वातावरण में पोल्यूशन फैलाया जा रहा है, बी० जे० पी० के द्वारा, उस पर भी कंट्रोल किया जाना बहुत जरूरी है।···(व्यवधान)···मैं राजस्थान से आता हूं और राजस्थान में आज सबसे बड़ी दिक्कत पीने के पानी की है। लोग दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर दूर से पानी लेने के लिए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में लोग अपने कूंडों के अन्दर पानी को इकट्ठा करते हैं। बरसात का पानी जो जोहड़ में इकट्ठा होता है, उसमें जानवर और इंसान दोनों एक साथ पानी पीते हैं। वहां के लोगों में एक खास बीमारी होती है, जिसे नहरवा कहते हैं, जो आम किसानों और गरीब आदमी में होती है। यदि आप उस चीज पर गौर करें, तो बहुत से लोगों के पैर उस गादे और खराब पानी पीने के कारण खराब हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कुछ ऐसा बन्दोबस्त कीजिए, राजस्थान का वह इलाका जिसमें खास कर झुंझनू भी आती है, जिससे वहां के लोग स्वस्थ जिन्दगी गुजार सकें। उस इलाके से बहुत बड़ी तादाद में लोग मुल्क की खिदमत करने के लिए फौज में आते हैं। फौज में जवान लोग जो पानी की बोतल अपने साथ लेकर चलते हैं, उसमें उनको एक वाटर-टैबलेट डालने के लिए दी जाती है, जिससे वह पानी पीने के लायक हो जाता है। इसी प्रकार का प्रबन्ध आपको यहां के लिए भी करना चाहिए, जिससे वह पानी पीने के काबिल हो सके।

मेरे क्षेत्र में एक खेतड़ी प्रोजेक्ट है, जिसके पानी में काफी पोल्यूशन फैला हुआ है और किसान की खेती बंजर हो रही है। इसके साथ-साथ वहां का वातावरण भी दूषित हो रहा है। इसको ठीक करने की दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिए औ' सरकार की तरफ से आदेश होना चाहिए कि वहां कोई यन्त्र लगे, जिससे पोल्यूशन न फैल सके। इस दिशा में जब आप कदम उठायेंगे, तो किसानों को भी लाभ होगा, उनकी खेती बरबाद नहीं होगी। आपने जो छूट दी है, उसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा, लेकिन कदम ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे लोगों को महसूस

हो कि यह हमारा दायित्व है और सरकार का दायित्व बनता है कि हम पानी मुहैया करायें, उस पर कर न लगायें। मैं एक शेर कहना चाहता हूं—

"फरदे कायम रबते मिल्लत से है,
तनहा कुछ नहीं।
मौज दरिया में है,
बेरूने दरिया कुछ नहीं।"

मैं अर्ज करूंगा कि हम सब लोग मिल कर इस पोल्यूशन को दूर कर सकेंगे, तो हम अपने मुल्क को मजबूत बना सकेंगे। अगर हम पोल्यूशन को बढ़ायेंगे तो अपने देश को बरबाद करेंगे, अपने देश को मजबूत नहीं कर सकेंगे। खासकर के मैं बी० जी० पी० वालों से इस तरह का आग्रह करूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस विषय पर चर्चा समाप्त होती है। माननीय मन्त्री महोदय अगले दिन जवाब देंगे। अब सभा कल 11 म० पू० पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 28 नवम्बर, 1991/अग्रहायण 7, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-53